ISSN 2321-4945
Peer Reviewed UGC CARE Listed Research Journal

आजादी का अमृत महोत्सव

द्विभाषी राष्ट्रसेवक

वर्ष : 14 ● अंक : 10 ● जनवरी : 2022

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर विशेष

संपादक
डॉ. क्षीरदा कुमार शइकीया

अतिथि संपादक
प्रो. मोहन

द्विभाषी राष्ट्रसेवक वर्ष : 14 अंक : 10 जनवरी : 2022

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

एक हृदय हो भारत जननी

असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, गुवाहाटी

[केंद्रीय हिंदी निदेशालय, भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से प्रकाशित]

सलाहकार

श्री हरिकांत नाथ
प्रो. आर.एस. सर्राजु
प्रो. मोहन
डॉ. नारायण तालुकदार
डॉ. दिलीप कुमार मेधी
डॉ. अच्युत शर्मा
शंकर प्रसाद साहू

संपादक

डॉ. क्षीरदा कुमार शइकीया
(चलभाष : 9435340285)

अतिथि संपादक

प्रो. मोहन
(दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली)
(चलभाष : 9871115500)

कार्यकारी संपादक

रामनाथ प्रसाद
(चलभाष : 9101541395)

शब्द संयोजन व अलंकरण

रतिकांत कलिता

एक प्रति	: बीस रुपये
अर्द्धवार्षिक	: सौ रुपये
वार्षिक शुल्क	: दो सौ रुपये

प्रकाशक

डॉ. क्षीरदा कुमार शइकीया
मंत्री, असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति
गुवाहाटी-781032

'द्विभाषी राष्ट्रसेवक' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण लेखक के हैं। संपादक या प्रकाशक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

लेखादि भेजने का पता :

संपादक, द्विभाषी राष्ट्रसेवक
असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति,
रूपनगर, गुवाहाटी-781032
E-mail: arps.guwahati@gmail.com

Postal Rgd. No. GH-127/2019-2021 ISSN 2321-4945
UGC CARE LIST approved Research Journal

असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा प्रकाशित
भाषा, साहित्य, कला व संस्कृति विषयक शोध-पत्रिका

द्विभाषी राष्ट्रसेवक

वर्ष : 14 **अंक : 10** **जनवरी, 2022**

विषय-सूची

: हिंदी विभाग :

- संपादकीय — 2
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाएँ और प्रौद्योगिकी का परिप्रेक्ष्य — डॉ. सी. जय शंकर बाबु — 5
- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और हिंदी — डॉ. मजीद शेख — 15
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अंतर्गत प्रस्तावित विभिन्न आयोग : महत्व एवं कार्य — डॉ. संजय कुमार/डॉ. रवि कुमार गोड़ — 25
- भारत में आधुनिक शिक्षा की पृष्ठभूमि और शिक्षा नीति — डॉ. आकाश वर्मा — 31
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के भाषाई सरोकार — डॉ. अनुशब्द — 39
- विश्वगुरु के पथ पर नई शिक्षा नीति — प्रो. प्रदीप के. शर्मा — 45
- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता — डॉ. कुसुम कुंज मालाकार — 50
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 : भारतीय भाषाओं और संस्कृति का महत्व व संरक्षण — डॉ. परिस्मिता बरदलै — 55
- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में 'भाषा शिक्षण' — डॉ. मंजु शर्मा — 64
- नई शिक्षा नीति के विविध आयाम और भविष्य — अर्जुन पासवान — 67
- नई शिक्षा नीति और असम की बी.एड. शिक्षा
- नई शिक्षानीति, 2020 : असम के संदर्भ में — डॉ. नवकांत दास/प्रांजल कुमार नाथ — 72
  उच्च शिक्षा संबंधी संभावनाएँ और चुनौतियाँ — डॉ. अब्दुल मान्नान — 75
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिवार व्यवस्था और घरेलू भाषा का संदर्भ — डॉ. गोपाल शर्मा — 80
- नई शिक्षा नीति, 2020 में भारतीय भाषाओं का महत्व : एक सामान्य विवेचन — युगल चंद्र नाथ/कुशल महंत — 86
- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का संक्षिप्त विवरण — 91
- कविता : लिखता हूं बार-बार पूर्वोत्तर/मैं ढूंढ़ रहा हूं/गांव की सड़क — पंकज मिश्र 'अटल' — 96

অসমীয়া বিভাগ

- ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ আৰু অসমত উচ্চ শিক্ষাৰ ভৱিষ্যত — ড° প্ৰণয়ী দত্ত — ১০১
- ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি, ২০২০ ঃ এক পৰ্যালোচনা — শ্ৰী হৃষিকেশ ভূঞা — ১১৫
- শিকন-শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত ভাষাভিত্তিক সমস্যা আৰু নতুন শিক্ষানীতি, ২০২০ — মনীষা চলিহা — ১২০
- কবিতা ঃ সুখৰ সম্ভাৱনা — ড° দিলীপ শর্মা — ১২৪

लेखक/लेखिकाओं से अनुरोध : ● 'द्विभाषी राष्ट्रसेवक' के लिए भेजे जाने वाले लेखादि साहित्य, कला, संस्कृति विषयक होने चाहिए। ● भेजे गये लेखादि साफ अक्षरों में या टाइप कराकर ही भेजें। ● अनूदित लेखों के लिए मूल लेख का उल्लेख करना अनिवार्य है। ● सभी कानूनी विवादों का निपटारा गुवाहाटी न्यायालय के अधीनस्थ होगा।

संपादकीय

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 : संकल्प से सिद्धि

पूरे 34 वर्षों के अंतराल के बाद शिक्षा नीति में बदलाव लाया गया है और बदलाव लाना जरूरी भी था। नई 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020' की संकल्पना एक नई सुबह का आगाज़ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद से अब तक की बड़ी घटनाओं में से अन्यतम है - नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना। इस नीति में भारतीय शिक्षा व्यवस्था का आमूल-चूल परिवर्तन प्रस्तावित है। एक ओर, इस में भारतीय समाज के पारंपरिक मूल्यों, संस्कृति एवं देश की मेधा को वैश्विक आधुनिकता के साथ ज्ञान एवं शिक्षा के जरिए जोड़ने की महत्वपूर्ण परियोजना परिकल्पित की गई है, तो दूसरी ओर, हमारी मातृभाषा, स्थानीय कौशल एवं लोक विवेक को भारतीय शिक्षा व्यवस्था एवं उससे जुड़े विमर्श में शामिल करने की योजना भी है।

आपको ज्ञात है कि यह 'नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति' लम्बे विचार-विमर्श एवं मंथन के पश्चात् 29 जुलाई, 2020 को अस्तित्व में आई। इस बहुप्रतिक्षित शिक्षा नीति के बारे में चर्चा जनवरी 2015 में कैबिनेट सचिव श्री टी.एस.आर. सुब्रमणियन के नेतृत्व में समिति द्वारा शुरू की गई और 2017 में समिति द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

2017 की रिपोर्ट के आधार पर बनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक मसौदा, 2019 में पूर्व इसरो (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) प्रमुख डॉ. कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में नई टीम द्वारा प्रस्तुत किया गया।

पहले की 'शिक्षा नीति, 1986' मूल रूप से परिणाम देने पर ही केंद्रित थी, मतलब कि विद्यार्थियों का आकलन उनके द्वारा अर्जित अंकों के आधार पर किया जाता था। जो कि एक एकल दिशा दृष्टिकोण है। नई शिक्षा नीति 2020 ठीक इसके विपरीत है, यानी यह बहुल दिशा दृष्टिकोण पर केंद्रित है।

इसके अलावा नई शिक्षा नीति में छात्र किताबी ज्ञान के अलावा भौगोलिक व वैश्विक ज्ञान को भी अच्छे से समझ व सीख पाएगा। बच्चे को कुशल बनाने के साथ-साथ, जिस भी क्षेत्र में वह रुचि रखता है, उसी क्षेत्र में उसे प्रशिक्षित करना इस नीति का एक मुख्य पहलू है। इस तरह, सीखने वाला अपने उद्देश्य और अपनी क्षमताओं का पता लगाने में पूर्ण रूप से सक्षम होगा।

वस्तुत: पूर्व से चली आ रही शिक्षा व्यवस्था की खूबियों को विकसित करते हुए भी इस शिक्षा नीति ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अनेक नए तत्व जोड़े हैं। नवोन्मेष, रचनात्मकता, लचीलापन, गतिशीलता एवं अपने समाज एवं वैश्विक जगत से संवाद को इसने कोर्स, करिकुलम एवं तकनीकी ढांचे में मूल आत्मा के रूप में प्रस्तावित किया है। भारतीय शिक्षा में शोध के महत्व को इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने महत्वपूर्ण ढंग से प्रतिपादित करते हुए इसके लिए कार्य योजना एवं संस्थागत ढांचा भी सुझाया है।

इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने समाज के सीमांत पर बसे अनेक जन-समुदायों - यथा दलित, वंचित जनजातीय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, महिलाएं सबका समुचित समावेश शिक्षा के माध्यम से करने की कार्ययोजना प्रस्तावित की है। भारत में विकास एवं शिक्षा को जोड़ने की एक महत्वपूर्ण पहल इस शिक्षा नीति में परिकल्पित

की गई है। इसने युवाओं से भरे एक ऐसे राष्ट्र निर्माण की शैक्षिक योजना हमें प्रदान की है, जो आत्मनिर्भर एवं श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को पूरा करते हुए विश्व-गुरु बनने के संकेत देते हैं।

इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने वैश्विक स्तर पर भारत को ज्ञान एवं शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने की अनेक योजनाएं भी हमें दी है। वैश्विक स्तर पर विशेषज्ञों एवं छात्रों के आदान-प्रदान को इस शिक्षा व्यवस्था में विशेष रूप से महत्व दिया गया है। जहां तक उच्च शिक्षा जगत का संदर्भ है, वहां शिक्षा मंत्रालय एवं यूजीसी के निर्देशन में विश्वविद्यालयों एवं अनेक शिक्षण संस्थाओं में अनेक कमेटियां बनाकर इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का काम भी प्रारंभ कर दिया गया है। राज्य सरकारें इसके बेहतर कार्यान्वयन के लिए प्रयास कर ही रही हैं। अगर इस वर्ष में इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को लागू करने की प्रगति का मूल्यांकन किया जाए, तो साफ लगता है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में रूपांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।

यह रूपांतरण मात्र ढांचे का ही नहीं है बल्कि मूल्यों का भी है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 'वैश्विक भारतीय शिक्षा' के निर्माण के लिए स्थितियां निर्मित करने का हमें आधार देती है। भारतीय शिक्षा को 'वैश्विक भारतीय शिक्षा' के स्तर पर पहुंचाने के लिए जरूरी है कि शिक्षकों का एक ऐसा वर्कफोर्स तैयार हो, जो इस मिशन को आगे बढ़ा सके। ऐसा करने के लिए जरूरी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की जरूरतों के मुताबिक नए शिक्षकों की नियुक्ति तो हो ही, साथ ही भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सक्रिय शिक्षकों को इसके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित करने हेतु अनेक ट्रेनिंग प्रोग्राम एवं 'शार्ट टर्म कोर्सेज' चलाए जाएं।

छात्रों को इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आत्मा एवं अंतर्वस्तु से परिचित कराने के लिए 'लोकप्रिय' एवं सरल भाषा में ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी चलाया जाना चाहिए। देश को सक्षम, दक्ष, ज्ञानी, आत्मविश्वासी बनाने एवं भारतीय मानस को औपनिवेशिकता से मुक्त करने हेतु नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 हमें एक नई तरह की शिक्षा शक्ति विकसित करने का एक इकोसिस्टम प्रस्तावित करती है, जिसका रचनात्मक क्रियान्वयन ही हमें भविष्य में नए भारत के निर्माण के लिए आधारभूत शक्ति दे पाएगा।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और हिंदी

एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है बल्कि यह हमारे जीवन-मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहिका भी है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषाओं में से एक है, जिसे दुनियाभर में समझने, बोलने और चाहनेवाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। यह विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जानेवाली भाषा है, जो हमारे पारम्परिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु भी है। हिंदी भारत संघ की राजभाषा होने के साथ ही ग्यारह राज्यों और तीन संघ शासित क्षेत्रों की भी प्रमुख राजभाषा है। संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल अन्य इक्कीस भाषाओं के साथ हिंदी का एक विशेष स्थान है।

नई 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' भारत की पहली शिक्षा नीति है, जो हमारी सभी भारतीय भाषाओं की प्रगति एवं प्रयोग पर सर्वाधिक बल दिया है। मेरा पूरा विश्वास है कि भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन का सपना नई शिक्षा नीति साकार करेगी। यह शिक्षा नीति भारत की बहुभाषिकता की ताकत को भलीभांति पहचानती है। हमें अपनी भारतीय भाषाओं पर गर्व होना चाहिए। उसका उपयोग करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए।

हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस दिशा में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हिन्दी को सम्मान दिलाया है। मेरा मानना है कि भारतीय भाषाओं को समृद्ध करने के लिए हमें हिन्दी के अलावा

अन्य किसी भारतीय भाषा को भी सीखना चाहिए। हमें यह समझ लेना चाहिए कि भारतीय भाषाओं के विकास से ही हिन्दी का विकास एवं विस्तार होगा।

भारत एक बहुभाषी देश है। हिंदी के साथ-साथ अन्य सभी प्रांतीय भाषाओं का संरक्षण एवं संवर्धन होना नितांत आवश्यक है। हिंदी आज स्वयं बड़ी बहन की भूमिका निभाती हुई अपनी सभी बहनों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। हिंदी को लेकर किसी भी भारतीय भाषा के समक्ष तनिक भी खतरा नहीं है। हम सभी यह जानते हैं कि भारत की अधिकतर भाषाओं में संस्कृत के बहुतायत शब्द पाए जाते हैं और हिंदी प्रारंभ से ही संस्कृतनिष्ठ शब्दों को अपनाती आई है। मेरा यह हमेशा से मानना है कि कोई भी भाषा किसी पर कभी थोपी नहीं जानी चाहिए। जबरन थोपी गई भाषा न तो स्थायी होती है, न ही सर्वग्राह्य। किसी भाषा को अपनाना या न अपनाना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होता है। परन्तु माता-पिता एवं बड़ों का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को सही मार्ग दिखलाएं, ताकि भविष्य में उन्हें सफलता प्राप्त हो।

देश की स्वतंत्रता से लेकर हिन्दी ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। भारत सरकार द्वारा विकास योजनाओं तथा नागरिक सेवाएं प्रदान करने में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। हिंदी तथा प्रांतीय भाषाओं के माध्यम से हम बेहतर जन सुविधाएं लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय द्वारा 'विश्व हिंदी सम्मेलन' और अन्य अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से हिंदी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने का कार्य किया जा रहा है।

इसके अलावा प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा 'प्रवासी भारतीय दिवस' मनाया जाता है, जिसमें विश्व भर में रहनेवाले प्रवासी भारतीय भाग लेते हैं। विदेशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों की उपलब्धियों के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम से भारतीय मूल्यों का विश्व में और अधिक विस्तार हो रहा है। विश्वभर में करोड़ों की संख्या में भारतीय समुदाय के लोग एक संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी को एक नई पहचान मिली है। यूनेस्को की सात भाषाओं में हिंदी को भी मान्यता मिली है।

भारतीय विचार और संस्कृति का वाहक होने का श्रेय हिन्दी को ही जाता है। आज संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं में भी हिंदी की गूंज सुनाई देने लगी है। विश्व हिंदी सचिवालय विदेशों में हिंदी का प्रचार-प्रसार करने और संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए कार्यरत है। उम्मीद है कि हिंदी को शीघ्र ही संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का दर्जा भी प्राप्त हो सकेगा।

हिंदी के इसी महत्व को देखते हुए तकनीकी कंपनियां इस भाषा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं। यह खुशी की बात है कि सूचना प्रौद्योगिकी में हिन्दी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। आज वैश्वीकरण के दौर में, हिंदी विश्व स्तर पर एक प्रभावशाली भाषा बनकर उभरी है। आज पूरी दुनिया में 175 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिन्दी भाषा पढ़ाई जा रही है। ज्ञान-विज्ञान की पुस्तकें बड़े पैमाने पर हिंदी में लिखी जा रही है। सोशल मीडिया और संचार माध्यमों में हिंदी का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है।

संक्षेप में, हम कह सकते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के आलोक में हिंदी सहित हमारी सभी भारतीय भाषाओं का विकास संभव है। भारतीय भाषाओं के विकास में ही हिन्दी का विकास निहित है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 पर केंद्रित इस विशेषांक के सभी सम्मानित लेखकों के प्रति समिति आभारी है। आशा है यह अंक भी पूर्वांकों की भांति पाठक-वर्ग के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

शुभकामनाओं सहित।

रामनाथ प्रसाद
कार्यकारी संपादक

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाएँ और प्रौद्योगिकी का परिप्रेक्ष्य

डॉ. सी. जय शंकर बाबु

संस्थापक संपादक, 'युग मानस',
प्रधान संपादक, 'आंतर भारती'
अध्यक्ष (प्र.), हिंदी विभाग,
पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय,
पुदुच्चेरी - 605 014
ई-मेल
professorbabuji1@gmail.com
मोबाइल - 94420 71407

राष्ट्र की उन्नति में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा के महत्व के आलोक में दुनिया के कई देश शिक्षा नीतियाँ तय करने में बड़ी रुचि लेते हैं। नीति निर्माण में जितना उत्साह होना चाहिए, नीतियों के कार्यान्वयन में भी उतनी ही तत्परता और निष्ठा की अपेक्षा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में भारतीय शिक्षा नीतियों की परंपरा पर प्रकाश डालते हुए इन नीतियों में भारतीय भाषाओं के संरक्षण, संवर्द्धन और प्रयोग व विकास के लिए जो प्रावधान हैं, प्रौद्योगिकी के प्रयोग संबंधी जो निर्णय हैं, उनका आकलन और व्यावहारिकता पर अनुभवात्मक विमर्श ही इस आलेख का मुख्य उद्देश्य है ।

आजाद भारत की शिक्षा नीतियाँ :

परतंत्रता से मुक्त होकर भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारतीय शिक्षा व्यवस्था को प्रभावशाली बनाने के लिए कई कदम उठाए गए। आजाद भारत की शिक्षा नीतियों के मुख्यत: तीन पड़ाव हम देख सकते हैं। इन पड़ावों के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968, 1986/1992 तथा 2020 को मान सकते हैं। इन तीन पड़ावों की नींव के रूप में राधाकृष्णन आयोग तथा मुदलियार आयोग की सिफारिशों से क्रमश: विश्वविद्यालयीय शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा में सुधार व विकास के लिए जो प्रयास हुए थे, उन्हीं के बल पर आगे शिक्षा नीतियाँ तय हुई हैं। उन नीतियों के तहत कई निर्णय लिए गए हैं, उनका कार्यान्वयन भी सुनिश्चित किया गया है। नीति के तहत कार्य-योजनाओं के क्रम में कई संस्थाओं, अभिकरणों का गठन, कई प्रणालियों का सक्रियकरण आदि सुनिश्चित होता रहा है। कुछ बातों में छह-सात दशकों के बाद भी कोई बड़ी प्रगति नहीं नजर आई है। अत: इस बात को दुहराना उचित ही है कि नीति के निर्माण और लागू करने में समान उत्साह, निष्ठा और तत्परता की जरूरत है, साथ ही समय-समय पर लागू की गई नीतियों के परिणामों और प्रभावों का मूल्यांकन भी अपेक्षित है।

तदनुसार शिक्षा में भारतीय भाषाओं तथा प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में तय प्रमुख मुख्य निर्णयों की समीक्षा करना तथा

उनके परिणामों का पूर्वानुमान अतीत के आधार पर करने का प्रयास किया गया है। ऐसे पूर्वानुमानों से निराशापूर्ण स्थितियों का निराकरण तथा कारगर प्रणालियों को अपनाकर शिक्षा नीति के सफल कार्यान्वयन में प्रतिफलित होना ही ऐसे विमर्शों की उपलब्धि या अंतिम संप्राप्ति होनी चाहिए ।

पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं पर बल :

डॉ. दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तय की गई स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में निर्धारित हुई थी। इस नीति के भावजगत में भाषा के संबंध में कुछ स्पष्ट धारणाएँ थीं। इन धारणाओं का संक्षिप्त आकलन यहाँ हम करने की कोशिश करेंगे।

भारत की पहली शिक्षा नीति में ही भाषाओं के विकास के संबंध में विस्तृत विवेचन हम देख सकते हैं। नीति में भाषा संबंधी पाँच मूल बिंदुओं पर कई निर्णय निर्धारित हुए थे। ये पाँच मूल बिंदु हैं - 1. क्षेत्रीय भाषाएँ, 2. त्रि-भाषा सूत्र, 3. हिंदी, 4.संस्कृत, 5. अंतर्राष्ट्रीय भाषाएँ।

शैक्षिक एवं सांस्कृतिक उन्नति भारतीय भाषाओं तथा साहित्य के ऊर्जस्वी विकास पर निर्भर होती है। इस विकास को सुनिश्चित किए बिना लोगों की रचनात्मक शक्तियाँ विकसित नहीं हो पाएँगी। शिक्षा के मानकों का विकास न होना, लोगों के बीच ज्ञान का फैलाव न होना तथा बुद्धिजीवी वर्ग और जनसामान्य के बीच खाई भले ही न बढ़े, मगर बनी रहने की स्थितियाँ बनी रहेंगी।

नीति में 1968 तक 39 क्षेत्रीय भाषाएँ प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होने के तथ्य का उल्लेख मिलता है। इन्हें विश्वविद्यालय स्तर पर भी शिक्षा के माध्यमों के रूप में अपनाने के संबंध में नीति ने बल दिया था । 1968 से आज तक लगभग साढ़े पाँच दशक बीत चुके हैं, मगर विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए भले ही कुछ क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम की सुविधा है, मगर स्नातकोत्तर स्तर पर मुट्ठी भर भाषाएँ ही माध्यम के रूप में, वह भी कुछ ही विषयों के लिए अपनाई गई हैं। ध्यातव्य है कि कई विकसित देशों में विज्ञान-प्रौद्योगिकी जैसे विषय मातृभाषा के माध्यम से ही पढ़ाए जा रहे हैं। अनुसंधान का माध्यम भी उनकी अपनी भाषा है। जर्मनी, रूस, जापान, चीन, कोरिया आदि के उदाहरण हम ले सकते हैं। देश की सशक्त संपर्क भाषा, सर्वाधिक बोली व समझी जाने वाली भाषा हिंदी के मामले में भी हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं। उच्च स्तर विज्ञान-प्रौद्योगिकी के लिए हिंदी माध्यम को अपनाना अभी तक सपना ही है। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि नीतियाँ अधिकांश मामलों में कागजों तक सीमित हो गई हैं। आगे की नीतियों की चर्चा से पहले इतना तो स्पष्ट है कि भारत की सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन का यह निष्ठुर यथार्थ है । त्रिभाषा सूत्र को निष्ठा से अपनाने, हिंदी का विकास, हिंदीतर प्रदेशों में भी हिंदी माध्यम का विकास, शिक्षा क्षेत्र में कतिपय विषयों के लिए संस्कृत के प्रयोग, अँग्रेजी सहित अन्य विदेशी भाषाओं को अपनाने और विशेष रूप में अँग्रेजी के सुदृढ़ीकरण की बातें भी इस नीति में शामिल हैं।

1968 तक 39 क्षेत्रीय भाषाएँ शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रचलित थीं। इन नीतियों के तहत निश्चय ही साढ़े पाँच दशकों के भीतर यह संख्या दुगुनी करने तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं को अपनाने पर काफी प्रगति हासिल की जा सकती थी, मगर यह साकार नहीं हुआ। चूँकि भारत में इस अवधि तक कंप्यूटर का प्रवेश नहीं हुआ था, अत: प्रौद्योगिकी संबंधी कोई बात इस पहली नीति में शामिल नहीं हो पाई थी ।

भारत की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं तथा प्रौद्योगिकी संबंधी विचार-सूत्र :

भारत की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनी और तत्पश्चात इसके कार्यान्वयन की योजना 1992 में बनी थी। योजना में इस आलेख के दायरे में चर्चा के लिए निर्धारित दोनों मुद्दों (भारतीय भाषाएँ और प्रौद्योगिकी) पर कई महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं। भाषा विकास, मीडिया एवं शैक्षिक प्रौद्योगिकी (शिक्षण में कंप्यूटर का प्रयोग सहित) पर शामिल प्रमुख बातों की चर्चा आगे प्रस्तुत है। 1968 की नीति में भाषा के संबंध में तय की गई बातें 1986 की नीति में दुहराई गई थी। विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप क्षेत्रीय भाषाओं को अपनाने, त्रिभाषा सूत्र को कारगर ढंग से लागू करने, हिंदी का विकास, अँग्रेजी सहित विदेशी भाषाओं का शिक्षण, विश्वविद्यालय स्तर पर कतिपय पाठ्यक्रमों व संस्कृत पढ़ाना, अन्य भाषाओं से पुस्तकों का अनुवाद, द्विभाषी और बहुभाषी कोशों की तैयारी की बातें इसमें शामिल हैं।

विश्वविद्यालयों के स्तर पर भारतीय भाषा माध्यम के कार्यान्वयन की स्थिति पर विश्लेषण के क्रम में नीति में यह बात भी स्पष्ट है कि मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण का प्रयास होना चाहिए। विश्वविद्यालय स्तर की 7000 पाठ्य-पुस्तकें भारत सरकार के सहयोग से तैयार होने का उल्लेख भी इसमें हम देख सकते हैं। इसके बावजूद इन पुस्तकों की बिक्री संतोषजनक न होने पर कारणों का विश्लेषण भी शामिल है, तदनुसार विश्वविद्यालयों के निर्णय के बगैर पाठ्य-पुस्तकें तैयार करना, अँग्रेजी माध्यम से शिक्षा पाने वाले विश्वविद्यालय के अध्यापक भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षण में कठिनाई महसूस करना, पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन पर नियंत्रण न होना और निजी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पाठ्य-पुस्तकें संस्तुत होना, व्यावसायिक तुलनीयता और रोजगार के अवसरों की क्षमता की कमी की वजह से छात्रों के बीच भारतीय भाषा माध्यम की लोकप्रियता में कमी आदि कारण दर्शाए गए हैं। इन कारणों के आधार पर स्थिति में सुधार की प्रत्याशा में भी काफी बातें इस नीति में शामिल थीं। उन बातों में एक बात यह भी थी कि भारतीय भाषा माध्यम विश्वविद्यालयों के स्तर पर अपनाने की नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्तर पर एक नियंत्रण प्रकोष्ठ का गठन हो। इसी तरह त्रिभाषा-सूत्र, छात्रों में भाषा-क्षमता विकास, पाठ्य-पुस्तकों की तैयारी व कोशों का निर्माण, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, संस्कृत का संवर्द्धन, भाषा विकास के लिए नीति-योजना आदि पर विस्तृत कार्य-योजनाएँ इस नीति में शामिल हुई थीं। इस नीति के कार्यान्वयन के तीन दशकों बाद भी भाषा संबंधी में मुद्दों में कोई बड़ी प्रगति दर्ज नहीं हुई है ।

शिक्षण में प्रौद्योगिकी के संबंध में उक्त नीति में काफी विस्तार से कई मुद्दों पर जिक्र हम देख सकते हैं, जिनमें शिक्षण में रेडियो, टीवी, शैक्षिक टीवी कार्यक्रमों, इनसेट चैनलों, शैक्षिक मीडिया अनुसंधान केंद्रों की स्थापना, सातवीं योजना के दौरान शिक्षण प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए निर्धारित लक्ष्यों में अन्य बातों के साथ-साथ कंप्यूटर-विज्ञान को माध्यमिक स्तर पर एक विषय के रूप में शामिल करने, स्कूलों में कंप्यूटर साक्षरता के कार्यक्रम लागू करने, राष्ट्रीय शैक्षिक सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना आदि बातें शामिल थीं। कार्य-योजना संबंधी काफी विस्तृत चर्चा भी इस नीति में देखी जा सकती है।

अद्यतन राष्ट्रीय शिक्षा नीति :

दो राष्ट्रीय नीतियों की पृष्ठभूमि के बाद तीन दशकों के अंतराल में लगभग लगातर पाँच वर्ष की मशक्कत के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कई आशाओं और आकांक्षाओं के साथ उस समय सामने आई, जब दुनिया कोविड-19 की महामारी से ग्रस्त थी। नीति पर कई आभासी मंचों पर चर्चा-परिचर्चाएँ होती रहीं, संगोष्ठियाँ आयोजित हुईं और कई पत्र-पत्रिकाओं के विशेषांकों के प्रकाशन का सिलसिला जारी रहा। कोई भी नीति बनने के बाद उस नीति संबंधी दस्तावेजों के पूर्ण अध्ययन के बिना और ऐसी नीतियों की पृष्ठभूमि की जानकारी के अभाव में कोरी तारीफ, गुणगान करते बैठने से कोई फायदा नहीं है। नीति की गहन और तार्किक अध्ययन के बाद लायक बातों को लागू करने के लिए अपेक्षित भावभूमि तैयार करने तथा अप्रासंगिक, अव्यावहारिक निर्णयों के संशोधन के लिए अनुकूल स्थितियाँ बनाकर

सार्थक विचारों के विकास के साथ ही नीति की भावनाओं को साकार होने की दिशा में सभी जिम्मेदार व्यक्ति, हितभागी मनसा-वाचा-कर्मणा कार्य करने की जरूरत है। नीति को कारगर रूप से लागू होने के लिए गठित होने वाली नई संस्थाओं, स्थापित होने वाले नए अभिकरणों में नीति की मूल भावनाओं को सही मायने में समझकर उसके लिए प्रतिबद्ध व्यक्तियों को पदाधिकारियों के रूप में शामिल करने से ही नीतियाँ सफल हो सकती हैं, अन्यथा पहली और दूसरी नीतियों में कई महत्वपूर्ण बातें या तो कारगर ढंग से लागू न होने या बिल्कुल उपेक्षित होने की स्थिति ही वर्तमान नीति के साथ ही लागू हो जाती है। कागजी कार्रवाइयों से कुछ संस्थाएँ गठित होने का ही काम होता है, मगर बड़ी प्रगति हासिल करने के लिए अनुकूल मानसिकता नितांत अपेक्षित है। इस दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषा और प्रौद्योगिकी विषयक मुख्य निर्णयों, उन निर्णयों की पृष्ठभूमि के आलोक में भविष्य में कारगर ढंग से लागू करने के लिए अपेक्षित कदमों पर विवेचन आगे प्रस्तुत है ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषा और प्रौद्योगिकी :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारी इस चर्चा के लिए निर्धारित दोनों विषयों अर्थात् भारतीय भाषाओं तथा प्रौद्योगिकी के संबंध में कई प्रावधानों से सुसज्जित व समृद्ध है ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को स्पष्ट करने वाला दस्तावेज मूलत: चार भागों में प्रस्तुत है। इन प्रस्तावित मुद्दों की दृष्टि से आरंभिक तीन भाग महत्वपूर्ण हैं, चौथा भाग इन तीनों के क्रियान्वयन की रणनीति से संबंधित है । पहला भाग स्कूली शिक्षा से और दूसरा उच्चतर शिक्षा से संबंधित है, तीसरा भाग अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दों पर केंद्रित है, जो आरंभिक दोनों अर्थात् स्कूली तथा उच्चतर शिक्षा, दोनों पर लागू होते हैं । तीसरे भाग में व्यावसायिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा संबंधी दो प्रकरणों के अलावा भाषा और प्रौद्योगिकी संबंधी कुल तीन प्रकरण शामिल हैं। इस भाषा विषयक एक प्रकरण है, जबकि शेष दो प्रौद्योगिकी विषयक प्रकरण हैं । स्कूली शिक्षा और उच्चतर शिक्षा के कई आयामों पर केंद्रित आरंभिक दो भागों में कई प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा शामिल है। इसी चर्चा में शिक्षा में भाषा के संबंध में, शिक्षण माध्यम के संबंध में और शिक्षण में प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में भी विवेचन शामिल है। भाषा और प्रौद्योगिकी विषयक दो मुद्दों के लिए तीन प्रकरणों में विस्तृत चर्चा इस नीति के तीसरे भाग में शामिल है। भाषा और प्रौद्योगिकी को इस नीति में दिए गए महत्व को भी यह भाग रेखांकित करता है। तीसरे भाग का तीसरा प्रकरण भारतीय भाषाओं, कला, संस्कृति के संवर्द्धन पर केंद्रित है। चौथा प्रकरण प्रौद्योगिकी के उपयोग एवं एकीकरण संबंधी है। पाँचवाँ व अंतिम प्रकरण ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में प्रौद्योगिकी का न्यायसम्मत उपयोग सुनिश्चित करने पर केंद्रित है ।

इन तीनों प्रकरणों के परिप्रेक्ष्य में भाषा और प्रौद्योगिकी के संबंध में नीति की खास चिंता को समझने की कोशिश हम पहले करेंगे।

नीति के 22वें प्रकरण का शीर्षक है-'भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्द्धन'। भारतीय भाषाओं का संबंध भारतीय संस्कृति और कलाओं के साथ जुड़े होने के कारण कला और संस्कृति के संवर्द्धन के साथ-साथ भारतीय भाषाओं के प्रयोग व संवर्द्धन पर अधिक जोर दिया गया है। भाषा संबंधी मुद्दे पर नीति के इस प्रकरण में प्रस्तुत बातों को कुछ मुख्य बिंदुओं में समझने की कोशिश करेंगे।

- भाषा, नि:संदेह, कला एवं संस्कृति से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। ...संस्कृति हमारी भाषाओं में समाहित है। संस्कृति के संरक्षण, संवर्द्धन और प्रसार के लिए, हमें उस संस्कृति की भाषाओं का संरक्षण और संवर्द्धन करना होगा । (22.4)
- देश ने 50 वर्षों में ही 220 भाषाओं को खो दिया है।... प्राय: इन समृद्ध भाषाओं / संस्कृति की अभिव्यक्तियों को संरक्षित या उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए कोई ठोस कार्रवाई या उपाय नहीं किए जाते हैं। (22.5)
- वे भारतीय भाषाएँ भी, जो आधिकारिक रूप से लुप्तप्राय की सूची में नहीं हैं, वे भी (आठवीं अनुसूची

की 22 भाषाएँ) कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रही हैं । (22.6)

● भारतीय भाषाओं के शिक्षण और अधिगम को स्कूल और उच्चतर शिक्षा के प्रत्येक स्तर के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है । (22.6)

● उच्चतर गुणवत्तापूर्ण अधिगम एवं मुद्रित सामग्री का विकास (जिसमें पाठ्य-पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, वीडियो, नाटक, कविताएँ, उपन्यास, पत्रिकाएँ आदि शामिल हैं।) (22.6)

● भाषाओं के शब्दकोशों और शब्द भंडार को आधिकारिक रूप से अद्यतन होते रहना चाहिए और उसका व्यापक प्रसार भी करना चाहिए । (22.6)

● देश में भाषा सिखाने वाले कुशल शिक्षकों की अत्यधिक कमी रही है। भाषा शिक्षण में सुधार किया जाना चाहिए । (22.7)

● बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करने के लिए त्रि-भाषा सूत्र का जल्द क्रियान्वयन, साथ ही जब संभव हो मातृभाषा/स्थानीय भाषा में शिक्षण तथा अधिक अनुभव-आधारित भाषा शिक्षण; स्थानीय कलाकारों, लेखकों, हस्तकलाकारों एवं अन्य विशेषज्ञों को स्थानीय विशेषज्ञता के विभिन्न विषयों में विशिष्ट प्रशिक्षक के रूप में स्कूलों से जोड़ना; पारंपरिक भारतीय ज्ञान का समावेशन। (22.8)

● भारतीय भाषाओं, तुलनात्मक साहित्य, सृजनात्मक लेखन, कला, संगीत, दर्शनशास्त्र आदि के सशक्त विभागों एवं कार्यक्रमों को देश भर में शुरू किया जाएगा और उन्हें विकसित किया जाएगा। राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (एनआरएफ) द्वारा इन क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान हेतु वित्त मुहैय्या कराया जाएगा । (22.8)

● अधिक उच्चतर शिक्षण संस्थानों तथा उच्चतर शिक्षा के और अधिक कार्यक्रमों में मातृभाषा/स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाएगा और / या कार्यक्रमों को द्विभाषित रूप में चलाया जाएगा ताकि पहुँच और सकल नामांकन अनुपात दोनों में बढ़ोतरी हो सके । (22.10)

● भारत में शीघ्र ही सर्वसाधारण को विभिन्न भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में उच्चतर गुणवत्तापूर्ण अधिगम सामग्री और अन्य महत्वपूर्ण लिखित एवं मौखिक सामग्री उपलब्ध हो सके। इस कार्य को सुनिश्चित करने के लिए अनुवाद एवं निर्वचन संस्थान की स्थापना की जाएगी। यह अपने कार्यों के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करेगा। (22.14)

● संस्कृत भाषा को मुख्य धारा में लाया जाएगा, स्कूलों में त्रि-भाषा सूत्र के तहत एक विकल्प के रूप में तथा उच्चतर शिक्षा में भी। संस्कृत विश्वविद्यालय भी उच्चतर शिक्षा के बड़े बहुविषयी संस्थान बनने की दिशा में अग्रसर होंगे। (22.15)

● सभी शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य का अध्ययन करने वाले संस्थानों और विश्वविद्यालयों का विस्तार किया जाएगा। ... देश भर के संस्कृत एवं सभी भारतीय भाषाओं के संस्थानों के विभागों को उल्लेखनीय रूप से मजबूत किया जाएगा। शास्त्रीय भाषा के संस्थान अपनी स्वायत्तता को बरकरार रखते हुए विश्वविद्यालयों के साथ संबद्ध होने या उनमें विलय होने के प्रयास करेंगे।... भाषाओं के लिए एक नया संस्थान स्थापित किया जाएगा। विश्वविद्यालय के परिसर में एक पाली, फारसी, एवं प्राकृत भाषा के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया जाएगा । (22.16)

● शास्त्रीय, आदिवासी और लुप्तप्राय भाषाओं सहित सभी भारतीय भाषाओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के प्रयास नए जोश के साथ किए जाएँगे । (22.17)

● भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक भाषा के लिए अकादमी स्थापित की जाएगी, जिनमें हर भाषा से श्रेष्ठ विद्वान मूल रूप से वह भाषा बोलने वाले लोग शामिल रहेंगे; नियमित रूप से नवीतम शब्दकोश जारी किए जाएँगे, जो व्यापक रूप से प्रसारित किए जाएँगे । (22.18)

● व्यापक पैमाने पर बोली जाने वाली अन्य भारतीय भाषाओं की अकादमी केंद्र अथवा / और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित की जाएँगी । (22.18)

● सभी भारतीय भाषाओं एवं उनसे संबंधित स्थानीय कला एवं संस्कृति का, वेब आधारित प्लेटफार्म/पोर्टल/विकीपीडिया के माध्यम से दस्तावेजीकरण किया जाएगा। (22.19)

● भारतीय भाषाओं, कला एवं संस्कृति के अध्ययन

के लिए छात्रवृत्तियों, विभिन्न विधाओं में लेखन के लिए पुरस्कारों की स्थापना; भारतीय भाषाओं में प्रवीणता को रोजगार अर्हता के मानदंडों के एक हिस्से के तौर पर शामिल किया जाएगा । (22.20)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषाओं के संरक्षण, संवर्द्धन, प्रयोग के लिए उक्त निर्णयों के आलोक में जब हम स्कूली शिक्षा तथा उच्चतर शिक्षा संबंधी पहले और दूसरे भागों को परखेंगे तो लगभग इन्हीं बातों का प्रतिबिंबन होगा। स्कूली शिक्षा वाले भाग में 'बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति' के शीर्षक के तहत (4.11 से 4.22 तक) भाषा प्रयोग, भाषा-शिक्षण, शिक्षण-माध्यय, भाषा विकास, भाषा संवर्धन आदि पर प्रकाश डाला गया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से सभी युवा भारतीयों को अपने देश की भाषाओं के विशाल और समृद्ध भंडार और इनके साहित्य के खजाने के बारे में जागरूक होना चाहिए ।

उच्चतर शिक्षा संबंधी दूसरे अध्याय में भारतीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली की कुछेक प्रमुख समस्याओं के रूप में कुल दस समस्याओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें दो बिंदु भाषा संबंधी नीति के साथ भी जुड़ी हुई हैं।

● गंभीर रूप से खंडित उच्चतर शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र।

● सीमित पहुँच (कुछ ही स्थानीय भाषाओं में पढ़ाने वाले विश्वविद्यालय/महाविद्यालय होना) ।

उच्चतर शिक्षा संबधी नीति के अंतर्गत बहुविषयक, स्थानीय / भारतीय भाषाओं में शिक्षा या कार्यक्रमों का माध्यम प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों को बढ़ाने पर बल दिया गया है। (9.3) वंचित क्षेत्रों में श्रेष्ठ गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा संस्थान सार्वजनिक और निजी दोनों को विकसित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएँगे, जिनके निर्देश का माध्यम स्थानीय / भारतीय भाषाओं या द्विभाषिक होगा। (10.8) अध्यापक शिक्षा संबंधी नीति की चर्चा के अंतर्गत भी यह स्पष्ट किया गया है कि इन संस्थाओं में भारतीय भाषाओं में पढ़ाने की क्षमता वाले शिक्षक शामिल होंगे।

इस नीति के आधार सिद्धांतों का उल्लेख दस्तावेज के आरंभ में मिलता है, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं, जिनका संबंध भारतीय भाषाओं, संस्कार और संस्कृति से है।

● हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना ।

● बहु-विषयक और समग्र शिक्षा का विकास।

● अवधारणात्मक समझ पर जोर।

● रचनात्मकता और तार्किक सोच।

● नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य।

● बहु-भाषिकता और अध्ययन-अधयापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन ।

● जीवन कौशल।

● तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर।

● भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना ।

उच्चतर शिक्षा संबंधी दूसरे अध्याय की शुरुआत जिस शब्द से हुआ है, वह इस नीति का एक महत्वपूर्ण शब्द है 'गुणवत्ता'। सभी स्तरों पर शिक्षा गुणवत्ता पर इस नीति में बल दिया गया है। शिक्षा में गुणवत्ता व उत्कृष्टता हासिल करने की दृष्टि से विकसित यह नीति इस दिशा में अग्रसर हो तो सभी नागरिकों और देश का उद्धार होगा।

विगत दो शिक्षा नीतियों में भाषा विषयक जो चेतना देखी जा सकती है, उसी चेतना को वर्तमान नीति में विस्तार दिया गया है। भारतीय भाषाओं के विकास को लेकर नीति में की गई घोषणाओं के सुपरिणाम सुनिश्चित करने के लिए अनुकूल मानसिकता वाले जनबल की आवश्यकता है, तभी भाषा विषयक घोषणाएँ साकार हो पाएँगी। उच्चतर शिक्षा के संदर्भ में मुख्यत: विज्ञान, प्रौद्योगिकी संबंधी स्नातकोत्तर पढ़ाई के माध्यम के संबंध में स्पष्ट घोषणा नहीं है, स्थानीय/द्विभाषी अध्यापन की जो बात कही गई है, वह राज्यों में शहरों से दूरस्थ अधिकांश कॉलेजों में पहले से ही हो रहा है। जिस गुणवत्ता की चिंता है, वही संभव नहीं हो पा रहा है। भारतीय भाषाओं के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को लेकर की गई घोषणाओं में व्यावहारिकता की कमी नजर आ रही है। आज आधी आबादी से ज्यादा निजी पाठशालाओं में अँग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कर रही है और

कई राज्य सरकारें पहली कक्षा से ही सरकारी स्कूलों में भी अँग्रेजी माध्यम को कार्यान्वित कर रही हैं। ऐसी विडंबनात्मक स्थितियों के बीच भारतीय भाषा माध्यमों पर बल देने के लिए घोषित राष्ट्रीय नीति को साकार बनाने के लिए कार्य-योजना को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। राज्यों के साथ विचार-विमर्श के साथ इस स्थिति में सुधार लाने की आवश्यकता है। भारत बहुभाषी राष्ट्र होने के कारण भिन्न भाषा माध्यमों से पढ़ाई करने वालों के हितों और रोजी-रोटी के समान अवसरों के संबंध में स्पष्ट नीति व प्रावधानों की आवश्यकता है। संघ की ओर से केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान आदि में इन नीतियों को कारगर ढंग से लागू करते हुए एक आदर्श उपस्थित कर समवर्ती सूची के तहत राज्यों के पास जो जिम्मेदारी है, उसे इस नीति के तहत निभाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। उच्चतर शिक्षा के स्तर पर पाठ्य-पुस्तकों की कमी के बहाने, अध्यापकों की कमी आदि समस्याओं को सामने लाते हुए कई दशकों पूर्व ही भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा की बात तय किए जाने के बावजूद निष्ठा से कार्यान्वित नहीं किया गया है। अभी मशीनों का प्रयोग करके अनूदित कर भारतीय भाषाओं में पाठ्य-पुस्तकें तैयार करने की बात जो कही जा रही है, वह व्यावहारिक रूप में सफल होने में काफी समय लग सकता है। अनुवाद में मशीन अभी इतना कारगर नहीं बन पाए हैं, बिगड़ी भाषा, कई निरर्थक अभिव्यक्तियों में मशीनों से जो अनुवाद हो रहा है, उसके भरोसे भारतीय भाषा माध्यम की बात व्यावहारिक नहीं लग रहा है। समर्पित शिक्षकों से यह काम करवाने का लक्ष्य बनाएँगे तो निश्चय ही कुछ वर्षों में यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है ।

भाषाओं के संबंध में इस नीति में कहीं गई बातों में विद्यार्थियों के भाषा-स्तर को लेकर भी चिंता जताई गई है, जो कि प्रासंगिक है। इस स्तर में सुधार के लिए उपाय सभी भाषाओं के संदर्भ में करने की आवश्यकता है। मातृभाषा, दूसरी भाषा, अँग्रेजी या विदेशी भाषा संबंधी शिक्षण की ओर गंभीरता से ध्यान देकर सुधार लाने की आवश्यकता है ।

शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं एकीकरण :

शिक्षाशास्त्र और सीखने की प्रभावशाली विधियों के तहत शिक्षण में शैक्षिक उपकरणों, अनुभवात्मक शिक्षण के लिए करके सीखना, क्रिया यानी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सीखना आदि विधियों को महत्व दिया जाता है। इन्हीं बातों के आलोक में शिक्षण में विभिन्न साधनों, माध्यमों का प्रयोग होता रहा है। विभिन्न साधनों, रेडियो, टी.वी. आदि के प्रयोग के क्रम में कंप्यूटर के आविष्कार के साथ शिक्षा में शिक्षा में कंप्यूटर के प्रयोग की संभावनाओं के आधार पर कंप्यूटर आधारित शिक्षण की परिकल्पना विकसित होकर विगत दो दशकों में शिक्षा-जगत कंप्यूटर के प्रयोग का विकास हुआ है। इंटरनेट के आविष्कार के साथ ई-शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा की संकल्पनाओं को बल मिला है । इसी क्रम में विगत दशकों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा का राष्ट्रीय मिशन (एनएमईआईसीटी) के शिक्षण में प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए कई कदम उठाए गए थे। इसी पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं एकीकरण के संबंध में स्कूली शिक्षा, उच्चतर शिक्षा संबंधी प्रथम दो भागों में उल्लेख के अलावा तीसरे भाग में अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दों के अंतर्गत 23 व 24 व प्रकरण प्रौद्योगिकी संबंधी नीति पर केंद्रित हैं ।

प्रौद्योगिकी का उपयोग और एकीकरण संबंधी प्रकरण के अंतर्गत शामिल मुख्य बातें निम्नांकित हैं -

- भारत, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर नेतृत्व कर रहा है। (23.1)
- डिजिटल इंडिया अभियान पूरे देश को एक डिजिटल रूप से सशक्त एवं आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने में मदद कर रहा है। (23.1)
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ प्रौद्योगिकी भी शैक्षिक प्रक्रिया एवं परिणामों के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस प्रकार सभी स्तरों पर प्रौद्योगिकी और शिक्षा के बीच द्विदिश संबंध है। (23.1)
- प्रौद्योगिकी शिक्षा को कई मायनों में प्रभावित

करेगी, जिनमें से वर्तमान में सिर्फ कुछ के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है । (23.2)

● शिक्षा के विभिन्न आयामों को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के सभी प्रकार के प्रयोग व एकीकरण को समर्थन दिया जाएगा । (23.3)

● विद्यालयी एवं उच्चतर शिक्षा दोनों क्षेत्र में शिक्षण, मूल्यांकन, नियोजन, प्रशासन आदि में सुधार हेतु प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान-प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (एनईटीएफ) का निर्माण किया जाएगा । (23.3)

● एनईटीएफ के निम्नलिखित कार्य होंगे ।

● प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेप में केंद्र एवं राज्य सरकार की एजेंसियों को स्वतंत्र एवं प्रमाण आधारित परामर्श उपलब्ध कराना;

● शैक्षिक प्रौद्योगिकी में बौद्धिक एवं संस्थागत क्षमता का निर्माण;

● इस क्षेत्र में रणनीतिक रूप से अत्यंत प्रभावी कार्यों की परिकल्पना करना; और

● अनुसंधान एवं नवाचार के लिए नई दिशाओं को स्पष्ट करना। (23.3)

● शैक्षिक प्रौद्योगिकी के तीव्रता से परिवर्तित हो रहे क्षेत्र में प्रासंगिक बने रहने के लिए एनईटीएफ द्वारा अपेक्षित कार्रवाई । (23.4)

● प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों का मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम और आकलन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना, शिक्षकों की तैयारी एवं व्यावसायिक विकास में सहयोग करना, शैक्षिक पहुँच को बढ़ाना, शैक्षिक नियोजन प्रबंधन एवं प्रशासन को सरल एवं व्यवस्थित करना जिसमें प्रवेश उपस्थिति मूल्यांकन संबंधी प्रक्रियाएँ आदि सम्मिलित हैं। (23.5)

● इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सभी स्तरों पर शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए बहुत से शैक्षिक सॉफ्टवेयर विकसित किए जाएँगे और उन्हें उपलब्ध करवाये जाएंगे, ऐसे सभी सॉफ्टवेयर सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होंगे । (23.6)

● सभी राज्यों तथा एनसीईआरटी, सीआईईटी, सीबीएसई, एनआईओएस एवं अन्य निकायों / संस्थानों द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित शिक्षण एवं अधिगम संबंधी ई-सामग्र को दीक्षा प्लेटफार्म पर अपलोड किया जाएगा। (23.6)

● प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा प्लेटफॉर्म जैसे दीक्षा / स्वयम संपूर्ण स्कूली और उच्चतर शिक्षा में समन्वित किये जाएंगे और इसमें उपयोगकर्ताओं द्वारा रेटिंग / समीक्षाएं शामिल होंगी ताकि सामग्री विकासकर्ता प्रयोक्ता अनुकूल और गुणवत्ता पूर्ण सामग्री बना सके। (23.6)

● एनईटीएफ के स्थायी कार्यों में से एक, उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को उनकी क्षमता व परिवर्तन लाने की अनुमानित समय सीमा के आधार पर वर्गीकृत करना और समय-समय पर इन विश्लेषणों को शिक्षा मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इन सूचनाओं के आधार पर मंत्रालय औपचारिक रूप से ऐसी प्रौद्योगिकी को चिह्नित करेगा, जिनके उद्भव के लिए शिक्षा प्रणाली से प्रतिक्रिया आवश्यक होगी। (23.8)

● कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के संदर्भ में एनआरएफ त्रिआयामी दृष्टिकोण अपना सकता है (क) कोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान को आगे बढ़ाना (ख) एप्लिकेशन आधारित अनुसंधान का विकास और प्रयोग तथा (ग) स्वास्थ्य, कृषि व जलवायु संकट जैसे वैश्विक संकटों की चुनौतियों का सामना करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान के प्रयासों को प्रारंभ करना। (23.9)

● उच्चतर शिक्षण संस्थान परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान में सक्रिय भूमिका निभाएँगे । (23.10)

● अत्याधुनिक क्षेत्रों में आरंभिक निर्देशात्मक सामग्री और पाठ्यक्रम (ऑनलाइन पाठ्यक्रमों सहित) भी तैयार करने के साथ ही साथ व्यावसायिक शिक्षा जैसे विशिष्ट क्षेत्र में उनके प्रभाव का आकलन भी करेंगे। (23.10)

● उच्चतर शिक्षा संस्थान कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सहायता प्रदान करने के लिए कम विशेषज्ञता की माँग वाले क्षेत्रों, जैसे डेटा एनोटेशन, इमेज क्लासिफिकेशन और स्पीच ट्रांसक्रिप्शन में लक्षित प्रशिक्षण भी दे सकते हैं। (23.11)

● स्कूली विद्यार्थियों को भाषा सिखाने के प्रयासों को भारत की विविध भाषाओं के लिए प्राकृतिक भाषा

संसाधन को बढ़ावा देने के प्रयासों के साथ जोड़ा जाएगा। (23.11)

● सतत शिक्षा हेतु उचित निर्देशात्मक एवं विमर्शात्मक सामग्री भी तैयार की जाएगी।(23.12)

● अन्य परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी जैसे स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा, जल संरक्षण, संवहनीय खेती, पर्यावरण संरक्षण और अन्य हरित उपाय आदि जो हमारे जीवन जीने तथा छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के तरीके पर प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं, इन पर भी शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक रूप से ध्यान दिया जाएगा। (23.12)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संबंधी दस्तावेज के तीसरे भाग का एक प्रकरण 'ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा प्रौद्योगिकी का न्यायसम्मत उपयोग' सुनिश्चित करने पर केंद्रित है ।

● महामारी के दौर में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों के प्रयोग में प्रौद्योगिकी का भरपूर उपयोग करने की बात है । सभी को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने से संबंधित वर्तमान और भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए मौजूदा डिजिटल प्लेटफार्म और क्रियान्वित आईसीटी आधारित पहलों को अनुकूल और विस्तारित करना पर भी बल दिया गया है । (24.1)

● ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग समानता के सरोकारों को पर्याप्त रूप से संबोधित किया जाए। (24.2)

● प्रभावशाली ऑनलाइन प्रशिक्षक बनने के लिए शिक्षकों को उपयुक्त प्रशिक्षण और विकास पर ध्यान दिया गया है । अध्यापन में आवश्यक परिवर्तनों के अलावा ऑनलाइन आकलन के लिए भी एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। (24.3)

● कुछ प्रकार के पाठ्यक्रम / विषय, जैसे प्रदर्शन कला और विज्ञान व्यावहारिक ऑनलाइन/ डिजिटल शिक्षा क्षेत्र में सीमाए हैं, जिन्हें नवीन उपायों के साथ कुछ सीमा तक दूर किया जा सकता है। इसे जब तक अनुभवात्मक और गतिविधि-आधारित शिक्षा के साथ मिश्रित नहीं किया जाता, तब तक यह सीखने के सामाजिक, भावात्मक और साइकोमोटर आयामों पर सीमित फोकस वाली एक स्क्रीन-आधारित शिक्षा मात्र ही बन जाएगी। (24.3)

● डिजिटल प्रौद्योगिकी के उद्भव और स्कूल से लेकर उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों पर शिक्षण अधिगम के लिए प्रौद्योगिकी के उभरते हुए महत्व को देखते हुए इस नीति में शामिल प्रमुख पहल इस प्रकार हैं -

क. ऑनलाइन शिक्षा के लिए पायलट अध्ययन
ख. डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर
ग. ऑनलाइन शिक्षण मंच और उपकरण
घ. सामग्री निर्माण, डिजिटल रिपॉजिटरी और प्रसार
ड. डिजिटल अंतर को कम करना
च. आभासी प्रयोशालाएँ
छ. शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और प्रोत्साहन
ज. ऑनलाइन मूल्यांकन और परीक्षाएँ
झ. सीखने के मिश्रित मॉडल
ञ. मानकों को पूरा करना । (24.4)

● स्कूल और उच्चतर शिक्षा दोनों की ई-शिक्षा की आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए मंत्रालय में डिजिटल बुनियादी ढाँचे, डिजिटल सामग्री और क्षमता निर्माण की व्यवस्था करने के लिए मंत्रालय में डिजिटल बुनियादी ढाँचे, डिजिटल सामग्री और क्षमता निर्माण की व्यवस्था करने के उद्देश्य के लिए एक समर्पित इकाई की स्थापना के संबंध में भी नीति में उल्लेख है । (24.5)

बदलती परिस्थितियों और युगीन आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण में प्रौद्योगिकी संबंधी विषयों को शामिल करना जितना महत्वपूर्ण है, शिक्षा में प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दूरस्थ और मुक्तविद्यालयी शिक्षा के संबंध में अभी भारतीय शिक्षा क्षेत्र के एक सुनिश्चित धारणा सुस्थापित होने से पूर्व ही युगीन गति के अनुरूप ऑनलाइन शिक्षा और उपाधियों के प्रावधान आ गए हैं, ये सब निश्चय ही स्वागतयोग्य हैं। मगर भारत के परिप्रेक्ष्य में कई मुद्दें और चुनौतियाँ हैं, जिनकी ओर ध्यान दिए बिना प्रौद्योगिकी में अंधाधुंध निवेश पुन: उन्हीं दो नीतियों की जैसी स्थिति व परिणति वर्तमान शिक्षा नीति की भी हो सकती है। वर्तमान नीति में भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने पर जो निर्णय है, उसे प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा के संदर्भ में भी किया जाना अपेक्षित है। आज तक की

प्रगति को देखते हुए ऑनलाइन, ई-शिक्षा प्रणालियों में कंप्यूटर के माध्यम से सामग्री निर्माण, शिक्षण में प्रौद्योगिकी प्रयोग के लिए जितनी चुनौतियाँ हैं, उनके निराकरण के लिए कार्यान्वयन प्रणाली को बड़ी ईमानदारी से विकसित करने की आवश्यकता है । विकसित, अल्पविकसित, अविकसित वर्गों, प्रांतों के प्रतिनिधित्व के साथ दुनिया के मानकों के अनुरूप में ई-शिक्षा की भारतीय प्रणालियाँ विकसित हो, यह सुनिश्चत होना आवश्यक है। तभी शिक्षा में प्रौद्योगिकी के प्रयोग संबंधी सपनों, प्रणालियों की सार्थकता हो सकती है । अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ई-सामग्री व ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के विकास के लिए प्रभावशाली टीमों की व्यवस्था जिसमें ऑनलाइन पाठ्यक्रम विकसित करनेवाले शिक्षकों के साथ काम करने वाले शिक्षकों के साथ काम करने, एनिमेशन व तकनीकी प्रबंधन में कुशल सहायकों की तैनाती सुनिश्चित करना अपेक्षित है। तभी तकनीकी व मल्टीमीडिया की दृष्टि से गुणवत्ता व कलात्मकता भी सुनिश्चित हो सकती है ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित बातों की समीक्षा के लिए यथाशीघ्र समीक्षा बैठकें हों और उसमें हर वर्ग के विशेषज्ञों से सलाह लेकर कार्यान्वयन की रणनीति तय होनी चाहिए ।

भारतीय शिक्षा प्रणालियों और परंपराओं की सार्थकता :

अंत में भारतीय शिक्षा प्रणालियों और परंपराओं के कुछ सार्थक बातें भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आधुनिकता के नाम से जिन पश्चिमी सभ्यता की ओर हम आकर्षित हो रहे हैं, पश्चिम की विशिष्टताओं, नमूनों के रूप में जिन शिक्षा प्रणालियों की ओर हम आकर्षित होते हैं, उनकी नींव भारतीय प्रणाली में ही होने की बात हम अक्सर भूल जाते हैं। उदारीकरण और भूमंडलीकरण की नीतियों के तहत स्वायत्त, स्ववित्तपोषित अभिकरणों के रूप में उच्चतर शिक्षा संस्थानों को विकसित करने का भागीरथ प्रयास करते हुए हम यह सोचने लगते हैं अमेरिकी नीति हमारे लिए अनुदत्त मानकर अपने पिछड़ेपन की आलोचना हम स्वयं करते रहते हैं, जबकि यह तथ्य है कि भारतीय परंपरागत गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का ही अनुकरण विदेशी विश्वविद्यालय कर रहे हैं। 'विश्व गुरु' की संज्ञा के लिए योग्य भारत और उसकी समृद्ध परंपरा से दुनिया जो सीख चुकी है, उसी के आधार पर यह संज्ञा सार्थक भी है। नालंदा, तक्षशिला आदि उन्नत शिक्षा संस्थान भारतीय शिक्षा की समृद्ध परंपरा के सबूत थे। अत: हमें अपनी ही प्रणालियों के प्रति गौरव होना जरूरी है। हम कर्तव्य निष्ठा के साथ अतीत की प्रणालिओं और गौरव के अनुरूप आधुनिकता की तमाम अपेक्षाओं की पूर्ति में अग्रसर होते हुए राष्ट्र की उन्नति के साथ-साथ दुनिया के लिए रास्ता दिखाने वाले के रूप में हम अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकते हैं। ❑

संदर्भ :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986/1992
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020

साक्षारता न तो शिक्षा का अंत है और न शिक्षा का प्रारंभ। यह केवल एक साधना है, जिसके द्वारा पुरुष और स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है। **-महात्मा गांधी**

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और हिंदी

डॉ. मजीद शेख

सहायक प्राध्यापक
एवं शोध निर्देशक
हिंदी विभाग, प्रतिष्ठान
महाविद्यालय, पैठण,
जिला-औरंगाबाद - 431107
(महाराष्ट्र)
मोबाइल :09765944586
ई-मेल :
majidmshaikh@gmail.com

भूमिका (Introduction) :

आज देश बाजार में बदलकर विकास का नया दर्शन प्रचारित कर रहा है। हिंदी को पिछड़ों की भाषा मानकर इस प्रकार का प्रचार एवं प्रसार किया जा रहा है कि ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी की, समाज-विज्ञान की, चिकित्सा और अभियांत्रिकी की, वाणिज्य व्यवसाय की, विविध अनुशासनों की, प्रबंधादि की भाषा नहीं हो सकती। किंतु यह सच नहीं हैं। चीन और जापान ने अपना विकास अपनी ही भाषा में किया हैं, इसे कोई भी नकार नहीं सकता। भारत में न्याय-व्यवस्था, प्रशासन की भाषा भारतीय भाषाएँ क्यों नहीं हैं? कोठारी आयोग की संस्तुति 'स्नातकोत्तर शिक्षा भी मातृभाषा में देना कठिन नहीं है' के बावजूद यह कहकर अँग्रेजी को बनाए रखा गया कि स्वभाषा में उच्च स्तर की शिक्षा दिए बिना हिंदी ज्ञान-विज्ञान की वाहक नहीं हो सकती। साहित्य के अलावा हिंदी की वर्तमान स्थिति केवल बोलने वाली और मनोरंजन की भाषा है। अत: भविष्य में हिंदी ज्ञान-विज्ञान की भाषा तब तक नहीं बन सकती, जब तक सत्ताधारी, वैज्ञानिक एवं शिक्षक राष्ट्र के विकसित होने की दृष्टि से इस विषय पर चिंतन-मनन और सकारात्मक प्रयास नहीं करते। मध्य प्रदेश सरकार ने इस बात का भी भ्रम तोड़ा है कि अभियांत्रिकी और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में हिंदी में पढ़ाई नहीं होती हैं। पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय तथा अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय अभियांत्रिकी और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में हिंदी में पढ़ाई करा रहे हैं।

भारत बहुभाषा-भाषी देश है। इस देश में अनेक भाषाएँ प्रचलित हैं। हर प्रांत की अपनी एक भाषा है और वह अपने प्रांत तक ही सीमित है। हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है, जो भारत के विशाल भू-प्रदेश में यानी लगभग दस राज्यों में (उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़ आदि) तथा कम अधिक मात्रा में भारत में बोली और समझी जाती है। भारत की लगभग अस्सी प्रतिशत जनता हिंदी में अपने विचारों का आदान-प्रदान करती है। वर्तमान समय में 'विश्वग्राम' की अवधारणा के सम्मुख 'वसुधैव कुटुंबकम्' का प्राचीनतम् चिंतन भी उपस्थित है, जिसमें समस्त संसार के लोगों के बीच निहित तात्विक एकता की बात की गई है तथा जिसकी आधारशिला

आध्यात्मिकता पर अवलंबित है। दूसरी ओर विश्वग्राम की अवधारणा बंधनमुक्त व्यापार और व्यावसायिक समस्या तथा प्रतिस्पर्धा की बात करती है। एक आध्यात्मिक है तो दूसरा भौतिक। भौतिकता के सहारे सिर्फ बाजार बनकर रहा जा सकता है। भौतिक चिंतन एवं अनुसंधान के लिए 'निजभाषा' ही एकमात्र विकल्प है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दक्षता हासिल करने के लिए भाषा विशेष की कोई आवश्यकता नहीं होती है।

राजभाषा का अर्थ :

राजभाषा का सामान्य अर्थ है – राजकाज की भाषा। राजभाषा वस्तुत: 'State Language' का हिंदी रूपांतर है। हिंदी को राजभाषा घोषित करते समय 'Official Language' शब्द का प्रयोग किया गया। अपितु राजभाषा हिंदी को 'कार्यालयी हिंदी', 'प्रशासनिक हिंदी', 'प्रयोजनमूलक हिंदी' आदि नामों से अभिहित किया गया है। संविधान निर्माण के समय 'राजभाषा' 'Official Language' का प्रश्न जब सामने आया तो राजभाषा-हिंदी को लेकर सबसे अधिक बहस हुई। संविधान सभा की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जी के शब्दों में, ''संविधान का कोई भी अनुच्छेद इतना विवादास्पद साबित नहीं हुआ जितना राजभाषा हिंदी से संबद्ध अनुच्छेद। अन्य किसी अनुच्छेद ने इतनी गर्मी पैदा नहीं की।'' संविधान के 17 वें भाग में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान हैं। संविधान सभा ने इन अनुच्छेदों को अंतिम रूप से 14 सितंबर, 1949 ई. को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया, यानी हिंदी भाषा को 'राजभाषा' का दर्जा प्राप्त हुआ। इसी कारण 14 सितंबर को 'हिंदी-दिवस' के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के अनुरोध पर सन् 1953 ई. से 'हिंदी-दिवस' मनाना प्रारंभ हुआ। अनुच्छेद 343 के खंड (1) के अनुसार, ''संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।''

हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया, लेकिन प्रथम भूल स्वाधीनता के पश्चात हुई, जब तत्कालीन सरकार ने कहा कि 15 वर्षों तक कार्यालयों में उसी तरह से कार्य होता रहे, जैसे आजादी से पहले होता था। इसने जहाँ अँग्रेजी भाषा को पोसने का काम किया, वहीं हिंदी में काम करना और कठिन होता गया। बाद में राजभाषा अधिनियम और राजभाषा विभाग बनाए, संसदीय समितियाँ बनीं। निरंतर प्रयास किए गए। हिंदी के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है, लेकिन जितना होना चाहिए था, उसमें कठिनाई थी। वर्तमान समय में लगातार प्रयास चल रहा है कि सारे कार्यालयों में हिंदी में काम हो और स्थानीय स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं का भी प्रयोग हो। गृह मंत्रालय हिंदी में काम कर रहा है। और 6 मंत्रालय अपना पूरा कार्य हिंदी में आरंभ कर देंगे।

राजभाषा हिंदी और संवैधानिक प्रावधान :

हिंदी राजभाषा है, पर वह अपमानित है। भाषा तब सम्मानित होती है, जब वह ज्ञान-विज्ञान की वाहक हो। 'हिंदी हमारी धरती है, अँग्रेजी हमारा आकाश' अर्थात् भावनात्मक जुड़ाव के लिए 'हिंदी' और आर्थिक समृद्धि के लिए 'अँग्रेजी' ऐसा नहीं चलेगा। अनुच्छेद 343 के खंड (2) में प्रावधान है कि ''संविधान लागू होने के 15 वर्ष की अवधि तक संघ के सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए अँग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा।'' खंड (3) में प्रावधान है कि ''संसद कानून बनाकर संविधान के लागू होने के 15 वर्ष बाद भी सरकारी कामकाज में अँग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कर सकती है।''

हम देख सकते हैं कि राजभाषा संबंधी अनुच्छेद 343 के खंड (1) में हिंदी को संघ की राजभाषा कहा गया, किंतु खंड (2) में सह-राजभाषा के रुप में अँग्रेजी को अधिकृत कर दिया गया। अपितु खंड (3) में 15 वर्ष पश्चात भी सरकारी काम-काज में अँग्रेजी का प्रयोग जारी रखने के लिए संसद को कानून बनाने का भी अधिकार प्राप्त हुआ।

संविधान में यह व्यवस्था थी कि 15 वर्ष तक अँग्रेजी सह-भाषा रहेगी तब तक अनुच्छेद 351 में दिए गए निर्देशों के अनुसार हिंदी भाषा के विकास के लिए प्रयास जारी रहेगा। 7 जून, 1955 को 'राजभाषा आयोग' का गठन किया गया। आयोग ने शिक्षा, प्रशासन, सार्वजनिक जीवन, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग हेतु अनेक संस्तुतियां कीं। परंतु परिणाम अधिक सकारात्मक नहीं रहा।

राजभाषा अधिनियम 1963 द्वारा यह व्यवस्था की गई कि 26 जनवरी, 1965 के बाद भी संघ के राजकीय प्रयोजनों और संसद में प्रयोग के लिए हिंदी के साथ ही अँग्रेजी भाषा का प्रयोग पूर्ववत जारी रहेगा। अँग्रेजी को सह-राजभाषा का दर्जा पुन: प्राप्त हुआ। अर्थात् 15 वर्ष पश्चात भी हिंदी स्वतंत्र रूप से राजभाषा नहीं बन पाई। इसी क्रम में राजभाषा (संशोधन) अधिनियम 1967 सामने आया, जिसमें अँग्रेजी को अनिश्चितकाल के लिए सह-राजभाषा का स्थान दे दिया गया। यह अधिनियम मुख्यत: 26 जनवरी, 1965 से लागू माना जाता है, जिसमें यह व्यवस्था है कि संघ के सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद के लिए अँग्रेजी भाषा का पूर्ववत प्रयोग जारी रहेगा। केंद्र सरकार और हिंदी को राजभाषा न मानने वाले राज्यों के बीच पत्र-व्यवहार अँग्रेजी में होगा, हिंदी भाषी और अहिंदी भाषी राज्यों के बीच पत्र-व्यवहार यदि हिंदी में हो तो उसका अँग्रेजी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

राजभाषा नियम-76 के अनुसार पत्राचार की एक निश्चित नीति के अनुपालन के लिए देश के सभी प्रांतों को 'क', 'ख' और 'ग' तीन श्रेणियों में बाँटा गया है। 'क' श्रेणी में हिंदी-भाषी राज्य आते हैं। 'ख' श्रेणी में गुजरात, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र आदि अहिंदी-भाषी राज्य हैं, जहाँ हिंदी को भी पर्याप्त महत्व प्राप्त है और 'ग' श्रेणी में आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल आदि दक्षिणी एवं पूर्वोत्तर राज्य आते हैं।

'ग' श्रेणी राज्य, जहाँ केवल क्षेत्रीय भाषा में ही काम होते हैं, वहाँ हिंदी को बढ़ावा देने के लिए संसदीय समितियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। वार्षिक कार्यक्रम जारी किए जाते हैं। उन्हें समय-समय पर अनुदेश भी दिए जाते हैं। ऐसे अधिकांश राज्यों में हिंदी में काम शुरू हो गए हैं। सभी लोग सौहार्द्रपूर्ण तरीके से स्वप्रेरित होकर काम करें। इस हिसाब से दक्षिण के राज्यों में भी अच्छा काम हो रहा है। हिंदी देश को जोड़ने वाली भाषा है।

संविधान निर्माताओं ने राजभाषा के रुप में हिंदी को स्थापित करने के साथ ही अँग्रेजी की जो वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान किया, वह वर्तमान में भी जारी है। देश में अनेक राज्य ऐसे है, जिन्होंने संघ की राजभाषा हिंदी को अपने राजकीय काम-काज में स्वीकार नहीं किया हैं। उन्हें संघ के साथ अँग्रेजी में पत्राचार करने की छूट है। अपितु राजभाषा प्रावधानों में प्रत्येक राज्य को इतनी सुविधा दी गई है कि वह इसे अपनाए अथवा न अपनाए। अहिंदी भाषी राज्यों ने अपने-अपने कारणों से इस रियायत का बखूबी फायदा लिया है।

राजभाषा हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय अंक :

15 अगस्त, 1947 को भारत की स्वतंत्रता तथा पाकिस्तान बनने के कारण मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। 14 जुलाई, 1947 से लेकर 14 सितंबर, 1949 तक बहस इस मुद्दे पर होती रही कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंकों का रूप क्या हो? ये देवनागरी लिपि में प्रयुक्त होने वाले अंक हों, अथवा अंतर्राष्ट्रीय अंक हों। कुछ सदस्यों का मत था कि जब हमने यह निर्णय ले लिया है कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी होगी तो हमें अंकों के मामले में भी देवनागरी लिपि के अंकों को स्वीकार कर लेना चाहिए। दक्षिण भारत के कुछ सदस्यों ने जिन्होंने हिंदुस्तानी की अपेक्षा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने के

पक्ष में मतदान किया था उनमें से कुछ सदस्यों का मत था कि दक्षिण में हम हिंदी के प्रचार में अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करते हैं। इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय अंकों के पक्ष में सबसे जोरदार बहस मौलाना अबुल कलाम आजाद की रही। दक्षिण भारत के के. संतानम ने भी अंतर्राष्ट्रीय अंकों के प्रयोग का समर्थन करते हुए सभा के सदस्यों को अवगत कराया और इस मुद्दे पर बहस होती रही। देवनागरी के अंकों को अपनाने के संबंध में सबसे अधिक दलीलें पुरुषोत्तमदास टंडन की थी। इस मुद्दे पर अनेक बैठकों में जोरदार बहस होती रही। भाषा संबंधी अनुच्छेदों पर संविधान सभा के सभापति को लगभग 300 या उससे भी अधिक संशोधन मिले। हम पुनश्च कहना चाहते हैं कि 14 जुलाई, 1947 से लेकर 14 सितंबर, 1949 तक बहस इस मुद्दे पर होती रही कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंकों का रूप क्या हो? ये देवनागरी लिपि में प्रयुक्त होने वाले अंक हों अथवा अंतर्राष्ट्रीय अंक हो ?

राजभाषा संबंधी विधेयक सर्वसम्मति से यानी 'एकमत' (Unanimous) से पास हो इसके लिए डॉ. कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी तथा गोपालस्वामी आयंगर की भूमिका महत्वपूर्ण रही। अंकों के मुद्दे पर उन्होंने देवनागरी के अंकों के प्रयोग का मोह त्याग ने तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों को स्वीकार करने के लिए वातावरण बनाने की कोशिश की। संविधान सभा के दो माननीय सदस्यों में (डॉ.लक्ष्मी मल्ल सिंघवी तथा मोटूरि सत्यनारायण) ने इस बात से अवगत कराया कि देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी को राजभाषा बनाने की बात उन सदस्यों ने स्वीकार कर ली है, जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। इस कारण हिंदी भाषा सदस्यों को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि वे अंतर्राष्ट्रीय अंकों के प्रयोग की बात मान ले, जिससे राजभाषा संबंधी विधेयक सर्वसम्मति से पास हो सके। उनकी भूमिका के कारण यह सहमति बनी थी कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। वास्तव में अंकों को छोड़कर संघ की राजभाषा के प्रश्न पर अधिकांश सदस्यों में कोई मतभेद नहीं था। अंकों के बारे में भी यह स्पष्ट था कि अंतर्राष्ट्रीय अंक भारतीय अंकों का ही एक नया संस्करण है। अंत में अंकों के स्वरूप पर 2 सितंबर, 1949 की बैठक में मतदान कराया गया। मतदान में दोनों पक्षों को बराबर अर्थात् 77-77 मत प्राप्त हुए। अंत में संविधान सभा के सभापति डॉ. राजेंद्र प्रसाद जी ने दक्षिण भारत के हिंदी प्रेमी सदस्यों की भावना को ध्यान में रखकर कि राजभाषा संबंधी विधेयक का प्रारूप ऐसा हो जिस पर सभा के सदस्यों की आम सहमति हो तथा जब दक्षिण भारत के अधिकांश सदस्यों ने देश के हित को ध्यान में रखकर देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा बनाना स्वीकार कर लिया है तो अंकों के मुद्दे पर लचीला रुख अपनाया जा सकता है, अपना निर्णायक मत (Casting Vote) अंतर्राष्ट्रीय अंकों के प्रयोग के पक्ष में दिया तथा 'एक मत' (One Vote) से अधिक होने के कारण (एक मत से) अंतर्राष्ट्रीय अंकों के प्रयोग का प्रस्ताव पारित हो गया। देवनागरी के अंक बनाम अंतर्राष्ट्रीय अंक के प्रयोग के मुद्दे को अँग्रेजी के विद्वानों ने हिंदी बनाम अंग्रेजी नाम दे दिया। उनके वक्तव्य को प्रमाण मानकर तथा उसका संदर्भ देकर अँग्रेजी में लिखे हुए भारत विषयक संदर्भ देकर अँग्रेजी में भारत विषयक संदर्भ ग्रंथों में यह प्रतिपादित किया गया है कि 'एक मत' (One Vote) अधिक होने के कारण अँग्रेजी के स्थान पर हिंदी को राजभाषा बना दिया गया। यह भ्रांति उन सभी लोगों को है, जिनका ज्ञान अँग्रेजी के भारत विषय संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है।

त्रिभाषा सूत्र की स्वीकृति :

देश की सरकार वचनबद्ध है कि हिंदी परिपक्व होते ही और सबके द्वारा स्वीकृत होते ही पूर्ण राजभाषा का दर्जा पा सकेगी। केंद्र की सरकार ने हिंदी के विकास के लिए गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग स्थापित कर रखा है। अनुवाद, प्रशिक्षण और शब्द निर्माण आदि के निमित्त एकांत भाव से समर्पित अनेक सरकारी संस्थान वर्षों से कार्यरत हैं। सरकारी कार्यालयों में हिंदी अधिकारी नियुक्त हैं। सरकारी तंत्र की तमाम सीमाओं के बावजूद इनके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य भी हुआ है।

हमने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के पश्चात 'त्रिभाषा सूत्र' का स्वीकार किया। हिंदी

बगैर विकसित शिक्षा का माध्यम नहीं बन सकती। अँग्रेजी के अनुवाद द्वारा हिंदी को समृद्ध बनाने की जिम्मेदारी राज्यों पर डाली गई, ताकि वे ही हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रयत्न करें। राज्यों ने यह जिम्मेदारी अभिजन वर्ग पर डालकर अँग्रेजी के अनुवाद हिंदी में किए। परंतु इसका परिणाम विपरीत रहा है। अनुवाद ठीक होना चाहिए, नकल नहीं। भाषा की नकल से युग-बोध और इतिहास-बोध भी बदलता है।

सन् 1956 ई. में एक केंद्रीय शिक्षा परामर्शदात्री परिषद का गठन किया गया। उसने त्रिभाषा सूत्र का प्रस्ताव रखा। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, हिंदी तथा अँग्रेजी को बनाना प्रस्तावित किया। सन् 1961 ई. में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में इस त्रिभाषा सूत्र संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया। इस त्रिभाषा सूत्र में कोई आपत्तिजनक बात नहीं थी, लेकिन इसमें हिंदी को पूर्ण स्थान प्राप्त था। अत: हिंदी के विरोध में कुछ स्वर उठे। कुछ ने इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की माँग की। अत: सन् 1964 ई. में डॉ. दौलतसिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। यह आयोग कोठारी आयोग के नाम से शिक्षा के क्षेत्र में काफी चर्चित रहा। सन् 1966 ई. में इस आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में नया त्रिभाषा सूत्र का प्रावधान रखा गया। शिक्षा के माध्यम से पहली भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, दूसरी केंद्र की राजभाषा हिंदी या सह-राजभाषा अंग्रेजी, तीसरी कोई आधुनिक भारतीय भाषा या कोई विदेशी भाषा को प्रस्तावित किया गया। इस प्रस्ताव की खोट यह रही कि हिंदी और अँग्रेजी को एक ही विकल्प में रख दिया गया। कुपरिणाम यह हुआ कि हिंदी को अनेक राज्यों ने छोड़ दिया। विकल्प में अँग्रेजी स्वीकार कर ली गई। हिंदी गौण होती चली गई। संघीय लोकसेवा आयोग एवं अन्य परीक्षाओं में बड़े संघर्ष के बाद हिंदी को स्वीकृति प्राप्त हुई है।

संयुक्त अरब अमीरात की सकारात्मक पहल :

अबु धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। यूएई की आबादी की करीब दो तिहाई हिस्सा विदेशी प्रवासी हैं। यूएई में भारतीयों की संख्या 26 लाख है, जो देश की कुल आबादी का 30 प्रतिशत है। यह देश का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। 30 दिसंबर, 2018 को अबु धाबी में अँग्रेजी को अदालतों की द्वितीय आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था।

अबु धाबी ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए अब अरबी और अँग्रेजी के बाद हिंदी को अपनी अदालतों में तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल कर लिया है। न्याय में आसानी के लिहाज से यह कदम उठाया गया है। दीवानी और वाणिज्यिक मुकदमों में वादी के विदेशी होने की स्थिति में अब न्यायिक दस्तावेज का अँग्रेजी के साथ हिंदी में भी अनुवाद होगा। अबु धाबी न्याय विभाग (ADJD) ने कहा कि उसने कामगारों के मुकदमों में अरबी और अँग्रेजी के साथ हिंदी भाषा को शामिल करके अदालतों के समक्ष दावों के बयान के लिए भाषा के माध्यम का विस्तार कर दिया है। इसका मकसद हिंदी भाषी लोगों को मुकदमे की प्रक्रिया, उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में सीखने में मदद करना है। हिंदी भाषियों को अबु धाबी न्याय विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

संयुक्त अरब अमीरात यानी दुबई और अबु धाबी ने अब अपनी अदालतों में हिंदी को भी मान्यता दे दी है। अरबी और अँग्रेजी तो वहाँ पहले से ही चलती हैं। अमीरात की जनसंख्या 90 लाख है। उसमें 26 लाख भारतीय हैं। इन भारतीयों में कई पढ़े-लिखे और अमीर भी हैं। लेकिन ज्यादातर मजदूर और कम पढ़े-लिखे लोग हैं। इन लोगों के लिए अरबी और अँग्रेजी के सहारे न्याय पाना बड़ा मुश्किल होता है। इन्हें पता ही नहीं चलता कि अदालत में वकील क्या बहस कर रहे हैं और जजों ने जो फैसला दिया है, उसके तथ्य और तर्क क्या है। ऐसी स्थिति में कई बेकसूर लोगों को सजा भुगतनी होती है, जुर्माना देना पड़ता है और कभी-कभी उन्हें देश-निकाला भी दे दिया जाता है। ऐसे में यह जो नई व्यवस्था वहाँ कायम हुई है, उसका भारत को स्वागत करना चाहिए।

स्वतंत्रता के लगभग 75 वर्ष पश्चात भी भारत की अदालतों में भारतीय भाषाओं का प्रयोग नहीं होता। यहां पर मुकदमों की बहस अँग्रेजी में ही होती है और

फैसले भी अँग्रेजी में होते है। वर्तमान समय में हिंदी अनुवाद दिए जा रहे हैं। परंतु देश में कानून की पढ़ाई हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में होना आवश्यक है। अँग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं की सहायता जरूर ली जाए, परंतु कानून की पढ़ाई के माध्यम के तौर पर अँग्रेजी को प्रतिबंधित करना चाहिए। यह काम देश के विद्वान वकिलों, जजों और कानून के प्रोफेसरों को करना होगा। जो काम भारत में सबसे पहले होना चाहिए था, वह संयुक्त अरब अमीरात कर रहा है। नेपोलियन बोनापार्ट ने बड़ा सटीक भाष्य किया था, ''केवल कुछ लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन लाखों लोग अपनी संतुष्टि, अपनी खोज, स्वाभिमान के लिए मरने तक को तैयार रहते है।''

हमारा भाषाई हीनता बोध :

हमारी यह हीन भावना है कि हिंदी में अँग्रेजी मिलाने से स्तर ऊँचा हो जाता है, पूर्णतया निराधार है। अमिताभ बच्चन जी के 'कौन बनेगा करोड़पति' की सफलता से सभी परिचित हैं। अपितु हिंदी की फिल्म 'मोहब्बतें' तथा 'रामायण-महाभारत' धारावाहिक इसका उदाहरण हैं। उपन्यासकार विद्याधर सूरजप्रसाद नायपॉल ने नोबेल पुरस्कार स्वीकारते समय अपने भाषण में कहा था, ''अपने लेखन के अंत की ओर आ रहे हैं, तब भी वे इसी तरह से लिखते हैं। वे लिखने के लिए कभी कोई योजना नहीं बनाते हैं। कोई सिस्टम नहीं अपनाते हैं बस सहज प्रज्ञा से लिखते जाते हैं। हर बार वे एक किताब चाहते थे कुछ ऐसा रचना चाहते थे जो सरल और पढ़ने में रोचक हो। हर बार, हर स्तर पर उन्होंने अपने ज्ञान, संवेदना, बुद्धि और दुनिया को देखने के अपने नजरिए के अनुसार लिखा।'' ज्ञान, संवेदना और बुद्धि का समन्वय 'स्वभाषा' में ही होता है, अन्य में नकल होने की संभावना अधिक रहती है। प्रेमचंद ने 'सेवासदन' उपन्यास में इस नकलची प्रवृत्ति का पर्दाफाश किया है, ''आपकी अंग्रेजी शिक्षा ने आपको ऐसा पददलित किया है कि जब तक यूरोप का कोई विद्वान किसी विषय के गुण-दोष प्रकट न करें, तब तक आप उस विषय की ओर से उदासीन रहते हैं। आप उपनिषदों का आदर इसलिए नहीं करते कि वह स्वयं आदरणीय हैं, बल्कि इसलिए करते हैं कि ब्लावेट्स्कीम और मैक्समूलर ने उनका आदर किया है।'' वर्तमान समय में हो रहें अधुनातन आविष्कार स्त्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा तक आसानी से पहुँच रहे हैं, किंतु उसे स्वीकार करने में हमारा भाषाई हीनता बोध आड़े आ जाता है। चार्ल्स हानेल के शब्दों में, ''प्रबल विचार या मानसिक दृष्टिकोण चुंबक है। नियम यह है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। परिणामस्वरूप मानसिक दृष्टिकोण हमेशा अपनी प्रकृति के अनुरूप स्थितियों को आकर्षित करेगा।''

भारत युवाओं का समृद्ध देश :

भारत में लगभग 26 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रहे हैं। राष्ट्र को सुनिश्चित करना होगा कि वे ज्यादा-से-ज्यादा कमाएँ और अच्छा जीवन बिताएँ। सकल घरेलू उत्पाद दर को वास्तविक रूप में 10 प्रतिशत तक बढ़ाना होगा। तभी यह संभव होगा कि भारत आर्थिक रूप से विकसित बन सके और करोड़ों लोग तब राष्ट्र की संपन्नता को महसूस करेंगे। डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के शब्दों में, ''भारत के पास खुद को विकसित राष्ट्र के रूप में बदलने की क्षमता मौजूद है। अंतरिक्ष, रक्षा तथा परमाणु क्षेत्रों में अपनी परियोजनाओं के जरिए मैं यह जान चुका हूँ कि हमारे लोगों के पास श्रेष्ठता को हासिल करने की योग्यता है। हमारे पास विश्वास और ज्ञान का ऐसा अद्भुत मिश्रण है, जो हमें इस पृथ्वी के अन्य देशों से अलग ला खड़ा करता है। मैं यह भी जानता हूँ कि इन अनूठी क्षमताओं का लाभ नहीं उठाया गया है, क्योंकि हमें दूसरों की दासता स्वीकारने और शांत बने रहने की आदत-सी पड़ चुकी है।''

भारत विश्व का अनोखा और समृद्ध देश रहा है। इस देश में लगभग 35 करोड़ से अधिक जोशीले युवा हैं। इनका सही मात्रा में प्रयोग होना चाहिए। इन युवाओं को पाँच भाषाएँ आनी आवश्यक है। सबसे पहले मातृभाषा, राज्यभाषा, राजभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा इन चार भाषाओं के साथ-साथ सूचना-प्रौद्योगिकी की भाषा अर्थात् कम्प्यूटर की पाँचवीं भाषा आना अनिवार्य हुआ है। इन

पाँच भाषाओं पर जिन युवाओं का अधिकार है, उनके लिए संभावना-भरा पूरा विश्व पटल खुला है।

हिंदी भाषा के अच्छे दिन :

भारत सरकार के तत्कालीन विदेश मंत्री स्मृति-शेष अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सन् 1977 ई. में संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी भी भारतीय का पहला हिंदी भाषण था। वर्तमान समय में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 90 फीसदी से अधिक भाषण हिंदी में होते हैं। वे गुजराती हैं, लेकिन उनके उच्चारण में यह कहीं स्पष्ट नहीं होता। वे शानदार हिंदी बोलते हैं। उन्होंने विश्व के विभिन्न मंचों पर हिंदी में विचार व्यक्त कर हिंदी की महिमा बढ़ाई है। उप-राष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी, शशि थरुर जी, मणिशंकर अय्यर जी, जयराम नरेश जी आदि मूल रूप से हिंदी भाषी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी हिंदी जानते हैं। हिंदी का बहुत अच्छा प्रयोग भी करते हैं।

भाषा के संदर्भ में इस बात को समझना आवश्यक है कि विदेशी भाषा से ज्ञान का अर्जन होता है, सर्जन नहीं। और ज्ञान के सर्जन से ही राष्ट्र संपन्न होता है। इतिहास गवाह है कि वैज्ञानिक विकास वहीं हुआ है, जहाँ ज्ञान जन-जन की भाषा में पहुँचा। इस भाषाई-खाई के कारण यहाँ पर कृषक का पुत्र कृषक-अभियंता तथा लुहार का पुत्र घातुकी-अभियंता नहीं बन सकता। इतना ही नहीं तो भाषा की नकल से युग-बोध और इतिहास-बोध भी बदलता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का सटीक कथन था कि ''अंग्रेजी निश्चय ही एक थोपी हुई भाषा है। इसने हमारे लिए ज्ञान-विज्ञान की खिड़कियाँ खोली, हमें बहुत कुछ ज्ञान दिया फिर भी इस पर एक ऐसी भाषा होने का लांछन भी है, जो हमारी अपनी भाषाओं और हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के ऊपर जमकर बैठ गई है।''

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 :

हमारा मानना है कि 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' में भारतीय भाषाओं को समादृत करने का प्रयास दिखाई देता है। ''यह सर्वविदित है कि छोटे बच्चे अपनी घर की भाषा / मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं और समझ लेते हैं। घर की भाषा आमतौर पर मातृभाषा या स्थानीय समुदायों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। हालाँकि, कई बार बहुभाषी परिवारों में, परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली एक घरेलू भाषा हो सकती है, जो कभी-कभी मातृभाषा या स्थानीय भाषा से भिन्न हो सकती है। जहाँ तक संभव हो, कम-से-कम ग्रेड 5 तक लेकिन बेहतर यह होगा कि यह ग्रेड 8 और उससे आगे तक भी हो, शिक्षा का माध्यम, घर की भाषा / मातृभाषा / स्थानीय भाषा / क्षेत्रीय भाषा होगी। इसके बाद, घर / स्थानीय भाषा को जहाँ भी संभव हो भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूल इसकी अनुपालना करेंगे। विज्ञान सहित सभी विषयों में उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्य-पुस्तकों को घरेलू भाषाओं / मातृभाषा में उपलब्ध कराया जाएगा।'' आगे फिर त्रिभाषा सूत्र पर विशेष जोर दिया गया है। ''संवैधानिक प्रावधानों,

लोगों, क्षेत्रों और संघ की आकांक्षाओं और बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की जरूरत का ध्यान रखते हुए त्रिभाषा फॉर्मूले को लागू किया जाना जारी रहेगा। हालाँकि, तीन भाषा के इस फॉर्मूले में काफी लचीलापन रखा जाएगा और किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली तीन भाषाओं के विकल्प राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से छात्रों के स्वयं के होंगे, जिनमें से कम-से-कम तीन में दो भाषाएँ भारतीय भाषाएँ हों।'' भारतवर्ष की संस्कृत और अन्य शास्त्रीय भाषाओं को और इनके साहित्य को संरक्षित करने का प्रयास भी दिखाई देता है।'' भारत में शास्त्रीय तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम और ओडिया सहित अन्य शास्त्रीय भाषाओं में एक अत्यंत समृद्ध साहित्य है, इन शास्त्रीय भाषाओं के अतिरिक्त पालि, फारसी, प्राकृत और उनके साहित्य को भी उनकी समृद्धि के लिए और भावी पीढ़ी के सुख और समृद्धि के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए। जैसे ही भारत पूरी तरह से विकसित देश बनेगा, अगली पीढ़ी भारत के व्यापक और सुंदर शास्त्रीय साहित्य के अध्ययन में भाग लेना और इंसान के रूप में समृद्ध बनना चाहेगी। संस्कृत के अलावा भारत की अन्य शास्त्रीय भाषाएँ और साहित्य जिनमें तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, पालि, फारसी और प्राकृत शामिल हैं। स्कूलों में भी व्यापक रुप से छात्रों के लिए विकल्प के रूप में संभवत: ऑनलाइन मॉड्यूल के रूप में अनुभवात्मक और अभिनव एप्रोच के माध्यम से उपलब्ध होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये भाषा और साहित्य जीवित और जीवंत रहें। सभी भारतीय भाषाओं जो समृद्ध मौखिक और लिखित साहित्य, सांस्कृतिक परंपराओं और ज्ञान को अपने में सँजोए हुए हैं, के लिए भी इसी प्रकार के प्रयास किए जाएँगे।'' नई शिक्षा नीति में भी हिंदी को तकनीक के साथ जोड़ने की बात कही गई है। चार राज्यों में, जहाँ टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर स्थानीय भाषा में पढ़ाई होगी। तकनीकी संस्थानों में सबसे ऊपर इसरो में 90 प्रतिशत से ज्यादा काम हिंदी में हो रहा है। तकनीकी क्षेत्र में भी हिंदी को बढ़ावा देने में पूरी ताकत से जुटे हैं।

संविधान की आठवीं अनुसूची :

संविधान में नियमित रुप से संशोधन होकर वर्तमान समय में 'आठवीं अनुसूची' में लगभग 22 भाषाएँ सम्मिलित हैं - 1.असमिया 2. बंगला 3. बोडो 4. डोगरी 5. गुजराती 6. हिंदी 7.कन्नड़ 8. कश्मीरी 9. कोंकणी 10. मैथिली 11. मलयालम 12. मणिपुरी 13. मराठी 14. नेपाली 15. उड़िया 16. पंजाबी 17. संस्कृत 18. संथाली 19. सिंधी 20. तमिल 21. तेलुगू 22.उर्दू।

सन् 2003 में संविधान की आठवीं अनुसूची में मैथिली शामिल होकर हिंदी से अलग एक स्वतंत्र भाषा बनी है। अपितु 2011 के जनगणना में उसे हिंदी को बोली नहीं, अर्थात स्वतंत्र भाषा मानकर अलग कर दिया गया है।

भारतवर्ष बहुभाषी राष्ट्र है। यहाँ पर लगभग सभी भारतीय भाषाओं का आदर और सम्मान होना ही चाहिए। चूँकि राष्ट्रीय धरातल पर समग्र भारत को एकसंघ रखने हेतु अन्य राज्यों की भाषाओं को पढ़ना-लिखना और समझना जरूरी है। इन समस्त भाषाओं के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर कार्य करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय भाषाएँ - अँग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, रूसी, जापानी आदि भाषाओं को आत्मसात करना समय की आवश्यकता है।'' भारतीय भाषाओं और अँग्रेजी में उच्चतर गुणवत्ता वाले कोर्स के अलावा विदेशी भाषाएँ जैसे कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी भी माध्यमिक स्तर पर व्यापक रूप से अध्ययन हेतु उपलब्ध करवाई जाएँगी ताकि विद्यार्थी विश्व-संस्कृतियों के बारे में जानें और अपनी रुचियों और आकांक्षाओं के अनुसार अपने वैश्विक ज्ञान को और दुनिया भर में घूमने-फिरने को सहजता से बढ़ा सकें।''

सर्वप्रथम इसका कार्यान्वयन सरकारी (कार्यालयी) स्तर पर अनिवार्य रूप में होना आवश्यक है। जब सरकारी यानी प्रशासनिक स्तर पर भारतीय भाषाओं का प्रचलन बढ़ेगा तो परिणाम भी अच्छे और सकारात्मक रहेंगे। सामान्य मनुष्य को संप्रेषण या जुड़ाव हेतु भाषा का यह

माध्यम उपयुक्त और कारगर साबित होगा और व्यवस्था का जन-सामान्यीकरण होगा। परंतु ये सब करने के लिए सकारात्मक और ईमानदार राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में राजभाषा हिंदी का भविष्य उज्ज्वल और बेहतर होगा इसमें संदेह नहीं।

भूमंडलीकरण की प्रक्रिया मोटे तौर पर नब्बे के दशक में आरंभ हुई। इस प्रक्रिया का अधिक फायदा हिंदी को हुआ। हिंदी प्रारंभ से ही मनोरंजन, साहित्य, पत्रकारिता और राजनीतिक विमर्श की सबसे बड़ी भाषा थी, जैसे ही बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था ने पंख फैलाए, हिंदी ने भी उड़ान भरी। देश के अन्य सांस्कृतिक क्षेत्रों के लोगों को लगने लगा कि अगर उन्हें व्यवसाय या रोजी-रोटी में बढ़ोतरी के लिए अपने दायरे से निकलकर अखिल भारतीय स्तर पर कुछ करना है तो हिंदी का कुछ-न-कुछ ज्ञान आवश्यक है। उत्तर से दक्षिण तक यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, किसी भी तरह जाँच-पड़ताल कर लीजिए, अँग्रेजी के बढ़ते महत्व और दायरे के बावजूद हर जगह सुनने मिलेगा कि देश में अगर किसी भारतीय जड़ों वाली भाषा के भौगोलिक दायरे का प्रसार हुआ है तो वह हिंदी ही है।

हिंदी भाषा की उम्र लगभग 100 वर्ष है, पर खड़ी बोली की आयु तो केवल 200 वर्ष है और यदि घटनापूर्ण इतिहास की बात करें तो जितने घटनापूर्ण हिंदी के लिए ये 100 वर्ष रहे हैं, उस उच्च स्तर का आरोह-अवरोह किसी और भाषा ने कदापि ही देखा होगा।

सन् 2000-2010 के दशक में हिंदी के प्रचार और प्रयोग में नई तेजी आई। इसका मुख्य कारण रहा तेजी से बढ़ता हिंदी फिल्म और टेलीविजन जगत। अधिक से अधिक ब्रांड भी उपभोक्ताओं तक संदेश पहुँचाने के लिए हिंदी प्रयोग करने लगे। उद्योग (Corporatel) जगत को हिंदी में व्यावसायिक मूल्य दिखने लगा। लोकप्रियता की इस दौड़ में हिंदी की सहयोगी बनी इंग्लिश। फिर दोनों के समन्वय से बनी हिंग्लिश। हिंग्लिश ने पहले विज्ञापन जगत् में और फिर ओटीटी (OTT) में नई क्रांति पैदा की। साथ ही दक्षिणी प्रदेशों में भी लोग हिंग्लिश बोलने में सहज महसूस करने लगे।

सन् 2010-2020 के काल में हिंदी के इतिहास में फिर तेजी का रुख आया। जो हिंदी भाषी जिंदगीभर हिंदी टंकन या लेखन से कतराते रहे, वे सहजता से हिंदी टंकन करने लगे। अब हिंदी का टंकन मात्र दो इंच की छोटी-सी स्क्रीन पर भी आसानी से हो जाता है। इसकी बदौलत टेक्स्टिंग (Texting) और सोशल मीडिया मीम्स (Social Media Memes) में हिंदी की दृश्यता में कई गुना वृद्धि हुई है। यानी हिंदी की इस नई उपलब्धि में उसकी सहयोगी बनी तकनीक। भारत से बाहर यानी विदेशों में मस्कट, दुबई, दोहा आदि में हिंदी एक लिंक-भाषा के रूप में विशिष्ट स्थान बना चुकी है। आज इन शहरों में हिंदी समझने वालों की संख्या अरबी समझने वालों से अधिक है। अब आवश्यकता है कि हिंदी को शुद्धता की जंजीरों में बांधने का प्रयास न हो। बॉलीवुड को हिंदी-उर्दू मिश्रित भाषा के बल पर बॉलीवुड ने पूर्वी तथा दक्षिणी राज्यों में हिंदी का प्रचलन बढ़ाया और वैश्विक स्तर पर हिंदी को ग्लोबल सॉफ्ट पॉवर (Global Soft Power) के रूप में प्रस्तुत किया। उसने मिश्रित हिंदी के जरिए बांग्लादेश, मालदीव, अफगान, तुर्की, मोरक्को, फिजी जैसे कई देशों में अपना झंडा गाड़ा है। हिंदी ने जब भी अन्य भाषा का सहयोग लिया है, उसकी लोकप्रियता को नई दिशा मिली है।

सारांश रूप में कहा जा सकता हैं कि राष्ट्रहित में जनभाषा, शिक्षा का माध्यम व कार्यभाषा एवं शोध लेखन की भाषा एक होनी चाहिए। ऐसा होने से ही मौलिक (Fundamental) एवं धरती से जुड़े अनुप्रयुक्त (Applied) शोध के लिए मौलिक चिंतन बढ़ेगा और देश को मानसिक गुलामी से मुक्त करने, स्वाभिमान से जीने एवं आत्मनिर्भर बनाने की भावना निर्माण होगी। आम जनता और वैज्ञानिक के बीच संप्रेषण हेतु भाषाई-

खाई न होने से ही वैज्ञानिक को देश की समस्या की सीधी व सही-सही यानी वास्तविक जानकारी मिल सकती है। ऐसा होने से ही समस्या का समाधान शीघ्र व सही होगा।

अर्थात वैज्ञानिक शोध राष्ट्र की उन्नति में होता है। देश का राजनीतिक-परिदृश्य हिंदी के अनुकूल है। वर्तमान सरकार में ऐसा कोई समूह है ही नहीं जो हिंदी का मुखर विरोधी हो। हिंदी विरोध के लिए सबसे कुख्यात राज्य तमिलनाडु रहा है। वहाँ की कोई पार्टी इनकी सरकार में भागीदार नहीं है। दूसरा विरोध बंगाल के कुछ समूहों का था। वहाँ की भी कोई दूसरी पार्टी सरकार में भागीदार नहीं है। परंतु इसके लिए सरकार के पास साहस और दृढ़ इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। सरकार यदि ऐसा साहसपूर्ण कदम उठाती है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुत जल्द 'राजभाषा' हिंदी 'राष्ट्रभाषा' तथा 'अंतर्राष्ट्रीय भाषा' बनेगी। ❑

संदर्भ :

1. सं. विभूति मिश्र, हिंदी की विकास यात्रा और हिंदी सेवी संस्थाएं, हिंदी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद (प्र.सं. 2011)
2. प्र.सं.प्रो.विनोद कुमार मिश्र, विश्व हिंदी पत्रिका (2016), विश्व हिंदी सचिवालय, मॉरीशस।
3. प्र.सं.प्रो.विनोद कुमार मिश्र, विश्व हिंदी पत्रिका (2017), विश्व हिंदी सचिवालय, मॉरीशस।
4. सं. डॉ.हरीश नवल, गगनांचल (11वां विश्व हिंदी सम्मेलन विशेषांक, मार्च-अगस्त, 2018), भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली।
5. सं. प्रो.राम मोहन पाठक, स्मारिका (विश्व हिंदी सम्मेलन, मॉरीशस - 2018), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. सं. अशोक चक्रधर, भोपाल से मॉरीशस, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. डॉ.अनिता विजय ठक्कर, हिंदी की प्रचार संस्थाएं = स्वरुप और इतिहास, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा (प्र.सं.2009)
8. india.gov.in constitution
9. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 - मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम, तेजस्वी मन महाशक्ति भारत की नींव, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली (सं.2006)
11. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम/वाई सुंदर राजन, महाशक्ति भारत, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली (सं.2005)
12. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम/ए.शिवताणु पिल्लै, मेरे सपनों का भारत, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली (सं.2005)
13. विजय शर्मा, अपनी धरती, अपना आकाश नोबेल के मंच से, संवाद प्रकाशन, मेरठ (सं. 2008)
14. रॉन्डा बर्न, रहस्य, मंजुल पब्लिशिंग हाउस, भोपाल (सं.2011)
15. हजारीप्रसाद द्विवेदी, कबीर, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली (सं.1999)
16. प्रेमचंद, सेवासदन, हंस प्रकाशन, इलाहाबाद (सं.1960)
17. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद (सं.2019)
18. डॉ. मजीद शेख, आधुनिक हिंदी साहित्य के विविध परिदृश्य, अतुल प्रकाशन, कानपुर (सं.2016)
19. प्र.सं.नामवर सिंह, आलोचना त्रैमासिक (जनवरी-मार्च, 2015) भारतीय जनतंत्र का जायजा-एक, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
20. प्र.सं.नामवर सिंह, आलोचना त्रैमासिक (अप्रैल-जून, 2015) भारतीय जनतंत्र का जायजा-दो, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
21. सं. विकास मिश्र, लोकमत समाचार (मंगलवार - 18 अप्रैल, 2017)
22. सं. विकास मिश्र, लोकमत समाचार (रविवार - 19 अगस्त, 2018)
23. सं. विकास मिश्र, लोकमत समाचार (सोमवार - 20 अगस्त, 2018)
24. सं. विकास मिश्र, लोकमत समाचार (शनिवार - 15 सितंबर, 2018)
25. सं. विकास मिश्र, लोकमत समाचार (सोमवार - 11 फरवरी, 2019)
26. सं. विकास मिश्र, लोकमत समाचार (मंगलवार - 12 फरवरी, 2019)
27. सं. प्रकाश दुबे, दैनिक भास्कर (मंगलवार - 14 सितंबर, 2021)
28. सं. प्रकाश दुबे, दैनिक भास्कर (बुधवार - 12 जनवरी, 2022)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रस्तावित विभिन्न आयोग : महत्व एवं कार्य

डॉ. संजय कुमार [1]

डॉ. रवि कुमार गोड़ [2]

1. असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, लद्दाख विश्वविद्यालय कारगिल परिसर, लद्दाख
2. पोस्ट डॉक्टोरल फेलो हिंदी विभाग, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला, टैब, शाहपुर, छतरी, जिला : कांगड़ा, पिन : 176206 हिमाचल प्रदेश
मोबाइल : 7807111737
ई-मेल
ravigoan86@gmail.com

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 34 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद बुधवार 29 जुलाई, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी थी । उसके बाद बुद्धिजीवी वर्ग और छात्रों की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि किस रूप में, किस प्रकार से और किस शैक्षणिक वर्ष से इसे लागू किया जाएगा।

किसी भी शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य रहता है कि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो। नई शिक्षा नीति 2020, सन् 2030 तक के 100 प्रतिशत सकल प्रवेश दर को ध्यान में रखकर सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य को लेकर बनाई गई है । इस नीति को भारत में शैक्षिक नीति सुधारों के रूप में एक पुख्ता दस्तावेज के रूप में माना जा रहा है। नई शिक्षा नीति को आजीविका कमाने, सम्मान प्राप्त करने, गरिमा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने एवं सभी छात्रों के लिए एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली प्रदान करने के साथ-ही-साथ शिक्षक की स्थिति में मूलभूत सुधारों को फिर से स्थापित करने के लिए किया गया है। सबके लिए शिक्षा की उपलब्धता और सबके लिए समान शिक्षा जैसे मुद्दे पिछली नीतियों के केंद्र बिंदु बने थे, परंतु नई नीति का उद्देश्य व्यक्ति में तर्कसंगत सोच और कार्रवाई करने में सक्षम बनाना है, जिसमें दया और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक स्वभाव और रचनात्मक कल्पना शामिल हैं। इस नीति में उच्च नैतिकता और बचपन से लेकर उच्च शिक्षा तक के मूल्य सम्मिलित हैं। नई शिक्षा नीति अभिभावकों और शिक्षकों दोनों को संवेदनशील बनाने, छात्रों में विशिष्ट क्षमताओं को पहचानने और उसकी प्रगति में बढ़ावा देने पर जोर देती है।

नई शिक्षा नीति की मौलिक अवधारणा शिक्षार्थियों के लिए एक लचीली प्रणाली बनाना और उनके हितों के अनुसार सीखने के विकल्प प्रदान करना है। कला और विज्ञान, तथा संबद्ध पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच कठिन पृथक्करण रेखाओं को कम करने का प्रयास इस नीति के द्वारा किया गया है। वैचारिक समझ, रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच पर अधिक जोर, क्रमश: निम्न मानसिक क्षमता से उच्च मानसिक शक्ति और नवाचार या तार्किक निर्णय लेने की सोच के स्तर को विकसित करने के लिए नीति नियमों का

निर्धारण किया गया है। यह नीति संवैधानिक मूल्यों और नैतिकता के साथ मौजूदा ढाँचे को मजबूत करने के लिए संवैधानिक मूल्यों, नैतिकता को स्वस्थ बनाने और जीवंत ज्ञान के माध्यम से समाज को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस शिक्षा नीति के प्रभाव से सभी को उच्च-गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करके इस स्थायी नीति से भारत को वैश्विक ज्ञान रूपी महाशक्ति बनाने में मदद मिलेगी।

21वीं सदी की पहली नीति का उद्देश्य भारत के विकास के कई बढ़ते आयामों को फलित करना है और संरचना, प्रक्रिया तथा प्रथाओं में संशोधन करके उसे बेहतरीन बनाना है। नई शिक्षा नीति ने उच्च शिक्षा क्षेत्र को फिर से सक्रिय करने के लिए सहमति व्यक्त की है, क्योंकि दशकों के प्रयास से भी उच्च शिक्षा में छात्रों की सहभागिता कम रही है, जिसके लिए जवाबदेही की कमी होना भी एक कारण रहा है। नई शिक्षा नीति हर क्षेत्र में जवाबदेही सुनिश्चित करती प्रतीत हो रही है ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तीन दशकों से अधिक समय के अंतराल के बाद स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के उत्थान की ओर एक व्यापक कदम है। इस नीति का उद्देश्य भारत में शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाले गंभीर मुद्दों को कम करना है। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य वैचारिक कौशल और तर्कसंगत सोच विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना है, लेकिन इसका सफल होना तैयार किए गए पाठ्यक्रम और शिक्षकों/संकायों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है । इसलिए नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर निगरानी और मूल्यांकन की आवश्यकता होगी ताकि वांछित परिणाम प्राप्त हो सकें । इसके लिए स्कूल या विश्वविद्यालय स्तर पर संशोधनों की आवश्यकता हो सकती है और इस प्रकार के संशोधनों की यह नीति गुणवत्ता को मजबूती देती है।

नई शिक्षा नीति द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की क्रेडिट हस्तांतरण प्रणाली और उच्च शिक्षा में डिप्लोमा और डिग्री के लिए कई स्तर हैं। यह प्रावधान छात्रों की शिक्षा प्राप्ति की दर को बढ़ावा देंगे। यह प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप होगी और इसे पश्चिमी और यूरोपीय देशों के साथ जोड़ा भी जा सकता है। परंतु साथ ही यह भी एक चिंता का विषय है कि भारत में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता समान नहीं है। हर जगह के मानक अलग-अलग निर्धारित हैं। उदाहरण के लिए, आईआईएम और आईआईटी में डॉक्टरेट की डिग्री के लिए पाठ्यक्रमों के एक सेट और एक उच्च शोध प्रबंध की आवश्यकता होती है, जो ज्ञान में योगदान देता है। जबकि कई पारंपरिक विश्वविद्यालयों में कोर्स वर्क का काम लगभग शून्य है और डॉक्टरेट की डिग्री केवल शोध प्रबंध के आधार पर प्रदान की जाती है। वर्तमान नई शिक्षा नीति के अंतर्गत नए आयोग एवं परिषदों का गठन प्रतावित है, जो कि भविष्य में शिक्षा व्यवस्था कि रूपरेखा निर्धारित करेंगे।

गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस नीति द्वारा देश में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई है। इसके उद्देश्यों के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100 प्रतिशत सकल प्रवेश दर का लक्ष्य सार्वभौमिकरण के शिक्षा तक माध्यमिक स्तर के पूर्व विद्यालय के साथ रखा गया है।

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रस्तावित आयोग :

1. भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग की स्थापना (HECI): उच्च शिक्षा को विनियमित करने के लिए भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI) की स्थापना का प्रस्ताव नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सुझाया गया है, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) का स्थान

ले लेगा और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) आदि को अपने अधीन कर लेगा। इसके अंतर्गत चार स्वतंत्र कार्य होंगे और भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI) एक पूर्ण संस्था के रूप में रहेगा। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय (Single Umbrella Body) के रूप में कार्य करेगा।

भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग के अंतर्गत विभिन्न परिषद :

1. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद (NHERC) :

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद पहली ऐसी परिषद है, जो उच्च शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के प्रबंधन के लिए एक सामान्य एकल विनियमन निकाय के रूप में काम करेगी। जबकि चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। यह विभिन्न विनियमन अधिकारियों द्वारा लगाए गए विनियमन के पुनरावृत्ति और विच्छेदन को दूर करने में मदद करेगा। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद वित्त, ऑडिट, बुनियादी ढाँचे, संकाय, शैक्षिक परिणामों आदि जैसे मामलों को विनियमित करेगा और सार्वजनिक वेबसाइटों पर इनकी जानकारी उपलब्ध रहेगी।

2. राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC):

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) को उच्च शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय बनाया जाएगा। किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा मान्यता के लिए पर्यवेक्षण करवाना आवश्यक होगा, जिसमें कि बुनियादी नियम, सुशासन, शैक्षिक परिणाम इत्यादि की जाँच हुआ करेगी। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए मान्यता की पर्याप्त व्यवस्था भी सुनिश्चित करेगा।

3. उच्च शिक्षा अनुदान परिषद (HEGC) :

यह तीसरी परिषद उच्च शिक्षा में वित्तपोषण एजेंसी के रूप में काम करेगी । यह उच्च शिक्षा में विभिन्न विषयों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए छात्रवृत्ति और धन प्रदान करेगी ।

4. सामान्य शिक्षा परिषद (GEC) :

व्यावसायिक और उच्च शिक्षा के एकीकरण और मजबूती के लिए यह भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI) का एक चौथा ऊर्ध्वाधर रूप है, जो एक शैक्षिक कार्यक्रम के अपेक्षित परिणामों की संरचना के लिए जिम्मेदार होगा जिसे 'ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स' के रूप में जाना जाएगा। यह परिषद राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) के सहयोग से काम करने के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (NHEQF) का निर्माण सुनिश्चित करेगी। यह व्यावसायिक और उच्च शिक्षा के एकीकरण को मजबूत करेगा। वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उच्च शिक्षा के अनुदान और गुणवत्ता का प्रबंधन करने वाला एकमात्र शासी निकाय है। भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI) की स्थापना से भारतीय उच्चतर शिक्षा को अद्यतन करने में मदद मिलेगी। NAAC और NHERC जैसे एकल सांविधिक निकाय, शिक्षा के अकेले मुद्दों को संभालते हैं, जो शिक्षा में गुणवत्ता विकसित करने की क्षमता को और भी प्रभावशाली बनाते हैं।

5. व्यावसायिक मानक-निर्धारण निकाय (PSSB):

व्यावसायिक मानक-निर्धारण निकाय (PSSB) स्थापित किए जाएंगे, जिसके तहत भारत के विभिन्न व्यावसायिक निकाय जैसे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, आदि कार्य करेंगे। व्यावसायिक मानक-निर्धारण निकाय (PSSB), सामान्य शिक्षा परिषद (GEC) के सदस्य होंगे और उच्च शिक्षा में योगदान देंगे। सामान्य शिक्षा परिषद (GEC) के सदस्य के रूप में यह पाठ्यक्रम विकास, शैक्षणिक मानकों को निर्धारित करने, संबंधित क्षेत्र में शिक्षण और अनुसंधान के

प्रबंधन में अपनी भूमिका का निर्वाह करेगा ।

6. विदेशी विश्वविद्यालयों की अनुमति और विदेशी परिसरों की स्थापना :

नई शिक्षा नीति 2020, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की सिफारिश करती है। उच्च प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को विदेशों में अपने परिसरों को स्थापित करने के लिए समर्थन दिया जाएगा और साथ ही दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को भारत में अपने परिसरों की स्थापना के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यह भारतीय छात्रों को भारतीय स्तर के खर्चे पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण की सुविधा प्रदान करने में मदद करेगा। ऐसे विश्वविद्यालयों के बीच छात्र विनिमय कार्यक्रम के साथ उन्हें प्रोत्साहन भी प्राप्त होगा । इन विश्वविद्यालयों में विशेष विधायी ढाँचे और नियम होंगे। छात्रों के लिए क्रेडिट सिस्टम इन विश्वविद्यालयों में उसी तरह लागू होगा जैसा कि अन्य संस्थानों में होगा। यह भारतीय और वैश्विक शैक्षिक संस्थानों के बीच अनुसंधान पहल को भी बढ़ावा देगा। यह भारतीय और विदेशी शिक्षा प्रणाली के बीच शैक्षिक सहयोग को प्रोत्साहित करता है। अनुशंसित प्रणाली भारतीय छात्रों को अपने देश मेंअंतर्राष्ट्रीय ज्ञान उपलब्ध लाएगी। वे छात्र जो विदेशी संस्थानों में अध्ययन करने का सपना देखते हैं, लेकिन लंबी दूरी और उच्च लागत के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं, उनके लिए यह अवसर स्वर्णिम अवसर होगा। यह वैश्विक मंच पर भारतीय ज्ञान का परिचय देगा और शैक्षिक संस्कृति और ज्ञान के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेगा।विभिन्न शिक्षाविदों का मानना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था के महँगी होने की आशंका है। इसके फलस्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

7. राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) की स्थापना :

राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF)का लक्ष्य भारतीय विश्वविद्यालयों में अनुसंधान की संस्कृति को प्रोत्साहित करना होगा। यह राज्य और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के स्तर पर शोध को सुविधाजनक बनाने के लिए अनुसंधान अनुदान प्रदान करेगा। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) सभी विषयों में अनुसंधान के लिए धन वितरित करेगा। इसकी देखरेख एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा की जाएगी। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) की स्थापना भी नई शिक्षा नीति की महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) का संविधान शोधकर्ताओं, सरकार और उद्योग के बीच एक सेतु का काम करेगा, जो कि शोधकर्ता को राष्ट्रीय स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण शोध मुद्दों से अवगत कराएगा। राष्ट्र के नीति निर्धारक, नीति निर्धारण के लिए प्रस्तुत वर्तमान शोध के आंकड़ों का उपयोग करने में भी सक्षम होंगे।

निष्कर्ष :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक लंबे समय के पश्चात अस्तित्व में आई है । भारतीय शिक्षा प्रणाली को वर्तमान युवा वर्ग जो कि तकनीकी में प्रौद्योगिकी के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है, उसे शिक्षा के माध्यम से नए आयामों को सीखने की आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति दुनिया में एक विकसित देश के साथ-साथ शैक्षणिक रूप में भी कुछ आवश्यक कदम उठाने तथा नियम निर्माण को बेहतरीन करने के लिए अस्तित्व में लाई गई है ।

नई शिक्षा नीति भारतीय मूल्यों को बहाल करने के साथ-साथ तकनीकी के उपयोग पर भी आधारित है । यह बहुविषयकता के साथ ही अंतरानुशासनिक दृष्टिकोण का समर्थन करती है तथा कठोर एकल विषय आधारित शिक्षा को समाप्त करने के पक्ष में है। समय की आवश्यकता के अनुसार नई शिक्षा नीति लचीली, समग्र शिक्षा प्रणाली का समर्थन करती है । उम्मीद है कि यह नीति आने वाले दशकों तक भारतीय शिक्षा प्रणाली को नई दिशा प्रदान करेगी। इस नीति को निष्पादित करने का सबसे बड़ा दायित्व इसके विभिन्न निगरानी संगठनों, उनकी संरचना एवं कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है । नीति में परिकल्पित नई विनिमयन संरचना क्या दबाव का सामना करने में सक्षम होगी ?

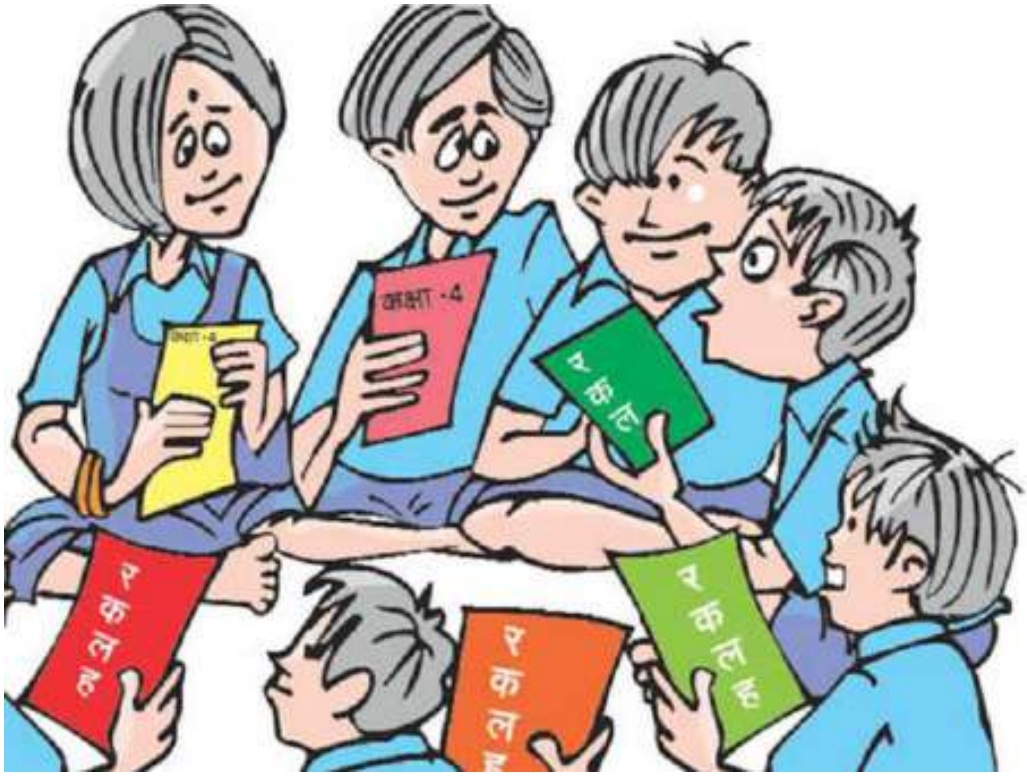

यह विचार करने का विषय है। हालांकि संगठनों और नेतृत्व की प्रभावकारिता नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इन संगठनों के मुखिया की नियुक्ति का आधार उनकी कार्यशैली एवं योग्यता होनी चाहिए ना कि सामान्य पदोन्नति। इसी तरह शैक्षणिक संस्थानों को कार्य करने के लिए उचित स्तर पर मूलभूत बुनियादी ढाँचे के विकास की आवश्यकता है । इन संसाधनों की अनुपस्थिति में नई शिक्षा नीति आने वाले समय में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के लिए मानव संसाधन की वांछित गुणवत्ता के उत्पादन में अप्रभावी है । नई शिक्षा नीति के अनुसार भारतीय बोध को सुदृढ़ करना एक महत्वपूर्ण प्रयास है। वस्तुत: शिक्षा समाज व राष्ट्र के साथ ही मानवीय जीवन को मूल्यों के साथ गढ़ने वाला तत्व है । यह केवल रोजगार या बड़ी-बड़ी डिग्री लेकर अभिजात्य श्रेणी में खड़ा हो जाने का उपक्रम नहीं है।

गुरु नानक जी ने कहा है 'विद्या विचारी ता परोपकारी' अर्थात् विद्या व्यक्ति को विचारवान और विवेकशील बनाती है ताकि वह परोपकारी और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना से युक्त होकर एक अच्छे मानव के रूप में जीवन जी सके । नई शिक्षा नीति इसी भाव बोध के साथ हमारे विद्यार्थियों को व्यक्ति से मनुष्य बनाने कि प्रक्रिया को मजबूत करने का प्रयास है। इस शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम 'शिक्षा मंत्रालय' किया जाना केवल नाम भर का बदलाव नहीं है, बल्कि शिक्षा एक दृष्टकोण है, जो व्यापक रूप में मानवीय चेतना के विकास को केंद्र में रखता है, जबकि मानव संसाधन विकास की विचारधारा शिक्षा को महज रोजगार आधारित बनाने पर आधारित थी। इससे शिक्षा की समग्रता में वैचारिक अनुभूति नहीं होती। शिक्षा के साथ जो भाव जुड़ा है वह विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करता है । हमारी शिक्षा प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी उतरे और वैश्विक स्तर पर उसे सम्मान के साथ देखने की जरूरत है । हमारे उच्च शिक्षण संस्थान इस प्रतिस्पर्धा में ना पिछड़े, इस स्तर पर दिशाबोध नई

शिक्षा नीति में है । इस ओर सरकार की गंभीरता इससे भी प्रकट होती है कि पहली बार शिक्षा को बजटीय प्रावधानों में प्राथमिकता पर लाकर शिक्षा बजट को 6 प्रतिशत तक किया गया ।

नई शिक्षा नीति को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं और साथ ही शिक्षा मंत्रालय नीति को कार्यान्वित करने के लिए एक समीक्षा कमेटी गठित करने जा रहा है ।

34 वर्षों के लंबे अंतराल बाद आई इस शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है । स्नातक स्तर पर शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा विश्लेषण, जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेश से अत्याधुनिक क्षेत्रों में कुशल पेशेवर तैयार होंगे ओर रोजगार क्षमता में बढ़ोतरी होगी। ❑

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. Davies, M., & Devlin, M. (2010). Interdisciplinary higher education. Emerald Group Publishing Limited.
2. National Education Policy 2020. Ministry of Education, New Delhi. Retrieved on August 20, 2020, from

   https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/NEP_Final_English_0.pdf
3. Noor, I.H.M. (2016). Multi Entry And Exit System(MEES) Implementation At The Vocational School Texmaco, Karawang, West Java Indonesia. 3 (5), 56-65.
4. Pirrie, A., Hamilton, S., & Wilson, V. (1999). Multidisciplinary education: some issues and concerns. Educational Research, 41(3), 301-314.
5. Prajapati. A.K. (2018). Innovative and Integrated programmes in Teacher Education: A Suggested model. 5(3), 194-202.
6. Saxena, Manoj K. &Anu, G.S. (2019). New Education Policy on Higher Education: Reflections from Higher Education, PrabhatPrakashan, New Delhi p. 14.
7. Yadav, S. (August 1, 2020). Explained: How India's Education Ministry became 'HRD Ministry', and then returned to embrace education/Explained News, The Indian Express. Retrieved on August 25, 2020, from https://indianexpress.com/article/explained/explained-hrd-ministry-and-ministry-of-education-6531694

शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है।
विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है।
प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है।
- स्वामी विवेकानंद

भारत में आधुनिक शिक्षा की पृष्ठभूमि और शिक्षा नीति

डॉ. आकाश वर्मा

हिंदी विभाग,
असम विश्वविद्यालय
सिलचर, असम- 788011
मोबाइल : 09435173672
ई-मेल
hindiakash@gmail.com

भारतीय की प्राचीन शिक्षा पद्धति निश्चित तौर पर संसार की सर्वाधिक प्राचीनतम और विकसित शिक्षा परंपरा है। शायद ही इससे पुरातन कोई शिक्षण स्वरूप हो। हाँ, आधुनिक सभ्यता ने इसको संकुचित एवं सीमित अवश्य किया। इस प्रक्रिया का आरंभ मैकाले के शिक्षा मसौदा (1835) के बाद होने लगता है, जिसका उद्देश्य कंपनी शासन तथा बाद में विक्टोरिया शासन के लिए कामगारों को तैयार करना था। यहाँ स्वीकार करना होगा कि कामगारों के निर्माण वाली वही शिक्षा प्रणाली बहुत हद तक उसी स्वरूप में स्वाधीनता के पश्चात भी आगे बढ़ाई गई। स्वाधीनता के बाद की आवश्यकताओं, भारत की वैश्विक संरचना तथा आधुनिक संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में इसके औचित्य-अनौचित्य पर चर्चा अवश्य की जा सकती है, लेकिन निश्चय ही इससे भारत के प्राचीन शिक्षण स्वरूप का पतन होता गया और उसके प्रति सामाजिक अभिरुचि भी क्रमश: कम होती चली गई। ऐसे में शिक्षा धन कमाने की मशीनरी की अवधारणा में प्रकट होती है। यह प्रमाणपत्रीय प्रक्रिया प्रतीत होती है, जिसका योग्यता और गुणवत्ता अथवा सामाजिक या फिर राष्ट्रीय उत्थान से सीधा सरोकार नहीं रह जाता । शिक्षा प्राप्त कर कंपनी में काम करने का उद्देश्य भी यही था । आधुनिक भारत की संरचना, व्यवस्थाएँ, प्रशासनिक पद्धतियाँ उसी परिपाटी पर स्वाधीनता के बाद आगे बढ़ीं, इसलिए शिक्षा को आर्थिक आधार पर ही देखा जाने लगा । हम जानते हैं कि अँग्रेजों से पूर्व भारतीय शिक्षा और ज्ञान परंपरा का उद्देश्य अर्थोपार्जन से इतर लोक तथा समाज एवं जन के सार्थक स्वरूप निर्माण के लिए होता था। कहने का तात्पर्य यह कि भारत की ज्ञान केंद्रित शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य शिष्टाचार, नैतिकता, चरित्र निर्माण के मिश्रण से विचारवान और श्रेष्ठ गुणों वाले समाजी मनुष्य का निर्माण करना था, जो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रूप से सचेत और जागरूक हो सके । यह स्वरूप गुरुकुल परंपरा में था और यह मुगलकालीन शासन के उत्तरकाल (पतन) में भी दिखाई देता रहा। हाँ, मदरसा शिक्षा व्यवस्था भी समानांतर चलती रहती है, लेकिन मैकाले की सिफारिशों को अपनाते हुए अँग्रेजों ने अंतत: इसके अंत तथा भारत में आधुनिक शिक्षा के स्वरूप की ऐसी पृष्ठभूमि तैयार की, जिसे हम आज भी चला रहे हैं। हालाँकि

नवद्वीप, उज्जयिनी, कांची, नालंदा आदि विख्यात विद्यापीठों में चारों दिशाओं के छात्र अध्ययन के लिए एकत्र होते और वहाँ से ज्ञान का प्रवाह देश भर में अबाध रूप से फैलता था।''[1] हम समझ सकते हैं कि भारतीय शिक्षा और उसकी पद्धति की एक सुदीर्घ परंपरा अपने श्रेष्ठ रूप में थी, जिसका अंत उन्नीसवीं सदी के मध्य की नीतियों के चलते हो जाता है । गौर करें तो बारहवीं सदी के बाद फारसी शिक्षा पद्धति और मदरसा शिक्षा व्यवस्था भी बनी, बावजूद इसके भारतीय शिक्षण का परंपरागत और प्राचीन स्वरूप बना रहा। असल में मदरसा शिक्षा व्यवस्था आज भी देखी जा सकती है, परंतु भारत की प्राचीन गुरुकुल शिक्षण पद्धति नष्ट हो जाती है । उसके अवयव आधुनिक शिक्षा में चिकित्सीय, योग, तथा दर्शन के रूप में कहीं-कहीं दिखाई देते हैं, जो महामारी (कोविड-19) के उत्तरकाल में आवश्यकता, उपयोगिता तथा औचित्य पर चर्चा के विषय हो सकते हैं।

भारतीय संस्कृति के विचारक वासुदेवशरण अग्रवाल भारत की एकसूत्रता पर संकेत करते हैं कि- ''भारतीय शिक्षा पद्धति में सर्वत्र समानता थी । शास्त्रीय शिक्षा पद्धति में गुरु-शिष्य की प्रणाली देश भर में मान्य थी । वैदिक काल से उन्नीसवीं शती तक वह चालू रही । समान पाठ्य ग्रंथों के द्वारा इस पद्धति की एकता का अतिरिक्त परिचय मिलता है । पाणिनि की अष्टाध्यायी और पतंजलि का महाभाष्य कश्मीर से कन्याकुमारी तक व्याकरण की शिक्षा के मुख्य साधन थे । उनकी टीकाओं की देशव्यापी मान्यता होती थी। कालिदास के ग्रंथ और पंचतंत्र भी इस शिक्षा संबंधी एकता के प्रतीक हैं । राज्य प्रणाली चाहे जो रही हो, विद्वान और शास्त्रीय साहित्य देश में सर्वत्र आदर पाते थे। काशी, तक्षशिला, मथुरा, भारतीय शिक्षा की परंपरा ज्ञान और प्रतिभा निर्माण की परंपरा रही । वैदिक काल से लेकर मध्यकाल के अंत तक की शिक्षा का औचित्य ही गुरु के निकट बैठकर पढ़ना रहा है। यह सदैव संवाद अथवा प्रश्नोत्तर शैली द्वारा संपादित होता रहा है। यह शैली आज भी है, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य बदल गया है। तब शिक्षा सरकारी नीतियों द्वारा संचालित नहीं होती थी । शिक्षा के लिए धन आदि की व्यवस्था सामाजिक तथा प्रशासनिक अवश्य होती थी, लेकिन उनके संचालन एंव कार्यान्वयन में कोई दखल नहीं था । हम जानते हैं कि दर्शन, चिकित्सा एवं आयुर्वेद, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, ज्यामिति तथा गणितीयशास्त्र, नक्षत्रशास्त्र, रसायन शास्त्र, राजनीति, ज्योतिष, भाषाशास्त्र, व्याकरण, साहित्य, कला-कौशल, वेदोध्ययन आदि भारतीय शिक्षण के विषय-वस्तु थे । यही नहीं, इनके प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालयी स्तर तक के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था रही । प्रारंभिक शिक्षा केंद्र गाँवों के पास होते, साथ ही साथ नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, ओदंतपुरी, मिथिला, उज्जैन, जगद्दला, मदुराई, वल्लभी, काशी, कांचीपुरम, अवंतिका आदि जैसे कई स्थानों पर उच्च शिक्षा की व्यापक

व्यवस्था भी थी। यह सब कुछ आधुनिक शिक्षा की पाश्चात्य पृष्ठभूमि में उपजी अवधारणा में नष्ट हो जाता है। इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी रही है ।

हम जानते हैं कि 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्कोडिगामा कालीकट पहुँचता है। उसके बाद डच, डेन, फ्रांसीसी, ब्रिटिश अपनी-अपनी कंपनियों के साथ भारत आते हैं । पहले व्यापारिक टोलियाँ आईं, उसके बाद अथवा साथ ही साथ ईसाई धर्म प्रचारक भी आते हैं। अँग्रेजों के एकाधिकार से पहले सभी योरोपिय धर्म प्रचारकों (ईसाई मिशनरीज) ने भारत में अपनी धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य केवल ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार मात्र था । ''प्रथम धर्म प्रचारक सेंट जावियर ने वैसे तो घूम-घूमकर धर्म प्रचार किया था और बंबई के बंदरा (बांद्रा) में 1575 में ऐनी विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी।''[2] उसी समय जैसुएट पादरियों (पुर्तगाली) ने अनेक जैसुएट कॉलेजों की स्थापना की जैसे- गोवा (1575), आगरा (1580) जिनकी चर्चा बहुत कम की जाती है । डचों (हालैंड निवासी) ने भी अपनी कंपनी तथा उसके कर्मचारियों के बच्चों के लिए भारत में शिक्षा व्यवस्था की, जिसमें भारतीय बच्चों को भी शामिल होने का अधिकार था। फ्रांसीसियों ने 1664 के आसपास से माही, यनाम, करीकल, चंद्रनगर, पांडिचेरी में फैक्ट्रियों के साथ-साथ प्राथमिक स्कूल खोले । डेन (डेनमार्क के) धर्म प्रचारकों ने धर्म परिवर्तन के लिए अनेक धार्मिक प्रवचन दिए तथा परिवर्तन कराए। ''हालाँकि आगे चलकर डेन मिशनरीयों ने अपने आप को अँग्रेजों में मिला दिया।''[3] इन सभी का कार्य ईसाई धर्म की शिक्षा भर रहा। हम जानते हैं कि धीरे-धीरे बाकी यूरोपीय बस्तियाँ समाप्त हो गईं और अँग्रेजों का ही अधिकार रह गया। उस समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी (1600) अपने को केवल व्यापारिक कंपनी मानती थी । इसलिए शुरुआती समय में वे शिक्षा से दूर रहे। जब इसकी व्यवस्था हुई तो उद्देश्य मात्र इतना रहा कि कंपनी को उसके उपयुक्त राजभक्त कामगार मिल सकें । यह चाहे पुर्तगाली, अँग्रेज तथा यूरेशियन बच्चों के लिए खोला गया प्रथम स्कूल (1670 मद्रास में) हो या दातव्य स्कूल जो मद्रास (1715), बंबई (1718), कलकत्ता (1731) तथा कानपुर, तंजौर आदि में खोले गए या कलकत्ता मदरसा (1780) और बनारस संस्कृत कॉलेज (1791) हो या फिर फोर्ट विलियम कॉलेज (1800) और उसके बाद खोले जाने वाले कॉलेज और विश्वविद्यालय। इन सभी का कार्य कंपनी के हितों की रक्षा तथा उसके सहयोग के लिए जनसमूह तैयार करना था ।

पुन: विचार करें तो 1757 के पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी (सन् 1600) का कोई राजनीतिक अधिकार न था। वे केवल व्यापार करते और यूरोप एवं अन्य देशों से आदान-प्रदान करते । तब भारत की उपजाऊ भूमि, श्रम की उपलब्धता और व्यापारिक वस्तुओं पर नियंत्रण नहीं था। यह सबकुछ एक प्रकार से व्यावसायिक अनुबंधों पर था। ब्रिटिश राजव्यवस्था की साम्राज्यवादी नीति में निश्चित तौर पर इनको कब्जाने की लालसा विकसित हुई, परिणामत: उनके आगमन के लगभग 150 वर्षों के पश्चात पलासी के युद्ध (1757) और फिर बक्सर के युद्ध (1765) के बाद भारतीय भूभाग बंगाल से बिहार तक उनका पूर्ण अधिकार हो जाता है । तब जबकि ''इंग्लैंड में भी शिक्षा राज्य (सरकार) के उत्तरदायित्व में नहीं आता था।''[4] जैसा कि कंपनी भारत में शिक्षा की व्यवस्था स्थापित करना नहीं चाह रही थी, इसीलिए जब 1793 में कंपनी के चार्टर एक्ट में बदलाव पर विचार किया जाना था, तब शिक्षा व्यवस्था को लेकर विरोध सामने आया। एक मेंबर ने कहा कि ''शिक्षा के विस्तार के कारण हमने अमेरिका खोया (1776), ऐसा न हो भविष्य में उसी कारण हम भारत से भी हाथ धो बैठें।''[5] हम जानते हैं- शिक्षा जनता को जागरूक एवं विचारवान बनाती है, भले ही वह किसी भी प्रकार की शिक्षा हो। तब तक, भारत में कंपनी के कर्मचारी भी शिक्षा के सरकारी उत्तरदायित्व अथवा नेतृत्व की माँग बढ़ चुकी थी, क्योंकि लोक से प्रशासनिक संवाद और नेतृत्व में सहूलियत के लिए ऐसे पढ़े-लिखे स्थानीय कर्मचारियों की अवश्यकता थी, किंतु कंपनी के सर्वेसर्वा ऐसा नहीं चाहते थे । ब्रिटिश पार्लियामेंट में कंपनी की अनिच्छा के बावजूद 1813 में कंपनी के उत्तरदायित्व के

रूप में भारत में शिक्षा का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया गया । इस समय तक भारतीय परंपरा की शिक्षा व्यवस्था और मदरसा पद्धति कार्य कर रही थी ।

''ब्रिटिश चार्टर एक्ट 1813 के साथ ही भारतीय शिक्षा का स्वरूप बदलने लगता है, जिसमें धन का प्रबंधन एवं सुविधाएँ आदि को स्थान दिया गया तथा उसी वर्ष से शिक्षा सरकार के हाथ में आ गई और वह शासन का मुख्य अंग मानी जाने लगी।[6] इस नीति का उद्देश्य इतना था कि जिस भारतीय ज्ञान को वे निहायत ही व्यर्थ और आवश्यकताविहीन मानते थे अथवा उनकी दृष्टि में जो दुनिया के किसी काम का नहीं था, उसके स्थान पर पश्चिमी ज्ञान परंपरा और अँग्रेजी को भारत में लागू किया जा सके । इस एक्ट का बहुत प्रभाव कंपनी पर नहीं पड़ा, लेकिन इंग्लैंड में भी उसी समय सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक आंदोलनों का दौर शुरू होता है, जिसके बाद वहाँ 1832 में शिक्षा को सरकारी संरक्षण प्राप्त होता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट अपनी नीतियों में बदलाव करती है। परिणामत: भारत में भी शिक्षा की प्रक्रिया को एक निश्चित स्वरूप देने में तेजी आती है। यहाँ से उनकी शिक्षा नीति, केवल धर्म प्रचार से आगे बढ़ कर पाश्चात्य ज्ञान, शिक्षा और साहित्य के प्रसार तक पहुँचती है। 1813 के बाद भारत में शिक्षा का माध्यम और शैक्षिक विषयों पर विचार किया जाता है। तब तक किसी भी प्रकार की कोई निश्चित शैक्षिक नीति नहीं थी, क्योंकि तब तक ब्रिटेन में भी शिक्षा सरकार के अधीन न थी । उस बहस में जो स्वरूप तय होता है वहीं से बनी नीतियाँ आज तक पहुँची हैं। यह नीति हमेशा शिक्षा के विषय, शिक्षा के प्रसार, शिक्षा की व्यवस्था और शिक्षा के माध्यम जैसे बिंदुओं पर कार्य करती है। इस बहस में तीन दल थे- ''एक जिसका नेतृत्व मैकाले के हाथ में था, वे मानते थे भारतीय भाषाएँ अविकसित हैं और जबकि भारत में यूरोपीय ज्ञान-विज्ञान का और पाश्चात्य सभ्यता का प्रचार करना है तो यह अँग्रेजी भाषा द्वारा ही संभव है, दूसरा दल प्रिंसेप के नेतृत्व में यह चाहता था कि भारत में शिक्षा का प्रसार भारतीय भाषाओं-मसलन संस्कृत तथ अरबी-फारसी में हो और तीसरा दल यह चाहता था कि भारत में पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान का प्रचार भारत में देशी भाषाओं द्वारा करना चाहिए।''[7] सन् 1835 में मैकाले अपना विवरण प्रस्तुत करता है, जिसके आधार पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच (1854) जारी होता है । यह डिस्पैच ही आधुनिक शिक्षा की नींव बनता है, जिसका काम मैकाले के शब्दों में देखें तो ऐसे भारतीयों का निर्माण करना रहा ''जो रंग और रक्त से भले ही भारतीय हो किंतु खानपान, पहन-

शिक्षा के स्वरूप में समय के अनुसार बदलाव होता रहता है। इसके हिसाब से शैक्षिक नीतियाँ भी परिवर्तित होती रहती हैं। वैश्विक बदलाव में यह परिवर्तन स्वीकार कर लेना अनुचित नहीं है और न ही इसको सांस्कृतिक क्षरण के रूप में देखा जाना चाहिए। यह बदलाव किसी भी देश की सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप होनी चाहिए। कोई भी ज्ञान मातृभाषा अथवा राष्ट्रभाषा में न किया जाना सांस्कृतिक पतन का स्वरूप है। जब हमने पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान को अँग्रेजी में स्वीकार कर लिया था यह पतन तभी होने लगा था। आज स्थिति यह है कि हम पूरी तरह से अपने सांस्कृतिक अवयवों से पर्याप्त भटक गए हैं। आज स्थिति यह है कि हम अपनी मातृभाषाओं को हीन एवं संस्कृति को नकार की दृष्टि से देखते हैं। उनको न जानने-सीखने के लिए बहुत सारे तर्क दिए जा सकते हैं। प्राय: सभी देश आधुनिकता में अपनी प्रत्येक अवस्था के बावजूद अपने देश के सांस्कृतिक परंपरा एवं सभ्यता को छोड़ते नहीं हैं, बल्कि उसे नवीन रूप में अपनाते चलते हैं।

सहन, आचार-विचार तथा बुद्धि में पूरे अँग्रेज हों।''[8] आज यह शत-प्रतिशत सफल प्रतीत होता है ।

पश्चिमी सभ्यता के कथित विकसित ज्ञान को देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता (1800), प्रेसिडेंसी कॉलेज (1817, पूर्व में प्रेसीडेंसी स्कूल) कलकत्ता, देशी चिकित्सा विद्यालय कलकत्ता (नेटिव मेडिकल इंस्टीट्यूट 1822), मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज (1837), नोबल कॉलेज मछलीपत्तनम (1841), हिसलेप कॉलेज नागपुर (1844), सेंट जोन्स कॉलेज आगरा (1852) जैसे संस्थानों की स्थापना की गई । इन सबके साथ ही कलकत्ता मेडिकल कॉलेज (1835), ग्रांट मेडिकल कॉलेज बंबई (1845), मद्रास मेडिकल कॉलेज (1843) इंजीनियरिंग कॉलेज रूड़की (1847), बेभुन वुमेन्स कॉलेज (1849) आदि- आदि अनेक स्थानों पर पाश्चात्य शिक्षा के अँग्रेजी माध्यम के अनेक संस्थानों की स्थापना हुई । इसी योजना के तहत 1857 में तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई- कलकत्ता विश्वविद्यालय, बंबई विश्वविद्यालय, मद्रास विश्विद्यालय । ये पूरी व्यवस्था भारतीय समाज में अँग्रेजी भाषा तथा पश्चिमोन्मुख ज्ञान के माध्यम से विक्टोरिया शासन में इस्तेमाल किए जा सकने वाले समूह के निर्माण के लिए था। यह एक प्रमाणपत्रीय शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत थी। 1854 के डिस्पैच में कुछ इस प्रकार के सुझाव दिए गए थे- शिक्षा विभागों की स्थापना, विश्वविद्यालयों की स्थापना, साधारण जनता के शिक्षा का विस्तार, विद्यालयों के लिए सहायता अनुदान की व्यवस्था, शिक्षकों के प्रशिक्षणों की व्यवस्था, स्त्री-शिक्षा की व्यवस्था आदि। जन शिक्षा की भी बात की गई। भारत के लिए यह नई शिक्षा नीति मानी जा सकती है। यह भी कह सकते हैं कि ''इस शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य पुस्तकें पढ़ना और परीक्षा पास होकर सरकारी नौकरी की तलाश करना है।''[9] बहरहाल, 1854 में शिक्षा नीति, शिक्षा विधि तथा शिक्षा विभाग के निर्माण की बात प्रथम बार कही गई थी । दूसरे अर्थों में कहें तो ''1854 के आदेश पत्र से भारतीय शिक्षा की रूपरेखा सुनिश्चित होती है । इसके अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भारत में पश्चिमी साहित्य और विज्ञान का प्रचार निश्चित हुआ । सरकार ने शिक्षा के व्यय की जिम्मेदारी ली । प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई और एक शिक्षा संचालक तथा उनके सहयोगी शिक्षा प्रचार एवं शिक्षा संगठन के लिए रखे गए।''[10] इसका परिणाम निकला कि ''उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक भारतीय विद्यालय एवं शिक्षा परंपरा निर्जीव हो गई और 1880 ईस्वी तक अँग्रेजी पदों पर तमाम भारतीय व्यक्ति तैयार होने लगे''[11] जो कि इस नीति का उद्देश्य था । लेकिन ''वुड को लगता था कि अच्छी पुस्तकों के अभाव में देशी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए विवश होकर अँग्रेजी माध्यम रखना पड़ रहा है, किंतु केवल अँग्रेजी को ही माध्यम रखना हानिकारक है। अत: इसके समानांतर देशी भाषाओं को भी माध्यम बनाना चाहिए।''[12] उसके बाद सैकड़ों स्कूल, कई दर्जन कॉलेज तथा कुछ विश्विद्यालय, जैसे-पंजाब (1882), लाहौर (1882) और इलाहाबाद (1887) खोले गए।

ऐसी व्यवस्था को समय की माँग भले ही कह दें, लेकिन वहाँ सांस्कृतिक क्षरण भी हुआ । किंतु उस समय ऐसे भी लोग थे, जिन्होंने भारत जैसे देश में इस प्रकार की व्यवस्था को अनुचित माना और भारतीय ज्ञान परंपरा की शिक्षा तथा संवेदना को महत्वपूर्ण माना, जिनमें प्रमुख थे- विलियम एडम, एलफिन्सटन, प्रिन्सेप आदि। बंगाल का सर्वेक्षण करते हुए विलियम एडम ने ''भारत की प्राथमिक शिक्षा की उन्नति के लिए कुछ सुझाव दिए थे- भारतीय पुरानी शिक्षा पद्धति का पुनरूद्धार करना, प्राथमिक शिक्षा और मातृभाषा की उन्नति करना तथा इनके उपयुक्त पाठ्यपुस्तक तैयार करना चाहिए।''[13] लेकिन तत्कालीन प्रधान शिक्षा समिति (1823) ने इसे अस्वीकार कर दिया था । फैंक इ. केय कहते हैं- ''उन्होंने (भारतीय) कई महान और महत्वपूर्ण शिक्षा प्रणाली और पद्धतियों का विकास किया, जिनको शैक्षिक विचार तथा व्यावहारिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा सकता है।''[14] लेकिन भारत में ही अँग्रेजी शिक्षा की स्वीकार्यता पर्याप्त बढ़ रही थी, समर्थन मिल रहा था, विशेष रूप से बंगाल में। यहाँ तक की मैकाले के सुझावों को राजा राममोहन राय का घोर समर्थन प्राप्त था । संभवत: अँग्रेजी माध्यम का पूर्ण विरोध होता तो

शायद वही पश्चिमी ज्ञान एवं शिक्षा व्यवस्था, भारतीय भाषाओं में होती परंतु ऐसा नहीं हुआ। यह बहस तो आगे भी चलती रहेगी कि मात्र भारतीय शिक्षा परंपरा आज के समय में सार्थक होती अथवा नहीं, क्योंकि तकनीकी रूप से बदलती दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आधुनिक तंत्र को भी स्वीकार किया गया है, जो भी हो यही आधुनिक भारतीय शिक्षा की पृष्ठभूमि बनती है। यहाँ पर दो चीजें हैं- एक शैक्षिक विषय, दूसरा शिक्षा का माध्यम। शैक्षिक विषय वर्तमान समय में पूरी दुनिया में लगभग एक जैसा ही है, दूसरा कि उस विषय को प्रत्येक देश अपनी-अपनी भाषा में कर रहे हैं । इस विषय पर कोई दो राय नहीं है कि वैश्विक उपलब्धियों

एवं तकनीकी ज्ञान की शिक्षा मानव सभ्यता के विकास के लिए आवश्यक है।

शिक्षा के स्वरूप में समय के अनुसार बदलाव होता रहता है। इसके हिसाब से शैक्षिक नीतियाँ भी परिवर्तित होती रहती हैं। वैश्विक बदलाव में यह परिवर्तन स्वीकार कर लेना अनुचित नहीं है और न ही इसको सांस्कृतिक क्षरण के रूप में देखा जाना चाहिए। यह बदलाव किसी भी देश की सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप होनी चाहिए। कोई भी ज्ञान मातृभाषा अथवा राष्ट्रभाषा में न किया जाना सांस्कृतिक पतन का स्वरूप है। जब हमने पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान को अँग्रेजी में स्वीकार कर लिया था यह पतन तभी होने लगा था। आज स्थिति यह है कि हम पूरी तरह से अपने सांस्कृतिक अवयवों से पर्याप्त भटक गए हैं। आज स्थिति यह है कि हम अपनी मातृभाषाओं को हीन एवं संस्कृति को नकार की दृष्टि से देखते हैं। उनको न जानने-सीखने के लिए बहुत सारे तर्क दिए जा सकते हैं। प्राय: सभी देश आधुनिकता में अपनी प्रत्येक अवस्था के बावजूद अपने देश के सांस्कृतिक परंपरा एवं सभ्यता को छोड़ते नहीं हैं, बल्कि उसे नवीन रूप में अपनाते चलते हैं। हमारी विडंबना है कि 1854 की स्थापित शिक्षा व्यवस्था के उद्देश्य से आज तक मुक्त नहीं हो सके हैं।

चार्ल्स वुड के बाद भारतीय शिक्षा आयोग 1882 (हंटर कमीशन) ने प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा को लेकर महत्वपूर्ण नीतियों की स्थापना की। यह किसी भी प्रकार का पहला आयोग बना था, जिसके अध्यक्ष डब्ल्यू. सी. हंटर रहे। तत्पश्चात 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन तथा 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बनाए जाते हैं, जो भारत की शिक्षा की नीतिओं को तय करते हैं । इसी बीच भारतीय बोध तथा सांस्कृतिक चेतना से अनुप्राणित कुछ संस्थान भी स्थापित किए गए, जैसे- स्वामी श्रद्धानंद द्वारा स्थापित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय (1902), महामना मदनमोहन मालवीय द्वारा स्थापित बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (1916), महात्मा गाँधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद (1920) तथा रवींद्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित- विश्वभारती शांति निकेतन, बोलपुर (1921)। इनका उद्देश्य भारतीय शिक्षण तथा ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करना था, लेकिन भारत (स्वाधीनता पूर्व और बाद भी) की अँग्रेजी शिक्षा

नीतियों, शिक्षा विभागों तथा शिक्षा की एकरूपता के नीति-नियमों के चलते ये भी सफल नहीं हो सके। आज वहाँ कुछ अध्ययन पद्धति और विषय-सामग्री हैं, किंतु पाश्चात्य शिक्षा के अध्ययन-अध्यापन की जो पृष्ठभूमि बनी थी, वह आज भी प्रवाहमान है। देखें तो ''1904 में ही वायसराय कर्जन द्वारा पहली बार सरकारी प्रस्तावों के साथ प्रथम शिक्षा नीति प्रकाशित होती है, जिसमें तकनीकी ज्ञान को और बेहतर करने, भारतीय कला, शिक्षा के लिए आर्थिक नीति, राजस्व में शिक्षा की हिस्सेदारी, अध्यापकों के वेतन निर्धारण तथा वृद्धि की ओर विशेष ध्यान देने की बात कही गई । विशेष रूप से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में सुधार पर जोर दिया गया।''[15] इस समय तक भारत में राजनैतिक चेतना तथा स्वाधीनता आंदोलन तथा राष्ट्रवाद का स्वरूप उभरने लगा था। इसलिए शिक्षा की अँग्रेजी नीतियों का विरोध भी हुआ। भारतीय विचारक गोपालकृष्ण गोखले, तिलक आदि चाहते थे कि शिक्षा भारतीयों के अधीन हो, लेकिन ऐसा शीघ्र नहीं हुआ। शिक्षा को प्रांतों के अधीन करने का प्रस्ताव आया, फिर ''1921 में भारतीय शिक्षा भारतीय मंत्रियों के अधीन हुई।''[16] हम जानते हैं ''1917 तक भारत में अँग्रेजी सरकार द्वारा 185 कॉलेज तथा मात्र 5 विश्वविद्यालय खोले गए थे।''[17] उसी वर्ष कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (सैडलर आयोग) बनाया गया, जो एक प्रकार से मूल्यांकन एवं जाँच के बाद शिक्षा की नीति में बदलाव के सुझाव देता है ताकि माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में सामंजस्य स्थापित हो। इसी प्रकार भारत की शिक्षा नीतियों में मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (1919), केंद्रीय सलाहकार शिक्षा परिषद (1921, 23 में बंद, 1935 में पुनर्स्थापित), हारटोग कमीशन (1929), वर्धा शिक्षा योजना (1937), सार्जेन्ट कमीशन (1943) के योगदान देखे जा सकते हैं, जिनका स्वाधीन भारत के शिक्षा नीतियों पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है । ये सारी समितियाँ प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयी शिक्षा के साथ-साथ बाल शिक्षा, जन शिक्षा और स्त्री शिक्षा के लिए नीतियाँ निर्धारित करती हैं, सुझाव देती हैं। इनके ही सुझावों से शिक्षा का खर्च प्रांतीय सरकारों को दे दिया जाता है, हाईस्कूल बोर्ड की स्थापनाएँ होती हैं। इनका प्रभाव इतनी अधिक होता है कि स्वाधीनता के पश्चात भी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ एक प्रकार से उन्हीं नीतियों के प्रश्रय में ही आगे बढ़ती हैं। स्वाधीन भारत में अनेक चिकित्सीय, प्रबंधन, इंजीनियरिंग, विश्वविद्यालय जैसे उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित किए गए। अनेक आयोगों, शिक्षा परिषदों, विभागों की स्थापना होती है। सर्व शिक्षा, शिक्षा को भारतीय मानकों पर तैयार करने की कोशिश की जाती है, लेकिन यह पूरी तरह बदला नहीं जा सका। मात्र यही हुआ कि सार्जेन्ट कमीशन की सिफारिशों को चालीस वर्षीय के बजाय पंचवर्षीय कर दिया गया। प्राथमिक और माध्यमिक तक की शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं को लागू किया गया, लेकिन उच्च शिक्षा में अँग्रेजी का महत्व पहले से बढ़ा। परिणामत: 1856 की वही नीति फलित होती रही है, जिसके चलते प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में भी अँग्रेजी का क्रमश: स्थान बढ़ा। स्वाधीन भारत की पहली शिक्षा नीति (1968) और दूसरी (1986) दोनों में प्राय: वे सभी बातें कही गई हैं, जो भारतीय जनता के अनुकूल होनी चाहिए, लेकिन देश की अवस्था और वैश्विक-व्यापारिक नीतियों ने इन नीतियों को प्रभावित किया। अपनी मातृभाषाओं से अधिक लोगों को अँग्रेजी पर विश्वास पर है। पिछली शिक्षा नीतियों का यही परिणाम रहा ।

स्वाधीनता के पश्चात भारतीय शिक्षा नीतियों में एक बड़े बदलाव की आवश्यकता थी, जिसमें भारतीय भाषाओं के माध्यम से आधुनिक शिक्षा दिए जाने की जरूरत थी अथवा किसी एक भारतीय भाषा में संपूर्ण देश की जनता को उनकी मातृभाषाओं के साथ भारतीय तथा आधुनिक ज्ञान को देना आवश्यक था। ऐसा हुआ नहीं। भारत की किसी भी शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं को विशेष महत्व नहीं प्राप्त हुआ।

भीतरी मतभेदों और स्वार्थपरक राजनीति ने अँग्रेजी ज्ञान को यथावत बने रहने दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि हम अपनी भाषाओं से अधिक अँग्रेजी को महत्व देते हैं। दुनिया के सभी देश जिन्होंने आधुनिक ज्ञान को अपनी भाषा में उपलब्ध कराया वे अधिक मजबूत शक्तिशाली और संपन्न देश हैं। जरूर विचार कर

सकते हैं कि भारत की प्राचीन एवं परंपरागत शिक्षा व्यवस्था का आज औचित्य कितना है अथवा हमें वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के साथ ही चलना था या नहीं। इसका उत्तर कठिन नहीं है- निश्चित ही आज के तकनीनी ज्ञान-विज्ञान, जीवन व्यवस्था और संसाधनों की अवस्था को देखते हुए इसके महत्व को समझा जा सकता है। इन सभी दृष्टिकोणों से विचार करें तो भारतीय शिक्षा नीति में दोनों तत्वों का समावेश आवश्यक है-आधुनिक शिक्षा को क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित करना तथा आधुनिक तकनीकी संसाधनों के माध्यम से भारतीय शिक्षा को उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान करना। अनेक कौशल संपन्न प्रतिभाएँ भाषिक सीमाओं के चलते स्थान नहीं प्राप्त कर पातीं। इस लिहाज से नई शिक्षा नीति में प्रत्येक आधुनिक शिक्षा स्वरूप को प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध करने के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शित की गई है तथा विभिन्न तकनीकी और कौशल रूपी शिक्षा को भी महत्व देने की योजना है।

पिछली शिक्षा नीतियों में अँग्रेजी और आधुनिक शिक्षा को अधिक प्रश्रय दिया गया, लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 में भारतीय बोध को बनाए रखने के लिए प्रमुख मातृभाषाओं को महत्व देने की भी योजना है । ❑

संदर्भ सूची :

1. भारत की मौलिक एकता-वासुदेवशरण अग्रवाल, पृष्ठ- 11, लीडर प्रेस, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, 2011।
2. प्राचीन व आधुनिक भारतीय शिक्षा का इतिहास-प्यारेलाल रावत, पृष्ठ 134-135, भारत पब्लिकेशन्स, आगरा, संस्करण- सन् 1955 (यह पुस्तक नाथ पब्लिशिंग हाउस, आगरा से भी 1953 में प्रकाशित है)।
3. वही, पृष्ठ- 136।
4. भारतीय शिक्षा का इतिहास द्वितीय भाग- मुनेश्वर प्रसाद, पृष्ठ 3, श्री अजंता प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, पटना, संस्करण- सन् 1957।
5. भारत में अंग्रेजी शिक्षा का इतिहास-श्रीधरनाथ मुकर्जी, पृष्ठ 17, वोरा एंड कंपनी पब्लिशर्स लिमिटेड, बंबई, प्रथम संस्करण- सन् 1949।
6. भारतीय शिक्षा का इतिहास- सरयू प्रसाद चौबे, पृष्ठ 236, रामनारायण लाल प्रकाशक तथा विक्रेता, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण- सन् 1959।
7. भारतीय शिक्षा का इतिहास द्वितीय भाग- मुनेश्वर प्रसाद, पृष्ठ 47-48।
8. भारत में शिक्षा- श्रीधरनाथ मुकर्जी, पृष्ठ 19, आचार्य बुक डिपो, बड़ौदा, संस्करण-सन् 1960।
9. प्राचीन व आधुनिक भारतीय शिक्षा का इतिहास- प्यारेलाल रावत, पृष्ठ 193।
10. भारतीय शिक्षा- रमाकान्त श्रीवास्तव, पृष्ठ 52, गर्ग ब्रदर्स, प्रयाग, प्रथम संस्करण- सन् 1959।
11. भारतीय शिक्षा का इतिहास- सरयू प्रसाद चौबे, पृष्ठ- 240
12. प्यारेलाल रावत तदेव, पृष्ठ 188।
13. भारत में अंग्रेजी शिक्षा का इतिहास- श्रीधरनाथ मुकर्जी, पृष्ठ 28।
14. ऐन्सिएन्ट इन्डियन एजुकेशन- फ्रैंक इ. केय, पृष्ठ 169, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस लंदन, सन् 1918।
15. प्यारेलाल रावत, पृष्ठ- 226-227।
16. भारतीय शिक्षा का इतिहास द्वितीय भाग- मुनेश्वर प्रसाद, पृष्ठ 221।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के भाषाई सरोकार

डॉ. अनुशब्द

हिंदी विभाग,
तेजपुर विश्वविद्यालय
तेजपुर, असम
मोबाइल : 8876049200
ई-मेल
anushabda@gmail.com

प्रसिद्ध भाषाविद आचार्य देवेन्द्रनाथ शर्मा का विश्वास है कि ''भाषा के अभाव में मनुष्य की सामाजिक ही नहीं, वैयक्तिक स्थिति भी निरुपयोगी बन जाती है।''[1] यानी भाषा केवल मनुष्य की सामाजिक ही नहीं वैयक्तिक अस्मिता का भी आधार है। भाषा सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं है, वह हमारे सोचने का माध्यम भी है। हमारे मस्तिष्क में विचार भी भाषा की शक्ल में जन्म लेते हैं। हम उसी भाषा में चिंतन करते हैं, जिस भाषा को हम जान रहे होते हैं। भाषा से जुड़े सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि भाषा और संस्कृति का आपस में बहुत गहरा संबंध है। आधुनिक हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर कुँवर नारायण इस विषय में लिखते हैं कि ''भाषा संस्कृति की सबसे नाजुक इकाई है।'' जब भी किसी भाषा पर चोट किया जाता है तो उससे उस भाषा से जुड़ी संस्कृति प्रभावित होती है। जब हम यह कहते हैं कि भारत एक बहुभाषिक देश है तो हम भारत की विविध संस्कृतियों की ओर भी इशारा कर रहे होते हैं। और जब कोई भाषा मरती है तो एक संस्कृति भी मरती है। जब किसी भाषा के विषय में यह कहा जाता है कि वह लुप्तप्राय होती जा रही है तो यकीन मानिए ठीक उसी समय उस संस्कृति का दायरा भी सिमट रहा होता है, जिसके आचार-विचार के प्रसार का माध्यम वह लुप्तप्राय भाषा रही है। यूनेस्को द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार विगत 50 वर्षों में भारत की लगभग 200 से अधिक भाषाएँ लुप्त हो गई हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ उन 200 से अधिक भाषाओं से अनजान होंगी। भावी पीढ़ियाँ विरासत में मिले अनुभव का लाभ ले सकें इसके लिए भी मातृभाषा का संरक्षण जरू री है। जॉन डिवी अपनी पुस्तक 'शिक्षा और लोकतंत्र' में शिक्षा के विषय में लिखते हैं-''अनुभव के ऐसे पुनर्निर्माण अथवा पुन: संगठन को शिक्षा कहते हैं, जो अनुभव को अतिरिक्त अर्थ प्रदान करता है और जिससे बाद में अनुभवों को दिशा प्रदान करने की योग्यता बढ़ती है।''[2] मातृभाषाओं से प्राप्त अनुभव भी मानव-जीवन को दिशा प्रदान करता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने फिर से हमें मातृभाषा, बहुभाषिकता और शिक्षा से जुड़े सवालों पर विचार करने का अवसर दिया है। इस शिक्षा नीति को भारतीय संस्कृति के संरक्षण, संवर्द्धन और प्रसार में भाषा की भूमिका को

पहचानने के प्रयत्न के रूप में भी देखा जाना चाहिए। भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत को संजोने तथा उसे आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से इस शिक्षा नीति का विशेष महत्व है। अगर हम वर्तमान समय में मुख्यधारा की शिक्षा-पद्धति पर नजर डालें तो पाएँगे कि यहाँ एक रटा-रटाया पैटर्न है, जो विद्यार्थियों को बाजार के डिमांड के अनुसार तैयार करता है। वर्तमान समय में भारत में जो प्रचलित शिक्षा पद्धति है, वह विद्यार्थियों को भारत की समृद्ध विविधता का ज्ञान करा पाने में अक्षम साबित हो रही है या यूँ कहें कि इस विविधता से विद्यार्थियों को अवगत कराना इसके सरोकारों में ही शामिल नहीं है। इस मुख्यधारा की शिक्षा व्यवस्था में पढ़े-लिखे बच्चे बड़े होकर भौतिक इच्छाओं की पूर्ति का सामर्थ्य जुटा लेने को ही अपनी शिक्षा की सफलता मानते हैं। और अधिकांश बार यह समाज भी व्यक्ति की शिक्षा का मूल्यांकन कुछ इसी रूप में कर रहा होता है। शिक्षा नीति 2020 कई मायनों में विशिष्ट है। इसकी सबसे बड़ी विशिष्टता है कि यह शिक्षा के भारतीय संस्करण की तस्वीर को निर्मित करने का प्रयास है। भारतीय भाषाओं, कला एवं संस्कृति के संवर्द्धन के प्रयास पर भी इसमें बल दिया गया है। शिक्षा मनोविज्ञान के विद्वान यह मानते है कि विद्यार्थियों में सकारात्मक सांस्कृतिक जागरूकता विकसित करने में निज-भाषा, कला एवं इतिहास की जानकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह भी मनोवैज्ञानिक सत्य है कि बच्चा जब अपनी मातृभाषा में किसी अवधारणा की समझ विकसित करता है तो वह ज्यादा सहज, स्थायी और रोचक अनुभव होता है। यही कारण है कि अधिगम की प्रक्रिया में मातृभाषा के महत्व को पहले भी स्वीकारा जाता रहा है, यह और बात है कि बावजूद इसके विद्यालय में अधिगम की भाषा और घर की भाषा आजतक एक नहीं हो पाई है! विद्यार्थी जब विद्यालय के प्रांगण में प्रवेश करता है तो वहाँ की दुनिया को वह अपने घर की दुनिया से बिल्कुल भिन्न पाता है। यह असहजता विद्यार्थियों पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव निर्मित करता है। इस दबाव की वजह से शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कभी-कभी यह दबाव इस हद तक नकारात्मक होता है कि विद्यार्थी विद्यालय छोड़ने (स्कूल ड्रॉपआउट) तक पर विवश हो जाते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 यह सुनिश्चित करता है कि कम-से-कम ग्रेड 5 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, अगर ग्रेड 8 या उससे आगे की कक्षाओं में भी अध्यापन कार्य को विद्यार्थियों की मातृभाषा में किया जा सके तो यह और भी बेहतर हो। ध्यातव्य है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ड्राफ्ट के 'बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति' नामक अध्याय में जब मातृभाषा में शिक्षण की बात की गई है, वहाँ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि ''सर्वजनिक तथा निजी दोनों तरह के स्कूल इसकी अनुपालना करेंगे।''[3] इस बात के उल्लेख से पता चलता है कि सर्वजनिक एवं निजी विद्यालयों के बीच भाषा के अनुप्रयोग के आधार पर जो अंतर हैं, उन्हें पाटना भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्माताओं का एक लक्ष्य रहा होगा।

बहुभाषिकता न सिर्फ भारत की विशिष्टता है, बल्कि देश की राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी भी है। कोठारी कमीशन (1966-1968) ने त्रिभाषा सूत्र विकसित किया था तो उसका भी उद्देश्य कहीं-न-कहीं भारत की बहुभाषिकता को सुरक्षित रखना ही था, ताकि

भारत की बहुभाषी विविधता अक्षुण्ण रह सके। 'राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005' में भी इस बात की अनुशंसा की गई है कि भाषा शिक्षण बहुभाषिक होना चाहिए जिससे बहुभाषिक कक्षा को एक संसाधन के तौर पर प्रयोग में लाया जा सके। 'राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005' में इस बात की भी अनुशंसा की गई है कि गैर-हिंदीभाषी राज्यों में बच्चे हिंदी सीखते हैं। हिंदी प्रदेशों में बच्चे वह भाषा सीखें, जो वहाँ न बोली जाती हो। साथ ही संस्कृत के अध्ययन को शुरू किए जा सकने की भी इस इसमें बात की गई है। गौरतलब है कि जब हम भारत की विभिन्न भाषाओं पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि चाहे तमिल हो या तेलुगू, कन्नड़ हो या मलयालम उनका एक समृद्ध साहित्य है। जब आने वाली पीढ़ियों का अपनी मातृभाषा से जुड़ाव होगा तो वह उस भाषा के साहित्य को पढ़ने के लिए प्रेरित होंगी और इनमें से कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होंगे, जो भविष्य में अपनी रचना से उस साहित्य को समृद्ध करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा-नीति 2020 में त्रि-भाषा फॉर्मूले को जारी रखने की बात कही गई है । साथ ही यह सुनिश्चित किया गया है कि 'किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी।' इस निर्णय के पीछे के आशयों को समझना जरूरी है। कई बार जब हम भाषा प्रयोग संबंधी सवालों पर विचार करते हैं तो भावुकता के अतिरेक में विमर्श को हिंदी बनाम अँग्रेजी बना देते हैं। हमें समझना होगा कि देश के सुदूर दक्षिण प्रांत का कोई विद्यार्थी हिंदी भाषा के प्रयोग में उतना ही असहज हो सकता है, जितना कोई उत्तर भारतीय तमिल या तेलूगू भाषा के प्रयोग में। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भाषा के संदर्भ में ''सरलता और कठिनता सापेक्ष शब्द हैं।''[4] अत: किसी राज्य पर कोई भाषा न थोपे जाने की बात कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माताओं ने उदार दृष्टि का परिचय दिया है। मातृभाषा का शिक्षण-अधिगम की भाषा होना विद्यार्थियों को मौलिक सोच के लिए अभिप्रेरित करेगा। साथ ही आने वाली पीढ़ियों का मातृभाषा से जुड़ाव हमें उस भाषा के भविष्य के लिए भी आश्वस्त करेगा। लोक से भाषा का जुड़ाव किसी भी भाषा के समृद्धि की कुँजी है। लोक और भाषा के संबंध के विषय में कुँवर नारायण की पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं-

''भाषा की ध्वस्त पारिस्थितिकी में
आग यदि लगी तो पहले वहाँ लगेगी
जहाँ ठूँठ हो चुकी होंगी
अपनी जमीन से रस खींच सकनेवाली शक्तियाँ।''[5]

मातृभाषा में शिक्षण केवल भाषाई मुद्दा नहीं है, वह कक्षा के विद्यार्थी केंद्रित होने का प्रमाण है। ध्यातव्य है कि बाल केंद्रित शिक्षा में ''शिक्षक सत्ता और ज्ञान के भंडार का प्रतीक न होकर संप्रेषक, सुविधादाता और परिवर्तनकर्ता की भूमिका निभाता है। तब 'शिक्षण' का स्थान 'सीखना' लेता है।''[6] राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से एक ऐसी कक्षा की अवधारणा को मूर्त रूप में साकार करने का प्रयत्न किया गया है, जिसमें विद्यार्थी का पूर्वज्ञान शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया में मददगार साबित हो। मुख्यधारा के शिक्षण संस्थानों में तमाम ताम-झाम के बीच बच्चा गौण हो जाता है और विद्यालय की साज-सज्जा केंद्र में आ जाती है। प्रख्यात शिक्षाशास्त्री जे. कृष्णमूर्ति विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा की वकालत करते हुए लिखते हैं कि ''जब तक संस्था को ही सर्वाधिक महत्व दिया जाएगा, तब तक बच्चे को महत्व नहीं मिल सकता।''[7]

भाषाई परिप्रेक्ष्य से शिक्षा नीति 2020 हमारी पूर्वाग्रह युक्त सोच को परिवर्तित करने का एक प्रयास भी है। चाहे स्कूल ड्राप आउट की समस्या हो या लड़कियों की शिक्षा में कम भागीदारी की समस्या मातृभाषा-में शिक्षण न होने से ये किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। प्रख्यात शिक्षा शास्त्री कृष्ण कुमार अपनी पुस्तक 'चूड़ी बाजार में ड़की' में लिखते हैं कि ''स्त्री के जीवन-संघर्ष का स्वरूप शिक्षा के जरिए एक हद तक बदला जा सकता है, पर ऐसा तभी हो सकता है जब स्वयं शिक्षा का चरित्र बदले।''[8] राष्ट्रीय शिक्षा नीति कई मायनों में भारत के शिक्षा के चरित्र को बदलने का उपक्रम मालूम होता है।

सामान्य-जन में अपनी भाषा के प्रति जो एक हीनता का भाव विकसित होते हुए हमने वर्षों से देखा है, इस शिक्षा नीति में उससे बाहर आने का प्रयत्न है। यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि औपनिवेशिक युग की समाप्ति

के पश्चात भी हमारे देश में अँग्रेजी का वर्चस्व खत्म नहीं हुआ है। हमने उन्नत्ति के जो मानदंड निर्धारित किए, बहुभाषिक समरसता उसके सरोकारों में प्राथमिक कभी नहीं रहा। उदहारण के तौर पर न्यायलय की भाषा को देखा जा सकता है। न्यायालय के अधिकांश फैसले ऐसी भाषा में आते हैं, जिसे अभियुक्त समझ तक नहीं पाता। सोचिए ऐसे न्याय का क्या अर्थ, जो जिससे संबंधित है उसकी समझ में आने वाली भाषा में नहीं है। अँग्रेजी को राज-काज और शिक्षण माध्यम मान लेने के पीछे यह तर्क दिया जाता रहा है कि चूँकि वह लंबे समय तक हमारे देश में राज-काज की भाषा रही है और अधिकांश लोग इसके व्यवहार में सहज हैं इसलिए यह भाषा कुछ सालों तक व्यवहृत होती रहेगी। परंन्तु क्या यह सही है, इस पर विचार करें ? याद रखें जनभाषा के बगैर जनतंत्र नहीं चल सकता। अँग्रेजी का यह वर्चस्व विद्यालय स्तर से ही शुरू हो जाता है। आज के भारत का यह कटु सत्य है कि जो भी सामर्थ्यवान अभिभावक हैं, वे अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय के बजाय निजी स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। कारण, अँग्रेजी को हमने अपनी मानसिकता पर हावी होने दिया है। सुभाष शर्मा ने अपनी पुस्तक 'शिक्षा और समाज' में लिखा है कि ''शिक्षा से समूची सभ्यता बदल जाती है, समाज के मापदंड तक बदल जाते हैं।''[9] शिक्षा की दिशा अगर गलत हो तो यह बदलाव नकारात्मक भी हो सकता है। कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ रहे कोचिंग और निजी विद्यालय हमारे समाज के बदलते नजरिए के द्योतक हैं। ऐसा भी नहीं है कि सभी निजी विद्यालयों में गुणवत्ता पूर्ण अँग्रेजी सिखायी जा रही है। अधिकांश विद्यालय कम स्थान, कम सुविधाओं से युक्त एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा संचालित हैं। फिर भी ये फीस के नाम पर मोटी रकम अभिभावकों से वसूलते हैं, और वे इन्हें खुशी-खुशी वे रकम देते हैं, क्योंकि विगत दशकों में पहले उपनिवेशवाद फिर भूमंडलीकरण, निजीकरण एवं उपभोक्तावाद की वजह से हमने शिक्षा के गलत मापदंडों को न सिर्फ स्वीकारा, बल्कि उसे आत्मसात कर लिया है। कैसी विडंबना है कि बच्चों को विद्यालय में दाखिला दिलवाने के लिए माता-पिता को साक्षात्कार से गुजरना पड़ता है। इन विद्यालयों की प्राथमिकताओं में सूट-बूट वाले अभिभावकों को तरजीह दी जाती है। अभिवावकों का वेतनमान कई बार इन विद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश की नियति तय करता है। अँग्रेजी भाषा के प्रति मोह इन विद्यालयों में ऐसा है कि ''वहाँ के शिक्षक हिंदी वर्णमाला भी अँग्रेजी माध्यम से सिखाते हैं जैसे क लिखने के लिए वे अँग्रेजी में कहते हैं एक लाइन खींचो, इसके बीच से एक लाइन नीचे की ओर खींचो, उसके बायीं ओर जीरो सटा दो और फिर दायीं ओर हाफ जीरो बना दो। भारत के लिए इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है!''[10] राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अगर अपने पूरे स्वरूप में क्रियान्वित होती है, तो निश्चय ही यह न सिर्फ भारत की शिक्षा व्यवस्था की दशा और दिशा में सकारात्मक बदलाव लाएगी, बल्कि यह शिक्षा के केंद्र में भारत को प्रतिष्ठित करने का एक वृहद् प्रयास सिद्ध होगी। जब भी मातृभाषा और शिक्षा से जुड़े सरोकारों के विषय में हम विचार करते हैं तो गांधी हमें आज भी प्रासंगिक मालूम होते हैं। वह गांधी जिसने कभी भी शिक्षा के लक्ष्य को नौकरी तक सीमित नहीं माना। वे नौकरी की जगह बार-बार स्वाबलंबन की बात करते हैं। और मुख्यधारा की व्यवस्था, जो व्यक्तिक सुख-भोग तक सीमित है उसके बरअक्स एक ऐसी व्यवस्था की वकालत करते हैं, जिसमें हाशिये पर खड़े वंचित वर्ग की चिंता है। यह चिंता इसलिए भी वाजिब है, क्योंकि मुख्यधारा का शिक्षण पैटर्न केवल कुछ लोगों के हितों के रक्षार्थ कार्य करता हुआ दिखता है। वे कुछ लोग जो अँग्रेजी भाषा व्यवहार में निपुण हैं। गांधी इस बात को खूब अच्छे से समझते थे कि भाषाई साझेदारी के बिना आर्थिक, सामाजिक साझेदारी की बात बेमानी है। इसलिए उन्होंने मातृभाषा से इस तरह चिपके रहने की बात की जिस तरह एक नवजात बच्चा अपनी माँ की छाती से चिपका रहता है। वाकई ''भाषाई-सांस्कृतिक गुलामी बदतर गुलामी हुआ करती है, जिससे जातीय स्वाभिमान, अस्मिता, एकता, अखंडता और संप्रभुता सुरक्षित नहीं रह सकती। भारत की सभी वर्तमान राष्ट्रीय समस्याओं की जड़ में यह भाषाई गुलामी है।''[11]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्चतर शिक्षा के संदर्भ में जो बातें की गई हैं, वे भी बहुत महत्वपूर्ण और उत्साहवर्द्धक हैं। भारत की शास्त्रीय भाषाओं के अलावा विदेशी भाषाओं को पढ़ने का विकल्प भी शिक्षार्थियों के समक्ष होगा ताकि आगे चलकर वैश्विक संस्कृति से तालमेल बिठाने में उन्हें दिक्कत न हो। एक ओर जहाँ वैश्विक भाषा के माध्यम से विश्व की विभिन्न संस्कृतियों को जानने की पहल की गई है, वहीं भारत की प्राचीनतम भाषा संस्कृत के महत्व को भी स्वीकार गया है। संस्कृत भाषा का अतीत किसी भी भारतीय भाषा से ज्यादा समृद्ध है तथा उसने वैज्ञानिकता की कसौटी पर भी स्वयं को बार-बार सिद्ध किया है।

किसी भाषा में जब किसी अन्य विषय का शिक्षण-कार्य हो रहा होता है तो उसके साथ-साथ माध्यम भाषा का भी परोक्ष रूप से विद्यार्थियों को ज्ञान हो रहा होता है। अतः सार रूप में कहा जा सकता है कि यह शिक्षा नीति भारतीय भाषा और संस्कृति के संरक्षण को सुनिश्चित करती है।

बावजूद इसके वह लगातार उपेक्षाओं की शिकार रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में संस्कृत के महत्व को स्वीकार करते हुए इसे सिर्फ संस्कृत पाठशालाओं एवं विश्वविद्यालयों तक सीमित न रखते हुए मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से स्कूलों में त्रिभाषा फॉर्मूले के तहत एक विषय के रूप में रखने की अनुशंसा की गई है। इसे पृथक रूप से पढ़ाए जाने के बजाय समकालीन विषयों जैसे गणित, दर्शनशास्त्र, नाटक विधा, खगोलशास्त्र आदि से जोड़े जाने की अनुशंसा की गई है। व्यापक स्तर पर इसका एक लाभ यह होगा की संस्कृत विश्वविद्यालय भी उच्चतर शिक्षा के महत्वपूर्ण बहुविषयी संस्थान के रूप में उभरकर हमारे सामने आएँगे। साथ ही चार वर्षीय बहुविषयक-बी.एड डिग्री द्वारा देश में संस्कृत के शिक्षकों को अधिक मात्रा में तैयार करने की योजना है।

शिक्षकों और संकाय की उत्कृष्ट टीम का विकास करना भी इस शिक्षा नीति का एक लक्ष्य है। साथ ही भारतीय भाषाओं, कला, दर्शन, संगीत, तुलनात्मक साहित्य आदि के सशक्त विभागों एवं कार्यक्रमों को पूरे देश में विकसित किए जाने की योजना है। निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्कृष्ट स्थानीय कलाकारों के सान्निध्य में शिक्षार्थियों को रखा जाएगा।

भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की महत्ता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें सैद्धांतिक औपचारिकता के बजाय, विभिन्न भाषाओं को समृद्ध करने के लिए व्यवहारिक अनुप्रयोग पर बल दिया गया है। भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषा से संबंधित अकादमी को स्थापित किए जाने की बात भी इस शिक्षा नीति में है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन अकादमियों में उक्त भाषा से संबंधित विद्वान शामिल हों। नवीन तथा कठिन अवधारणाओं को सरल तथा प्रभावी भाषा में समझने के लिए इन विद्वानों की सहायता से शब्दकोश निर्मित किए जाएँगे। इन शब्दकोशों का प्रचार-प्रसार करके लेखन, बातचीत, शिक्षा आदि में इस शब्दकोश में संगृहीत शब्दों का अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्तमान समय की जरूरतों और इस समय में उपलब्ध संसाधनों को केंद्र में रखकर निर्मित की गई है। हम जिस युग में जी रहे हैं वह सूचना एवं प्रौद्योगिकी का युग है। इस बात का ध्यान रखते हुए इस शिक्षा नीति में वेब आधारित प्लेटफार्म/पोर्टल/विकिपीडिया आदि की मदद से सभी भारतीय भाषाओं एवं उससे संबंधित कला एवं संस्कृति के संरक्षण की अनुशंसा की गई है। इन वेब पोर्टलों पर भारतीय भाषाओं में कहानी पाठ, कविता-पाठ, नाट्य रूपांतरण एवं लोकगीतों को प्रस्तुत किया जाएगा ताकि ये भाषाएँ पुष्पित और पल्लवित हो सकें।

इस शिक्षा नीति में दिव्यांग शिक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय साइन लैंग्वेज (आइएसएल) को देश भर में मानकीकृत किए जाने की भी बात की गई है, क्योंकि समावेशी शिक्षा के बगैर कोई भी शिक्षा व्यवस्था पूर्ण नहीं कही जा सकती। साइन लैंग्वेज के मानकीकरण द्वारा इस दिशा में व्यापक परिवर्तन लाने की योजना दृष्टिगोचर होती है। साइन लैंग्वेज के मानकीकरण द्वारा विशेष जरूरत वाले बच्चों के उपचारात्मक शिक्षा को बल मिलेगा।

कुल मिलाकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय ज्ञान-परंपरा को संपोषित करने वाली तथा भारतीय भाषाओं के महत्व को वर्तमान संदर्भों में रेखांकित करने वाली नीति है।

यह शिक्षार्थी को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है। यह नीति भावी पीढ़ी के सांस्कृतिक एवं भाषाई उन्नयन का मार्ग प्रशस्त करती है। यह नीति भारत की भाषाई संपदा का शिक्षण-संसाधन के रूप में अनुप्रयोग पर बल देती है ताकि विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया रोचक और सहज हो सके तथा साथ ही भावी पीढ़ी का मातृभाषाओं के प्रति प्रेम बना रह सके।

गौरतलब है कि किसी भाषा में जब किसी अन्य विषय का शिक्षण-कार्य हो रहा होता है तो उसके साथ-साथ माध्यम भाषा का भी परोक्ष रूप से विद्यार्थियों को ज्ञान हो रहा होता है। अत: सार रूप में कहा जा सकता है कि यह शिक्षा नीति भारतीय भाषा और संस्कृति के संरक्षण को सुनिश्चित करती है। ❑

संदर्भ सूची :

1. देवेन्द्रनाथ शर्मा, भाषा विज्ञान की भूमिका, राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड,पृष्ठ-37
2. जॉन डिवी, शिक्षा और लोकतंत्र, ग्रंथशिल्पी प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ-73
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृष्ठ-19
4. डॉ. हरदेव बाहरी, हिन्दी भाषा, अभिव्यक्ति प्रकाशन, पृष्ठ-166
5. कुँवर नारायण, कोई दूसरा नहीं, वाणी प्रकाशन, पृष्ठ-42
6. सुभाष शर्मा, शिक्षा और समाज, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली, पृष्ठ-204
7. जे. कृष्णमूर्ती, (2005), 'शिक्षा एवं जीवन का तात्पर्य', कृष्णमूर्ती फाउंडेशन इंडिया, वाराणसी, पृष्ठ-66
8. कृष्ण कुमार, चूड़ी बाजार में लड़की, राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., पृष्ठ-116
9. सुभाष शर्मा, शिक्षा और समाज, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली, पृष्ठ-125
10. वही, पृष्ठ-133
11. डॉ. बलदेव वंशी, राष्ट्रभाषा तथा भारतीय भाषाएँ, कीन बुक्स, प्रथम संस्करण, पृष्ठ-27

विश्वगुरु के पथ पर नई शिक्षा नीति

प्रो. प्रदीप के. शर्मा

कुलसचिव
उच्च शिक्षा और शोध संस्थान,
दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रास
टी नगर, चेन्नई : 600017
मोबाइल : 8292568499

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 इक्कीसवीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जो भारत की परंपराओं और मूल्यों को प्रणालियों के साथ-साथ मूलभूत क्षमताओं में कुछ परिवर्तन लाना, यानी इस शिक्षा नीति के माध्यम से बच्चे के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित करना, ताकि उनमें अंतर्निहित रचनात्मक प्रतिभाओं का विकास हो।

यह एक सहजात प्रवृत्ति है कि जन्म के कुछ समय पश्चात ही बच्चा शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है, जो एक सामान्य एवं क्रियाशील प्रक्रिया है। शिक्षा के अन्य उपादानों में से शिक्षण संस्थानों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा व्यापक एवं दूरगामी परिणाम लाती है। वैदिक काल से ही गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली विकसित थी और आगे चलकर इसकी महत्ता और बढ़ी। स्वतंत्रता प्राप्ति के एक वर्ष पश्चात सन् 1948 में डॉ. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के गठन के साथ ही भारत में शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का कार्य प्रारंभ किया गया था। सन् 1952 में लक्ष्मणस्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग शिक्षा आयोग तथा 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर 1968 में शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें राष्ट्रीय विकास के प्रति वचनबद्ध, चरित्रवान तथा कार्यकुशल युवक-युवतियों को शिक्षित किए जाने का लक्ष्य रखा गया। शिक्षा नीति निर्धारक तत्वों के विकास क्रम में विभिन्न सोपानों से होती हुई वर्ष 1986 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में सन् 1990 में समीक्षा समिति एवं सन् 1993 में प्रो. यशपाल समिति का गठन किया गया। सन् 1986 से सन् 2020 तक की दीर्घ अवधि के उपरांत 29 जुलाई 2020 को अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट पर आधारित नई शिक्षा नीति 2020 घोषित हुई।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पूरी तरह से भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षण प्रणाली है। यह नीति भारत को विश्वगुरु के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य को समर्पित है। यह नीति पारंपरिक 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था के स्थान पर 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था को पुनर्गठित करने की बात करती है ताकि 3-8, 8-11, 11-14 और 14 -18 की आयु के विभिन्न पड़ावो पर

विद्यार्थियों के विकास की अलग-अलग अवस्थाओं के अनुरूप उनकी रुचियों और विकास की जरूरतों पर ध्यान दिया जा सकेऔर बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव हो।

भारत एक बहुभाषिक देश है और यह बहुभाषिकता भारत की शक्ति है और शिक्षा नीति की भी शक्ति है। नई शिक्षा नीति इसी बहुभाषिकता और अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहित करती है। छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से चीजों को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। इससे रटंत पद्धति को दूर किया जा सकता है तथा इसे उच्च शिक्षा तक बिना किसी व्यवधान के जारी रखा जा सकता है।

आवश्यकता इस बात की है कि पहले हर एक तक इस संदेश को पहुँचाना होगा कि अपनी मातृभाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जब तक हम विद्यार्थी एवं अभिभावकों को यह विश्वास दिलाने में सक्षम नहीं होंगे, तब तक यह संभव नहीं होगा। इस संदर्भ में में उल्लेख करना चाहूँगा कि तमिलनाडु के चेन्नई शहर के गिंडी स्थित एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पिछले आठ वर्ष से इंजीनियरिंग की पढ़ाई एक-एक बैच को तमिल भाषा के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। यह इसीलिए संभव हो रहा है कि उपाधि प्राप्ति के उपरांत उन विद्यार्थियों को रोजगार भी मिल रहा है। जब एक कॉलेज यह काम कर सकता है तो देश केअन्य शहरों के दूसरे कॉलेज क्यों नहीं ? इसके लिए जरूरत है कि सर्वप्रथम हम खुद को परिवर्तित करें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पर बल दे रही है कि उच्चतर गुणवत्तावाली विज्ञान और गणित में द्विभाषी पाठ्य-पुस्तकों और शिक्षण अधिगम सामग्री को तैयार करने के सभी प्रयास किए जाएँगे ताकि विद्यार्थी दोनों विषयों पर सोचने और बोलने के लिए अपने घर की भाषा / मातृभाषा और अँग्रेजी दोनों में सक्षम हो सके। यह सर्वविदित है कि बच्चे 2-8 वर्ष की आयु में भाषाएँ त्वरित गति से सीखते हैं। ऐसी स्थिति में बहुभाषिकता से इस उम्र के विद्यार्थियों को बहुत अधिक संज्ञानात्मक लाभ हो सकता है।

आज समय आ चुका है कि सभी भाषाओं के शिक्षण को नवीन और अनुभवात्मक विधियों के माध्यम से समृद्ध किया जाए। यहाँ समग्रता एवं बहुविषयक तरीके से सिखाने की प्राचीन परंपरा है। यह शिक्षा नीति भारत को 'विश्वगुरु' बनाने के लिए संकल्पबद्ध है । साथ ही हर व्यक्ति में आत्मविश्वास पैदा करने के साथ-साथ मूल्यों को स्थापित करने की ओर अग्रसर है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 आत्मनिर्भर भारत को सामने ले आएगी।

स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, ''अगर आपको मनुष्य का निर्माण करना है- व्यक्ति विशेष में मनुष्य का निर्माण। मनुष्य द्वारा उन लौकिक व अलौकिक गुणों को धारण करना है, जिससे वह दिव्य पुरुष बन जाए और आत्मविश्वास, आत्मश्रद्धा, आत्मत्याग, आत्मनियंत्रण, आत्मनिर्भरता, मानव प्रेम जैसे गुणों को आत्मसात कर ले। सभी प्रकार की शिक्षा और अभ्यास का उद्देश्य मनुष्य निर्माण ही हो, सारे प्रशिक्षण का अंतिम ध्येय मनुष्य का विकास करना ही है।''[1] गुरु और शिष्य के विषय में भी उन्होंने कहा है, ''गुरु को शिष्य की प्रवृत्ति में अपनी सारी शक्ति लगा देनी चाहिए। सच्ची सहानुभूति के बिना हम अच्छी शिक्षा कभी नहीं दे सकते। शिष्य के लिए आवश्यकता है शुद्ध ज्ञान की सच्ची पिपासा और लगन के साथ परिश्रम की विचार, वाणी और कार्यों की पवित्रता नितांत आवश्यक है।''[2] मातृभाषा को लेकर आचार्य विनोबा भावे का कहना है, ''मैं दुनिया की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूँ, पर मेरे देश में मातृभाषा की इज्जत न हो, यह मैं सह नहीं सकता।''[3] भाषा किसी देश की पहचान और परिचय होती है। बोली-भाषा मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है। विदेशी भाषा की अपेक्षा व्यक्ति अपनी बोली भाषा में अपने विचारों-भावनाओं का साधिकार, अच्छे तरीके से, अच्छी शैली में प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि वह आत्मा से जुड़ी होती है। फिर भाषा का सवाल देश की अस्मिता से भी संबंधित है।

नई शिक्षा नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कला, संस्कृति और भाषा के माध्यम से मनुष्य की सृजनात्मक क्षमता को जागृत करने पर बल दिया गया है।

शिक्षा पूर्व मानव क्षमता को प्राप्त करने एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को

बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यक है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुँजी है। सार्वभौमिक उच्चतर स्तरीय शिक्षा वह उचित माध्यम है, जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्द्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जा सके। अगले दशक में भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा और इन युवाओं को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा।[4] राष्ट्रीय शिक्षा नीति लगभग पाँच वर्षों की तैयारियों के बाद सामने आई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह पहला राष्ट्रीय प्रयास है, जिसमें भारतीय भाषाओं के बारे में समग्रता से विचार किया गया है, नीति में भाषा की केंद्रीयता को इस बात से समझा जा सकता है कि 66 पन्ने केइस प्रारूप में 208 बार 'भाषा' शब्द आया है, जिसमें से 126 बार बहुवचन के रूप में और 80 बार एक वचन के रूप में । यहाँ बहुवचन रूप केअधिक्य का होना इस बात को स्थापित करता है कि किसी एक भाषा और संस्कृति की बात न करके सभी भाषाओं पर केंद्रित बहुलता पर जोर दिया गया है। शिक्षा नीति में यह आत्म-स्वीकृति है कि विगत वर्षों में भारतीय भाषाओं के प्रति यथोचित ध्यान नहीं दिया गया, पर अब यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है।

नई शिक्षा नीति में सरकार की यह योजना है कि स्कूली शिक्षा से उच्च शिक्षा तक भारतीय भाषाओं को शामिल किया जाए। इसमें इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसी पढ़ाई भी शामिल की गई हैं। नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा में अब त्रिभाषा फॉर्मूला चलेगा। इसमें संस्कृत के साथ तीन अन्य भारतीय भाषाओं का विकल्प होगा। वैकल्पिक विषय में ही विदेशी भाषा चुनने की भी आजादी होगी। सरकार ने पाँचवी कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की योजना बनाई है। इससे कक्षा आठ या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी स्तर से होगी। शिक्षा नीति में अलग-अलग भाषाओं पर भी जोर दिया गया है और यह भी कहा गया है कि किसी पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी।

क्यों है मातृभाषा जरूरी :

स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा का प्रचार-प्रसार अत्यंत तीव्रता से हुआ है। प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक के सभी स्तरों की शिक्षण संस्थाओं में भारी वृद्धि हुई है। राष्ट्रपिता बापू ने प्राचीन भारतीय आदर्श, प्रगतिशील राष्ट्रों की शिक्षा तथा देश की तत्कालीन परिस्थिति को ध्यान में रखकर शिक्षा की विभिन्न पहलुओं, शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम, शिक्षक, विद्यार्थी, विद्यालय, शिक्षा योजना एवं अर्थव्यवस्था पर गंभीरतापूर्वक विचार किया और उसे साकार रूप देने केलिए आजीवन प्रयासरत रहे। आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा प्रणाली में कायापलट हो और ऐसी शिक्षा प्रणाली तैयार हो. जो सार्वजनिक हो। जिस शिक्षा प्रणाली में बालकों केही समान प्रौढ़ों की शिक्षा पर जोर नहीं दिया जाएगा तो वह असफल होगी। जिस शिक्षा प्रणाली में मातृभाषा को अपना स्वाभाविक अग्रस्थान नहीं मिलता उसे कभी पूर्ण नहीं मान सकते।

नई शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा / स्थानीय भाषा केप्रयोग पर जोर दिया गया है, जिसका उद्देश्य बच्चों को उनकी मातृभाषा और संस्कृति से जोड़े रखने का है ताकि उनको शिक्षा केक्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए। अपनी मातृभाषा / स्थानीय भाषा में बच्चों को अध्ययन करने में आसानी होगी और वह जल्दी सीख पाएगा। छोटे बच्चे घर में बोली जाने वाली मातृभाषा / स्थानीय भाषा को जल्दी सीखते हैं, यदि विद्यालय में भी मातृभाषा का प्रयोग होगा तो इसका ज्यादा प्रभाव होगा और वे जल्दी सीख पाएँगे। उनके ज्ञान में भी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ नई शिक्षा प्रणाली में भारतीय भाषाओं को शामिल करने का उद्देश्य है, जिसमें बच्चों के संस्कार, नैतिक मूल्य तथा उनकी जीवनचर्या में भी बदलाव आ सके ताकि वह अपनी संस्कृति को पहचान सकें और भाषाओं को नया जीवन दान मिलेगा।

इसी संदर्भ में राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन जी कहते हैं, ''मातृभाषा क्या है? यह सजीव शब्दों का कोश है। यह सुहावने चिह्नों का भण्डार है। यह जाति केजीवन की साक्षात् मूर्ति है। यह जातीय शक्ति की वह प्रतिमा है, जो जाति के विचारों और उसके हृदय स्थित भावों को सुरक्षित रखकर उन्हें दूसरों पर प्रकट करती है। हमारे इतिहास, विचार और प्राचीन साहित्य भण्डार की यह कुञ्जी है। इससे भी अधिक यह उस प्रभावशाली साहित्य के दिग्दर्शन कराती है, जो मानवीय विचार और प्रबल वासनाओं से परिपूर्ण है, जिसे भुलाना मानो आत्मघात करना है। हमारी भावी साहित्यिक और मानसिक गौरव उसी मातृभाषा के भविष्य पर निर्भर है।''[5]

मातृभाषा से बच्चों का परिचय घर और परिवेश से ही शुरू हो जाता है। इस भाषा में बातचीत करने और चीजों को समझने-समझाने की क्षमता के साथ बच्चे विद्यालय में दाखिला लेते हैं। अगर उनकी इस क्षमता का इस्तेमाल पढ़ाई के माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव करके किया जाए तो इसे सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगी। यूनेस्को द्वारा भाषायी विविधता को बढ़ावा के और उनकेसंरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की शुरुआत भी की गई। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत-सी बातें अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, मगही, मराठी, कोंकणी और मालवी, निमाड़ी आदि भाषाओं या बोलियों में कही जाती है। उनका व्यापक असर होता है।[6]

शिक्षा की व्यवस्था हो चाहे व्यवस्था की शिक्षा दोनों में भाषा का महत्व सर्वविदित है। व्यावहारिक जीवन शैली हो चाहे अध्ययनशीलता, भाषा के बिना सब व्यर्थ है। बिना भाषा को सीखे, समझे और जाने बिना कुछ भी सीखना असंभव है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत आधुनिक काल के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्रजी ने भाषा का महत्व इस प्रकार प्रकट की है-

''निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को शूल।।[7]

संस्कृत भाषा को मुख्यधारा में लाने का प्रयास :

भारत की देव वाणी, प्राचीन भाषा संस्कृत की प्रगति के लिए इसे मुख्यधारा में लाने का महत्वपूर्ण योगदान तथा विभिन्न विधाओं एवं विषयों को साहित्यिक, सांस्कृतिक महत्व और वैज्ञानिक प्रगति केचलते इस भाषा को उच्च शिक्षा संस्थाओं में ज्ञान-विज्ञान की भाषा के रूप में प्रयोग करने का सुझाव दिया गया है। संस्कृत विश्व

की सबसे समृद्ध भाषा है। इसमें शब्दों की संख्या लगभग 10 करोड़ है और अँग्रेजी में केवल 35 हजार। हिंदी के मूल शब्द केवल 9 लाख हैं। विश्व में हिंदी केवल 85 करोड़ लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है।[8]

नई शिक्षा नीति में सभी भारतीय भाषाओं के संवर्द्धन को ध्यान में रखते हुए सुझाव दिया गया है कि भाषाओं के शब्द भंडार लगातार अपडेट होते रहें। कविता, उपन्यास, पत्र-पत्रिकाओं का प्रवाह बना रहे, उनका व्यापक प्रसार, सम सामयिक मुद्दों और अवधारणाओं पर भाषाओं में चर्चा हो, तभी भाषाओं का संरक्षण हो सकता है। विदेशी भाषा अँग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, कोरियाई में यह क्रम चल रहा है, किंतु भारतीय भाषाओं को जीवंत और प्रासंगिक बनाए रखने के मामले में अभी तक भारत की गति काफी धीमी रही है। इसकेलिए भाषा शिक्षकों की कमी दूर करने केसाथ ही भाषाओं को अधिक व्यापक रूप में बातचीत और शिक्षण अधिगम के लिए प्रयोग में लाए जाने की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है।[9]

शिक्षा प्रथम कर्त्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में,
शिक्षा बिना ही पड़ रहे हैं आज हम सब क्लेश में
शिक्षा बिना कोई कभी बनता नहीं सत्पात्र हैं,
शिक्षा बिना कल्याण की आशा दुराशा मात्र है।।[10]

अंत में यही कहना चाहूँगा की इस शिक्षा नीति पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। यह एक मार्गदर्शक की तरह है। यदि भारत को विश्वगुरु की अपनी स्वाभाविक छवि को पुन: स्थापित करनी है तो यह हिंदी और भारतीय भाषाओं द्वारा ही संभव है। हम विदेशी भाषा में कभी विश्वगुरु नहीं बन सकते। अत: शिक्षा केक्षेत्र में स्वाधीन भारत का यह सबसे बड़ा प्रयास है।

हो सकता है सरकारों (राज्य सरकार) द्वारा कूछ आमूलचूल परिवर्तन भी किया जाए, लेकिन इसकी मूल आत्मा बनी रहनी चाहिए। ❑

संदर्भ सूची :

1. विवेकानंद साहित्य पू.70
2. डॉ. मुकेश कुमार : हिन्दी कविता राष्ट्रीय चेतना एवं संस्कृति : पृ. भूमिका
3. संपादक प्रभा शास्त्री, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन एवं गाँधी अंक, पृ.सं. 15
4. राष्ट्रीय शिक्षा 2020 नीति, पृ. सं. 3
5. संपादक प्रभा शास्त्री, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन एवं गाँधी अंक, पृ.सं. 15
6. इंटरनेट से
7. संपादक, डॉ. नगेन्द्र, हिन्दी साहित्य का इतिहास
8. इंटरनेट से
9. इंटरनेट से
10. राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त भारत-भारती... 152

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता

डॉ. कुसुम कुंज मालाकार

अध्यक्ष, हिंदी विभाग
कॉटन विश्वविद्यालय
गुवाहाटी-781001
मोबाइल : 9864023568
ई-मेल :
kusumkunja@gmail.com

एक राष्ट्र की प्रगति पर उस राष्ट्र की नीतियों का अहम योगदान होता है, जिन्हें बड़े ही सोच-विचार करके बनाया जाता है। हमारा देश एक गणतांत्रिक देश है। इसलिए हमारे देश तथा इसके प्रत्येक नागरिक के हित के लिए जरूरी सभी नीतियाँ हमारे संविधान में दर्ज हैं। इनके पीछे हमारे देश के प्रथम नीति मंत्री डॉ. बी.आर. अंबेडकर जी की सोच थी। एक राष्ट्र के विकास में शिक्षा का योगदान सर्वोपरि होता है। इसलिए जो देश आज विकास के शिखर पर है, वहाँ तक पहुँचाने में उनकी शिक्षा का बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि उन देशों की शिक्षा व्यवस्था तथा नीतियों में नागरिकों के लिए काफी शिथिलता है। ध्यान से देखा जाए तो विश्व के अधितकर विकसित देशों ने अपनी-अपनी मातृभाषाओं को ही अधिक महत्व देते हुए अपने-अपने देश की शिक्षा व्यवस्था का माध्यम भी इसे बनाया है। इनमें चीन, रूस, जापान, सऊदी अरब,जर्मनी आदि प्रमुख हैं। इन देशों ने कभी भी अपनी प्रगति के लिए दूसरे की भाषा अर्थात अँग्रेजी को स्वीकार न करके अपनी अपनी मातृभाषाओं को अधिक महत्व देते हुए अपनी शिक्षा की नींव रखी। इसका परिणाम यह हुआ कि अपनी मातृभाषा में उन्हें कुछ भी समझने व समझाने में आसानी हुई और अधिक से अधिक बच्चे शिक्षा को ग्रहण करने में समर्थ हुए, जिससे उन देशों में भी सकल पंजीकरण अनुपात (Gross Enrolment Number) काफी मात्रा में वृद्धि हुई है ।

भाषा ही ज्ञान के दरवाजे खोलती है चाहे वह लिखित हो या कथित। लेकिन हमारे देश में अँग्रेजों ने शिक्षा देने के लिए जिस अँग्रेजी भाषा को अपना माध्यम बनाया था, वो आज तक व्याप्त है। अँग्रेजी भाषा अपनी न होने के कारण इसके ज्ञान के अभाव से हमारे देश के अधिकतर जो पिछड़े गाँव, कस्बों और दूर-दराज के विद्यार्थी हैं, उन्हें वैज्ञानिक व तकनीकी ज्ञान से भी वंचित होना पड़ता है, क्योंकि इन विषयों के अधिकतर पुस्तकों की भाषा अँग्रेजी है और इन्हें समझने के लिए उन्हें अँग्रेजी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है, जबकि विकसित देशों में ऐसा नहीं है। वे ज्ञान को महत्व देते हैं अँग्रेजी को नहीं । जिन देशों में शिक्षित व्यक्तियों की संख्या अधिक हो वह

देश कैसे किसी से पीछे रह सकता है।

भारत की शिक्षा व्यवस्था :

हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था अन्य देशों से प्राचीन और समृद्ध थी और तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला हमारे धरोहर, जहाँ आज के विकसित देशों के विद्यार्थी दूर-दूर से यहाँ पढ़ने आया करते थे। हमारे आचार्यों के समीप रहकर उनसे अनेक विषयों के ज्ञान अर्जित करके अंत में उन्हें गुरु दक्षिणा देकर वे अपने-अपने देश लौट जाते थे। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि उस समय हमारे आचार्य विदेशी भाषाओं में ज्ञान न देकर अपनी मातृभाषा संस्कृत, पालि तथा हिंदवी में शिक्षा दान करते थे। मूलत: संस्कृत भाषा हमारे सभी आचार्यों की पहली पसंद थी, इसलिए अन्य देशों से आए विद्यार्थियों को पहले हमारी भाषाएँ सिखनी पड़ती और बाद में वे आचार्यों के समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करके अपने-अपने देश लौट जाते थे । आश्चर्य की बात तो यह है कि उस समय तक अन्य विदेशी भाषाओं का जन्म भी भलिभाँति नहीं हुआ था। इसके परवर्ती कालों में हमारे देश को लूटने का जो कार्यक्रम मुगलों ने शुरू किया था वह आज तक चल रहा है। केवल आज उनके चेहरे बदल गए हैं।

आजादी के पूर्व और आजादी के बाद हमारे देश में कई शिक्षा नीतियाँ बनीं। जहाँ पहले प्राय: दो शतकों तक अँग्रेजों का मूल उद्देश्य भारतीयों को नौकर बनाना रहा, इसलिए उनकी शिक्षा पद्धतियाँ भी कुछ इसी प्रकार की रहीं। जहाँ वे रंग से भारतीय हो लेकिन आचार व्यवहार से उनके गुलाम। वहीं आजादी के बाद इन नीतियों में कई बदलाव किए गए, जिनमें सबसे पहले जिनके प्रयास में राधाकृष्ण शिक्षा नीति, मुदलियार शिक्षा नीति और विशेषकर डॉ. डी. एस. कोठारी जी की पहली शिक्षा नीति 1964-66 मील का पत्थर साबित हुई। कोठारी कमीशन सही मायने में आजाद भारत की पहली शिक्षा नीति थी, क्योंकि इसमें पहली बार सभी भारतीयों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई तथा उच्च शिक्षा के संदर्भ में नए-नए नियम बनाए गए। इसके बाद दूसरी राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 1986 को लाया गया, जिसने संपूर्ण राष्ट्र में सभी प्रकार की शिक्षाओं के विस्तार के लिए द्वार खोल दिए। यह कहना भी गलत न होगा कि यहाँ राष्ट्र की सभी व्यक्तियों के लिए उनके उपयोगी सभी प्रकार के शिक्षाओं की बात की गई, जिसके मूल पहलों में पहली बार मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा तथा मिड डे मील की योजना, शिक्षा का विकेंद्रीकरण और व्यावहारिक व शारीरिक शिक्षाओं पर बल दिया गया ।

अब नई शिक्षा नीति 1986 के 34 वर्ष बाद डॉ. के. कस्तुरीरंगन जी की अध्यक्षता में भारत में नई शिक्षा नीति 2020 आई है। इस नीति में राष्ट्र के नागरिकों के हितों को ध्यान देते हुए कई परिवर्तन किए गए, जिसका उद्देश्य बच्चों को रोजगार के लिए उपयुक्त बनना तथा विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की है। सही मायने में नई शिक्षा नीति ने जहाँ एक तरफ अपने भारतीय समाज के पारंपरिक मूल्यों, तहजीब तथा देशी मेधावियों को वैश्विक आधुनिकता के साथ जोड़ने की परियोजना बनाई है, वहीं दूसरी ओर अपनी मातृभाषा, स्थानीय देशीय कौशल को भारतीय शिक्षा व्यवस्थाओं में शामिल करने की योजना बनाई है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भाषा का महत्व :

इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, की सबसे प्रमुख विशेषता या उपलब्धि यह रहेगी कि इसमें एक बार फिर से भारतीय भाषाओं को, जो धीरे-धीरे खत्म होती जा रही थी उन भाषाओं को पुन: उसी सम्मान के साथ खड़ा करने का प्रयास किया जाएगा। इस नीति की तहत किसी भी प्रांत के बच्चों को उनकी प्राइमरी शिक्षा अब केवल उनकी अपनी मातृभाषा में ही दी जाएगी, जिससे उनकी शिक्षा की शुरुआत हँसते-खेलते हो सकेगी तथा उनकी मातृभाषाएँ भी जीवित रहेंगी। और तो और उसकी बड़ी मात्रा में विस्तार भी हो सकेगा। मातृभाषा का उपयोग सभी प्रकार की शिक्षा के लिए आवश्यक है, यह बात आधुनिक काल के कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बहुत पहले ही अपने कविता के माध्यम से हमें बता चुके थे -

''निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल,

बिनु निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल।''

यहाँ निज भाषा से भारतेंदु जी का तात्पर्य हिंदी सहित भारतीय भाषाओं से रहा है। निज भाषा यानी अपनी भाषा से ही उन्नति संभव है, क्योंकि यही सारी उन्नतियों का मूलाधार है। मातृभाषा के ज्ञान के बिना हृदय की पीड़ा का निवारण संभव नहीं है। विभिन्न प्रकार की कलाएँ, असीमित शिक्षा तथा अनेक प्रकार का ज्ञान, सभी देशों से जरूर लेने चाहिए, परंतु उनका प्रचार मातृभाषा के द्वारा ही करना चाहिए। अत: अब यह उम्मीद की जा सकती है कि संविधान की भाषाओं को सही मायने में मर्यादित किया जा सकेगा। देखा जाता है कि अँग्रेजी पाठ्यक्रम या अँग्रेजी भाषा की अनिवार्यता एवं हिंदी भाषा में पाठ्य-पुस्तकों के अभाव के कारण विज्ञान व तकनीकी पाठ्यक्रमों से विज्ञान का विद्यार्थी दूरी बना लेता है, जो शिक्षा व भाषा नीति की दृष्टि से चिंतनीय विषय है। आज एक ओर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है तो दूसरी ओर आजादी के इतने वर्षों उपरांत भी हम ज्ञान-विज्ञान के पाठ्यक्रमों को हिंदी, मातृभाषा व क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं। जो थोड़ा बहुत उपलब्ध हो रहा है, वह भी अनुवाद मात्र से। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा है कि ''हमने अपनी आँखे खोकर चश्मे लगा लिए हैं।'' यह चश्मे विदेशी भाषाओं के हैं, जो आजादी मिलने के उपरांत बौद्धिक चर्चा व बहसों के केंद्र में हैं।

भारतवर्ष के अन्य राज्यों की तरह पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी यह नई शिक्षा नीति एक वरदान की तरह होगा। पूर्वोत्तर के सभी राज्य अपनी कला-संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य, भाषाई विविधता के लिए प्रसिद्ध होने के कारण अपनी ओर आकर्षित करते हैं। संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल असमीया, बोडो और मणिपुरी पूर्वोत्तर राज्यों की ही भाषा हैं, जो पूर्वोत्तर के लिए गौरव की बात है। लेकिन अब तक इन राज्यों को भारत के अन्य राज्यों से अलग-थलग करके ही देखा जाता रहा है। चाहे इनके रहन-सहन से हो या इनके शारीरिक गठन या इनकी भाषाओं की दृष्टि से। लेकिन अब इस शिक्षा नीति के तहत इनकी भाषा-संस्कृति को एक बार पुन: बल मिलेगा और ये खड़ा हो सकेंगे।

नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं के संबंध में जो सुझाव दिए गए हैं, उनमें महत्वपूर्ण है कि सभी भाषाओं के शब्द भंडार क्रमश: अपडेट होते रहें। भाषा का कविता, उपन्यास के साथ-साथ पत्र-पत्रिकाओं और समसामयिक मुद्दों पर प्रयोग हो उसका संरक्षण हो सकता है। भाषा के त्रिभाषा फॉर्मूला के क्रियान्वयन में मातृभाषा व स्थानीय भाषा में अनुभवी शिक्षण के साथ-साथ शिक्षा संस्थानों के भाषाविदों को अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त करने का सुझाव दिया गया है। भारतीय भाषाओं में ज्ञान के विस्तार के लिए उच्चतर गुणवत्ता की अधिगम सामग्रियों को उपलब्ध कराने हेतु अनुवाद को भी बढ़ावा दिया गया है। इसके लिए एक इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा गया है।

जब एक ही कक्षा में बच्चों को उनकी मातृभाषा के जरिए शिक्षा दी जाएगी, तब उनकी भाषाओं का भी आपस में आदान-प्रदान होगा और एक-दूसरे की भाषाओं से वे परिचित हो सकेंगे। इससे भाषाओं का समन्वय आसानी से हो सकेगा और बच्चे अपने साथ-साथ अपने सहपाठियों की भाषाओं को आसानी से समझ व व्यवहार कर सकेंगे। इससे उनके मन में अपनी-अपनी भाषाओं के प्रति लगाव और सम्मान भी बढ़ेगा।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भारतीय भाषाएँ :

भारतवर्ष के अधिकतर राज्यों में हिंदी भाषा की प्रधानता है। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो यह कह सकते हैं कि हिंदी भाषा के प्रति बच्चों का रुझान अवश्य बढ़ेगा और बच्चों को सीखने में भी आसानी होगी। दूसरी ओर जहाँ हिंदी को दूसरी भाषा के तौर पर रखा जाता है, जैसे पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात आदि जैसे राज्य आते हैं, ऐसे क्षेत्रों में भी स्थानीय भाषाओं के साथ

हिंदी भी कदम मिलाकर चल पाएगी। नई शिक्षा नीति 2020 में हमारी भाषाओं के संबंध में उठने वाले सभी सवालों को समझा गया है तथा देशहित के विविध कार्यक्रमों में राजनेता, अधिकारी वर्ग जिन बातों पर चर्चा करते हैं, उन विषयों पर जोर देते हुए हिंदी भाषा को समृद्ध करने की कोशिश की गई है, जो सराहनीय है।

नई शिक्षा नीति, भारतीय भाषाओं के नियमित इस्तेमाल, शैक्षणिक सामग्री बनाने, शिक्षकों के प्रशिक्षण, मातृभाषा को निर्देश भाषा के रूप में अपनाने जैसे प्रयासों को बढ़ावा देती है। यह स्थानीय भाषा पर विशेष रूप से जोर देती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति सभी भाषाओं और मातृभाषाओं को बढ़ावा देने पर भी जोर देती है। बुनियादी साक्षरता और गणितीय शिक्षा को लागू करने के लिए भाषा की समझ जरूरी है। इसे बच्चों की शिक्षा में अवश्य शामिल करना चाहिए। मातृभाषा और स्कूल की भाषा में अंतर होने से 25 प्रतिशत बच्चे सीखने की कमी का सामना करते हैं। इससे सबसे ज्यादा आदिवासी, सीमावर्ती क्षेत्रों और प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के अलावा वे बच्चे प्रभावित होते हैं, जो स्कूल में अँग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करते हैं, लेकिन घर या अन्य किसी मौके पर अँग्रेजी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके लिए भाषाओं का मानचित्रण तय करना, बहुभाषायी जागरूकता लाना, मौखिक शिक्षण क्षेत्र में बच्चों की मातृभाषा को शामिल किया जाना शिक्षण सामग्री स्थानीय भाषा में तैयार किया जाना बेहद जरूरी है ।

नई शिक्षा नीति ने काफी समय से प्रचलित हमारी शिक्षा व्यवस्था में कुछ नवीन तत्वों को जोड़ने का प्रयास किया है। इस शिक्षा नीति में मूलत: व्यावहारिक शिक्षा पद्धति पर जोर देते हुए समानता, प्रभावशीलता, रचनात्मकता और नवोन्मेष के साथ-साथ अपने प्रांत को वैश्विक जगत की मूल धारा से जोड़ने हेतु विविध प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ इस नीति में उच्च शिक्षा में शोध को अधिक महत्व दिया गया है, जो नवीन शोधकर्ताओं के लिए विशेष फायदेमंद होगा। भारतवर्ष के प्रत्येक जिला, प्रांत तथा राज्य की अपनी-अपनी अनेक क्षेत्रीय बोलियाँ हैं। अब इस नीति के तहत इनमें

सुधार करते हुए इनके उच्चारण, शब्दावली पर ध्यान दिया जा सकेगा, जिससे यह बोलियाँ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर सकें तथा इनमें आपसी सहयोगिता बढ़े। बच्चे आसानी से सीख पाएँगे और अँग्रेजी भाषा के विपरित स्वदेशी भाषाओं से प्राथमिक शिक्षा में अवश्य तेजी आएगी।

नई शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषाओं को पुन: जीवित करने का प्रयास किया गया है। यह सच है कि कोई भी राष्ट्र तब तक मजबूत नहीं बनता, जब तक उसकी जमीन अर्थात उसका जन मजबूत नहीं होता है । हमारी मातृभाषाएँ इसी बड़े व व्यापक जन समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब यह जन समूह मजबूत होगा तो उसका प्रतिनिधित्व करने वाली हमारी हिंदी भाषा भी स्वत: मजबूत होगी, क्योंकि हिंदी का शब्द भंडार तो उसकी मातृभाषा, क्षेत्रीय बोलियों व भारतीय भाषाओं के शब्दों के भंडार से निर्मित है।

नई शिक्षा नीति में भाषाई समन्वय को खास महत्व दिया गया है। इसमें संस्कृत, पालि, प्राकृत, फारसी के साथ-साथ तमिल, तेलुगू, मलयालम और कन्नड़ व ओड़िया भाषाओं को भी विकल्प के रूप में शामिल किया जाएगा तथा उसे विविध पाठ्यक्रमों का हिस्सा भी बनाया जाएगा। इसमें मानव के विकास के लिए जो मूल त्रिभाषा की जरूरत पड़ती है उस पर जोर दिया गया है। जैसे सबसे पहले मातृभाषा, उसके बाद राष्ट्रभाषा और अंतर्राष्ट्री भाषा। इस तरह इस नीति के तहत एक बच्चे को सबसे पहले उसकी अपनी मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी तथा बाद में हिंदी, अँग्रेजी भाषाओं के माध्यम

से उसकी शिक्षा को पूर्णत: विकसित किया जाएगा। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देश तथा समाज के दलितों, वंचित जनजातीयों, दिव्यांगों, ट्रांसजेंडरों, महिला आदि को उनके भाषा व परिवेशानुकूल शिक्षा प्रदान की परिकल्पना की गई है। इनकों शिक्षा का मौका देकर युवाओं को रोजगार प्रदान करते हुए देश के विकास में आधार बनाने की कोशिश की जाएगी, जिससे उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के भाव में वृद्धि होगी।

अत: देखा जाता है कि नई शिक्षा नीति 2020 में सभी भाषाओं और मातृभाषाओं को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। अपने देश के शिक्षण माध्यम के रूप में बहुभाषावाद पर जोर देते हुए एक उप-अध्याय 'बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति' शीर्षक भी रखा गया है।

जैसा हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा में ही पहले सोचता-विचार करता है। उसके अपने मौलिक विचार भी अपनी मातृभाषा में ही आते हैं। इसलिए जहाँ तक संभव हो अनुसंधान के लिए भी शोधकर्ता को मातृभाषा का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि अँग्रेजी के माध्यम से मौलिक विचार भी अस्पष्ट होते जा रहे हैं। अत: हमारी शिक्षा के माध्यम भाषा की शक्ति को समझते हुए इसके लिए विविध सुझाव व प्रावधान भी दिए गए हैं। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, ''हर छोटे बच्चे अपने घर की भाषा या मातृभाषा में कोई भी विषय तथा उसकी अवधारणाओं को अन्य भाषा के विपरीत अधिक तेजी से सीखते और समझते हैं। इसलिए जहाँ तक संभव हो उनकी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा होगी। जब बच्चों को उनकी प्राइमरी शिक्षा उनकी अपनी मातृभाषाओं दी जाने लगेगी तब उनके मन में अपनी मातृभाषा के प्रति एक गहरा लगाव होने के साथ-साथ उसके प्रति उनके मन में सम्मान का भाव भी बढ़ेगा। इसी तरह से जो खत्म होती जा रही स्थानीय बोलियाँ हैं, उन्हें खड़ा होने का मौका मिलेगा तथा उनकी महत्ता भी बढ़ेगी।''

इसलिए आवश्यक है कि इस नई शिक्षा नीति 2020 को बेहद ही प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, जिससे एक तरफ हमारी देश की भाषाएँ समृद्ध होंगी, वहीं दूसरी ओर हमारे देश की युवा पीढ़ी को भी भाषाओं के बंधनों से आजादी मिलेगी। वे अपनी मातृभाषा या अन्य भाषाओं के जरिए ज्ञान के नए मार्ग तलाश कर सकेंगे तथा देश के विकास में भी अपना बहुमूल्य योगदान दे सकेंगे। इस नीति के माध्यम से अपने देश में हिंदी का प्रभुत्व स्थापित करने की परिकल्पना करते हुए अन्य भारतीय भाषाओं को भी महत्व प्रदान किया जाएगा और साथ ही साथ अँग्रेजी का आधिपत्य समाप्त करने की कोशिश की जाएगी। ❑

संदर्भ सूची :

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय,भारत सरकार ।
2. https://www.rachanakar.org/2014/09/blog-post_66.html
3. डॉ. मनीष खरे एवं डॉ. बबीता वर्मा,(सम्पा) भारत में शिक्षा नीति की दशा और दिशा, श्री विनायक पब्लिकेशन,आगरा-282007 ।
4. डॉ. जमनालाल बायती, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राजस्थान प्रकाशन, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर-2 ।
5. भगवान दयाल, डेवलोपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन एजुकेशन।
6. धीरज सिंह (प्रधान संपादक), योजना विशेषांक, 2020, नई दिल्ली ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : भारतीय भाषाओं और संस्कृति का महत्व व संरक्षण

डॉ. परिस्मिता बरदलै

हिंदी विभाग
कॉटन विश्वविद्यालय
गुवाहाटी-781001, असम
मोबाइल : 9864753226

भूमिका :

शिक्षा के द्वारा ही मानव पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। स्वस्थ समाज निर्माण के लिए समाज के हर एक व्यक्ति का शिक्षित होना जरूरी है, क्योंकि एक स्वस्थ समाज के अंकुरण से ही एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण संभव हो सकता है। मानव मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखने के लिए शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है। शिक्षा के द्वारा ही समाज का सर्वांगीण विकास संभव है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के द्वारा ही एक राष्ट्र विश्व स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा करने में सक्षम हो सकता है । इस तरह से शिक्षा का मानदंड ऐसा होना चाहिए, जिससे कि लोगों के बीच में असमानता या हीन भावना का संपूर्ण रूप से खात्मा हो पाए। राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति उन्नत मानदंड की शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिचय में यह कहा गया है कि ''शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुँजी है। सार्वभौमिक उच्चतर स्तरीय शिक्षा वह उचित माध्यम है, जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्द्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता है।''[1]

समग्रता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 :

नेल्सन मंडेला के अनुसार 'शिक्षा वह शक्तिशाली अस्त्र है, जिसके द्वारा हम दुनिया बदल सकते हैं' (Education is the most powerful weapon with which you can change the world)। हर देश की अपनी एक शिक्षा नीति होती है, जो देश की आवश्यकता से निर्धारित होती है। भारतवर्ष में भी स्वाधीनता के बाद तत्कालीन जरूरतों के अनुसार शिक्षा नीति का

निर्माण किया गया था और उसी शिक्षा नीति के अनुसार ही भारतीय शिक्षा व्यवस्था को संचालित किया गया था। भारत की प्रथम शिक्षा नीति सन् 1968 में निर्मित की गई थी। उस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं। भारत की द्वितीय शिक्षा नीति सन् 1986 में राजीव गांधी की सरकार के समय निर्मित की गई थी। इसी शिक्षा नीति में सन् 1992 में संशोधन किया गया। 1986/1992 की पिछली नीति के बाद से एक बड़ा कदम नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम-2009 रहा है, जिसने सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु कानूनी आधार उपलब्ध कराया गया। अब इस पुरानी शिक्षा नीति में कुछ फेरबदल करके डॉ. के. कस्तुरीरंगन की अध्यक्षता में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप तैयार करके सन् 2019 में इसे जनता के परामर्श के लिए प्रस्तुत किया गया था। भारतवर्ष के प्राय: 2 लाख लोगों ने इस शिक्षा नीति में अपने परामर्श भेजे। इसी के आधार पर 30 जुलाई 2020 में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' को भारत सरकार के केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आधिकारिक रूप में स्वीकार किया गया।

सन् 2015 में भारत द्वारा अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के शैक्षिक विकास एजेंडे के अनुसार विश्व में 2030 तक ''सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है।''[2] ऐसे महान उद्देश्य में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए उचित शिक्षा प्रणाली को अपनाने की जरूरत पड़ी।

आज संपूर्ण विश्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। विज्ञान की प्रगति के साथ ही साथ मशीनों के निर्माण के कारण दिन-ब-दिन शारीरिक परिश्रम की माँग कम होती जा रही है। लेकिन इन मशीनों को निर्माण करने वाले वैज्ञानिकों की माँग बहुत ज्यादा होने वाली है। डाटा विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, गणित, समाज विज्ञान, मानविकी आदि क्षेत्रों में योग्यता रखने वाले कुशल कामगारों की जरूरत बढ़ने वाली है। जलवायु परिवर्तन, घटते प्राकृतिक संसाधनों की पूर्ति के लिए नए तरीके, महामारी से जूझने के लिए आवश्यक जरूरतों को पूर्ण करने के लिए अधिक से अधिक कुशल कामगारों की जरूरत होने वाली है। कुशल कामगारों का निर्माण उपयुक्त शिक्षा के द्वारा ही संभव है। इसी कारण आज की युवा पीढ़ी को दुनिया की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम बनाना जरूरी है। इस उद्देश्य में सफल होने के लिए वर्तमान प्रचलित शिक्षा नीति में कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता पड़ गई थी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के परिचय में ही इस विषय में गंभीरता से सोचा-विचारा गया है। रोजगार और वैश्विक पारिस्थितिकी में तीव्र गति से हो रहे परिवर्तनों की वजह से यह आवश्यक हो गया है कि बच्चे को स्कूल में पाठ्य-पुस्तक के अंतर्गत जो कुछ सिखाया जाता है, उससे अतिरिक्त उन्हें हर समय कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित किया जाए। इसलिए शिक्षा में विषय-वस्तु को बढ़ाने की जगह इस बात पर अधिक जोर देना चाहिए कि बच्चे को समस्या का समाधान किस तरह से करना है, उसे तर्कसगंत और रचनात्मक रूप से समाधान करने के लिए सीखें। नई-नई जानकारी रखे, विविध विषयों का ज्ञान हो।

इन महत्वपूर्ण जरूरतों को पूर्ण करने के लिए एवं भविष्य की पीढ़ी को इन प्रयोजनों के मुताबिक तैयार करने के लिए बाल्यावस्था से ही प्रयोजनीय शिक्षा देनी

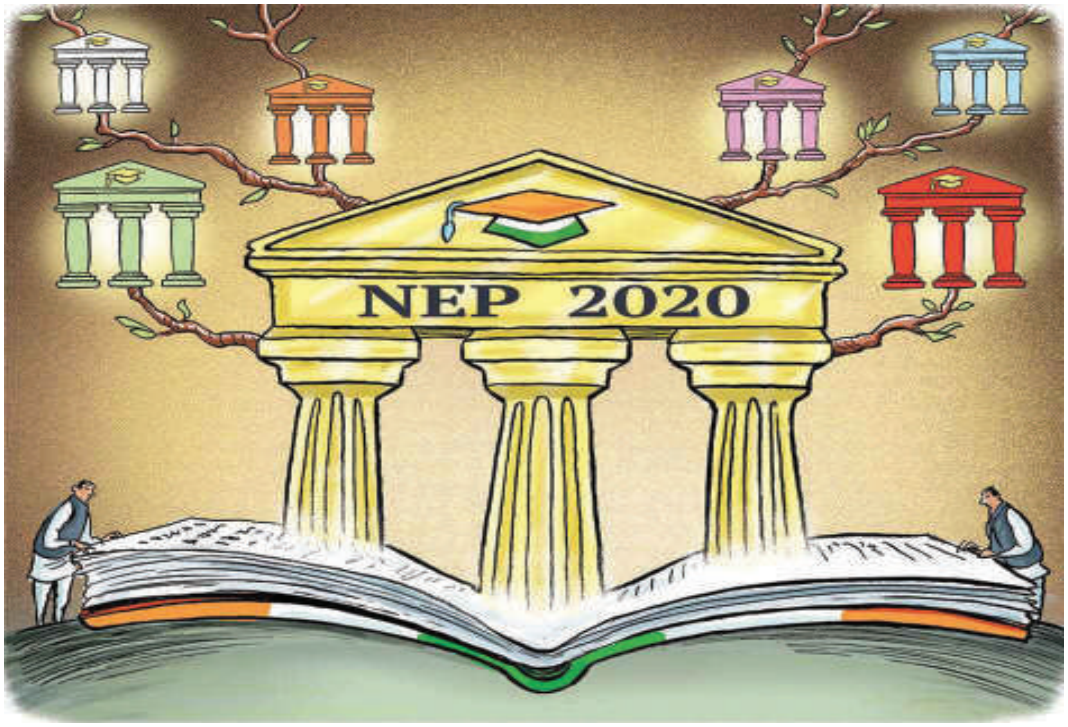

होगी। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही भारत सरकार ने इस नई शिक्षा नीति को हाथ में लिया है। इस शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत में एक ऐसी उच्चतम गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रणाली का संचालन हो, जिसके तहत 2040 तक भारत के किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित शिक्षार्थियों को समान रूप से भविष्य के लिए तैयार किया जाए।

21वीं शताब्दी की यह पहली शिक्षा नीति है, जिसका लक्ष्य देश के विकास के साथ संबंधित है। यह नीति भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर निर्मित की गई है। इसमें इस बात पर अत्यंत जोर दिया गया है कि बच्चों को भारत की परंपरा और संस्कृति से संपूर्ण रुप से रूबरू होना आवश्यक है। राष्ट्रय शिक्षा नीति-2020 में हर एक बच्चे की रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर जोर दिया गया है। यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा का मतलब केवल साक्षरता और संख्या ज्ञान ही नहीं है, बल्कि नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है।

भारत ने ही सबसे पहले विश्व के चारों ओर शिक्षा की ज्योति जलाई थी। उसी समय से ही भारतीय संस्कृति और दर्शन से सारा विश्व प्रभावित थे। इस विषय में जयशंकर प्रसाद ने अपनी कविता भारत महिमा में लिखा है -

''जगे हम, लगे जगाने विश्व,
लोक में फैले फिर आलोक
व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट,
अखिल संसृति हो उठी अशोक।
विमल वाणी ने वीना ली,
कमल कोमल कर में सप्रीत
सप्तस्वर सप्तसिंधु में उठे,
छिड़ा तब मधुर साम संगीत।''[3]

प्राचीन काल में ही भारत वर्ष में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और पल्लवी जैसे विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों में विश्व के हर प्रांत से आए हुए विद्यार्थियों को विद्वानों द्वारा विविध क्षेत्रों में उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती थी। भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को ही सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना गया है। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य पूर्ण आत्मज्ञान और मुक्ति को ही माना था। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था से शिक्षित विभिन्न पंडितों ने वैश्विक स्तर पर गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, चिकित्सा

विज्ञान, भवन निर्माण, नौकायान निर्माण, दिशा ज्ञान, ललित कला इत्यादि में पारदर्शिता दिखाकर प्रमाणिक और मौलिक योगदान देने में सक्षम हुए थे। उस समय में निर्मित बहुत से ऐसे यंत्र हैं, जिनके गूढ़ार्थों तक पहुँचना आज के वैज्ञानिकों के लिए संभव नहीं है। प्रकृति के साथ कोई हाथापाई किए बिना ही उस समय के वैज्ञानिक विद्वानों ने जो अविष्कार किए थे वह आज मात्र एक रहस्य बनकर रह गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विस्तार की समृद्ध परंपरा के आलोक में तैयार की गई है। इस शिक्षा नीति के उद्देश्यों में से एक यह भी है कि प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था को महत्व देकर आने वाले पीढ़ी को शिक्षित करना। वैश्विक महत्व की इस समृद्ध विरासत को भविष्य की पीढ़ी के लिए संरक्षित करना चाहिए। इसके साथ ही साथ उन विषयों पर भी शोध कार्य करना जरूरी है, जिसके रहस्य का भेद आज के वैज्ञानिक नहीं कर पा रहे हैं। उन विषयों पर उन्नत स्तर के शोध कार्य करके उसके गूढ़ार्थों तक पहुँच कर, ऐसे यंत्र या विषयों को उपयोग में लाने के लिए और पुण: निर्माण के लिए कार्य करना चाहिए।

शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान के साथ स्थान दिया जाता है-

''गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा
गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नम: ।।''

कबीर दास ने अपने एक दोहा में कहा है-

''गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पांय।
बलिहारी गुरु आपने, गोविंद को दियो बताय।।''[4]

इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि प्राचीन भारत में गुरु को ही सबसे ऊँचे स्थान पर रखा जाता था। लेकिन धीरे-धीरे समाज में ऐसा कुछ परिवर्तन आए, जिसके चलते आज के समय में शिक्षक एक कर्मचारी के रूप में बदल चुके हैं। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षकों के प्राचीन मान्यता वापस लाने के लिए सोच विचार किया जा रहा है। शिक्षक ही नागरिकों की हमारी अगली पीढ़ी को सही मायने में आकार देता है। इस तरह की सोच सामने रखकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हर स्तर के शिक्षकों को समाज के सर्वाधिक सम्माननीय और अनिवार्य सदस्य के रूप में पुन: स्थान देने के लिए सहायता करेंगे। शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए हर संभव सहायता की जाएगी ताकि शिक्षक अपने दायित्व का पालन प्रभावी रूप से कर सकें। इस नीति के द्वारा इस बात पर भी महत्व दिया जाएगा कि समाज के सबसे होनहार व्यक्ति को ही शिक्षक के पद पर नियुक्ति मिले।

वर्तमान शिक्षा व्यवस्था व्यवसाय की ओर गतिशील है। इस शिक्षा व्यवस्था में कहीं भी सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से समानता नहीं दिखाई देती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समाज के सभी स्तर के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस शिक्षा नीति के दौरान समाज के सभी स्तरों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। हाशिए पर रहे समुदायों, वंचित और अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 2020 की शिक्षा नीति के परिचय में उल्लेख किया गया है कि ''शिक्षा बराबरी सुनिश्चित करने का बड़ा माध्यम है और उसके द्वारा समाज में समानता, समावेशन और सामाजिक आर्थिक रूप से गतिशीलता हासिल की जा सकती है।''[5]

जिस देश की युवा पीढ़ी अपने देश की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के प्रति जागरूक है और अपनी कला, भाषा और परंपरा को साथ में लेकर आगे बढ़ती हैं, उस देश की उन्नति निश्चित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में इस विषय पर ही ज्यादा ध्यान दिया है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में भारत के अतीत ज्ञान परंपरा को महत्व मिले। प्राचीन काल से जिस देश ने सारे विश्व को ज्ञान की ज्योति से आलोकित किया था, आज उसी देश की शिक्षा व्यवस्था में उस ज्ञान का कोई कदर नहीं। यहाँ प्राचीन काल की शिक्षा पद्धति को पुराने कपड़े की तरह फेंक दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के द्वारा भारत के युवाओं को प्राचीन गौरव उज्ज्वल भारत के ज्ञान से ज्ञानवान बनाने की नीति को अत्यधिक महत्व दिया गया है। यह शिक्षा नीति राष्ट्रीय गौरव, आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, परस्पर सहयोग और एकता की दृष्टि से भारत को सतत ऊँचाइयों की ओर बढ़ाकर ले जाने की दृष्टि से

अत्यंत उपयोगी और आवश्यक है।

वर्तमान भारतवर्ष में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था में कुछ परिवर्तन लाकर इस शिक्षा नीति को तैयार किया गया है। प्राथमिक स्तर से उच्च शिक्षा पर्यंत वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में कुछ परिवर्तन लाकर 10+ 2 व्यवस्था की जगह 5+3+3+4 स्तरीय विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था की गई है। 3 साल के आयु से प्राक प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था अर्थात फाउंडेशनल स्टेज को दो भागों में विभाजित किया है। पहला है-आंगनबाड़ी/ बाल वाटिका के 3 साल+ प्राथमिक स्कूल के कक्षा प्रथम और द्वितीय में 2 साल, प्रिपेरटॉरी स्टेज- कक्षा तीसरी से पाँचवीं तक, मिडिल स्कूल-कक्षा छठी से आठवीं तक और सेकेंडरी स्टेज- कक्षा नौवीं से बारहवीं तक। सेकेंडरी स्टेज में 2 फेस हैं। पहले स्टेज में 9वीं और 10वीं और दूसरी स्टेज में 11वीं और 12वीं शामिल हैं।

इस पूरी शिक्षा प्रणाली में सबसे ज्यादा महत्व विद्यार्थियों के समग्र विकास पर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ''सभी स्तरों पर पाठ्यचर्चा और शिक्षा विधि का समग्र केंद्र बिंदु शिक्षा प्रणाली को रटने की पुरानी प्रथा से अलग वास्तविक समझ और ज्ञान की ओर ले जाना है। शिक्षा का उद्देश्य केवल संज्ञानात्मक समझ ना होकर चरित्र निर्माण और 21वीं शताब्दी के मुख्य कौशल से सुसज्जित करना है। वास्तव में ज्ञान एक छुपा हुआ खजाना है और शिक्षा व्यक्ति की प्रतिभा के साथ इसे प्राप्त करने में मदद करती है। पाठ्यचर्चा और शिक्षा विधि को इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पुन: प्रयास किया जाएगा।''[6]

अच्छे इंसानों का विकास करना ही इस नीति का आधारभूत सिद्धांत है। इस नीति के द्वारा शिक्षित व्यक्ति तर्कसंगत तरीके से कार्य और विचार करने में सक्षम होंगे, जिसमें करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्य और आधार होंगे। इस नीति का मूल उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है, जो कि अपने संविधान का पालन करते हुए एक सुंदर और स्वस्थ समाज का निर्माण करने में योगदान दे सकें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 : भारतीय भाषाओं और संस्कृतियों की रक्षक :

भारतवर्ष अति प्राचीन काल से ही एक अत्यंत उन्नत देश है। भाषा और संस्कृति का एक समृद्ध भंडार यहाँ मौजूद है। यह देश कला , साहित्य, रीति रिवाज, परंपरा, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक इन सभी दृष्टियों से विश्व में आद्वितीय है। इसी कारण विश्व के हर प्रांत के लोग भारतवर्ष के साथ किसी न किसी तरह से जुड़े रहते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार इस सांस्कृतिक धरोहर को हमारी शिक्षा व्यवस्था के साथ जोड़ना जरूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिचय में इस बात का उल्लेख करते हुए लिखा हुआ है कि ''भारत की सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण, संवर्द्धन एवं प्रसार, देश की उच्चतर प्राथमिकता होना चाहिए क्योंकि यह देश की पहचान के साथ-साथ उसकी अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।''[7] एक व्यक्ति के अन्त: मन में अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी संस्कृति, इतिहास, कला, भाषा एवं परंपरा के प्रति गर्व और सम्मान की भावना होनी आवश्यक है। अत: व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण के लिए अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक होना ही एक व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी है।

यह बात सर्वविदित है कि एक व्यक्ति में संज्ञानात्मक और सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाने तथा व्यक्तिगत प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए कलात्मक अभिरुचि रहनी अत्यंत जरूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात पर ध्यान दिया गया है कि बाल्यावस्था से ही एक शिशु की शिक्षा को शुरू कर उसे हर स्तर पर भारतीय कलाओं से सांस्कृतिक पहचान कराई जाए।

एक भाषा का मर जाने का मतलब है एक विशाल संस्कृति का मर जाना। भारतवर्ष में लगभग 500 भाषाएँ प्रचलित थीं। लेकिन पिछले 50 वर्षों में इनमें से 200 भाषाएँ मृत्यु की कगार पर पहुँच चुकी हैं। यह सांस्कृतिक दृष्टि से देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। इसकी भरपाई कभी भी किसी भी हालत में संभव नहीं है।

विश्व में जितनी भी भाषाएँ हैं उन सभी भाषाओं के रूप अलग-अलग हैं। किसी एक भाषा को मूल रूप में बोलने वाले व्यक्ति ही उस भाषा की संस्कृति, रीति-रिवाज, परंपरा से आत्मिक रूप से जुड़े होते हैं। और वही व्यक्ति उस भाषा की परंपरा और रीति-रिवाज के

प्रति आस्था रखते हैं। किसी एक भाषा में उस समाज की समस्त संस्कृति समाहित रहती है। उस संस्कृति की रक्षा तभी हो पाएगी जब हम उस भाषा का संरक्षण और संवर्द्धन कर पाएँगे। भारतवर्ष में विगत 50 वर्षों में विलुप्त होने वाली अधिकांश भाषाओं में लिपि नहीं थी। ये भाषाएँ मौखिक रूप से प्रचलित थीं। ऐसी स्थिति में इन भाषाओं की संस्कृति, उस भाषा में प्राप्त लोक साहित्य, परंपरा, रीति-रिवाज, भाषाओं की अभिव्यक्ति को संरक्षित या उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए व्यवस्था करनी होगी। नहीं तो मौखिक रूप से उपलब्ध हमारे बहुत सारी जनजातीय भाषा विलुप्त की कगार पर जाकर खो जाएँगे।

भारत की जो भाषाएँ आठवीं अनुसूची में शामिल हैं, उन भाषाओं को भी अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना होता है। इन्हीं सब भाषाई समस्याओं के कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में भारतीय भाषाओं को शिक्षा के साथ जोड़ने के लिए गंभीर रूप से सोचा-विचारा जा रहा है। इस नीति में यह भी उल्लेख किया गया है कि दुनिया के प्रतिष्ठित देशों द्वारा अँग्रेजी, हिब्रू, कोरियाई, जापानी आदि भाषाओं में अधिगम सामग्री, प्रिंट सामग्री बनाने के अतिरिक्त दुनिया की अन्य भाषाओं की महत्वपूर्ण सामग्री का अनुवाद किया जाता है तथा शब्द भंडार को लगातार अद्यतन करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन इन मामलों में भारत की गति अत्यंत धीमी है, इस दिशा में हमें भी बहुत कुछ करना पड़ेगा।

भारत में भाषा से संबंधित और एक बड़ी समम्या है कि यहाँ भाषा सिखाने के लिए उपयुक्त शिक्षकों की कमी है। भाषा प्रशिक्षण के लिए यह एक महत्वपूर्ण कड़ी है। भाषाओं को अधिक से अधिक वार्तालाप और शिक्षण अधिगम के लिए प्रयोग में लाना चाहिए।

प्रतिष्ठित भाषा वैज्ञानिक डॉ. कुसुम अग्रवाल ने अपनी एक पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि ''भाषा का सर्वांगीण विकास उसके भौगोलिक एवं प्रयोजनपरक प्रयोग-विस्तार पर निर्भर करता है। कोई भाषा समाज के कितने अधिक क्षेत्रों में प्रयोग में है, कितने विविध सामाजिक प्रयोजनों को सिद्ध करती है, ज्ञान-विज्ञान एवं टैक्नोलॉजी के कितने अधिक संदर्भों में व्यवहृत होती है, इससे उस भाषा की सापेक्षिक विकासशीलता का पता चलता है। जैसे-जैसे भाषा का प्रयोजनपरक विस्तार होता जाता है वैसे-वैसे उस भाषा की अंतर्निहित क्षमता का भी स्वत: विस्तार और विकास होता जाता है।''[8] राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषा प्रयोग के क्षेत्र में अत्यधिक महत्व दिया गया है।

हम सभी जानते हैं कि कोई भी बच्चा अपनी मातृभाषा में विषय को अधिक तेजी से समझ लेता है। लेकिन वही बच्चा जब स्कूल जाकर एक दूसरी भाषा में शिक्षा ग्रहण करता है तो उनके विकास में अपने आप ही एक धीमापन आ जाता है। इस विषय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्यक्ष अतुल कोठारी जी का कहना है कि जब एक बच्चा स्कूल जाकर दूसरी भाषा में शिक्षा प्राप्त करता है तो उनके दिमाग का आधा हिस्सा इस विषय को अनुवाद करने में लग जाता है। फलस्वरूप उसकी शिक्षण प्रक्रिया में धीमापन आ जाता है। इसी कारण एक बच्चा को कम-से-कम आरंभिक शिक्षा मातृभाषा में ही देने की आवश्यकता है और नई शिक्षा नीति में इस विषय पर अधिक महत्व दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कम-से-कम ग्रेड 5 तक, लेकिन बेहतर है ग्रेड 8 तक संभव हो तो उससे भी आगे की पढ़ाई मातृभाषा या स्थानीय भाषा में ही कराई जाएगी। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के विद्यालयों में इसका अनुपालन होगा। विद्यालय के सभी विषयों में उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्य-पुस्तकों को मातृभाषा या घरेलू भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। अगर किसी बच्चे को मातृभाषा में पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध नहीं है तो शिक्षकों द्वारा छात्रों को संवाद के द्वारा शिक्षा देनी होगी। जिन बच्चों की मातृभाषा शिक्षा के माध्यम से अलग है, ऐसी स्थिति में शिक्षकों को ही उन छात्रों के साथ द्विभाषी शिक्षण अधिगम सामग्री सहित द्विभाषी एप्रोच का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात पर ध्यान दिया गया है कि भारत की सभी भाषाओं को उच्च गुणवत्ता के साथ पढ़ाया जाएगा।

दो से आठ वर्ष की आयु के बीच बच्चे बहुत जल्दी कोई भी भाषा सीख लेते है। विभिन्न भाषाएँ सीखने के

लिए यही उम्र सबसे अधिक उपयोगी है। इसी कारण कम उम्र में ही बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा देने के साथ ही साथ अन्य भाषाओं को भी सिखाया जाएगा। इन सभी भाषाओं को एक मनोरंजक और संवादात्मक शैली में पढ़ाया जाएगा। ग्रेड 3 और आगे की पढ़ाई में छात्रों को मातृभाषा के साथ-साथ इन भाषाओं को लिखना भी सिखाया जाएगा।

स्कूलों में त्रिभाषा फॉर्मूला को अपनाने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। विद्यालयों में त्रिभाषा फॉर्मूला किस तरह से लागू करना है, इस विषय में शिक्षा नीति में लिखा है कि ''संवैधानिक प्रावधानों, लोगों, क्षेत्रों और संघ की आकांक्षाओं और बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की जरूरत का ध्यान रखते हुए त्रि-भाषा फॉर्मूले को लागू किया जाना जारी रहेगा। हालाँकि, तीन-भाषा के इस फॉर्मूले में काफी लचीलापन रखा जाएगा और किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली तीन भाषाओं के विकल्प राज्यों, क्षेत्रों, और निश्चित रूप से छात्रों के स्वयं के होंगे, जिनमें से कम-से-कम तीन में दो भाषाएँ भारतीय भाषाएँ हों। विशेष रूप से, जो छात्र तीन में से एक या अधिक भाषाओं को बदलना चाहते हैं, वे ऐसा ग्रेड 6 या 7 में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें तीनों भाषा में, जिसमें एक भारतीय भाषा को उसके साहित्य के स्तर पर अध्ययन करना शामिल है, माध्यमिक कक्षाओं के अंत तक बुनियादी दक्षता हासिल करके दिखाना होगा।''[9]

विज्ञान और गणित जैसे विषयों में द्विभाषी पाठ्य-पुस्तकों और शिक्षण अधिगम सामग्री को तैयार किया जाएगा, ताकि विद्यार्थी ऐसे विषयों पर अपनी मातृभाषा और अँग्रेजी दोनों भाषाओं में सोचने और बोलने के लिए सक्षम हो पाए। इसे करने से वर्तमान विद्यार्थियों की जो रटंत पद्धति और केवल परीक्षाओं के लिए पढ़ाई करने की जो मानसिकता है, वह अपने आप दूर होती जाएगी।

दुनिया के कई विकसित देशों में अपनी ही भाषा के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। ऐसे देशों में अपनी भाषा, संस्कृति और परंपरा को शिक्षा के क्षेत्र में अधिक महत्व दिया जाता है। भारत की भाषाएँ अत्यंत समृद्ध ,वैज्ञानिक और अभिव्यंजक होने के साथ-साथ इन भाषाओं के समृद्ध साहित्य भंडार मौजूद हैं। इसके अलावा फिल्म और संगीत भी भारत का राष्ट्रीय गौरव और पहचान हैं। भारत की युवा पीढ़ी को राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से भारत की इस राष्ट्रीय पहचान और धरोहर के प्रति जागरूक होना चाहिए। इस क्षेत्र में विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के दौरान 'द लैंग्वेजेज ऑफ इंडिया' पर एक प्रोजेक्ट में भाग लेना होगा। इस प्रोजेक्ट के दौरान अलग-अलग राज्यों के विद्यार्थियों को एक-दूसरे से मिलने और समझने का मौका मिलेगा। और पूरे भारत के विशाल भाषा, साहित्य, संस्कृति और परंपरा के बारे में जानना आसान होगा। इसमें कोई मूल्यांकन की व्यवस्था नहीं रखी जाएगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संस्कृत भाषा को भी अत्यधिक महत्व दिया गया है। संस्कृत भाषा के साहित्य का भंडार इतना विशाल है कि इसके सामने लैटिन और ग्रीक भाषा के समस्त साहित्य को रख दिया जाए तो भी संस्कृत की बराबरी नहीं कर सकते। संस्कृत साहित्य में मौजूद गणित, दर्शन शास्त्र, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, धातु विज्ञान, वास्तु कला, नाटक, कहानी के विशाल खजाना को पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को संस्कृत सीखना अति आवश्यक है। जब तक विद्यार्थी संस्कृत नहीं सीखेंगे तब तक इन तमाम सामग्री के विषय में जानना या इससे संबंधित कोई शोध कार्य करना संभव नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लेख है कि ''इस प्रकार संस्कृत को त्रिभाषा की मुख्यधारा विकल्प के साथ, स्कूल और उच्चतर शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण, समृद्ध विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा।''[10]

संस्कृत के साथ-ही-साथ विद्यार्थियों को भारत के अन्य सभी शास्त्रीय भाषाओं के अतिरिक्त पाली, प्राकृत और फारसी भाषाएँ भी पढ़ने की व्यवस्था की जाएगी ताकि बच्चे प्राचीन भारत की ज्ञान परंपरा के बारे में जानने में सक्षम हों।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं और अँग्रेजों में उच्चतर गुणवत्ता युक्त पाठ्यक्रम के अलावा अनेक

विदेशी भाषाओं को भी माध्यमिक स्तर से ही पढ़ने की व्यवस्था की जाएगी ताकि विद्यार्थी भारतीय संस्कृति के साथ-साथ विश्व संस्कृति के बारे में भी जानकार बनें।

इन भाषाओं का शिक्षण व्यवस्था अनुभवात्मक-अधिगम शिक्षण शास्त्र पर आधारित होगी। सिनेमा, थिएटर, कथावाचन, काव्य, संगीत और विभिन्न वास्तविक घटनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को अति सरल और आकर्षक ढंग से इन भाषाओं को सिखाया जाएगा।

भाषा और शास्त्रीय शिक्षण के लिए जितने भी कोर्स कक्षा 12 तक उपलब्ध होंगे, उन सभी कोर्सों को उच्च शिक्षा में भी उपलब्ध कराया जाएगा। भाषा और शास्त्रीय शिक्षण के अलावा तुलनात्मक साहित्य, सृजनात्मक लेखन, कला, संगीत, दर्शनशास्त्र आदि विभिन्न विभागों को स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर में डिग्री कोर्स के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे इन सभी विषयों के शिक्षण के लिए अधिक से अधिक शिक्षकों के एक बड़े कैडर को विकसित किया जा पाए। एन.आर.एफ. द्वारा इन क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान हेतु वित्त मुहैय्या कराया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान के गठन का जो प्रावधान रखा गया है, इसके द्वारा भी उन्नत शोध कार्य के लिए एक गति मिलेगी और इससे देश के विकास में सहायता प्राप्त होगी।

उच्च शिक्षा संस्थानों में अधिक-से-अधिक कार्यक्रमों में मातृभाषा या स्थानीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस विषय पर जोर दिया गया है कि हमारे महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में द्विभाषिक रूप में पाठ्यक्रम को पढ़ाने की व्यवस्था किया जाएगी। 4 वर्षीय बी.एड. दोहरी डिग्री कार्यक्रम को 2 भाषाओं में पढ़ाया जाएगा ताकि स्कूल में विज्ञान और गणित को द्विभाषाओं में पढ़ाने के लिए जो व्यवस्था की गई है, उसके लिए शिक्षकों का निर्माण हो सके।

भारत में जल्द ही 'इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन' की स्थापना की जाएगी। इसमें भारत के अनेक बहु भाषा-भाषी लोगों को नियुक्त किया जाएगा, जिससे सभी भारतीय भाषाओं को विकसित और प्रसारित करने में सहायता हो। अनुवाद के क्षेत्र में भी यह संस्थान काम करेंगे, जिससे सर्वसाधारण को विभिन्न भाषाओं की लिखित और मौखिक सामग्री अनूदित रूप में उपलब्ध हो।

इस विषय में पहले भी उल्लेख किया गया है कि संस्कृत को त्रिभाषा फॉर्मूला के तहत एक विकल्प के रूप में स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। उसी तरह उच्चतर शिक्षा में भी संस्कृत भाषा को विकल्प के रूप में रखा जाएगा। जब उच्चतर शिक्षा में संस्कृत भाषा धीरे-धीरे एक मजबूत विषय के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी, तब संस्कृत विषय में चार वर्षीय बहु विषयक बी.एड. डिग्री के द्वारा पूरे देश के संस्कृत शिक्षकों की बड़ी संख्या निर्माण करके संस्कृत विषय में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शास्त्रीय, आदिवासी और लुप्तप्राय भाषाओं सहित सभी भारतीय भाषाओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं के लिए अकादमी स्थापित की जाएगी। इसका मूल उद्देश्य है इन सभी भाषाओं में नियमित रूप में नवीनतम शब्दकोश जारी किया जा सके। भारतीय भाषाओं को एक प्रतिष्ठित शिखर पर पहुँचाने के लिए यह एक अत्यंत सफल प्रयास होगा। भारतीय भाषा और संस्कृति के संरक्षण हेतु सभी भारतीय भाषाओं और संस्कृति स्थानीय कला के बारे में जानने या सीखने के लिए वेब आधारित प्लेटफार्म, पोर्टल, विकीपीडिया के माध्यम से सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय भाषाओं, कला एवं संस्कृति के अध्ययन के लिए सभी लोगों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यह शिक्षण के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं और संस्कृति को विकसित करने के लिए अत्यंत उपयोगी कदम होगा।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य के अध्ययन के विषय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस तरह से उल्लेख किया है कि ''भारत इसी तरह सभी शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य का अध्ययन करने वाले अपने संस्थानों और विश्वविद्यालयों का विस्तार करेगा, और उन हजारों पांडुलिपियों को इकट्ठा करने, संरक्षित करने,

अनुवाद करने और उनका अध्ययन करने का मजबूत प्रयास करेगा, जिन पर अभी तक ध्यान नहीं गया है। इसी प्रकार से सभी संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों, जिनमें शास्त्रीय भाषाओं एवं साहित्य पढ़ाया जा रहा है, उनका विस्तार किया जाएगा। अभी तक उपेक्षित रहे लाखों अभिलेखों के संग्रह, संरक्षण, अनुवाद एवं अध्ययन के दृढ़ प्रयास किए जाएँगे। देश भर के संस्कृत एवं सभी भारतीय भाषाओं के संस्थानों एवं विभागों को उल्लेखनीय रूप से मजबूत किया जाएगा, छात्रों के नए बैच को बड़ी संख्या में अभिलेखों एवं अन्य विषयों के साथ उनके अंतर्संबंधों के अध्ययन का समुचित प्रशिक्षण दिया जाएगा।''[11]

निष्कर्ष :

शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी ने कहा है कि ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में राष्ट्र के पुनरुत्थान की नींव रखी गई है। इस नीति के सुचारू एवं समग्रता से क्रियान्वयन द्वारा देश की शिक्षा बदलेगी। जब शिक्षा बदलेगी तो इस परिवर्तन का सकारात्मक असर समग्र देश पर पड़ेगा। इससे देश बदलेगा यानी समृद्ध, समर्थ एवं शक्तिशाली भारत के निर्माण में हम अग्रसर हो सकेंगे।''[12]

देश में धीरे-धीरे शिक्षा नीति का क्रियान्वयन किया जा रहा है। देश के अनेक इंजीनियरिंग कॉलेजों में अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी भाषा में भी करने की व्यवस्था की गई है। देश के बड़े-बड़े विद्वान भारतीय भाषाओं में पाठ्य-पुस्तकों के निर्माण के लिए लगातार अथक प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कोर्स को नई शिक्षा नीति के मुताबिक तैयार करने का कार्य शुरू हो गया है। उसी तरह असम सरकार की तरफ से भी ये घोषणा की गई है कि 2023 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी जाएगी। इसके लिए भी लगातार कार्य चल रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन करने के लिए भारत के हर एक व्यक्ति को अपने समर्थ्य के अनुसार सहायता करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा नीति के मूल उद्देश्य में भारत के गौरव और आत्मसम्मान जुड़ा हुआ है। अगर हम सभी एकजुट होकर इस शिक्षा नीति को सफल रूप में क्रियान्वयन करने में सक्षम होते हैं तो 2040 तक हमारे नई पीढ़ी इस शिक्षा नीति से शिक्षित होकर भारत को फिर से शिक्षा के क्षेत्र में विश्व के सबसे सक्षम देश के रूप में प्रतिष्ठित करने में सफल होगी। ❑

संदर्भ ग्रंथ :

1. राष्ट्रय शिक्षा नीति-2020, पृ. 3
2. पूर्वोक्त, पृ. 3
3. प्रसाद, जयशंकर, भारत महिमा (कविता)
4. दास, डॉ. श्यामसुन्दर, (सम्पा.) कबीर ग्रंथावली, दिल्ली, पृ.- 11
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, पृ. 5
6. पूर्वोक्त, पृ.17
7. पूर्वोक्त, पृ. 86
8. अग्रवाल, डॉ. कुसुम, भाषा शिल्प (भूमिका), दिल्ली, पृ. 9
9. पूर्वोक्त, पृ. 20
10. पूर्वोक्त, पृ. 21
11. पूर्वोक्त पृ. 90
12. अतुल कोठारी (सम्पादक), शिक्षा उत्थान (पत्रिका), अंक-02, सितंबर-अक्टूबर, 2021, दिल्ली, पृ. 23

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में 'भाषा शिक्षण'

डॉ. मंजु शर्मा

1-5-956/6/1, रोड नंबर-1,
सिटिजन कॉलोनी, अलवर
सिकंदराबाद,
तेलेंगना-500010
मोबाइल : 924777219
ई-मेल :
manju.samiksha@gmail.com

शिक्षा मनुष्य के जीवन को बदलती है, आकार देती है और उसे एक नया रूप देकर सँवारती है।

जब बात शिक्षा की आती है तो शिक्षा मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग करती है, श्रेष्ठ करती है। शिक्षा को अच्छी तरह से सब तक पहुँचाने के लिए जरूरी हो जाता है कुछ नियमों का होना, नीतियों का होना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से देश में कई नीतियाँ बनीं, शिक्षा के क्षेत्र में कई आयोग बने- जैसे राधाकृष्णन आयोग, मुदलियार आयोग, कोठारी कमीशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। उसके बाद अब हम स्वागत कर रहे हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति बदलाव की बुनियाद है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत अनेक सामाजिक समूहों यथा दलित, वंचित जनजातीय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, महिलाएँ सबका समुचित समावेश शिक्षा के माध्यम से करने की कार्ययोजना निहित है अर्थात नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) का अपना महत्व है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देती है। पढ़-लिखकर छात्र अपने जीवन को सुचारू रूप से व्यतीत करे, इसलिए व्यावसायिक शिक्षा के रूप में भी उस पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कई महत्वपूर्ण पहलू हैं, क्योंकि यह ज्ञान-विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार, प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय चेतना जीवन मूल्य पर बल देती है । इसके साथ-साथ स्वास्थ्य शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, गहन चिंतन, तार्किक सोच (क्रिटिकल थिंकिंग) रचनात्मक सोच, सहभागिता (कॉलाब्रेटीव लर्निंग) संचार, समस्या समाधान कौशल ,ध्वनि विज्ञान, निर्णय लेने की क्षमता, अनुभव आधारित ज्ञान, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, लोकतांत्रिक व्यवसाय कुशल, नेतृत्व कौशल, भारत का ज्ञान, वैश्विक जागरूकता विषय एकीकरण (क्रॉस करिकुलम लर्निंग), जीवन कौशल एवं मूल्य, साहित्य सराहना आदि।

इन सब मुख्य बिंदुओं पर गौर करें तो हम पाएँगे कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति छात्र के संपूर्ण एवं सर्वांगीण विकास पर जोर देती है। साथ-ही-साथ बड़ी सहजता से मातृभाषा के सहारे छात्र की समझ विकसित करने पर भी बल देती है। विद्यालय में जब तक यह नीति शिक्षण का भाग न बने, तब तक इसका विकास नहीं हो सकता। अत: सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अध्यापकों के कंधों पर है। अध्यापक को माँझी बनना होगा। छात्रों को पढ़ने के लिए जरूरी है कि अपनी भाषा 'मातृभाषा' की पतवार भी साथ हो। अब प्रश्न यह उठता

है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भाषा कक्षा में किस तरह से ले जाया जाए? तो वही बात आती है कि भाषा कक्षा को उपयोगी करने के लिए, उसे रोचक बनाने के लिए भाषा के सारे सिद्धांतों को देखते हुए उसे प्रैक्टिकल या वास्तविक बनाया जाए।

भाषा के चार कौशल हैं- सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। मुख्य रूप से यही भाषा शिक्षण के आधार स्तंभ हैं। इन पर ही भाषा टिकी हुई है। इसके साथ-साथ शिक्षण में सांस्कृतिक कौशल को भी जोड़ना चाहिए। आज 21वीं सदी में सब कुछ बदल रहा है, जीवन शैली बदल रही है, हर चीज बदल रही है। अत: शिक्षण पद्धति में भी परिवर्तन हो, यह आवश्यक है। ऐसी स्थिति में हम 21वीं सदी के कौशलों पर चर्चा करें तो पाएँगे कि मुख्य रूप से भाषा की कक्षा में यह चार कौशल तो होने ही चाहिए (4 सी) संप्रेषण, सहयोग, रचनात्मकता और तार्किक सोच। जैसे कि पहले कहा गया है कि 4 कौशलों में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना आता है। 'संप्रेषण' सबसे पहले जरूरी है कि हम बच्चे को बोलना सिखाएँ, लेकिन बोलना कब सीखेगा, जब वह सुनना सीखेगा तो सुनना और बोलना संप्रेषण का मुख्य आधार हुआ। संप्रेषण के लिए संवाद बहुत जरूरी है। बिना संवादों के समाज में भाषा की कल्पना निरर्थक है।

शिक्षा के क्षेत्र में नित नए प्रयोगों के मध्य जनमानस, शिक्षा को सुदृढ़ नींव प्रदान करने वाले तत्वों को समझने का प्रयास नहीं करता। किसी भी क्षेत्र में गतिशीलता का आधार संवाद होता है। संवाद वह है, जिसके आधार पर व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करता है, अपने विचारों का आदान-प्रदान करता है।

शिक्षा के अंतर्गत भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। NEP के जो उद्देश्य हैं, उन्हें हम कक्षा में कैसे प्रयोगात्मक रूप में लाएँ, ऐसे में सहयोग की बात आती है। इसके लिए क्या करना होगा? किस प्रकार उद्देश्यों को पूरा किया जाए? यह प्रोजेक्ट के आधार पर देख सकते हैं । जैसे हमने कोई एक पाठ लिया या कोई एक विषय लिया और उस विषय को कक्षा में समूह में बाँटा। समूह में बाँटने के बाद अंक निर्धारित कर देंगे और उसके आधार पर बच्चों को समझाया जा सकता है कि आप समूह में कार्य करें।

सहयोग कौशल : कुछ छात्र जो बोलने में अच्छे होते हैं, कुछ सोचने में अच्छे होते हैं, कुछ में शोध प्रवृत्ति अच्छी होती है, कुछ अछा लिखना जानते हैं। कुछ चित्रकारी में प्रवीण होते हैं, कुछ प्रस्तुति में । अत: सहयोग कौशल द्वारा हर बच्चे को उसकी मनपसंद या उसकी इच्छा अनुसार सीखने का मौका मिलता है अर्थात क्रिएटिविटी। रचनात्मक लेखन छात्र के ज्ञान को कल्पना की उड़ान देता है और वह अपनी इच्छा अनुसार अपने नए सृजन के अनुसार रचना करता है। अब यह कि जो प्रोजेक्ट कक्षा में दिया गया या किसी विषय पर बोलने के लिए कहा गया या फिर किसी विषय पर लिखने के लिए कहा गया तो वह अपनी रचनात्मकता के साथ सुंदर तरीके से उसे प्रस्तुत करता है।

21वीं सदी के कौशलों में एक और कौशल है- तार्किक सोच (क्रिटिकल थिंकिंग)

छात्रों में दक्षता होती है कि वह सोच विचार कर, सही और गलत समझकर, निर्णय लेकर अपने विचारों को प्रस्तुत करें। तर्क देकर, लॉजिक किस तरह से हो, इस स्वतंत्र सोच का निर्माण करती है, तार्किक सोच।

रचनात्मक लेखन के तत्वों पर यदि विचार करेंगे तो यह बात आती है कि उसकी मुहावरेदार भाषा शैली,

उसकी मौलिकता, प्रवाह,कल्पना यह सब चीजें होने पर ही किसी भी विषय की रचना तथा रचनात्मक लेखन किया जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है 'समेकित अधिगम'। समेकित अर्थात सभी विषयों के साथ एकीकरण और सीखना।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य जीवन 'मूल्य'। शिक्षा में जीवन मूल्य ही ना हो तो क्या हमारा शिक्षित होना सार्थक होगा। वर्तमान में मदद, सहायता, परोपकार जैसे मूल्य पुराने हो गए हैं। यही कारण है कि समाज संवेदनहीन होता जा रहा है। कक्षा में नैतिक मूल्यों पर जोर दिया जाए, नैतिक कहानियाँ पढ़ाई जाए, नैतिक कहानियों के जरिए छोटी-छोटी गतिविधियाँ कराई जाए, छात्रों के मन को टटोला जाए कि उनके घर में बैठे दादा-दादी या नाना-नानी के साथ क्या कभी बात करते हैं।

अत: जरूरी हो जाता है कि पाठ्यक्रम के साथ-साथ पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे नैतिक मूल्य हम रखें, एवं पाठ का चयन इस तरह का हो, जिससे बच्चा पढ़ कर जीवन में उतार ले और न केवल उसकी दसवीं-बारहवीं तक वह बात याद रखें, बल्कि जीवन का अनुभव बन जाए।

अब समस्या समाधान कौशल या प्रॉब्लम सॉल्विंग और निर्णय लेने की क्षमता की बात करते हैं। इस तरह का शिक्षण हो कि जिसमें ऐसे टास्क दिए जाएँ एवं ऐसे प्रश्न हों, जो छात्र सोच कर अपनी समस्या का समाधान निकालें। याद दिला दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रटन पद्धति बिल्कुल हट गई है। यह सोचने और समझने की शक्ति पर बल देती है। इसीलिए कक्षा एक से ही क्यों नहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाया जाए, इस तरह समस्या समाधान सिखाएँ, उदाहरण चींटी को चीनी तक ले जाएँ, राजा को खजाने तक पहुँचाएँ। इस प्रकार की गतिविधियों द्वारा निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। इस तरह छात्र अपने दिमाग पर जोर देगा, सोचेगा, समझेगा, सूझबूझ के द्वारा अपनी समस्या का हल निकालने की कोशिश करेगा तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत पहेलियाँ हो सकती हैं।

प्रौद्योगिकी की शिक्षा भी महत्वपूर्ण हो गई है। इसे हर बच्चे को सीखना होगा। भाषा शिक्षण में श्रव्य-दृश्य माध्यम के द्वारा वीडियो के द्वारा कहानी सुनाई जाए, दिखाई जाए। इस तरह से हम अपनी कक्षा को रोचक बना सकते हैं और जब उसके सामने दृश्य चलता है तो वह जल्दी सीख सकता है।

जब हम इतनी चीजों की बात कर चुके हैं तो पर्यावरण शिक्षा भी आती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के हर घर में तुलसी का पौधा उपलब्ध होता है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी लाभदायक है, क्योंकि तुलसी में अनेक गुण होते हैं। तुलसी, पीपल, वट वृक्ष पर सावित्री की पूजा ही ले लीजिए-छात्रों को इससे संबंधित चीजों को कक्षा में सुनाया जाए। जीवों के प्रति आदर 'हाथी मेरा साथी' जीवों के प्रति रक्षा यह भाव कक्षा से आता है। जब हम बात करते हैं पर्यावरण की तो पर्यावरण में केवल वृक्ष नहीं हैं, पेड़ पौधे नहीं हैं, बल्कि जल, जीव, जंतु और जंगल सब समाहित हो जाता है। प्लास्टिक पर्यावरण का दुश्मन-अर्थात छात्रों को इस प्रकार शिक्षा दी जाए कि प्लास्टिक हमारे लिए जरूरी नहीं है। कई सरकारी, गैर-सरकारी विज्ञापन बनते हैं, जिसे कक्षा में दिखाए जाने चाहिए, जिन पर काम करवाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्वास्थ्य शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा पर भी बल दिया गया है। विद्यालय एक प्रयोगशाला है। छात्रों को सिखाने की प्रयोगशाला।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत को जानने की बात कही गई है। यह मूलभूत और महत्वपूर्ण पहलू है। यदि छात्र को लोकल से ग्लोबल नागरिक बनाना है तो जरूरी हो जाता है कि अपनी जड़ों को समझना। अपने परिवेश को पहचानना अर्थात भारत को जानना, भारत के रीति-रिवाजों, परंपराओं, संस्कृति, व्यवसाय, तीज-त्योहार, सबकी पहचान बहुत जरूरी है। तभी युवा अपने देश के महत्व को जानेंगे, तभी विश्व स्तर तक वैश्विक नागरिक बन पाएँगे और इसके लिए यह भी जरूरी हो जाता है कि हर स्थान की भाषा, संस्कृति और परंपराओं का सम्मान किया जाए। इस प्रकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सफल बनाया जा सकता है। ❑

नई शिक्षा नीति के विविध आयाम और भविष्य

अर्जुन पासवान

शोधार्थी, हिंदी विभाग
कॉटन विश्वविद्यालय
गुवाहाटी-781001
मोबाइल : 8486373371

"शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं" -नेल्सन मंडेला।

जहाँ भी मानव की मौलिक सुविधाओं की बात होती है, वहाँ भोजन, कपड़ा और रहने के लिए घर को ही प्रमुखता दी जाती है। यह बात सही भी है, क्योंकि इन मौलिक सुविधाओं के बिना वे जीवित नहीं रह सकते और यही कारण भी है कि इनके लिए मानव आजीवन संघर्षरत रहता है। किंतु ये सुविधाएँ हर किसी के नसीब नहीं होती। किंतु कुछ विशेष प्रयत्न द्वारा इन्हें प्राप्त किया जा सकता है और इन्हें प्राप्त करने का सबसे उत्कृष्ट साधन ही-शिक्षा है। "शिक्षा वह अस्त्र है, जिसकी धार से मानव अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। केवल लौकिक या भौतिक चीजों को पा लेना ही शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं, बल्कि अपने आप को तथा अपने जीवन के उद्देश्य को भलिभाँति समझना और अपने लिए मोक्ष का मार्ग खोलने का प्रयास करना ही इसका परम उद्देश्य है।"[1]

"शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है; शिक्षा ही जीवन है"-जॉन देव।

शिक्षा की परिभाषा :

शिक्षा प्रत्येक मानव के लिए एक जैसी नहीं होती। सभी इसे अपने जीवन में प्राप्त अनुभवों के माध्यम से ही अर्जित करते हैं। प्राचीन काल से आज तक शिक्षा के उद्देश्य के संदर्भ में जो भी परिवर्तन हुए उनके आधार पर इसे परिभाषित किया गया। शिक्षा की प्रकृति और उद्देश्यों के आधार पर विभिन्न आचार्यों ने इसे परिभाषित किया। जैसे -

शिक्षा वह है, जिसका प्रमुख साध्य मुक्ति है-उपनिषद।।

शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा हौ-प्लेटो

बौद्ध दर्शन के अनुसार, शिक्षा वह है जो निर्वाण दिलाए।

जैन दर्शन के अनुसार, शिक्षा वह है जो मोक्ष की प्राप्ति कराए।

अरविंद के अनुसार, शिक्षा का अभिप्राय व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का विकास है।

डम्बिल के शब्दों में, शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत वे सभी प्रभाव सम्मिलित होते हैं, जो मानव को बाल्यावस्था से लेकर मृत्युपर्यंत तक प्रभावित करते हैं।

गीता से अनुसार, 'सा विद्या विमुक्ते' अर्थात शिक्षा या विद्या वही है, जो हमें सभी बंधनों से मुक्त करते हुए हमारा विस्तार करे।

इन परिभाषाओं को देखने पर हमारे जीवन में शिक्षा का महत्व क्या है, उसे आसानी से समझ सकते हैं।

नई शिक्षा नीति के विविध आयाम :

प्राचीन भारत की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत एवं प्रगति का मूल आधार युगीन शिक्षा ही थी। प्राचीनकालीन शिक्षा का उद्देश्य जिस प्रकार विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण करते हुए धर्म की रक्षा करना तथा निर्वाण की प्राप्त करना था, वहीं समय बीतने पर इसके उद्देश्यों में भिन्नता आई और मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य अपने आप को ज्ञान के माध्यम से समर्थ बनाते हुए अपना पांडित्य प्रर्दशन करना तथा विश्व गुरु के रूप में अपना परिचय देना हो गया। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हमारे मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख धरोहर थे।

आधुनिक काल तक आते-आते हमारे देश में अँग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए और उन्होंने हमारे देश में जिस शिक्षा व्यवस्था का ढाँचा निर्माण किया, वह केवल उनके उद्देश्यों की पूर्ति करता। इसका परिणाम यह हुआ कि हमें केवल वही शिक्षा दी जाने लगी, जो उनके नौकर होकर जिससे हम उनके काम आ सकें, किंतु उनसे आगे न बढ़ पाएँ। हालाँकि अँग्रेजों ने हमारे देश में शिक्षा के संदर्भ में कई आधुनिक और क्रांतिकारी बदलाव भी किए, किंतु इन सबके बाद भी उनकी शिक्षा और दूसरी नीतियों का मूल उद्देश्य हमें दबाए रखना ही रहा।

आजादी के बाद हमारे देश में जब सब कुछ नए सिरे और नवीन ऊर्जा से शुरू हो रहा थी। तब हमारे संविधान ने शिक्षा के संदर्भ में कई नीतियाँ बनाईं, जिसने हमारे लोगों के लिए संजीवनी की तरह काम किया। उसी समय 1948 में राधाकृष्णन शिक्षा नीति, 1952 मुदलियार शिक्षा नीति आदि आईं, जिसने देश में सभी के लिए मुफ्त शिक्षा की नींव रखी। उसके बाद 1968 में कोठारी शिक्षा नीति आई, इस नीति के तहत शिक्षा के संदर्भ में बहुत गहराई से सोचा गया। शिक्षा को मुफ्त करने के साथ-साथ किस प्रकार लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित और आकर्षित किया जाए, इस बात पर अधिक जोर दिया जाने लगा। इसीलिए स्कूलों में मीड डे मील की सुविधा पहली बार की गई।

इसके बाद 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति सामने आई। इस नीति में पुरानी कमियों को दूर करते हुए प्राइमरी स्कूल के साथ माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के संदर्भ में विशेष ध्यान देते हुए नवीन नीतियाँ बनीं। इस नीति के तहत ही पहली बार हमारी शिक्षा प्रणाली में 10+2+3 ढाँचे को अपनाया गया। इस नीति का मूल उद्देश्य ऐसी शिक्षा प्रदान करने का रहा, जिससे लोकतंत्र के सभी लोगों के उद्देश्यों की प्राप्ति हो। इस नीति में देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं लोकतंत्रीय आदि सभी दिशाओं में शिक्षा के महत्व को समझा गया। साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस नीति में शिक्षा को व्यावहारिक बनाने हेतु हर प्रकार की शिक्षा की ओर ध्यान देने का काम किया गया।

इनके बाद भी हमारे देश की शिक्षा नीतियों में कई बदलाव समय-समय पर होते रहे। किंतु नई शिक्षा नीति 2020 इन सबसे अलग एक नई सोच की पहल है। शिक्षा के संदर्भ में क्रांतिकारी बदलाव इसकी एक खास विशेषता रही है।

यह नीति इसलिए भी खास है, क्योंकि इसमें इसके पूर्व की सभी शिक्षा नीतियों का निचोड़ है। इसकी कुछ खास पहल या विशेषताओं की अगर बात करें तो, उनमें-

1.स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र अधिगम समग्र एकीकृत, आनंददायी और रुचिकर करना।

2.समतामूलक शिक्षक और समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम।

3.स्कूल कॉम्प्लेक्स / क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेस।

4.भारतीय उच्चतर शिक्षा व्यवस्था हेतु एक नया और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण।

5. समग्र और बहु विषयक शिक्षा की ओर एक पहल।

6. सीखने के लिए अनुकूलतम वातावरण व छात्रों को सहयोग प्रेरित, सक्रिय और सक्षम संकाय।

7. शिशु के बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सीखने की नींव बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान।

8. ड्रॉपआउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना।

9. उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश शिक्षक शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा का नवीन आकलन।

10.नवीन राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एन.आर.एफ) के माध्यम से सभी क्षेत्रों में गुणवत्तायुक्त अकादमिक अनुसंधान को उत्प्रेरित करना।

11.उच्चतर शिक्षा की नियामक प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए प्रभावी शासन और नेतृत्व।

12.अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं एकीकरण तथा जीवनपर्यंत सीखना।

13.भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्द्धन।

14.ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा प्रौद्योगिकी का न्यायसम्मत उपयोग सुनिश्चित करना।

15.केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सशक्तीकरण।

16. वित्त पोषण : सभी के लिए वहनीय एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा[2] आदि शामिल हैं।

शिक्षा भविष्य के लिए पासपोर्ट है, जो आज इसके लिए तैयारी करते हैं-माल्कॉम एक्स।

नई शिक्षा नीति में इस बात को खास महत्व देते हुए शिक्षा के इन मुद्दों पर कुछ विशेष ध्यान दिया। लगभग 34 वर्षों के बाद डॉ. के. कस्तुरीरंगन जी की अध्यक्षता में यह नई शिक्षा नीति आई है। इस नीति का मूल उद्देश्य देश के प्रत्येक व्यक्ति को केवल शिक्षित करना ही नहीं रहा, बल्कि उन्हें अपनी मातृभाषा में बुनियादी शिक्षा देते हुए उनमें आत्मविश्वास पैदा करना, साथ ही उच्च शिक्षा के संदर्भ में उनकी रुचि अनुसार पारंपरिक शिक्षा के साथ-साथ, विविध प्रकार के व्यावहारिक व कौशल शिक्षा भी प्रदान करना, जिससे उनके लिए अनेक प्रकार के रोजगार के रास्ते खोले जा सकें।

गांधीजी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा, ''शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के सर्वांगीण विकास शरीर मस्तिष्क और आत्मा से है।''

''गांधीजी की इस बात को यह नई शिक्षा नीति काफी हद तक अनुकरण करती है, क्योंकि इस नवीन शिक्षा में बच्चों को उनकी रुचि अनुसार अपनी मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया और यह बात सच है कि हर व्यक्ति को अपनी मातृभाषा प्रिय होती है। इसलिए अगर उनकी शिक्षा की नींव भी मातृभाषा में रखी जाए तो जाहिर है के उनके ज्ञान और प्रतिभा के विकास में अवश्य पंख लग जाएँगे।''[3]

नई शिक्षा नीति के तहत आधुनिक भारत और उसकी सफलताओं और चुनौतियों के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान शामिल किया जाएगा। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के संबंध में भारत की भविष्य की आकांक्षाओं की स्पष्ट भावनाएँ भी शामिल होंगी। इन तत्वों को पूरे स्कूल पाठ्यक्रम में जहाँ भी प्रासंगिक हो, वहाँ वैज्ञानिक तरीके से और एक सटीक रूप से शामिल किया जाएगा।

साथ ही साथ गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन,योग, वास्तुकला, चिकित्सा, कृषि, इंजीनियरिंग, भाषा विज्ञान, साहित्य, खेल के साथ-साथ शासन, राज व्यवस्था संरक्षण आदि विषयों को शामिल किया जाएगा। जनजातीय

एथनो-औषधीय प्रधाओं, वन प्रबंधन, पारंपरिक (जैविक) फसल की खेती, प्राकृतिक खेती आदि में विशिष्ट पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराए जाएँगे।[4] भारतीय ज्ञान प्रणालियों पर एक आकर्षक पाठ्यक्रम भी एक वैकल्पिक के रूप में माध्यमिक विद्यालय में छात्रों के लिए उपलब्ध होगा।

''मस्ती और स्वदेशी खेलों के माध्यम से विभिन्न टॉपिक्स और विषय सीखने के लिए स्कूलों में प्रतियोगिताएँ आयोजित की जा सकती हैं। पूरे स्कूल पाठ्यक्रम के दौरान विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में प्राचीन और आधुनिक भारत के प्रेरणादायक व्यक्तित्वों पर वीडियो वृत्तचित्र दिखाए जाएँगे। छात्रों को सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों का दौरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।''[5]

नई शिक्षा नीति का भविष्य:

जिस प्रकार यह संसार परिवर्तनशील है, उसी प्रकार यहाँ की सभी चीजें भी परिवर्तनशील हैं। और परिवर्तन ही ज्ञान का प्रवेश द्वार भी है, क्योंकि इससे ही नए विचार,नए दृष्टिकोण तथा नए रास्ते खुलते जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि संसार में उसका ही आधिपत्य अधिक समय तक बना रहता है, जो अपने आप को संसार के वातावरण में ढाल सका है। जैसे हर नई चीज को अपनाने में थोड़ा समय लगता है, किंतु उसके प्रयोग से यदि किसी को अच्छा अनुभव व फायदा हो तो वह चीज सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है ।

शिक्षा का उदय वेदों से माना जाता है। वेदों में विद्या का अर्जन ही शिक्षा का उद्देश्य रहा। किंतु समय-समय पर अपना स्वरूप अवश्य बदलता रहा है। किंतु मुख्यत: व्यक्ति के चरित्र निर्माण के साथ-साथ उसे नैतिक मूल्यों से अवगत कराते हुए सही मार्ग पर चलने को प्रेरित करना तथा मोक्ष का साध्य था। ''सीखने के परिणामों की वर्तमान स्थिति और जो आवश्यकता है, उनके बीच की खाई को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और उच्चतर शिक्षा के माध्यम से शिक्षा में उच्चतम गुणवत्ता, इक्विटी और सिस्टम में अखंडता लाने वाले प्रमुख सुधारों के जरिए बाँटा जाना चाहिए।''[6] इस नीति के तहत शिक्षा व्यवस्था, जो क्रांतिकारी परिवर्तन करते हुए देश को सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसित करेगा, उनमें-

1. नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए जी.डी.पी. का 6 प्रतिशत हिस्सा खर्च किया जाएगा।

2. शिक्षा को आसान बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा।

3. पढ़ने के लिए संस्कृत तथा देश के प्राचीन भाषाओं को विकल्प के रूप में रखा जाएगा।

4. सभी बोर्ड की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा, जिससे छात्रों के बोझ कम होंगे।

5. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी।

6. नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बच्चों को पढ़ाई के साथ ही उनके कौशलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।[7] आदि शामिल हैं।

यह एक ऐसी नीति बन सकती है, जो कि ''किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध करा सके। साथ ही साथ GER (Gross Enrolment Ratio) पर भी विशेष ध्यान दिया जा सके, जिससे इसकी संख्या में बढ़ोतरी करते हुए 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100 प्रतिशत किया जा सके। इस नीति का राष्ट्रीय शिक्षा का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है, जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराके और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्यायसंगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी।''[8]

इस नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षाविधि छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करे। नीति का विजन छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में, बल्कि व्यवहार बुद्धि और कार्यों में भी और साथ ही

ज्ञान, कौशल मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवनयापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, ताकि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सकें। शिक्षा बराबरी सुनिश्चित करने का एक बड़ा माध्यम है और इसके द्वारा समाज में समानता, समावेशन और सामाजिक-आर्थिक रूप से गतिशीलता हासिल की जा सकती है। ऐसे समूहों के सभी बच्चों लिए परिस्थितिजन्य बाधाओं के बावजूद, हर संभव पहल की जानी चाहिए, जिससे वे शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश भी पा सकें और उत्कृष्ट प्रदर्शन भी कर सकें।

निष्कर्ष :

कौटिल्य के अनुसार, ''शिक्षा मानव को एक सुयोग्य नागरिक बनाना सिखाती है तथा उसका व्यक्तिगत विकास करती है।''

यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है, जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों, जिनमें एसडीजी 4 शामिल हैं, के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नेस सहित सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है।

पूर्व की अन्य सभी शिक्षा नीतिओं की तरह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है। यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्या ज्ञान व उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होता है, बल्कि नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होता है। इसके मूल्यांकन हेतु एक लाइव डैशबोर्ड का भी आरंभ किया जाएगा, जिसके माध्यम से इस पॉलिसी के कार्यान्वयन प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी। इस योजना के तहत कॉलेज एवं विश्वविद्यालय स्तर के नीतिगत बदलाव लागू करने पर भी जोर दिया जाएगा।

इसमें शिक्षा मंत्रालय ने 181 कार्यों को आगे रखकर उस लक्ष्य को इस नीति के तहत पूरा करने की परिकल्पना की है। इनमें मुख्यत: मातृभाषा में बुनियादी शिक्षा, 5+3+3+4 के पैटर्न में स्कूली शिक्षा देना, स्नातकोत्तर शिक्षाओं में विषयों के विविध विकल्प के चुनाव की स्वतंत्रता, व्यावहारिक शिक्षा, यूनिवर्सिटी डिग्री में प्रवेश व निकास के साथ साथ क्रेडिट बैंक सिस्टम आदि की सुविधाएँ प्रमुख हैं। इन लक्ष्यों के प्रति अगर ध्यान देते हुए ईमानदारी से नई शिक्षा नीति को व्यवहार में लाया तथा अपनाया गया तो संभव है कि हमारा देश फिर से विश्व गुरु बनकर सबके सामने खड़ा हो सकेगा। ❑

संदर्भ :

1. चक्रवर्ती, ए.के: प्रिसीपल एण्ड प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन, आर. लाल बुक डिपोमेरठ, पृ.सं-63
2. रिपोर्ट- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृ.सं-3, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
3. गुप्त, पाल एवं मदन मोहन: शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार, न्यू कैलाश प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ.सं-35
4. रिपोर्ट- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृ.सं-19, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
5. रिपोर्ट- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृ.सं-24, मानव संसाधन विकास मंत्रालय,भारत सरकार।
6. रिपोर्ट- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृ.सं-74, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
7. रिपोर्ट- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृ.सं-94, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
8. सक्सेना, डॉ. सरोज: शिक्षा के दार्शनिक व सामाजिक आधार, साहित्य प्रकाशन, आगरा।
9. web.http:education.gov.in

नई शिक्षा नीति और असम की बी.एड. शिक्षा

डॉ. नवकांत दास [1]

प्रांजल कुमार नाथ [2]

1. विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, रंगापारा महाविद्यालय, शोणितपुर, असम
2. सहायक अध्यापक रंगापारा महाविद्यालय, शोणितपुर, असम
मोबाइल : 9864138067

भारतीय शिक्षा-प्रणाली का एक अपना इतिहास है। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष शिक्षा के प्रचार और प्रसार को विशेष महत्व प्रदान करता आया है। वर्तमान वैज्ञानिक और तकनीकी के युग में दूसरों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए जरूरी है लोगों का समय के साथ चलना। शिक्षा भी इससे भिन्न नहीं है। क्योंकि यही एक चीज है, जिसके द्वारा लोग कुछ अच्छा करने की, अच्छा सोचने की शक्ति प्राप्त करते हैं। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के समग्र विकास के आमूल परिवर्तन में नई शिक्षा नीति का प्रयोग बहुत ही विचारणीय है। नई शिक्षा प्रणाली न केवल नई डिजाइन के साथ सामने आई है, बल्कि शिक्षण को लेकर, अपनी भाषा-संस्कृति को लेकर, शिक्षार्थी के सभी नैतिक, सामाजिक विकास को लेकर सामने आई है। जागरण में उल्लेखित 'समाज और देश के निर्माण में शिक्षकों का अहम योगदान' नामक लेख में उल्लेख है-''किसी भी राष्ट्र का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास उस देश की शिक्षा पर निर्भर करता है। अगर राष्ट्र की शिक्षा नीति अच्छी है तो उस देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अगर राष्ट्र की शिक्षा नीति अच्छी नहीं होगी तो वहाँ की प्रतिभा दब कर रह जाएगी। बेशक किसी भी राष्ट्र की शिक्षा नीति बेकार हो, लेकिन एक शिक्षक बेकार शिक्षा नीति को भी अच्छी शिक्षा नीति में तब्दील कर देता है।''[1] इस बात से शिक्षक की अहमियत का पता चल जाता है। इसके साथ अगर शिक्षा की नीति भी अच्छी हो तो इससे अधिक अच्छी बात हो ही नहीं सकती।

असल में विद्यालयों में पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में प्रशिक्षित होने की शिक्षा अथवा उपाधि का नाम ही है बी.एड. अर्थात शिक्षा में स्नातक। अँग्रेजी में जिसे bachelor of education कहा गया है। इसे करने के बाद लोगों को आसानी से सरकारी अथवा गैर-सरकारी विद्यालयों में नौकरियाँ मिल जाती हैं। पहले की नीति अनुसार भारत वर्ष के साथ-साथ असम में भी बी.एड. शिक्षा एक साल की थी, जिसे बाद में इसके महत्व को ध्यान में रखकर दो साल का बना दिया गया।

नई शिक्षा नीति के अनुसार बी.एड. का समय अब पहले जैसा नहीं रहेगा,

अपितु वर्ष 2030 तक, शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री अनिवार्य किया जाएगा । नई शिक्षा नीति में 2 वर्षीय बी.एड. शिक्षा की व्यवस्था की गई है, मगर यह उनके लिए सुलभ होगा, जो पहले से ही अन्य विशिष्ट विषयों में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुके हों। साथ ही साथ यहाँ 1 वर्षीय बी.एड. शिक्षा की भी बात की गई है। यह सिर्फ उनके लिए है, जो चार वर्षीय बहुविषयक स्नातक डिग्री या किसी विशिष्टता में पारा-स्नातक डिग्री प्राप्त कर उस विशिष्ट विषय में शिक्षक बनना चाहते हैं और यह पूरे भारतवर्ष के साथ-साथ असम में भी समान रूप से प्रारंभ किया जाएगा। ध्यान देने की बात है कि समाज में शिक्षकों की तुलना भगवान के साथ की जाती है अथवा कुछ लोग इनका स्थान भगवान से भी ऊपर मानते हैं। अगर मान भी लिया जाए कि ईश्वर पूरे ब्रह्मांड का निर्माता है तो शिक्षक समाज का अथवा राष्ट्र का निर्माता है, क्योंकि शिक्षक वह पिल्लर है, जिसकी मजबूती से ही छात्र अपने वर्तमान और भविष्य का घर मजबूत करता है। शिक्षक का शिक्षा के प्रति इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति घोषणा करती है कि ''सभी बी.एड. कार्यक्रमों में शिक्षण-शास्त्र की जाँची-परखी तकनीकों के साथ-साथ हाल ही में सबसे नवीनतम तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें बुनियादी साक्षरता और संख्या-ज्ञान के संबंध में शिक्षण-शास्त्र, बहुस्तरीय शिक्षण और मूल्यांकन, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, विशेष रुचि या प्रतिभा वाले बच्चों को पढ़ाना, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग और शिक्षार्थी केंद्रित एवं सहयोगात्मक शिक्षण शामिल है। सभी बी.एड. कार्यक्रमों में स्थानीय स्कूलों में जाकर कक्षा में शिक्षण कराने को व्यावहारिक प्रशिक्षण के रूप में शामिल किया जाएगा । सभी बी.एड. कार्यक्रम किसी भी विषय को पढ़ाने या किसी भी गतिविधि को करने के दौरान भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों (अनुच्छेद 51 A) और अन्य संवैधानिक प्रावधानों का पालन करने पर बल दिया जाएगा। इसमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता और उसके संरक्षण तथा सतत विकास के प्रति संवेदनशीलता को भी उचित रूप से एकीकृत किया जाएगा, ताकि पर्यावरण शिक्षा स्कूल पाठ्यचर्या का एक अभिन्न अंग बन सके।''[2]

असम की बी.एड. शिक्षण व्यवस्था में भी स्थानीय स्कूलों में जाकर शिक्षण कराया जाना आवश्यक है, लेकिन बाकी जो विषय नई नीति में जोड़े गए हैं वे यहाँ नजर में नहीं आते। असम ही नहीं, अगर पूरे भारतवर्ष के बी.एड. कॉलेजों की बात करें तो नई शिक्षा नीति उस बी.एड. शिक्षण प्रतिष्ठान के लिए भारी पड़ सकती है, जो अध्यापक शिक्षण प्रणाली की प्रामाणिकता का पूर्णत: निर्वाह किए बिना अपना काम चला रहे हैं। इस शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण बिंदु है- शिक्षक समाज। इन्हीं के हाथों ही समाज अथवा देश के भविष्य का निर्माण होता है । ऐसे में बी.एड. शिक्षा का महत्व बहुत ही सराहनीय है। उल्लेखनीय है कि इस नई शिक्षा नीति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बी.एड. को लेकर लिखी गईं कुछ बातें लोगों के चिंता का कारण बन गई हैं । नई शिक्षा नीति में बी.एड. शिक्षा को महत्व देते हुए यह उल्लेख किया गया है कि अगली पीढ़ी को आकार देने वाले शिक्षकों की एक टीम के निर्माण में अध्यापक शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से बहुविषययक दृष्टिकोण और ज्ञान की आवश्यकता अथवा बेहतरीन मेंटरों के मूल्यों के निर्माण हेतु निरंतर कई सालों से चलने वाले एक ही प्रकार के पाठ्यक्रम के बी.एड. महाविद्यालयों को बंद कर देने का प्रस्ताव नई शिक्षा नीति में उल्लेख किया गया है। इस नई नीति के अनुसार बी.एड. में जो चार साल की कार्यसूची प्रारंभ होगी व सिर्फ और सिर्फ विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग अथवा अनेक विषयों से समृद्ध महाविद्यालयों में ही होगी, इसके अलावा बाकी कहीं नहीं। महत्वपूर्ण है कि विषय अथवा समस्या जो भी हो, मगर सच्चाई यह है कि असम के बी.एड. महाविद्यालयों ने बी.एड. शिक्षा के प्रचार और प्रसार में अपना विशेष योगदान दिया है। इन महाविद्यालयों द्वारा दी गई बी.एड. शिक्षा ने असम में शिक्षकों के अभावों की पूर्ति की है। इसके उपरांत यहाँ से ऐसे अनेक शिक्षार्थी निकले हैं, जिन्होंने अपने देश के अनेकों जगहों पर शिक्षा जैसी महान वृत्ति में खुद को

नियुक्त कर देश की सेवा कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति के प्रस्ताव के अनुसार यदि उन महाविद्यालयों में संस्कार और सुधार के विपरीत इसे सीधे-सीधे बंद कर दिया जाएगा तो इससे कई समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। नई शिक्षा नीति उन प्रतिष्ठानों को बंद कर दूसरे अलग-अलग प्रतिष्ठानों में इसका दायित्व अर्पण करना चाहती है और यह बात वैज्ञानिक चिंतन अथवा प्रौढ़ अनुभव जैसा प्रतीत नहीं होता। ऐसे प्रस्ताव से बहुत सारे लोगों

के जीवन में अंधेरा आ सकता है। कारण निरंतर सेवारत बी.एड. महाविद्यालयों के शिक्षक और वहाँ के कर्मचारियों का जीवन इस फैसले से तहस-नहस हो जाएगा, जिन्होंने अपना सब कुछ उस बी.एड. शिक्षा के लिए ही कुर्बान कर दिया है। इस संदर्भ में निरपेक्ष और युक्तिपूर्ण विचार-विमर्श की आवश्यकता है।

बी.एड. व्यावसायिक एवं समाज के उत्थान को दृष्टि में रखकर दी जाने वाली एक शिक्षा-प्रणाली है, जो जीवन अथवा रोजी-रोटी से संबंध रखती है। पिछले कुछ सालों से बी.एड. खासकर असम प्रांत में काफी फायदेमंद सिद्ध हो रहा है। वर्तमान बी.एड. जैसी इस व्यावसायिक शिक्षा को प्राप्त कर असम के बहुत सारे युवा खुद के साथ-साथ अपने घर को चलाने में सक्षम हो रहे हैं । शिक्षा जैसे इस महान कर्म में लोगों को लगाने के लिए वर्तमान असम सरकार भई इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ पालन कर रही है। बी.एड. अथवा टेट जैसे परीक्षण में होने वाली कुछ गलतियों के बावजूद सरकार द्वारा टेट उत्तीर्ण प्रतिभावान को बिना किसी हिचक के नियुक्तियाँ प्रदान करना व भी इस कोरोना महामारी के समय में-यह एक बहुत बड़ी बात है ।

कहा जाता है कि असम की बी.एड. शिक्षण व्यवस्था में व्यय की मात्रा बहुत अधिक है। असल में व्यवसायिक शिक्षा और शिक्षा का व्यावसायिकरण दोनों अलग चीज हैं। नई शिक्षा नीति का प्रधान लक्ष्य शिक्षा के इस व्यावसायिकरण को रोकना है। इसके लिए प्रयोजन है शिक्षा व्यवस्था का परिवर्तन और शिक्षा पर नियंत्रण रखना। नियंत्रण एवं संतुलन युक्त विधि तंत्र से ही शिक्षा का व्यावसायिकरण रोका जा सकता है । इस क्षेत्र में सभी व्यक्तिगत और सरकारी स्कूलों पर सरकारी नियंत्रण जरूरी है, जिस पर नई शिक्षा नीति अपना विचार प्रकट कर चुकी है।

इस संदर्भ में अगर असम के बी.एड. कॉलेजों की अगर बात करें तो यह भी नजर आता है कि इन कॉलेजों में नामांकन फीस इतनी ली जाती है कि बहुत सारे गरीब छात्र इसे पूरा करने में खुद को असमर्थ पाते हैं। जैसे-तैसे करके अगर बी.एड. में अपना दाखिला ले भी लेते हैं तो डिग्री पाने तक उन्हें अपने जीवन में बहुत कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। आशा की जाती है कि इन बातों पर भी नई शिक्षा नीति कुछ न कुछ करेगी और उन बी.एड. महाविद्यालयों के भी बारे में भी सोचेगी। छात्रों के समग्र विकास के साथ-साथ विद्यालयों अथवा महाविद्यालयों की भी सभी दिशाओं के विकास से ही एक सुंदर शिक्षण-प्रणाली का जन्म होगा और जहाँ से सिर्फ और सिर्फ अच्छाई की ही उम्मीद की जाएगी। ❑

संदर्भ सूची :

1. https:m.jagaran.com/blogs brhamarajputvl/important
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ संख्या 36-37।

नई शिक्षानीति-2020 : असम के संदर्भ में उच्च शिक्षा संबंधी संभावनाएँ और चुनौतियाँ

डॉ. अब्दुल मान्नान

सहायक अध्यापक तथा अध्यक्ष,
हिंदी विभाग
आनंदराम ढेकियाल फुकन कॉलेज,
नगांव (असम)
मोबाइल : 7002280236

संक्षिप्त सार :

भारत में बीते 34 वर्षों अंतराल पर अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तुरीरंगन की अध्यक्षता में नई शिक्षानीति-2020 तैयार किया गया। इस नीति के तहत 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' का नाम परिवर्तन करके केवल 'शिक्षा मंत्रालय' रखा गया है। देशभर के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भारतीय उच्च शिक्षा परिषद (HECI) नामक एक एकल नियामक की परिकल्पना की गई। नई शिक्षानीति-2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100 प्रतिशत लाने का लक्ष्य रखा गया है और शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है।

नई शिक्षा नीति-2020 के तहत स्नातक उपाधि 3 या 4 वर्ष की अवधि की होगी, जिसमें उपयुक्त प्रमाण-पत्र के साथ निकास के कई विकल्प होंगे। पीएचडी कार्यक्रम के लिए शोध या स्नातकोत्तर डिग्री के साथ 4 साल के कार्यक्रम की आवश्यकता होगी। एम.फील कार्यक्रम बंद कर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा के संदर्भ में छात्रों को विभिन्न उपायों के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अन्य छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही प्रस्तुत शोध पत्र में असम के संदर्भ में एनईपी-2020 के उच्च शिक्षा संबंधी संभावनाएँ और चुनौतियों पर विचार किया जाएगा।

बीज शब्द : चुनौती, स्वायत्तता, वित्त पोषित, संस्थान, गुणवत्ता आदि।

प्रस्तावना :

स्वतंत्रता के बाद भारतीय शिक्षा प्रणाली काफी विकसित हुई है और अब यह दुनिया की तीसरी बड़ी उच्च शिक्षा प्रणाली बन गई है। देश में शैक्षणिक सुधारों का महत्वपूर्ण मील का पत्थर 1986 में शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति को अपनाया और 1992 में इसका संशोधन रूप आया। 1986 में शिक्षा पर राष्ट्रीय

नीति के निर्माण के बाद भारत के शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे। फिर भी भारत की शिक्षा प्रणाली अब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से बहुत दूर है। गुणवत्ता की दृष्टि से अभी भी शिक्षा व्यवस्था में अनेक चुनौतियाँ हैं।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान वैश्विकरण, अंतर्राष्ट्रीयकरण, सूचना और प्रौद्योगिकी की लहर के कारण विश्व परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया है। यह इंगित करता है कि आज की शिक्षा नीतियाँ बदलते समय और जरूरतों के साथ विकसित होनी चाहिए। इस पृष्ठभूमि के साथ राष्ट्र एक नई शिक्षा नीति के निर्माण की ओर बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था।

तदनुसार एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकसित करने के लिए 31 मई, 2019 को के. कस्तुरीरंगन की अध्यक्षता में 477 पृष्ठ लंबी रिपोर्ट केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंप दी गई। केंद्र सरकार ने 29 जुलाई, 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी, जिसने 34 वर्षों के बाद लंबे अंतराल में भारतीय शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव का संकेत दिया। जहाँ तक असम के संदर्भ में एनईपी-2020 की उच्च शिक्षा की संभावनाएँ और चुनौतियों पर विचार करना हमारा मुख्य विषय है, बड़ी प्रासंगिकता के साथ नीचे विचार किया जा रहा है।

नई राष्ट्रीय शिक्षानीति : 2020 में उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान-

1. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में 'सकल नामांकन अनुपात' (Gross Enrollment Ratio-GER) को 26.3% से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा।

2. एनईपी-2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है।

3. विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' (Academic Bank of Credit) दिया जाएगा ताकि अलग-अलग संस्थानों में छात्रों को प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके।

4. एनईपी-2020 के तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण-पत्र

प्रदान किया जाएगा। जैसे- एक वर्ष के बाद प्रमाण पत्र, दो वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक।

5. पीएच.डी कार्यक्रम के लिए शोध या स्नातकोत्तर डिग्री के साथ 4 साल की कार्यक्रम की आवश्यकता होगी। एम.फील कार्यक्रम बंद कर दिया जाएगा।

नई शिक्षा नीति-2020 का संदर्भ :

एनईपी-2020 के तहत सभी उच्च शिक्षा को तीन प्रकार के उच्च शिक्षा संस्थानों-अनुसंधान विश्वविद्यालयों, शिक्षण विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को पुनर्गठित करने पर जोर दिया गया है। इसके अंतर्गत कॉलेजों को स्वयं स्वायत्त बनाने की योजना रही है। इसलिए 2040 तक सभी संस्थानों को इनमें से एक में बदल दिया जाएगा। इन श्रेणियों और एकल पाठ्यक्रम की पेशकश करने वाले एकल-स्ट्रीम संस्थान, प्रशासनिक और अंतत: वित्त पोषित होंगे। सभी संस्थानो में छात्रों की भर्ती प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगी और प्रत्येक संस्थान बहुविषयक होगा। वे धीरे-धीरे पूर्णस्वायत्तता अकादमिक की ओर बढ़ेंगे, मौजूदा विश्वविद्यालयों में 50% का लक्ष्य सकल नामांकन अनुपात होगा। संस्थागत विकास योजना वाले छात्रों के लिए 'सहायता केंद्र' स्थापित करने और छात्रों को निधि देने की भी आवश्यकता होगी।

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा संचालित उदार शिक्षा:

एनईपी-2020 के तहत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित आदि विषयों के साथ कला और मानविकी के एकीकरण पर जोर दिया है। कल्पनाशील और बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालयों में फिक्सेबल पाठ्यक्रम संरचनाएँ प्रवेश और निकास बिंदु हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भी अधिक कला और मानविकी के साथ उदार शिक्षा की ओर बढ़ेंगे, जबकि कला और मानविकी के छात्र अधिक विज्ञान सीखने का लक्ष्य रखेंगे। साथ ही 'मॉडेल पाब्लिक यूनिवर्सिटी' के रूप में काम करने के लिए बहुविषयक शिक्षा और पुनर्विक्रय विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी।

एनईपी-2020 में प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान के लिए 'बोर्ड ऑफ गवर्नर्स' स्थापित करने का प्रस्ताव है,

एनईपी-2020 को साकार रूप प्रदान करने के लिए विचार-विमर्श, रणनीति बनाने और कार्यान्वयन को एक साथ जारी रखने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, शिक्षण संस्थानों के कार्यकर्ताओं, कंपनियों, नियोक्ताओं और यूनियनों तथा नागरिक संघों आदि के साथ आपस में साझेदारी स्थापित होना असम के प्रसंग में एक बड़ी चुनौती साबित होगी।

जिसके सदस्य सावधानीपूर्वक चुने गए व्यक्तियों का समूह होंगे। मौजूदा वैधानिक निकाय, जिनमें निर्वाचित सदस्य शामिल हैं, जैसे- अकादमिक कार्यकरी परिषद सम्भवत: प्रतिस्थापित किए जाएँगे। एनईपी-2020 का कहना है कि इस हिस्से को हासिल करने के लिए प्रासंगिक विधायी कार्रवाइयों की आवश्यकता होगी।

एनईपी-2020 एक काम के माहौल को फिर से तलाशने के लिए अधिक अनुकूलता प्रस्तावित करने के अलावा नीति योग्यता आधारित कार्यकाल-ट्रैक पदोन्नति और वेतन संरचना का प्रस्ताव करती है। एक ही रैंक के भीतर कई स्तर होंगे। शिक्षकों की उनके सहकर्मियों और छात्रों द्वारा समीक्षा की जाएगी और ये उनकी पदोन्नति और वेतन वृद्धि को तय करने वाले कारक होंगे।

एनईपी-2020 के तहत इक्विटी के मुद्दे को संस्थागत विकास योजनाओं में संबंधित किया जाना है। इसमें अधिक छात्रवृत्ति, विकसित कार्यक्रम, समावेशी प्रवेश प्रक्रिया, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के लिये ब्रिज कोर्स का विकास, परामर्श और सलाह कार्यक्रमों का भी

प्रस्ताव रखा गया है।

एनईपी-2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा :

सभी शैक्षणिक संस्थानों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को नियमित शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के साथ-साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को चलाने की आवश्यकता होगी, ताकि इसी प्रणाली से गुजरने वाले सभी छात्र कम-से-कम एक व्यावसायिक कौशल प्राप्त कर सकें। 2030-35 तक स्नातक व्यावसायिक शिक्षा को इतना व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने का विचार किया जाएगा ताकि लगभग 50 प्रतिशत का दावा किया जा सके।

नई शिक्षानीति-2020 असम के संदर्भ में :

31.2 मिलियन की आबादी वाले असम प्रदेश उत्तर पूर्वांचल का सिंहद्वार है। यह भारत का 17वाँ सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी शिक्षा व्यवस्था राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। असम सरकार एनईपी-2020 को 2023 से लागू करने जा रही है, जिसमें उच्च शिक्षा से संबंधित कुछ चुनौतियों का सामना करना स्वाभाविक है, यथा :-

1. एनईपी-2020 में यह प्रावधान रखा गया है कि छोटे-छोटे कॉलेजों या शैक्षणिक प्रतिष्ठानों को बहुविषयक स्वायत्त संस्थानों में बदल दिया जाएगा, जिससे असम जैसे राज्य को उच्च शिक्षा के विकास में चुनौतियों का सामना करना स्वाभाविक है। असम में बड़े पैमाने पर सिंगल स्ट्रिम वाले प्रतिष्ठान हैं, साथ ही इन प्रतिष्ठानों में आवश्यक प्रबंधन के अभाव के साथ-साथ शिक्षकों की कमी भी परिलक्षित हो सकती है।

2. एनईपी-2020 के तहत कॉलेजों या शैक्षणिक प्रतिष्ठानों को बहुविषयक बनाने के लिए नए-नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएँगे। असम के लिए यह नए पाठ्यक्रम चुनौती का विषय बन सकते हैं, क्योंकि असम में नए पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए आवश्यक गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की कमी होने की संभावना है। साथ ही यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति नए पाठ्यक्रम को चलाने में बाधा बन सकती है।

3. एनईपी-2020 में उच्च शिक्षा के लिए प्रस्तावित परिवर्तनों को सही दिशा में कार्यरत करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच आर्थिक सहयोग को जारी रखना चुनौतीपूर्ण होगा।

4. उच्च शिक्षा को निजी क्षेत्र में खिसकने से रोकने के लिए कड़े नियामक की आवश्यकता को बनाए रखा जाना सही है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार को एनईपी-2020 के लिए कार्यान्वयन योजनाओं को चाक-चौबंद करने के लिए समितियाँ और उप-समितियों का गठन सही तरीके से होने की आशंका रहती है।

5. एनईपी-2020 में प्रस्तावित नए पाठ्यक्रमों को यदि स्ववित्त पोषित के रूप में पेश किया जाए तो आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के छात्रों के लिए इन पाठ्यक्रमों तक पहुँच असम के परिप्रेक्ष्य में एक बड़ी चुनौती बन सकती है।

6. एनईपी-2020 में प्रस्तावित मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के साथ असम के विश्वविद्यालयों के बीच शोध कार्य तथा उच्च गुणवत्ता को लेकर कई सवाल खड़ा होने की संभावना है।

7. भारतीय उच्च शिक्षा परिषद (Higher Education Commission of India-HECI) में स्वायत्तता बहुत वांछनीय है। लेकिन सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थानों के स्वायत्त होने के लिए अधिक-से-अधिक राज्य सरकार द्वारा बुनियादी ढाँचे में वृद्धि और पर्याप्त मात्रा में शिक्षकों की भर्ती के मामले में समर्थन की आवश्यकता है, जिसमें असम जैसे राज्य के लिए चुनौतियों का सामना करना स्वाभाविक है।

8. एनईपी-2020 को साकार रूप प्रदान करने के लिए विचार-विमर्श, रणनीति बनाने और कार्यान्वयन को एक साथ जारी रखने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, शिक्षण संस्थानों के कार्यकर्ताओं, कंपनियों, नियोक्ताओं और यूनियनों तथा नागरिक संघों आदि के साथ आपस में साझेदारी स्थापित होना असम के प्रसंग में एक बड़ी चुनौती साबित होगी।

9. असम जैसे राज्य के लिए एनईपी-2020 को साकार करने में एक विशेष रणनीति की आवश्यकता है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को विशेष रूप से राज्य के आंतरिक हिस्सों में उच्च शिक्षा के लिए प्रस्तावित तीन प्रकार के ग्रेडेट संस्थानों में कैसे समायोजित किया

जा सकता है। इस मुद्दे पर नीति को स्पष्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका लक्ष्य सन 2035 तक 50 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को सुरक्षित करना है।

10. असम के परिप्रेक्ष्य में एनईपी-2020 के तहत प्रस्तावित एचईआईएस की संख्या को लगभग 75 प्रतिशत तक कम करने और मौजूदा लोगों में से बड़ा एचईआईएस बनाने की योजना की गंभीर समीक्षा की आवश्यकता है। इस मुद्दे को हल करने के लिए असम जैसे राज्य के प्रसंग में एक प्रभावी रणनीति के बिना सन 2035 तक 50 प्रतिशत जीईआर के लक्ष्य तक पहुँचना चुनौतीपूर्ण होगा।

11. एनईपी-2020 सुनिश्चित करने के लिए असम जैसे राज्य की रणनीतियाँ शैक्षिक प्रणालियों को मजबूत करने के साथ इसके उपयोग पर जोर देने से पहले प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी की मुद्दे पर जोर देने की जरूरत है। Massive Online Courses (एमओओसीएस) में सुधार के उद्देश्य को समयबद्ध तरीके से बदलने की जरूरत है। अध्ययन के क्षेत्र जैसे- महिला अध्ययन, सांस्कृतिक अध्ययन, मीडिया अध्ययन, दलित अध्ययन, भेदभाव और बहिष्करण के अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन और विकास अध्ययन, जो सभी पिछले तीन-या चार दशकों में चुनौतीपूर्ण तरीके से विकसित हुए हैं और जहाँ बेहतर जीवन, जगह और सक्रिय प्रोत्साहन खोजने की जरूरत है।

12. एनईपी-2020 में विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था के साथ असम जैसे राज्य की शिक्षण व्यवस्था महँगी होने की आशंका है। इसके फलस्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

निष्कर्ष : उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम यह निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि नई शिक्षा नीति-2020 वास्तव में एक दूरदर्शी और व्यापक नीति है, जिससे शिक्षा के सभी क्षेत्रों में एक आदर्श बदलाव लाने की संभावना है। उम्मीद है कि नई शिक्षा नीति-2020 के तहत भारत के साथ-साथ असम जैसे राज्य को भी जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करने में मददगार होगी।

हालाँकि नीति का सफल कार्यान्वयन सही प्रकार की रणनीतिक योजना और व्यापक दृष्टि पर निर्भर करता है। इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों को भी नीति के उचित कार्यान्वयन के लिए शिक्षा में अधिक पूँजी आवंटन की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही भारतीय समाज व्यवस्था के एक बड़े और बुद्धिदीप्त हिस्सा शिक्षक वर्ग को भी शिक्षा नीति की सफलता हेतु जिम्मेदारी के साथ कार्यान्वयन में सहयोग देना होगा। ❑

सहायक ग्रंथ-सूची :

1. Nandini New Education Policy, 2020, Government of India, Ministry of Human Resource Development . Available from https//www.hindustantimes
2. Nandini, New Education Policy, 2020, Highlights: School And Higher Education to see major changes, Hindustan times, 2020
3. Panditrao MM, Panditrao (2020) M.M. National Education Policy
4. नई शिक्षा नीति-2020, नवभारत टाइम्स, अभिगमन तिथि-31 जुलाई 2020
5. मिताली भट्टाचार्य-नूतन शिक्षानीतित मानव कल्याणर धारणा-स्वर्णलिपि, June 2021, Vol-11, Issue-5, ISSN-2231-0517
6. सम्पादकलै चिठी-पुलिन शईकीया- नूतन शिक्षानीति फलप्रसू हबने?- आमार असम (दैनिक असमीया), अभिगमन तिथि- 15 मार्च, 2022

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिवार व्यवस्था और घरेलू भाषा का संदर्भ

डॉ. गोपाल शर्मा

पूर्व प्रोफेसर
डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश लेंग्वेज एंड लिटरेचर (डेल)
अरबा मिंच यूनिवर्सिटी, अरबा मिंच, इथियोपिया

अंग्रेजी साम्राज्यवादी शक्तियों से आजादी मिलने के पश्चात भारत में शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया गया । अब तक कुल तीन राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ (एनईपी) तैयार की गईं । 1968 और 1986 में एक के बाद एक शिक्षा नीतियाँ आईं और फिर अब तीसरी शिक्षा नीति आई, जिसके परिप्रेक्ष्य में भारत की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने का प्रयत्न किया गया । एनईपी में व्यापक बदलाव किए गए हैं और इन व्यापक बदलावों के फलस्वरूप अब शिक्षा और शिक्षा के केंद्र में 'भारत और भारत के अपने सरोकार' विशेष रूप से रेखांकित किए गए हैं । ज्ञान और शिक्षा के अपने पारंपरिक दर्शन और विचारधाराओं को शामिल करके नई शिक्षा नीति ने विद्यार्थी को विद्या के प्रति नई व्यापक दृष्टि प्रदान की है । प्राप्त अनगिनत सुझावों, शिक्षाविदों के अनुभव तथा के. कस्तुरीरंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर शिक्षा तक सबकी आसान पहुँच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित की गई यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए 'एजेंडा 2030' के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और वैश्विक महाशक्ति में बदलकर प्रत्येक छात्र में अंतर्निहित अद्वितीय क्षमताओं को प्रकाश में लाना है।

इस शिक्षा नीति में दो सूत्रों को यहाँ रेखांकित करना लक्ष्य है। एक है- भारतीय परिवार व्यवस्था और दूसरा है-घरेलू भाषा । 'यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों को बरकरार रखने की बात' सबसे पहले कहती है। यह भी कहती है कि 'प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गई है।' यह स्पष्ट है कि भारतीय परंपरा में परिवार व्यवस्था 'संयुक्त' परिवार केंद्रित है। यह भी स्पष्ट ही है कि मातृभाषा के अंतर्गत घरेलू भाषा भी आती है और बहुभाषी भारत में कई परिवारों की अपनी घरेलू भाषा भी होती है। इस देश में परिवार के जीवन मूल्य और भाषा रूप, समाज और देश के सामाजिक मूल्यों और भाषा प्रयोग

से कई बार अलग होते रहे हैं। भिन्नता के बावजूद वे एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। कोई छात्र जब अपने परिवार की भाषा को साथ लेकर समाज और देश की भाषा से साक्षात्कार करता है और फिर अँग्रेजी को भी व्यवस्थित करता चलता है तब वह अपने सभी भाषिक दायित्वों को निभाता चलता है। अपनी भाषा के प्रति आग्रह और भाषा सहिष्णुता को एक साथ साधने वालों के लिए नई शिक्षा नीति की भाषाई समझ-बूझ काबिले तारीफ है। इसलिए शिक्षा नीति में भाषा के प्रश्न को परिवार व्यवस्था से जोड़कर देखा जा सकता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भाषा का अपना भी एक परिवार होता है और विभिन्न 'भाषा-परिवार' के लोग आजकल एक ही परिवार में साथ-साथ रहते हैं । एक ही परिवार में 'पिता' का तमिल भाषी होना और माता का 'पंजाबी' होना कोई अचरज नहीं। पति-पत्नी शायद ही अपनी अपनी मातृ भाषा छोड़ने की सोचते हों । वास्तविकता यह है कि वे अँग्रेजी-हिंदी सहित दूसरी कई भाषाओं को भी साधते चलते हैं। हमारी परिवार व्यवस्था में यह लचीलापन है कि जब भी किसी एक भाषाई समाज का व्यक्ति दूसरे भाषाई समाज के व्यक्ति के साथ पारिवारिक संबंध या रिश्ता बनाता है तब वह अपनी मातृभाषा छोड़ने की न तो जरूरत समझता है और न उसे कोई दबाव होता है। भारतीय पारिवारिक व्यवस्था निजी जीवन में वैयक्तिक घरेलू संस्कार को समुचित मान-सम्मान देती रही है ।

परिवार व्यवस्था :

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय जनमानस में परिवार कहते ही जो बिंब मूर्तिमान होता है, वह संयुक्त परिवार का होता है। भारतीय संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था में मानव के भाव-जगत के बहुआयामी रूपों को देखा जा सकता है। माता-पिता, दादी-बाबा, भाई-बहिन, ताई-ताऊ, बुआ-फूफा, देवरानी-जेठानी, भतीजी-भतीजा आदि आदि न जाने कितने रिश्ते नातों और संबंधों को स्वयं में समाए परिवार व्यवस्था एक ऐसी उदार आत्मीयता की ओर परिवार के प्रत्येक सदस्य को ले जाती है कि परिवार का प्रत्येक सदस्य आत्म-विस्तार या 'खुदी' को बुलंद कर

पाता है। सृष्टा के 'एकोह्यहं बहुस्यामि' के उद्घोष को आत्मसात कर वह 'वसुधैव कुटुम्बकम्' कह उठता है- यह अपना बंधु है और यह अपना बंधु नहीं है, इस तरह की गणना छोटे चित्त वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वाले लोगों की तो (संपूर्ण) धरती ही परिवार है।

इस कथन की गूढ़ार्थकता के क्या कहने! यह सूक्ति भारतीय संसद के प्रवेश कक्ष में भी अंकित है। महोपनिषद् (अध्याय 4, श्लोक 71) का निम्नलिखित श्लोक शिक्षा मित्र से लेकर शिक्षा मंत्री तक सभी को तभी तो कंठाग्र है।

अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् ।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

यहाँ यह भी जोड़ा जा सकता है कि हमारे दो आदि काव्य / आकर ग्रंथ 'रामायण' और 'महाभारत' भारतीय पारिवारिक व्यवस्था के आदर्श उदाहरण हैं। 'रामायण' यदि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुकरणीय व्यवहार के कारण भारतीय पारिवारिक आदर्श की प्रस्तुति है, तो 'महाभारत' यथार्थ का दर्पण है। आज जब भारतीय संयुक्त परिवार जिनको दादा जी सोचते थे कि उनके जीते जी कोई आँच न आए, वे यदि स्वेच्छापूर्वक आपस की समझ से उनके सामने अलग-अलग इकाइयों में बँट जाते हैं, वे अलग होकर भी उसी प्रकार परस्पर प्रेम-प्रदर्शित करते हुए तनावमुक्त और सुखपूर्वक रहते हैं जैसे भारतीय गणतंत्र में विभिन्न राज्य रहते है। यही बात हमारी भाषाओं की प्रकृति में भी है। हमारे भाषाई आधार का खूँटा अंगद के पाँव की तरह मजबूती से स्थापित है, वह बोलियों के दबाव से और उनके अस्मितामूलक प्रभाव से डगमगाता नहीं है। हिंदी के अधिकांश प्रमुख साहित्यकार खड़ी बोली क्षेत्र के बाहर के हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने इस व्यवस्था को अच्छी तरह समझकर पूरी ईमानदारी से उसे इस नीति के निर्धारक तत्वों में रखा है। शिक्षा नीति की प्रस्तावना में ही इस ओर संकेत है कि शिक्षा से चरित्र निर्माण होना चाहिए। शिक्षार्थियों में नैतिकता, तार्किकता, करुणा और संवेदनशीलता विकसित होनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ ही मानवीय गुणों को विकसित करने वाली शिक्षा होनी चाहिए, जिससे वे आत्मनिर्भर और एक संगठित व्यक्तित्व के धनी बन सकें। यह भी लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2040 तक समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा व्यवस्था स्थापित ही जाए।

अभिभावकों और परिवार के अन्य सदस्यों से भी इस नीति का यह आग्रह है कि वे भी इस दृष्टि से सुपरिचित हों और शिक्षण के कार्य में समुचित योगदान करें। मार्गदर्शक के रूप में सबसे पहले तो उन्हें बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना होगा। इन क्षमताओं के प्रति संवेदनशील होना होगा। अपने बालकों में दायित्व बोध जगाते रहना होगा। शिक्षा नीति में प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल को बहुत महत्व दिया गया है। इसे 'सीखने की नींव' कहा गया है । पहले छह वर्षों में परिवार अपनी ओर से तथा यदि वह सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आता है तो सरकारी सहयोग और सहायता से अपने बच्चों को पढ़ने के लिए तैयार करेगा । देश के अलग-अलग प्रांतों और समाजों में अनेक प्रथाएँ हैं, जो अपनी तरह से यह कार्य संपादित करती हैं। शिक्षा नीति (1.3) के अनुसार, 'उन प्रथाओं को जो भारत में कई शताब्दियों से बाल्यावस्था की शिक्षा के विकास के लिए समृद्ध है और वे स्थानीय परंपराओं में विकसित हुई हैं , जिनमें कला, कहानियाँ , कविता, खेल, गीत, और बहुत कुछ शामिल है, इन सभी को मुख्य रूप से शामिल किया जाएगा। शिक्षा का यह मॉडल माता-पिता दोनों के साथ साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए भी एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा।'

परिवार जीवन की पहली पाठशाला कहा जाता रहा है। शिक्षा नीति में इस कथन का पूर्ण परिपाक देखा जा सकता है। परिवार के 'मार्गदर्शक' के रूप में किए गए प्रयत्नों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हुए शिक्षा नीति उसे अधिक गतिशील बनाने की दिशा में प्रयत्न करते रहने को कहती है। यह देखा गया है कि वर्तमान में बड़े पैमाने पर बच्चे नहीं सीख रहे हैं। साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त कराने के इस प्रारंभिक प्रयास में परिवार का सहयोग, पियर ट्यूटरिंग का आग्रह बच्चों को एक

आनंदपूर्ण परिवेश प्रदान करेगा।

समाज में कई परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और वे अपनी संतान को पुष्टिकारक भोजन प्रदान करने में कठिनाई महसूस करते हैं । कुपोषण के शिकार हुए बच्चों को शिक्षा से पूर्व भोजन की माँग को देखते हुए किए जा रहे प्रबंध में एक ओर तो विद्यालय स्तर पर व्यवस्था होगी, दूसरी ओर परिवारों को इस विषय में जागरूक किया जाएगा कि वे इसके प्रति जागरूक और सचेत रहें। परिवार और मुख्य रूप से माता-पिता का भी यह दायित्व होगा कि उनके बच्चे (विशेष रूप से लड़कियाँ) स्कूल में भागीदारी के प्रति अपनी रुचि न खोएँ । रुचि खोने का एक कारण स्कूल में अपनी भाषा में संवाद न कर सकना भी है (3.4)। शिक्षा नीति घरेलू भाषा के इस उपयोग को स्वीकार करते हुए ऐसे शिक्षकों को जुटाने के लिए कटिबद्ध है, जो स्थानीय भाषा जानते हों।

बच्चों और उनके माता-पिता से उनकी भाषा में संवाद स्थापित करना :

नीति में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि विद्यार्थियों को कम आयु में 'सही को करने' के महत्व को सिखाया जाएगा और नैतिक निर्णय लेने के लिए एक तार्किक ढाँचा दिया जाएगा। मार्गरिट मीड के अनुसार 'बच्चों को सिखाएँ कि कैसे सोचा जाए, न कि क्या सोचा जाए'। सयाने कहते हैं कि मूल्य सिखाए नहीं जाते, बल्कि व्यवहार के माध्यम से हम उन्हें अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाते हैं। हम प्राथमिक कक्षाओं से ही इन मूल्यों को बताना शुरू कर देते हैं, पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं, परंतु क्या हम इन मूल्यों जैसे लैंगिक भेदभाव, धर्मनिरपेक्षता, जाति व धार्मिक भेदभाव, समानता, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र, समाजवाद इत्यादि की सही व्याख्या करते हैं?

शिक्षा नीति की प्रस्तावना में ही भारत की विदुषी नारियों गार्गी और मैत्रेयी का उल्लेख किया गया है। प्राचीन काल में हमारा देश स्त्री शिक्षा को बराबर महत्व देता था। घर में स्त्री का शिक्षित होना बालकों की शिक्षा के लिए बहुत लाभकारी होगा और बालिकाओं की शिक्षा के लिए आधार। घर-परिवार, समाज और राष्ट्र के अंदरूनी तथा बाहरी दोनों ही स्थानों में इनकी भूमिका पुरुषों से अधिक होती है , इसलिए अब उनके लिए 'अबला जीवन' की जगह 'सबला जीवन' की बात करनी होगी। इसलिए शिक्षा नीति ने बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रावधान किए हैं। उदाहरण के लिए जेंडर-समावेशी कोष (पैरा 6.8) के द्वारा उन्हें ही नहीं, आर्थिक रूप से वंचित अनेक समूहों की सहभागिता को सुनिश्चित किया जाएगा। लड़कियों और महिलाओं को ही नहीं, ट्रांसजेंडरों को, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक वर्ग, भौगोलिक पहचान (जैसे गाँव, कस्बे आदि के विद्यार्थी), विशेष आवश्यकता (जैसे सीखने की कठिनाई वाले छात्र), आर्थिक रूप से असहाय (अनाथ, विपन्न, और अन्य कारणों से परेशान बच्चे) आदि का ध्यान रखते हुए उनकी व्यवस्था करना भी ध्यान से ओझल नहीं किया गया है।

परिवार व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए परिवार से वंचित सभी शिक्षार्थियों को समावेशित करती यह नीति शिक्षा के लिए 'अर्थ' (अर्थात धन) की आवश्यकता की पूर्ति को 'मिड डे मील' तक सीमित न करके उनके दूसरे पक्षों को भी अनदेखा नहीं रहने देती। अब कोई परिवार (माता-पिता आदि) अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अधिकारपूर्वक 'सहायता' प्राप्त करने के लिए दर-दर की ठोकरें नहीं खाएगा। उसे आसानी से कर्ज और सहयोग राशि प्राप्त हो सकेगी।

घरेलू भाषा :

यह बात अनेक बार दोहराई जाती है कि 1971 की जनगणना के आधार पर 1652 मातृभाषाएँ हैं, जिन्हें 200 वर्गीकृत भाषाओं में बाँटा जा सकता है। किंतु उनमें से केवल 47 भाषाएँ ही स्कूल में बच्चों की समझ का माध्यम बन सकती हैं (स्रोत : भारतीय भाषाओं का शिक्षण -2005)। इतने वर्ष बीत जाने के बाद आज इनमें से अनेक भाषाओं का अस्तित्व भी न रहा होगा। नई शिक्षा नीति ने इस ओर ध्यान दिया है। इससे पहले कि कई बोलियाँ सदा के लिए लुप्त हो जाएँ उन्हें काम में लगाना होगा। उनका उपयोग और सदुपयोग ही एक

ओर तो उनकी रक्षा कर सकेगा, दूसरी ओर उनके प्रयोक्ताओं को संबल भी प्रदान करेगा ।

एनसीईआरटी आदि ने अनेक शोधों से यह तो पता लगा लिया था कि अधिकांश राज्यों में बहुत-सी भाषाएँ माध्यम भाषाओं के रूप में प्रयोग की जाने लगी थीं, किंतु इसके बावजूद ये घर की भाषा और स्कूल की भाषा के अंतर को अब भी नहीं पाट सकी थीं। यही नहीं, घर की भाषा और स्कूल की भाषा के इस अंतर के बढ़ने को भी नहीं रोका जा सका था। इसके फलस्वरूप अँग्रेजी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था । देश के बड़े हिस्से में प्राथमिक स्तर से ही 'समझ' के चहुँमुखी विकास को सुनिश्चित और केंद्रित करने के लिए तब भी इस ओर ध्यान दिया गया था और अब भी दिया गया है। अब तो यह मसला नीति के केंद्र में ही आ गया है। यह अब समझ लिया गया है कि बालक को शुरू से ही और शुरू में ही उसकी अपनी भाषा माध्यम के रूप में देनी होगी। उन्हें उनकी भाषा में सोचने, विचार करने और पढ़ने-लिखने का अवसर देना होगा। यह एक ओर तो बच्चे की अस्मिता और उसके आत्मविश्वास का आधार है, दूसरी ओर उसको आत्मगौरव से मालामाल भी करने का उपक्रम है। अँग्रेजी या फिर कोई और भाषा यदि उसे इसलिए अपनानी होती है कि उसकी अपनी भाषा में शिक्षा और शिक्षण की व्यवस्था नहीं तो उसके मन में अपनी भाषा के प्रति हीनता की भावना पैदा हो सकती है। बालक घर की भाषा से परिवेश की भाषा और परिवेश से प्रांत, देश और विश्व की भाषाओं में प्रवेश करेगा तो यह स्वाभाविक और सहज होगा।

घरेलू भाषा के संदर्भ को समझना और समझाना आवश्यक है, क्योंकि हम भारतीय अपने परिवार में जिस भाषा का प्रयोग करके आपस में वार्तालाप करते हैं, वह घर के बाहर जाकर बदल जाती है। आदिवासी और जनजाति समाज और परिवार में यह बखूबी देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए कोई संथाल बालक अपने परिवार में संथाली भाषा का प्रयोग करता है। उसके इर्द-गिर्द बाहर अनेक स्थानीय बोलियों का प्रयोग हो सकता है। वह घर के बाहर अपने मित्रों से मगही में बोलता-बतियाता है। वह जब कक्षा में प्रवेश करता है तो उसे वहाँ 'हिंदी' का प्रयोग दिखाई देगा, जो उसके लिए चुनौती से कम न होगा। घरेलू भाषा का अर्थ ही है कि प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम वह भाषा हो, जो यथासंभव उसने पढ़ने से पहले 'बोल' ली हो। अभी तक वह पारिवारिक (परिवार में प्रयुक्त भाषा / बोली), स्थानीय (स्थानीय परिवेश की बोली), क्षेत्रीय (क्षेत्र स्तर की भाषा /बोली) में से एक को प्राथमिक स्तर पर माध्यम भाषा के विकल्प के रूप में प्राप्त करने में कठिनाई महसूस कर रहा था। त्रिभाषा फॉर्मूले का अपना संकोच और विस्तार है। अब वह प्राथमिक स्तर पर (माध्यम भाषा -1) को ले सकता है । आगे उसे माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तर पर दूसरे विकल्प मिलेंगे, जिससे वह सुविधानुसार चयन कर सकेगा।

शिक्षा नीति में विस्तार से 'बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति' (4.11 से 4.22 तक) को वर्णित किया गया है। नीति में 'घर की भाषा', 'घरेलू भाषा' , 'स्थानीय समुदायों की भाषा' , 'क्षेत्रीय भाषा' आदि का उल्लेख है। यह कह दिया गया है कि 'शिक्षा का माध्यम, घर की भाषा /मातृ भाषा / स्थानीय भाषा /क्षेत्रीय भाषा होगी। इसके बाद घर/स्थानीय भाषा को जहाँ तक संभव हो भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा। ऐसे मामलों में जहाँ घर की भाषा की पाठ्य सामग्री उपलब्ध नहीं है, शिक्षकों और छात्रों के बीच संवाद की भाषा जहाँ संभव हो, वहाँ घर की भाषा बनी रहेगी (4.11)।'

देखा जा सकता है कि इस प्रकार शिक्षा नीति भारत जैसे बहुभाषी देश में इस देश की विविध भाषाओं को ही नहीं, बल्कि अनेकानेक बोलियों को भी आदर प्रदान कर रही है। यहाँ तक कि घर की भाषा, घरेलू भाषा, झूले-पालने की भाषा आदि को भी समान महत्व प्रदान करती है। यह एक ओर तो भाषा विज्ञान सम्मत है , दूसरी ओर भाषाई अस्मिता की प्रबल पैरोकार भी है। जैसे-जैसे कोई बालक जीवन में आगे बढ़ेगा वह अपनी भाषा और समाज में प्रचलित दूसरी भाषाओं के पारस्परिक संबंध और उपयोगिता से परिचित होता चला जाएगा। कई मामलों और अवस्थाओं में उसे यह भी पता चल जाएगा कि उसकी घरेलू भाषा वास्तव में एक दूसरी भाषा का एक रूप ही है। तात्पर्यबोध की इस

गतिशीलता से उसे अपने भाषाई समुदाय से दूसरे भाषाई समुदाय से संपर्करत होने में आसानी होगी। हिंदी के उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। यदि किसी परिवार में ब्रज, अवधी, भोजपुरी आदि बोली जाती है और जब वह घर के बाहर संपर्क से खड़ी बोली के साथ ही उच्च हिंदी और उर्दू-हिंदुस्तानी आदि भाषा रूपों का सामना करेगा तो उसे अपनी भाषा /बोली के विस्तार का पता चल जाएगा। उसे यह भी मालूम होगा कि अभिव्यक्ति के लिए उसे कब, किससे, कहाँ और कैसे बोलना होगा। तब उसके लिए यह ज्ञान मामूली सूचना होगी कि हिंदी भाषा की विविध बोलियों के बीच संपर्क साधन का काम करने वाली प्रतिष्ठा प्राप्त बोली 'खड़ी बोली' है और इसलिए वह भाषा का दर्जा प्राप्त किए हुए है। किंतु इससे उसकी घर की भाषा, क्षेत्र की भाषा के अस्तित्व और व्यक्तित्व की गरिमा कम नहीं होती ।

प्रख्यात भाषाविद रवींद्र नाथ श्रीवास्तव ने आधी शताब्दी पूर्व कहा था कि जब तक हम खून में पसीना मिलाकर रोजी-रोटी का इंतजाम करने वालों को स्कूली कमरा न देंगे और कमरे में बंद रहने वालों को खेत की खुली हवा में जीने के लिए बाध्य नहीं करेंगे, एक जाति के आपसी भाषाई भेद खत्म न होंगे। कोई भाषा हमें एक ओर तो समाज से जोड़ती है दूसरी ओर एक दूसरे समाज से तोड़ती है। भाषा की शक्ति-बहुभाषा की शक्ति को सही रूप से संचारित करने के लिए इसे परिवार से लेकर समाज, समाज से शिक्षण संस्थान और वहाँ से विश्व तक जोड़ने जाने का उपक्रम यह शिक्षा नीति बखूबी निभाती है। रेखांकित करने योग्य बात यह भी है कि 'हिंदी' का उल्लेख सायास न करते हुए भी शिक्षा नीति जब-जब भारत की भाषाओं की चर्चा करती है तो यह कहती प्रतीत होती है कि भारत की शास्त्रीय भाषाओं, भारत के संविधान में वर्णित राष्ट्रीय भाषाओं और विश्व की अनेक अन्य भाषाओं के संतुलित प्रयोग और उपयोग के द्वारा यह नीति भारतीय व्यक्ति और उसके भाषाई व्यक्तित्व को विश्व भर में उजागर करने का मार्ग प्रशस्त करेगी । ❑

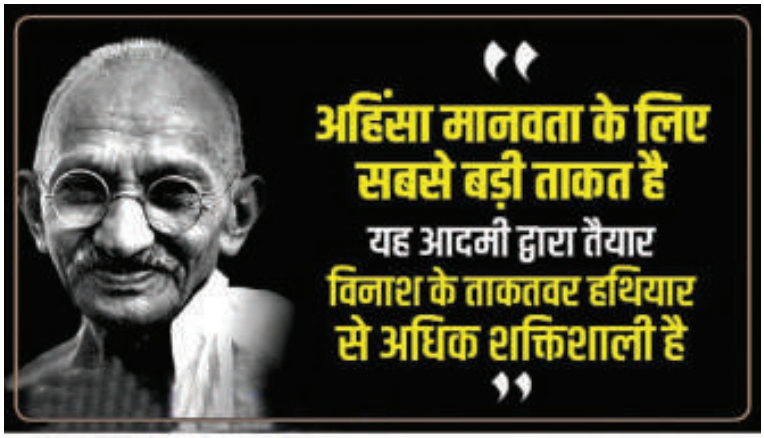

नई शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषाओं का महत्व : एक सामान्य विवेचन

युगल चंद्र नाथ[1]

कुशल महंत[2]

1. विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग
मरिगांव महाविद्यालय (असम)
2. सहायक अध्यापक
हिंदी विभाग
मरिगांव महाविद्यालय (असम)
फोन : 8822145639

सारांश :

भाषा अभिव्यक्ति के माध्यम के साथ-साथ किसी भी राष्ट्र के स्वाभिमान और उसकी संस्कृति की प्रवाहिका भी है। बिन भाषा के राष्ट्र गूंगा होता है। संसार के इतिहास पर नजर डालने से ज्ञात होता है कि पराधीनता से मुक्ति प्राप्त करने के बाद संसार के प्राय: सभी राष्ट्रों ने अपनी-अपनी भाषा में अपनी प्रगति का रास्ता चुना। जापान ने जापानी, चीन ने चीनी, रूस ने रशियन भाषा को ही अपनी शिक्षा-दीक्षा और राजकीय भाषा बनाया। इजराइल ने तो अपनी मृतप्राय: हो चुकी हीब्रू भाषा को पुनर्जीवित करके विश्व में तकनीक की प्रमुख भाषाओं में समाविष्ट किया। लेकिन हमारे देश भारतवर्ष में यह स्थिति एकदम विपरीत है। यह इस देश की विडंबना है कि बहुभाषिक राष्ट्र होने के बाद भी अँग्रेजी यहाँ राजकाज तथा संपर्क भाषा बनी हुई है। देश तो आजाद हो गया है, लेकिन भाषा की गुलामी से अब तक हम आजाद नहीं हुए हैं, जिसके फलस्वरूप अपनी ही भाषाओं को हम धीरे-धीरे खोते जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा में भाषा और भाषा की शिक्षा पर पूरा जोर दिया गया है। यह शिक्षा नीति भारतीय भाषाओं के पुनरुथान और संरक्षण को महसूस कराती है तथा इसका उपाय भी प्रस्तुत करती है। प्रस्तुत शोध-पत्र इसी के ऊपर आधारित है।

बीज शब्द : शिक्षा, नीति, भाषा, स्कूल, देश ।

प्रस्तावना :

भारत एक बहुसांस्कृतिक के साथ-साथ बहुभाषी राष्ट्र भी है और इसकी यही विशेषता उसे संसार में एक अलग और विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। एक कहावत है, 'कोस-कोस पर पानी बदले, चार कोस पर वाणी'[1] अर्थात इस देश में प्रत्येक एक कोस की दूरी पर पानी का स्वाद बदल जाता है और चार कोस पर वाणी यानी भाषा बदल जाती है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार इस देश में ऐसे लोग, जो 10000 से ज्यादा एक भाषा को बोलते हैं ऐसी 121 भाषाएँ बोली और समझी जाती हैं, लेकिन उनमें से 22 भाषाओं को ही संविधान में मान्यता प्राप्त है। इस देश में अनेकों लोग ऐसे हैं, जिन्हें अपनी

मातृभाषा के साथ दूसरी भाषा का भी ज्ञान है। वे द्विभाषावाद के अंतर्गत आते हैं तथा अनेकों लोग ऐसे हैं, जिन्हें दो से अधिक भाषाओं का ज्ञान है। वे बहुभाषावाद के अंतर्गत आते हैं। भाषा की विविधता की दृष्टि से भारत एक अनूठा देश है। भारत ही एक ऐसा देश है, जहाँ भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन हुआ है। भाषिक विविधता होते हुए भी यह देश एक है। उपनिवेशीकरण के पहले बहुभाषी शिक्षा भारत में अस्तित्व में नहीं थी। उपनिवेशीकरण के बाद भारतीय शिक्षा माध्यम में अँग्रेजी भाषा का प्रवेश हुआ। अँग्रेजी न केवल प्रशासनिक हेतु प्रयोग हुई, अपितु शिक्षा का भी माध्यम बन चुकी थी। देश के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी अँग्रेजी का महत्व कायम रहा, लेकिन भारत सरकार द्वारा भारतीय भाषाओं को शिक्षा प्रणाली में पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रयास किया गया। 1968 की 24 जुलाई को भारत की प्रथम शिक्षा नीति घोषित की गई, जिसे भारतीय शिक्षा के इतिहास में पहला कदम कहा जाता है, जो पूर्ण रूप से कोठारी आयोग (1964-1966) के प्रतिवेदन पर आधारित थी। कोठारी आयोग ने सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा में ही शिक्षा देने तथा माध्यमिक स्तर (सेकेंडरी लेवल) पर स्थानीय भाषाओं में शिक्षण को प्रोत्साहना देने का सुझाव दिया। यह आयोग संस्कृत भाषा के शिक्षण को प्रोत्साहित करने तथा त्रिभाषा सूत्र को लागू करने की सिफारिश करता है। जिस समय देश में भाषा के आधार पर राज्य अलग हो रहे थे, उस समय यह आयोग त्रिभाषा सूत्र को लेकर आया, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी।

कोठारी आयोग की सिफारिशों के बाद 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। 1992 में इस नीति में संशोधन होता है। 1986 में बनी शिक्षा नीति में भाषा को लेकर कोई खास निर्देश का दर्शन नहीं होता है। भाषाओं के विषय में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि '1968 की शिक्षा नीति में भाषाओं के विकास के प्रश्न पर विस्तृत रूप से विचार किया गया था। उस नीति की मूल सिफारिशों में सुधार की गुंजाइश शायद ही हो और वे जितनी प्रासंगिक पहले थीं उतनी आज भी हैं। किंतु देश भर में 1968 की नीति का पालन एक समान नहीं हुआ। अब इस नीति को अधिक सक्रियता और सोद्देश्यता से लागू किया जाएगा।'[2] स्पष्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भाषा को लेकर कोई विशेष ध्यान नहीं गया है, जिस पर इस नई शिक्षा नीति 2020 में दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 :

भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता देती नई शिक्षा नीति को 29 जुलाई, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली। नई शिक्षा नीति 2020 अंतरिक्ष वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉ. के. कस्तुरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। कुल 34 वर्षों के अंतराल के बाद नई शिक्षा नीति सामने आई है। इस शिक्षा नीति में कहा गया है कि '1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे 1992 (एनईरपी 1986/92) में संशोधित किया गया था, के अधूरे काम को इस नीति के द्वारा पूरा करने का भरपूर प्रयास किया गया है।'[3] स्पष्ट है कि नई शिक्षा नीति अपनी पूर्ववर्ती शिक्षा नीतियों की कमियों और अधूरे कामों को दूर करने का प्रयास है। पहले की शिक्षा प्रणाली प्रधान रूप से सीखने और परिणाम देने पर आधारित थी, लेकिन नई शिक्षण नीति बहु-विषयक दृष्टिकोण की प्रासंगिकता पर आधारित है। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना है। इसके लिए बेहतर शिक्षा की जरूरत है। इसके साथ नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा के लिए एक नया पाठ्यक्रम तथा शैक्षणिक संरचना की परिकल्पना की गई है, जो शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं और उनके विकास के विभिन्न चरणों में प्रासंगिक है। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को तैयार करना है, जो भारत के सभी बच्चों के लिए फायदामंद हो । इस का मूल लक्ष्य भारत का एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में निर्माण करना है । साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों की नई गुणवत्ता को स्थापित करना आसान बनाना है।

नीति में भारतीय भाषाओं का महत्व :

नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षण माध्यम के रूप में भाषा को महत्व देते हुए इसका एक उप-अध्याय 'बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति' शीर्षक से रखा गया

है। इस शिक्षा नीति में पहली बार शिक्षा में भाषा और भाषा की शिक्षा पर बल दिया गया है। साथ ही भाषा को शिक्षा में मूल्यबोध, दृष्टिकोण तथा सृजनात्मक कल्पना के निर्माण का साधन भी स्वीकारा गया है। इस नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को प्राधान्य देते हुए यह प्रावधान दिया गया है कि बच्चों को कम-से-कम पाँचवीं कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाए। 'जहाँ तक संभव हो, कम-से-कम ग्रेड 5 तक लेकिन बेहतर यह होगा कि यह ग्रेड 8 और उससे आगे तक भी हो, शिक्षा का मध्याम, घर की भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा होगी। इसके बाद, घर/स्थानीय भाषा को जहाँ भी संभव हो भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूल इसकी अनुपालन करेंगे।'[4] नई शिक्षा नीति में इस बात पर भी जोर दिया है कि विज्ञान सहित सभी विषयों की पाठ्य-पुस्तकों को मातृभाषा में ही उपलब्ध कराया जाए। साथ ही उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान के लिए भी मातृभाषा के प्रयोग पर बल दिया गया है। स्पष्ट है कि यह नीति बच्चों को भारतीय भाषाओं से जोड़कर रखने का प्रयास है।

इस नई शिक्षा नीति में बच्चों के अंदर भाषा तथा कला-संस्कृति को अधिक बढ़ावा दे सके, उसके लिए सुझाव दिए गए हैं। भाषा के विकास में त्रिभाषा सूत्र को पुनः शामिल करने के साथ इसमें कम-से-कम दो भारतीय भाषाओं को शामिल करने का सुझाव दिया गया है। 'संवैधानिक प्रावधानों, लोगों, क्षेत्रों और संघ की आकांक्षाओं और बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की जरूरत का ध्यान रखते हुए त्रिभाषा फॉर्मूला को लागू किया जाना जरी रहेगा। हालाँकि, तीन-भाषा के इस फॉर्मूला में काफी लचीलापन रखा जाएगा और किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली तीन भाषाओं के विकल्प राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से छात्रों के स्वयं के होंगे, जिसमें कम-से-कम दो भाषाएँ भारतीय भाषाएँ हों।'[5] इसके साथ ही विज्ञान तथा गणित विषय में भी द्विभाषी पाठ्य-पुस्तकों और शिक्षण सामग्री तैयार करने का भी प्रस्ताव दिया गया है, जिससे विद्यार्थी मातृभाषा में ही दोनों विषयों में सोचने और बोलने में की क्षमता अर्जित करे। नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास पर बल दिया गया है । आज करीब दुनिया में 6500 भाषाएँ बोली जाती हैं, जिनमें से 4000 हजार भाषाएँ लुप्त होने के कगार पर हैं। भारतवर्ष में करीब 220 भाषाएँ संरक्षित न हो पाने के कारण खो गईं। यूनेस्को एटलस के ऑनलाइन चैप्टर के मुताबिक भारत की 197 भाषाएँ ऐसी हैं, जो असुरक्षित, लुप्तप्राय: या विलुप्त हो चुकी हैं। प्रस्तावित नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं के शिक्षण और अधिगम की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है। इसके लिए नई शिक्षा नीति में 'द लैंग्वेजेज ऑफ इंडिया' और 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' जैसे प्रोजेक्ट लिए गए हैं। अनुच्छेद 4.16 के अनुसार, 'इस प्रोजेक्ट/गतिविधि में, छात्र अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे, जिसके तहत उनके सामान्य ध्वन्यात्मक और वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित वर्णमाला और लिपियों, उनकी सामान्य व्याकरणिक संरचनाओं, संस्कृत और अन्य शास्त्रीय भाषा से इनकी शब्दावली के स्रोत और उद्भव को ढूँढ़ने से लेकर इन भाषा के समृद्ध अंतर-प्रभाव और अंतरों को समझना शामिल है।'[6] साथ ही इस नीति में इस पर भी बल दिया है कि विद्यार्थी भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार

स्पष्ट है कि नई शिक्षा नीति भाषा के संरक्षण और विकास के उन सवालों को उठाती है, जो उनसे पूर्व की शिक्षा नीति में उठाए नहीं गए। इस नई शिक्षा नीति की यह विशेषता है कि इसमें भाषा, कला तथा संस्कृति के माध्यम से छात्रों के सृजनात्मक क्षमता को जगाने पर जोर दिया है। इस शिक्षा नीति के मसौदे के 22वें स्तम्भ में भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति के संवर्द्धन पर पूरी दलील पेश की गई है। नई शिक्षा नीति देश की आने वाले शिक्षा व्यवस्था तथा राष्ट्र के उन्नयन के लिए पथ प्रदर्शक करने वाली है।

भाषाओं की पहचान तथा आदिवासी भाषाओं की प्रकृति और संरचना को भी जान पाएँ।

नई शिक्षा नीति में प्राचीनतम भाषा संस्कृत को अधिक बढ़ावा देने के लिए ज्यादा महत्व दिया गया है। संस्कृत को त्रिभाषा में मुख्यधारा के रूप में इस शिक्षा नीति में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 4.17 में उल्लेख किया गया है कि 'संस्कृत को त्रिभाषा के मुख्यधारा विकल्प के साथ, स्कूल और उच्चतर शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण, समृद्ध विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा।'[7] संस्कृत के साथ यह शिक्षा नीति भारत के शास्त्रीय भाषाओं और उनके साहित्य के संरक्षण और शिक्षण पर भी जोर देती है। 'भारत में शास्त्रीय तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, ओड़िया सहित अन्य शास्त्रीय भाषाओं का एक अत्यंत समृद्ध साहित्य है; इन शास्त्रीय भाषाओं के अतिरिक्त पालि, फारसी और प्राकृत और उनके साहित्य को भी उनकी समृद्धि के लिए और भावी पीढ़ी के सुख और समृद्धि के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए।'[8] इन भाषा और साहित्य को जीवित और जीवंत रखने के लिए नई शिक्षा नीति छात्रों के लिए विकल्प के रूप में ऑनलाइन मॉड्यूल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। साथ ही साथ ग्रेड 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए इन भाषाओं और उनके साहित्य को कम-से-कम दो साल सीखने का विकल्प इस शिक्षा नीति में रखा गया है। सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्द्धन करने के लिए इन नई शिक्षा नीति ने सुझाव प्रस्तुत किए हैं। 'भाषाएँ प्रासंगिक और जीवंत बनी रहें इसके लिए इन भाषाओं में उच्चतर गुणवत्तापूर्ण अधिगम एवं प्रिंट सामग्री का सतत प्रवाह बने रहना चाहिए, जिसमें पाठ्य-पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, वीडियो, नाटक, कविताएँ, उपन्यास, पत्रिकाएँ आदि शामिल हैं। भाषाओं के शब्दकोशों और शब्द भंडार को आधिकारिक रूप से लगातार अद्यतन होते रहना चाहिए और उसका व्यापक प्रचार भी करना चाहिए ताकि समसामयिक मुद्दों और अवधारणाओं पर इन भाषाओं की चर्चा की जा सके।'[9] द्रष्टव्य यह है कि विभिन्न विदेशी भाषाएँ जैसे अँग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हीब्रू, कोरियाई आदि में यह क्रम चल रहा है। परंतु दुर्भाग्य यह है कि भारतीय भाषाओं को जीवंत और प्रासंगिक बनाए रखने के मामले में भारत की गति अत्यंत धीमी है। इसके लिए इस शिक्षा नीति ने एक ओर भाषा शिक्षकों की कमी को दूर करने तथा भाषाओं को अधिक व्यापक रूप में बातचीत और शिक्षण अधिगम के लिए प्रयोग में लाए जाने का प्रस्ताव भी दिया है।

नई शिक्षा नीति में स्कूली बच्चों के अंदर भाषा, कला तथा संस्कृति को बढ़ावा दे सके उसके लिए उपाय उल्लेख किया गया है। बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करने के लिए त्रिभाषा फॉर्मूला का क्रियान्वयन, मातृभाषा/स्थानीय भाषा में शिक्षण, अधिक अनुभव आधारित भाषा शिक्षण, स्थानीय कलाकारों, लेखकों तथा अन्य विशेषज्ञों को स्थानीय विशेषज्ञता के विभिन्न विषयों में विशिष्ट प्रशिषक के रूप में स्कूलों से जोड़ने पर विशेष बल दिया गया है। इसके साथ ही अधिकतर उच्चतर संस्थानों और उच्चतर शिक्षा के और अधिक कार्यक्रमों में मातृभाषा/स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग और कार्यक्रमों को द्विभाषिक रूप में चलाना, बहुभाषी भाषा और विषय विशेषज्ञ तथा अनुवाद एवं व्याख्या के विशेषज्ञों की नियुक्ति, भाषाओं की मजबूती, उपयोग तथा जीवंतता को प्रोत्साहन देने का भी प्रस्ताव दिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया कि 'भारत इसी तरह शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य का अध्ययन करने वाले अपने संस्थानों और विश्वविद्यालयों का विस्तार करेगा, और उन हजारों पांडुलिपियों को इकठ्ठा करने, संरक्षित करने, अनुवाद करने और उनका अध्ययन करने के मजबूत प्रयास करेगा, जिन पर अभी तक ध्यान नहीं गया है। इसी प्रकार से सभी संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों, जिनमें शास्त्रीय भाषाओं एवं साहित्य पढ़ाया जा रहा है, उनका विस्तार किया जाएगा।'[10] भारतीय भाषाओं को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए इस नई शिक्षा नीति में संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लेखित प्रत्येक भाषा के लिए अकादमी स्थापन करने का भी प्रस्ताव है और उनमें हर भाषा में श्रेष्ठ विद्वान तथा मूल रूप से वह भाषा बोलने वाले लोगों को शामिल करने के साथ नवीन अवधारणाओं का सरल किंतु सटीक शब्द भंडार तैयार करने का भी प्रयास किया जाएगा। इस नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं और उनसे

संबंधित स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण हेतु वेब आधारित प्लेटफॉर्म/ पोर्टल/विकीपीडिया आदि तैयार करने का भी प्रस्ताव है।

उपसंहार :

स्पष्ट है कि नई शिक्षा नीति भाषा के संरक्षण और विकास के उन सवालों को उठाती है, जो उनसे पूर्व की शिक्षा नीति में उठाए नहीं गए। इस नई शिक्षा नीति की यह विशेषता है कि इसमें भाषा, कला तथा संस्कृति के माध्यम से छात्रों के सृजनात्मक क्षमता को जगाने पर जोर दिया है। इस शिक्षा नीति के मसौदे के 22वें स्तम्भ में भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति के संवर्द्धन पर पूरी दलील पेश की गई है। नई शिक्षा नीति देश की आने वाले शिक्षा व्यवस्था तथा राष्ट्र के उन्नयन के लिए पथ प्रदर्शक करने वाली है। अत: इसे ईमानदारीपूर्वक क्रियान्वयन में लाया जाना चाहिए। इसी के द्वारा देश की भाषाओं को संरक्षण तथा समृद्ध करने के साथ ही देश की युवा पीढ़ी को भी मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से ज्ञान अर्जन करने का नया मार्ग खोला जा सकता है। ❑

संदर्भ :

1. वाग्भारती पत्रिका, अगस्त-2020, अंक-1
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (1992 में किए गए संशोधन सहित), भाषाएँ, अनुच्छेद-8.7
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पिछली नीतियाँ
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, अनुच्छेद-4.11
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, अनुच्छेद-4.13
6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, अनुच्छेद-4.16
7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, अनुच्छेद-4.17
8. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, अनुच्छेद-4.18
9. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, अनुच्छेद-22.6
10. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, अनुच्छेद-22.16

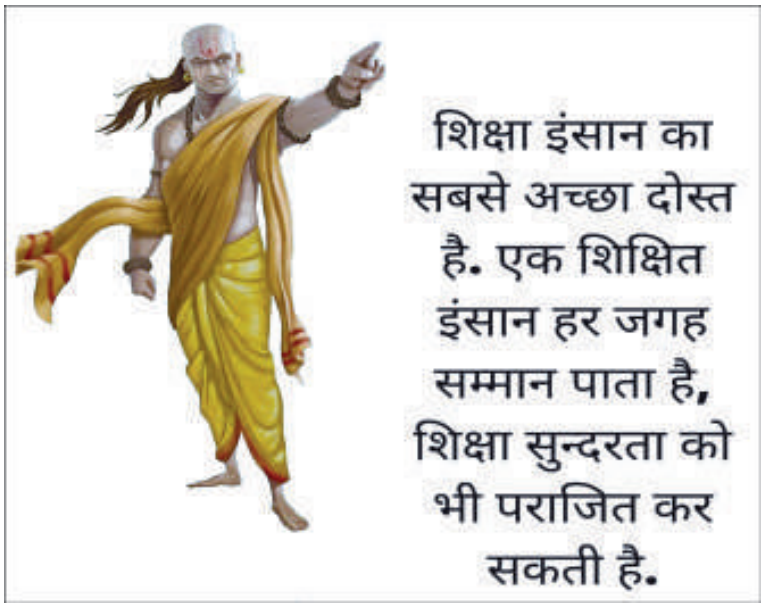

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 का संक्षिप्त विवरण

केंद्र सराकर ने नई 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 ' (National Education Policy-2020) को मंजूरी दी है। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986' [National Policy on Educaiton (NPE), 1986] को प्रतिस्थापित करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 , 21वीं सदी की पहली नीति है। वर्ष 1968 और 1986 के बाद यह भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। NEP-2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है।

- **अध्यक्ष :** सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक पूर्व इसरो प्रमुख पद्म विभूषण डॉ. के कस्तूरीरंगन
- **समिति :** कस्तूरीरंगन समिति
- **समिति का गठन :** जून 2017 में किया गया तथा मई, 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा कैबिनेट को प्रस्तुत किया गया।
- **मंजूरी :** 29 जुलाई, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसे मंजूरी मिली।

शिक्षा मंत्रालय :

मानव संसाधान विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development-MHRD) का नाम बदलकर 'शिक्षा मंत्रालय' कर दिया गया है। 1985 से पहले यह मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय ही था, जिसे 1985 में बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) कर दिया गया था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य :

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 का उद्देश्य शिक्षा की पहुँच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देना है।
- छात्रों को जरूरी कौशलों एवं ज्ञान से लैस करना और विज्ञान, टेक्नोलॉजी, अकादमिक क्षेत्र और इंडस्ट्री में कुशल लोगों की कमी को दूर करते हुए देश को ज्ञान आधारित सुपर पॉवर के रूप में स्थापित करना है।
- शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करना।
- भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल देना।

स्कूली शिक्षा में सुधार :

नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है।

नया फॉर्मेट	चरण	आयु	कक्षा स्तर
5	फाउंडेशन स्टेज	3 से 6 वर्ष	आँगनबाड़ी
	फाउंडेशन स्टेज	6 से 8 वर्ष	नर्सरी (प्री प्राइमरी)
3	प्राथमिक शिक्षा	8 से 11 वर्ष	कक्षा 3 से 5
3	मध्यम स्तर	11 से 14 वर्ष	कक्षा 6 से 8
4	अंतिम स्तर	14 से 18 वर्ष	कक्षा 9 से 12

शिक्षण प्रणाली में सुधार :

- उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, अनुसंधान एवं सामुदायिक भागीदारी उपलब्ध करवाने के लिए उच्च साधन संपन्न एवं बहु विषयक संस्थानों में रूपांतरित किया जाएगा।
- पहले सरकारी स्कूलों में प्री स्कूलिंग नहीं होती थी, बच्चा 6 वर्ष की आयु से पढ़ना प्रारंभ करता था, लेकिन अब 3 वर्ष से ही शिक्षा ECCE (Early Childhood Care and Education) द्वारा प्रारंभ (आँगनबाड़ी के माध्यम से)।
- पहले जहाँ कक्षा 11 से विषय चुन सकते थे, अब छात्रों को कक्षा 9 से विषय चुनने की आजादी रहेगी।
- कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई में किसी विषय के प्रति गहरी समझ तथा बच्चों की विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाकर जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
- 10 वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव कर अब वर्ष में दो बार (सेमेस्टर प्रणाली द्वारा) ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्मेट में परीक्षा आयोजित की जाएँगी।
- NEP-2020 के तहत मिड-डे मील के साथ नाश्ता देने की बात भी कही गई है। सुबह के समय पोषक नाश्ता अधिक मेहनत वाले विषयों की पढ़ाई में लाभकारी हो सकता है।

उच्च शिक्षा (Higher Education) :

- **बहु-स्तरीय प्रवेश एवं निकासी (Multiple entry & exit)-** वर्तमान में तीन या चार वर्ष के डिग्री कोर्स में यदि कोई छात्र किसी कारणवश बीच में पढ़ाई छोड़ देता है, तो उसे डिग्री न मिलने से इस पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रहता है। लेकिन अब इसमें निम्न परिवर्तन है :
    - एक वर्ष की पढ़ाई पर-सर्टिफिकेट
    - दो वर्ष की पढ़ाई पर-डिप्लोमा
    - तीन वर्ष की पढ़ाई पर-डिग्री

एकेडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट - इसमें विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा जाएगा तथा अलग-अलग संस्थानों में छात्र के प्रदर्शन के आधार पर प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

- जो छात्र हायर एजुकेशन में नहीं जाना चाहते उनके लिए ग्रेजुएशन डिग्री 3 साल की है, किंतु शोध अध्ययन करने वालों के लिए ग्रेजुएशन डिग्री अब 4 साल की होगी।
- पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एक साल बाद पढ़ाई छोड़ने का विकल्प रहेगा तथा पाँच साल का संयुक्त ग्रेजुएट-मास्टर कोर्स लाया जाएगा।

- **कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT)**-उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एग्जाम होगी, जिसे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कराएगी। संस्था के लिए यह प्रवेश एग्जाम अनिवार्य नहीं है।
- केंद्रीय विद्यालय, राज्य विशविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय के लिए अलग-अलग नियम हैं, अब सबमें एक समान नियम बनाया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीयकरण-भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को अपने परिसर अन्य देशों में स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, साथ ही विश्व के चुनिंदा विश्वविद्यालयों (शीर्ष 100 में से) को भारत में संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) , अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) और नेशनल काउंसिल फॉर टेक्नीकल एजुकेशन (NCTE) को समाप्त कर रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी।

शिक्षकों से संबंधित सुधार :

- **नेशनल मेंटरिंग प्लान**-इससे शिक्षकों का उन्नयन किया जाएगा।
- शिक्षकों को प्रभावकारी एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए भर्ती किया जाएगा तथा पदोन्नति भी अब योग्यता (शैक्षणिक प्रशासन व समय-समय पर कार्य प्रदर्शन का आकलन) आधारित होगी।
- शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक (NPST) तैयार किया जाएगा।
- प्रत्येक स्कूल में शिक्षक-छात्रों का अनुपात (PTR) 30:1 से कम हो तथा सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों के स्कूलों में यह अनुपात 25:1 से कम हो।
- प्रत्येक शिक्षा से अपेक्षित होगा कि वह स्वयं व्यावसायिक विकास (पेशे से संबंधित आधुनिक विचार, नवाचार और खुद में सुधार करने) के लिए स्वेच्छा से प्रत्येक वर्ष 50 घंटों का सतत् व्यावसायिक विकास (CPD) कार्यक्रम में हिस्सा लें।
- शिक्षकों को गैर-शिक्षण गतिविधियों (जटिल प्रशासनिक कार्य, मीड डे मील) से संबंधित कार्यों में शामिल न करने का सुझाव।
- ECCE शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए NCERT द्वारा छह माह (जो आँगनबाड़ी कर्मचारी 10+2 या अधिक योग्यता) एवं एक वर्ष (जो कर्मचारी कम शैक्षणिक योग्य) का डिप्लोमा कार्यक्रम कराया जाएगा।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर 'अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा' [National Curriculum Framework for Teacher Education (NCFTE), 2021] का विकास किया जाएगा।
- वर्ष 2030 तक शिक्षण कार्य (अध्यापन) के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा।
- संविदा शिक्षक रखने की बजाय नियमित शिक्षक भर्ती पर जोर।

शैक्षणिक भाषा से संबंधित सुधार :

- इस नीति में भारतीय भाषाओं में पढ़ाने के महत्व को रेखांकित किया गया है। इसमें तीन भाषा फॉर्मूला यानी कि हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई करवाई जाएगी।

- NEP-2020 के तहत कक्षा 5 तक की पढ़ाई मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में करवाई जाएगी, जिससे अंग्रजी भाषा की अनिवार्यता (मैक्याले पद्धति) समाप्त होगी।
- स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव को थोपा नहीं जाएगा।
- ई-पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएँगे। वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम (NETF) बनाया जा रहा है।
- बधिर छात्रों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संकेत भाषा (Indian Sign Language-ISL) को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा।
- छठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएँगे। इसके तहत इच्छुक छात्रों को छठी कक्षा के बाद से ही इंटर्नशिप करवाई जाएगी।
- नौवीं कक्षा से विद्यार्थी को विदेशी भाषाओं को भी सीखने का विकल्प होगा।
- भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए एक 'भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान' तथा 'फारसी, पाली और प्राकृत भाषा के लिए राष्ट्रीय संस्थान' स्थापित किया जाएगा।

भारत उच्च शिक्षा आयोग :

- भारत उच्च शिक्षा आयोग (Higher Education Commission of India-HECI) को संपूर्ण उच्च शिक्षा के सर्वोच्च निकाय के रूप में गठित किया जाएगा। इसमें मेडिकल और कानूनी शिक्षा को शामिल नहीं किया जाएगा।
- वर्ष 2040 तक सभी वर्तमान उच्चतर शिक्षा संस्थानों (HEI) का उद्देश्य अपने आपको बहु-विषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करना होगा।
- वर्ष 2030 तक प्रत्येक जिले में या उसके समीप कम-से-कम एक बड़ा बहु-विषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान स्थापित किया जाएगा।
- HECI के कार्यों के प्रभावी और प्रदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिए चार संस्थानों/निकायों का निर्धारण किया गया है-
    - विनियमन हेतु-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद (National Higher Education Regulatory Council-NHERC)
    - मानक निर्धारण-सामान्य शिक्षा परिषद (General Education Council-GEC)
    - वित्त पोषण-उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (Higher Education Grants Council-HEGC)
    - प्रत्यायन-राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (National Accreditation Council-NAC)

अनुसंधान :

- नई शिक्षा नीति में एम. फिल (M. Phil) को समाप्त किया जाएगा।
- Ph.D के लिए चार वर्षीय ग्रेजुएशन फिर एम.ए. उसके बाद एम. फिल की अनिवार्यता समाप्त की जाएगी।
- राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) -राष्ट्र में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को सही रूप में उत्प्रेरित और विकसित करने के लिए तथा सभी प्रकार के वैज्ञानिक एवं सामाजिक अनुसंधानों पर नियंत्रण रखने के लिए NRF का

गठन।

स्कॉलरशिप पोर्टल व खुला विद्यालय योजना :

- SC, ST और OBC के सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉलरशिप पोर्टल का निर्माण किया जाएगा।
- IIT और IIM की तरह Multidisciplinary Education and Research University (MERUS) की स्थापना की जाएगी।
- देश के जो युवा किसी संस्था में नियमित रूप से अध्ययन नहीं कर सकते उन्हें NIOS (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग) और राज्यों के ओपन स्कूलों द्वारा चलाए जा रहे ODL (ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग) कार्यक्रम से जोड़कर पढ़ाया जाएगा।
- NIOS (राष्ट्रीय खुला विद्यालय संस्थान)-कक्षा तीन, पाँच और आठ के लिए ओपन लर्निंग की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे स्थान जहाँ विद्यालय तक आने के लिए छात्रों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। वहाँ जवाहर नवोदय विद्यालयों के स्तर की तर्ज पर नि:शुल्क छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा।
- NEP-2020 में जेंडर इंक्लूजन फंड और वंचित इलाकों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना पर जोर।

परीक्षण तथा मूल्यांकन :

- 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षाएँ जारी रहेंगी, बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं की मौजूदा प्रणाली में सुधार किया जाएगा। छात्र परीक्षा देने के लिए अपने विषयों में से कई विषय चुन सकेंगे।
- छात्रों को वर्ष में दो बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी, जिससे बोर्ड परीक्षाओं के 'उच्चतर जोखिम' पहलू को समाप्त किया जा सके।
- विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा संपूर्ण देश में एक समान होगी। इसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा साल में दो बार करवाया जाएगा।
- **परख**-छात्रों के मूल्यांकन के लिए मान-निर्धारण निकाय के रूप में परख (PARAKH) नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र (National Assessment Centre) की स्थापना की जाएगी।
- **360^{0}Assessment**- छात्र का रिपोर्ट कार्ड के 360^{0}Assessment आधार पर उसके व्यवहार, अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं तथा मानसिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा, जिसमें मूल्यांकन स्वयं छात्र, शिक्षक एवं सहपाठियों द्वारा किया जाएगा। ❑

कविता

पंकज मिश्र 'अटल'

जवाहर नवोदय विद्यालय, सरभोग
डाक-सरभोग,
जिला : बरपेटा-781317, (असम)
मोबाइल नंबर- 7905903204

लिखता हूं बार-बार पूर्वोत्तर

न जाने क्यों
हो गए हैं सारे शब्द मौन
निहारती हैं आंखें
उतरता जाता है परिवेश में
घुला लोकसंगीत
महसूस करता हूं कि
मैं पूर्वोत्तर में हूं
और कहीं गहरे तक
समाया है मुझमें पूर्वोत्तर,
लिखता हूं बार-बार पूर्वोत्तर।
महिलाओं की
पीठों से बंधे और झांकते बच्चे
मखमली धान के खेत
खुशबुओं से तरबतर चाय के बागान,
खींचते हैं कहीं अनजाने ही
खो सा जाता है मन,
लगता है कि
मैं पूर्वोत्तर में हूं
और कहीं गहरे तक
समाया है मुझमें पूर्वोत्तर,
लिखता हूं बार-बार पूर्वोत्तर।
हवाओं में तैरते मिसिंग जनजाति के
ओइ नितोम, अबांग, और मिबू के मंत्र,
दूर से आते बाथू पूजा के स्वर,
बांसों के झुरमुटों में घुसकर खेलती हवा
टपकतीं कांच के कंचों सी पानी की बूंदें,

और उनसे झांकता पूर्वोत्तर
बहक सा जाता है मन,
लगता है कि
मैं पूर्वोत्तर में हूं
और कहीं गहरे तक
समाया है मुझमें पूर्वोत्तर,
लिखता हूं बार-बार पूर्वोत्तर।
आदी,अपातानी, निश्यी लोककथाओं में
खोजता दिखता है खुद को अरूणांचल,
भर जाता है अगले ही पल
खासी,गारो लोकगीतों
और लोकधुनों का रेशमीपन
मन के खालीपन को,
माजुली के सत्रों और नामघरों की
आध्यात्मिकता उतरती है धीमे-धीमे अंतर्मन में,
जोड़ता हूं हिडिंबा से उषा,अनिरुद्ध तक के
कितने ही धागों को
अनछुए प्रसंगों को,
तलाशता हूं शब्द अपनापन,
लिपट जाती हैं कथाएं
सोचने लगता है मन,
लगता है कि
मैं पूर्वोत्तर में हूं
और कहीं गहरे तक
समाया है मुझमें पूर्वोत्तर,
लिखता हूं बार- बार पूर्वोत्तर।
मिजो से कोकबोरोक तक खोजती है दृष्टि
अन्यान्य भाषाओं में,
संस्कृतियों में,
अप्रतिम सौंदर्य,
चाहती है समेट लेना दूरियों को
छूकर हौले से छिप सा जाता है सौन्दर्य खिलखिलाती
हैं दिशाएं
करती हैं नृत्य सियांग से
तीस्ता तक सभी नदियां,
उड़ा ले जाती है पल में सब कुछ
कहता है धीमे से कोई
आई है मायके बोरदईसिला,
बटोरने लग जाता है मन,
लगता है कि
मैं पूर्वोत्तर में हूं
और कहीं गहरे तक
समाया है मुझमें पूर्वोत्तर,
लिखता हूं बार-बार पूर्वोत्तर।
धूप और अगरू में महकते
धम्म के पद, मठों से गूंजती ध्वनियां
दूर तवांग की पहाड़ियों से आती आवाजें
तमाम रिक्तताओं के साथ भागता है मन,

लगता है कि
मैं पूर्वोत्तर में हूं
और कहीं गहरे तक
समाया है मुझमें पूर्वोत्तर,
लिखता हूं बार-बार पूर्वोत्तर।
रोमांचित हो जाता हूं देखकर मालिनिथान,
लिखाबाली,अग्निगढ़,
शिवसागर के
रंगघर,करेंगघर और तलातलघर,
असमीया और आहोम
संस्कृतियों को करता हूं स्पर्श,
सोचता है मन,
लगता है कि
मैं पूर्वोत्तर में हूं
और कहीं गहरे तक
समाया है मुझमें पूर्वोत्तर,
लिखता हूं बार-बार पूर्वोत्तर।
सोच रहा हूं मायांग के बारे में
बह रही है शांत ब्रह्मपुत्र
कर रही है प्रतीक्षा
किसी परशुराम की शायद,
फिर दूर पहाड़ियों के
पीछे से आतीं मधुर ध्वनियां
बिहू-बिहू आहिसे,
बिहू-बिहू लागीसे
और आती हुई ध्वनियों के साथ
बहने सा लगता है,
खिंचने सा लगता है मन,
लगता है कि
मैं पूर्वोत्तर में हूं
और कहीं गहरे तक
समाया है मुझमें पूर्वोत्तर,
लिखता हूं बार-बार पूर्वोत्तर। ❑

मैं ढूंढ़ रहा हूं

मैं निरंतर हूं
कश्मकश में,
अजीब सी ऊहापोह में
ढूंढ़ रहा हूं
गांव, खलिहान और
पास से गुजरती नदी,
ढूंढ़ रहा हूं
खेतों से पुकारते रमई काका को,
उन बच्चों को
खेलते थे जो देर शाम तक
मंदिर वाले टीले पर,
दुलारे का कुलुहा और
आमों की बगिया
बसता था जिसमे मन,
ढूंढ़ रहा हूं
स्कूल से लौटते समय
फेंकना पत्थरों को तालाब में
और फिर चहकते बचपन को,
घंटों नहाना फेंक-फांक कर बस्ता
घुस जाना किसी भी घर में
समझ कर अपना
और खेलना, वहीं खाना
कूदना नहरों और खेतों की कुंडियों में
खाना डांट गांव वाले बड़के भैया से
बैठ कर नीबा के नीचे
खाना चटनी, रोटी और पीना मठ्ठा
मैं वह स्वाद ढूंढ़ रहा हूं
गर्मी में खाना चुस्की ओर कुल्फी
भैंस की पीठ पर पार करना नदी,
वाइस्कोप में देखना सिनेमा,
देखना तमाशा,
चुनाव में रिक्शों के पीछे भागना

मांगना झंडों और बिल्लों को
लगाकर घूमना बगैर जाने पार्टी को
घर पे बिटिया का आना
विदाई के समय
पूरे गांव का बस पर छोड़ने जाना
साड़ी के पल्लू से
झांकते हुए भीगी आंखों से
रिश्तों को संभालना और
मिलना बिटिया का
अम्मा, ताई, भौजी, जिया और दाऊ से
दाऊ का छूना पैर और
आंखों से चू पड़ना मन,
मैं ढूंढ़ रहा हूं,
कहीं कुछ खो सा गया है
छुट सा गया है यहीं कहीं
गुमसुम सा इस
'कुछ' को ढूंढ़ रहा हूं,
मनों में जन्मती दूरियां
बिखरता अतीत,
अपूर्ण सत्य,
रिश्तों की गरमी
और सिसकती स्मृतियों में
कहीं खो गया सब कुछ
घुल गया रात की स्याही में
खो गई खुशबू हवाओं में
नहीं हो पा रहा हूं सहज
छूटता जा रहा है कुछ
फैल रही है घुटन
झांक रहा है मन आंखों से
जम गए हैं सारे शब्द
हल्के धुंधलके को ओढ़े मैं
ढूंढ़ रहा हूं लगातार
अतीत को,
आंखों में नमी को,
पिघलते हुए मनों को
रात के अपनेपन को,
हवाओं के अल्हड़पन और
नदी – नालों के पागलपन को,
खो चुके सब कुछ में
ढूंढ़ रहा हूं खुद को
मिल सकता है कुछ न कुछ जरूर
यदि मैं ढूंढ़ सकूं खुद को
इसीलिए ढूंढ़ रहा हूं
सब कुछ को खुद में और
सब कुछ में खुद को लगातार
मैं ढूंढ़ रहा हूं।

गांव की सड़क

नाटकीयता से
कहीं बहुत दूर
वन फूलों से घिरी
ताकती हुई अपने
सीधे सादे आसमान को
जिसमें कहीं शब्द थे कोई
तो बच्चों के आंचलिक शोर के
जो अभी तक नहीं हो पाए यांत्रिक
सदा बांटती रही
सोंधी गंध
सहती रही सबके
बचपन को
जो करता रहा खरोंचें
और रौंदता रहा,
मगर वह बराबर
जाती रही मेरे
गांव की ड्योढ़ी तक,
देख रहा हूं
या है कोई स्वप्न

यह वही सड़क है
लगता है कुछ
आधुनिक हो गई है
पहचानती नहीं
न ही बुलाती
देखती तक नहीं
दब चुका है प्यार
चीखते हैं किनारे खड़े वृक्ष
वनफूलों को निगल लिया है
इनकी क्षुधा ने
घुट गई है चलते रोलरों में
वह सोंधी गंध
हो गया है कोलतार से
चेहरा विकृत
रह गया है बस मुझे याद
वह अतीत।
उग आए हैं इसके
हाथों पे पत्थर
फेंकती है हर पथिक पर
अब यह
नहीं जाती है गांव की
किसी देहरी या द्वार तक
अब यह जाती है
बहुत दूर
हर उस ओर
जहां नहीं जा पाता है गांव
अब यह शहरी है
तथाकथित शहरी
मेरे वही पुराने
गांव की नई सड़क। ❑

ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি-২০২০ আৰু অসমত উচ্চ শিক্ষাৰ ভৱিষ্যত

ড° প্ৰণয়ী দত্ত

ভূতপূর্ব অধ্যাপক,
পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ
মুখ্য অধ্যাপক (অৱসৰপ্ৰাপ্ত),
ইলেক্ট্ৰ'নিক্স এণ্ড
কমিউনিকেশ্বন টেকনল'জী বিভাগ,
গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়,
গুৱাহাটী, অসম
ফোন ঃ ৯৯৫৪৭৩৯১৭০

অতি প্ৰাচীন কালত ভাৰতবর্ষত শিক্ষা ব্যৱস্থা আছিল গুৰুগৃহ শিক্ষা, তাৰপিছত আৰম্ভ হ'ল পঢ়াশালিয়া শিক্ষা ব্যৱস্থা। এখোপ এখোপকৈ ন ন ৰূপলৈ ধাৰমান হৈ আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা বর্তমানৰ অৱস্থাপ্ৰাপ্ত হৈছে। শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এই বিৱর্তনৰ মূল হৈছে সময়ৰ দাবী, সময়ৰ লগত খোজ মিলাই আগবাঢ়ি যাবলৈ হ'লে সময়ৰ দাবীক আমি আকোঁৱালি ল'বই লাগিব - সেয়ে একবিংশতম শতিকাতো আমাৰ শিক্ষানীতিৰ এক পৰিৱর্তন তথা সংশোদনৰ প্ৰয়োজন হ'ল, ফলস্বৰূপে প্ৰায় চাৰি দশকৰ পিছত ভাৰতত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এক আলোড়নকাৰী পৰিৱর্তনৰ সূচনা কৰা হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি ২০২০ৰ মাধ্যমেৰে।

অঙ্কুৰ শ্ৰেণীৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ শ্ৰেণীপর্যন্ত বিস্তৃত হৈ থকা শিক্ষা ব্যৱস্থাই দেশৰ মানৱ সম্পদ গঢ়ি তোলে। সেয়ে এই শিক্ষাব্যৱস্থাৰ বিভিন্ন স্তৰসমূহৰ মাজত এক সুপৰিকল্পিত সামঞ্জস্য থকাটো আৱশ্যক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত এটা শিশুৱে যদি শিক্ষাৰ উপযুক্ত পৰিৱেশৰ পৰা বঞ্চিত হয় তথা বিভিন্ন বিষয়সমূহৰ আদিপাঠৰ ওপৰত সম্যক জ্ঞান লাভ কৰিব নোৱাৰে, তেনেহলে সেই শিশুটোৱে হাইস্কুল পর্যায়ত আহি শ্ৰেণীত সমনীয়াৰ সৈতে সমানে আগবাঢ়ি যোৱাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়। সেইদৰে হাইস্কুল পর্যায়ত বিভিন্ন বিষয়সমূহৰ খুটি-নাটি দিশসমূহ শিক্ষার্থীক বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আয়ত্ব নকৰালে বা শিক্ষার্থীয়ে আয়ত্ব কৰিব নোৱাৰিলে, কলেজ পর্যায়ত তেওঁলোক কঠিন পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হয়। সেই একেদৰে কলেজ পর্যায়ত বিভিন্ন বিষয়সমূহৰ ওপৰত সম্যক জ্ঞান লাভ কৰিব নোৱাৰিলে, তেনে শিক্ষার্থীয়ে স্নাতকোত্তৰ পর্যায়ত আৰু বেছি কঠিন পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হয়। যি সম্যক জ্ঞানৰ কথা উনুকিওৱা হৈছে তাত হাতৰ আখৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শব্দৰ বানানো অন্তর্ভুক্ত কৰা হৈছে।

নতুন শিক্ষানীতিত প্ৰাথমিক, হাইস্কুল, স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ এই চাৰি স্তৰৰ মাজত এক সু-সামঞ্জস্যৰ অৱতাৰণা কৰা হৈছে। স্কুল পৰ্যায়ক পূৰ্বৰ ১০ + ২ৰ সলনি ৫+৩+৩+৪ কৰা হৈছে, প্ৰতিটো স্তৰত শিক্ষাদানে যাতে শিক্ষাৰ্থীক বিজ্ঞান মানসিকতাৰ প্ৰতি ঢাল খুৱাব পাৰে, তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। পূৰ্বে যিবোৰ বিষয় দুবছৰ পুথিগত বিদ্যাৰ উপৰিও হাতে-কামেও পৰীক্ষাগাৰত শিকিছিল, নতুন শিক্ষানীতিয়ে সেইবোৰ চাৰিবছৰ শিকাৰ সুবিধা দিছে। এনে ব্যৱস্থাই স্কুল পৰ্যায়তে কোনো এটা বিষয়ৰ মৌলিক কথাসমূহৰ ওপৰত সম্যক জ্ঞান অৰ্জন কৰাৰ পথ সুচল কৰে। এইখিনিতে উল্লেখনীয় যে যোৱা শতিকাৰ ৬০-৭০ৰ দশকতো আমাৰ এনে এক শিক্ষা ব্যৱস্থা আছিল য'ত অষ্টম শ্ৰেণীৰ পৰাই শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজৰ ৰুচি অনুযায়ী বিজ্ঞান বা কলা (ছাত্ৰীৰ বাবে আৰু এক শাখা "গাহস্থ্য বিজ্ঞান) শাখাত অধ্যয়ন কৰিব পাৰে, অষ্টম শ্ৰেণীৰ পৰাই বিজ্ঞান শাখাৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে পদাৰ্থ বিজ্ঞান, ৰসায়ন বিজ্ঞান, প্ৰাণী-উদ্ভিদ বিজ্ঞান আৰু বিশেষ গণিত একো একোটা পৃথক বিষয় হিচাবে একাদশ শ্ৰেণীলৈ চাৰি বছৰ অধ্যয়ন কৰিব লাগে, কলা শাখাৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে সেইদৰে ৰাজনীতি বিজ্ঞান, লজিক, অৰ্থনীতি আদি বিষয়সমূহ অষ্টম শ্ৰেণীৰ পৰা একাদশ শ্ৰেণীলৈ চাৰিবছৰ অধ্যয়ন কৰিব লাগে। তাৰোপৰি বিজ্ঞান শাখাৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা একাদশ শ্ৰেণীলৈ পদাৰ্থ বিজ্ঞান, ৰসায়ন বিজ্ঞান, প্ৰাণী- উদ্ভিদ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষাগাৰত বিভিন্ন পৰীক্ষাসমূহ হাতে-কামে কৰিব লাগে, সেইদৰে গাৰ্হস্থ্য বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰীয়ে নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা একাদশ শ্ৰেণীলৈ বিভিন্ন খাদ্য প্ৰস্তুত, চিলাই, ফুল সজোৱা আদি হাতে-কামে কৰাৰ সুযোগ পায়। অষ্টম শ্ৰেণীৰ পৰা একাদশ শ্ৰেণীলৈ সুদীৰ্ঘ চাৰিটা বছৰ বিজ্ঞান আৰু কলাৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ একোটা একোটা পৃথক বিষয় হিচাবে বিস্তৃতভাৱে অধ্যয়নৰ সুবিধা, নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা একাদশ শ্ৰেণীলৈ তাত্ত্বিক দিশৰ বহু কথা হাতে-কামে শিকাৰ সুবিধা আৰু নিজৰ আগ্ৰহৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰ (বিজ্ঞান, কলা বা গাৰ্হস্থ্য বিজ্ঞান)খন অষ্টম শ্ৰেণীৰ পৰাই লাভ কৰাৰ বাবে এই শিক্ষা ব্যৱস্থা অতি সফল তথা শিক্ষাৰ্থীৰ অতি আদৰণীয় আছিল। কিন্তু প্ৰায় ১৯৭৫ চন মানৰ পৰাই এই ব্যৱস্থা অসমত সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰি দিয়াত শিক্ষাৰ্থীৰ অতি উপকাৰী তথা সফল শিক্ষা ব্যৱস্থা এটাৰ সলিল সমাধি ঘটিল। সুখৰ কথা, নতুন শিক্ষানীতিয়ে পূৰ্বৰ সেই স্কুলীয়া শিক্ষাব্যৱস্থাক ঘঁহি-পিহি ন ৰূপ দি একবিংশতম শতিকাৰ উপযোগীকৈ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। এইখিনিতে এক প্ৰাসঙ্গিক উদাহৰণ উনুকিওৱাৰ আৱশ্যকতা আহি পৰিছে। চুইজাৰলেণ্ডৰ জেনেভাত অৱস্থিত পদাৰ্থ কণিকাৰ তাত্ত্বিক আৰু ব্যৱহাৰিক গৱেষণাৰ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় তথা অতি উচ্চমানৰ পৃথিৱী বিখ্যাত গৱেষণাকেন্দ্ৰ European Organisation for Nuclear Research চমুকৈ CERN ত এই শতিকাৰ আৰম্ভণিতে স্কুলীয়া শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে এক বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰা হৈছিল। এই কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাবে স্কুলৰ গ্ৰীষ্মবন্ধত বিভিন্ন দেশৰ নিৰ্বাচিত শিক্ষাৰ্থীৰ দলে CERN ৰ পৰীক্ষাগাৰত পদাৰ্থ কণিকা চিনাক্তকৰণ যন্ত্ৰ সাজি উলিয়ায়, যি ধৰণৰ যন্ত্ৰ ইতিমধ্যে গৱেষকসকলে বছৰ বছৰ যোৱা গৱেষণাৰ অন্তত আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰি হাতে-কামে সুচাৰুৰূপে সাজি উৎকৃষ্ট বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিছে। আনকি শিক্ষাৰ্থীসকলে সাজি উলিওৱা যন্ত্ৰসমূহ নিজৰ নিজৰ স্কুললৈ আনি পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰিবলৈকো অনুমতি দিয়া হয়। স্কুলীয়া শিক্ষাৰ্থীয়ে নিৰীক্ষণ কৰা ডেটাসমূহ CERN ৰ গৱেষকে বিশ্লেষণ কৰি যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত লয়। এই ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা স্কুলীয়া শিক্ষাৰ্থীক স্কুলীয়া জীৱনৰ পৰাই গৱেষণাৰ বিভিন্ন দিশৰ সম্যক জ্ঞান দি গৱেষণাৰ প্ৰতি অনুপ্ৰাণিত কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰা হয়। এই কাৰ্যসূচী ফলপ্ৰসূ হোৱাত ইয়াৰ প্ৰসাৰণ ঘটাই ২০১৪

চনৰ পৰা BL4S নামৰ আৰু এক কার্যসূচী আৰম্ভ কৰা হৈছে। এই কার্যসূচীৰ নিয়ম অনুসাৰে বিভিন্ন দেশৰ শিক্ষার্থীয়ে স্কুলীয়া পাঠ্যক্রম সমাপ্ত হোৱাৰ দুবছৰ আগতে সমাজৰ উপকাৰী মৌলিক চিন্তাধাৰাৰ পৰীক্ষাৰ বিস্তৃত টোকা CERN লৈ পঠিয়াব পাৰে। নির্বাচিত টোকাসমূহৰ শিক্ষার্থীক CERNৰ চেমিনাৰত উপস্থাপনৰ বাবে আমন্ত্রণ জনোৱা হয়। তাৰ মাজৰ পৰা প্রতিবছৰে দুটা দলক নির্বাচন কৰি স্কুলৰ গ্রীষ্মবন্ধত সেই টোকাৰ ওপৰত CERNৰ উন্নতমানৰ গৱেষণাগাৰত পৰীক্ষা ভাগে ভাগে কৰিবলৈ সকলো সুবিধা প্রদান কৰা হয়। সুখৰ কথা যে ২০১৮ চনত নির্বাচিত হোৱা দুটা দলৰ এটা ভাৰতৰ স্কুলীয়া দল। এইটো সুস্পষ্ট যে এনে উচ্চ পর্যায়ৰ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাত জয়ী হ'বলৈ হ'লে স্কুলীয়া পাঠ্যক্রমত অন্ততঃ অষ্টম / নৱম শ্রেণীৰ পৰাই পদার্থবিদ্যাকে আদি কৰি বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ বিশদভাৱে অন্তর্ভুক্ত হোৱাটো অতি আৱশ্যক। CERNৰ বিজ্ঞানীৰ বাস্তৱ অভিজ্ঞতাৰ পৰা দিয়া মতামত হ'ল যে বহুতো দেশত বর্তমানেও স্কুলীয়া শিক্ষার্থীয়ে বিজ্ঞানৰ সৰল পৰীক্ষাসমূহ হাতে-কামে কৰাৰ সুযোগতো পোৱাই নাই, আনকি বিজ্ঞানৰ বিষয়সমূহৰ তাত্ত্বিক দিশো পাঠ্যক্রমত অন্তর্ভুক্ত হোৱা নাই। এই ক্ষেত্রত গৌৰৱৰ বিষয় যে আমাৰ দেশত অর্দ্ধ শতিকাৰ পূর্বেই অষ্টম শ্রেণীৰ পৰাই পদার্থবিজ্ঞানকে আদি কৰি বিজ্ঞানৰ অন্যান্য বিষয়সমূহ পাঠ্যক্রমত অন্তর্ভুক্ত কৰা হৈছিল। সুখৰ কথা যে নতুন শিক্ষানীতিয়ে এনে সফল শিক্ষা ব্যৱস্থা পুনৰ প্রৱর্তন কৰাত গুৰুত্ব দিছে।

উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্রত নতুন শিক্ষানীতিত ক্রমিক নং ৯ৰ পৰা ২০লৈকে মুঠ বাৰটা দফা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। সেইকেইটা হ'ল— (৯) উচ্চমানৰ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু কলেজ, (১০) শিক্ষানুষ্ঠানৰ পুনৰ গঠন আৰু গোটবান্ধন, (১১) এক পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাৰ দিশে, (১২) ফলপ্রসূ শৈক্ষিক পৰিৱেশ আৰু শিক্ষার্থীলৈ উদ্‌গনি তথা সাহার্য্য, (১৩) উচ্চাকাঙ্খী, উদ্যোগী আৰু যোগ্য শিক্ষক, (১৪) উচ্চশিক্ষাত নার্য্যতা আৰু অন্তর্ভুক্তিকৰণ, (১৫) শিক্ষকক শিক্ষাদানৰ প্রশিক্ষণ, (১৬) বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ নৱ পৰিকল্পনা, (১৭) কাৰিকৰী, স্বাস্থ্য, কৃষি, আইন আদি বিষয়ৰ শিক্ষা, (১৮) উচ্চমানবিশিষ্ট গৱেষণাৰ বাবে যাৱতীয় ব্যৱস্থা, (১৯) ফলপ্রসূ পৰিচালনা আৰু নেতৃত্ব, (২০) উচ্চ শিক্ষাৰ বিধি-বিধান ব্যৱস্থাৰ নিয়ন্ত্রণৰ ৰূপান্তৰকৰণ।

ভাৰতবর্ষ এতিয়া এনে এক সমাজ আৰু অর্থনীতিৰ দিশলৈ ধাৱমান হৈছে য'ত সৃষ্টিশীল, বহুক্ষেত্রত অভিজ্ঞ আৰু নিপুণ কর্মীৰ আৱশ্যক। এই আৱশ্যকতা পূৰাবলৈ উচ্চশিক্ষাৰ প্রণালী অনতিবিলম্বে পুনঃগঠন আৰু পুনঃসৱল কৰাৰ ওপৰত (৯) নং দফাত মতপোষণ কৰা হৈছে। বর্তমানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই উচ্চ শিক্ষাৰ জগতখনক বহুতো সমস্যাৰে ভাৰাক্রান্ত কৰি ৰাখিছে - বিভিন্ন শৈক্ষিক ক্ষেত্রসমূহৰ মাজত উপযুক্ত সংগতি নথকা, শিক্ষার্থীৰ জ্ঞানৰ পৰিসৰ সীমিত বিষয়ৰ ওপৰত আৱদ্ধ কৰি ৰখা, বেছি সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় আৰু কলেজত উপযুক্ত গৱেষণাৰ অভাৱ, আর্থ-সামাজিক ভাৱে পিচপৰা অঞ্চলৰ বাসিন্দা উচ্চ শিক্ষা লাভৰ পৰা বঞ্চিত, এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত অসংখ্য কলেজ অন্তর্ভুক্ত হৈ থকা যাৰ ফলত স্নাতক শিক্ষাৰ মানদণ্ড অৱনমিত হোৱা, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সমস্যাসমূহৰ পৰা সম্পূর্ণৰূপে মুক্ত এক উচ্চ শিক্ষাখণ্ড পাবলৈ হ'লে লাগিব এক দৃঢ়, সৱল, উপযুক্ত ভেঁটি অর্থাৎ অতি উচ্চমানৰ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু কলেজ।

(১০) নং দফাত এনে উচ্চমানৰ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু কলেজৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হৈছে - সেই আন্তঃগাঁথনি হৈছে বৃহৎ বহুক্ষেত্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান। প্রাচীন ভাৰতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তক্ষশীলা

আৰু নালন্দাই দেশ-বিদেশৰ পৰা অহা হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষার্থীক বহুক্ষেত্রীয় শিক্ষাদানেৰে শিক্ষিত কৰি উপযুক্ত মানৰ সম্পদ গঢ়ি তুলিছিল। আমাৰ সেই সফল পৰম্পৰাক পুনৰ আদৰি লোৱাৰ উপযুক্ত সময় হৈছে। ষ্টেনফ'ৰ্ড, এম্ আই টিৰ দৰে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে এনে বহুক্ষেত্রীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা সফলতাৰ নিদর্শন ডাঙি ধৰিছে। সেয়ে নতুন শিক্ষানীতিত এনে বহুক্ষেত্রীয় শিক্ষানুষ্ঠান প্রতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে অতি সজোৰেৰে পোষকতা কৰিছে য'ত স্নাতক, স্নাতকোত্তৰকে আদি কৰি অতি উচ্চমানৰ শিক্ষা, গৱেষণা আৰু সমাজৰ প্রতি দায়ৱদ্ধতা উপলব্ধ হ'ব। বর্তমানৰ সকলো উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান বহুক্ষেত্রীয় শিক্ষানুষ্ঠানলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হ'ব য'ত বিভিন্ন ক্ষেত্রৰ সমন্বয়ৰ শৈক্ষিক কার্যসূচী থাকিব আৰু প্রয়োজন সাপেক্ষে এনে বহুতো উচ্চশিক্ষাৰ অনুষ্ঠানে এটা বৃহৎ গোট হিচাবেও কার্যসূচী প্রৱর্তন কৰিব পাৰিব। উপযুক্ত সময়ত এই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ আৰু নতুনকৈ প্রতিষ্ঠিত শিক্ষানুষ্ঠান সমূহক গৱেষণাকেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষাদানকেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয় আৰু স্বায়ত্বশাসিত ডিগ্রী প্রদান কলেজলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হ'ব। উচ্চ শিক্ষাৰ এই অনুষ্ঠানসমূহ উল্লেখিত তিনিধৰণৰ স্তৰৰ এটাৰ পৰা আনটোলৈ পৰিৱর্তিত হ'ব পাৰিব নিজৰ নিজৰ পৰিকল্পনা, কার্য আৰু যোগ্যতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি। উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ শৈক্ষিক কার্যসূচী আৰু গৱেষণাৰ দায়িত্বৰ উপৰিও নিজৰ নিজৰ সমল আৰু গঠনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আন কিছুমান অতিৰিক্ত দায়িত্বও থাকিব - আন উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানক প্রয়োজনীয় সহায়, সামাজিক কামত অংশগ্রহণ, স্কুলৰ শিক্ষা ব্যৱস্থালৈ প্রয়োজনীয় সহায় ইত্যাদি। এইটো আশা কৰা হৈছে যে অহা পোন্ধৰ বছৰৰ ভিতৰত বর্তমানৰ বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত কলেজসমূহৰ পৰিসমাপ্তি ঘটাই সিবোৰক স্বায়ত্বশাসিত ডিগ্রী প্রদান কলেজলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা সম্ভৱ হ'ব। এই ক্ষেত্রত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বর্তমানৰ অধীনস্থ কলেজসমূহক একোখন স্বায়ত্বশাসিত কলেজলৈ উন্নীত হ'বৰ বাবে প্রয়োজনীয় দিহা-পৰামর্শৰে পথ প্রদর্শকৰ ভূমিকা ল'ব লাগিব।

১১নং দফাত বিশ্ববিদ্যালয় আৰু স্বায়ত্বশাসিত কলেজসমূহত কেনে ধৰণৰ শৈক্ষিক কার্যসূচী প্রৱর্তিত হ'ব তাৰ বর্ণনা দিয়া হৈছে ভাৰতবর্ষৰ প্রাচীন শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আধাৰত। বানভট্টৰ কাদম্বৰীত প্রকৃত শিক্ষা যে ৬৪টা কলাৰ জ্ঞানৰ সমষ্টি তাৰ উল্লেখ আছে - এই কলাসমূহৰ ভিতৰত আছে সঙ্গীত আৰু চিত্রাঙ্কন, বিজ্ঞানভিত্তিক ক্ষেত্র ৰসায়নবিদ্যা আৰু গণিত শাস্ত্র, জীৱিকা বৃত্তি বিষয়ক ক্ষেত্র কাঠ মিস্ত্রী আৰু দর্জীৰ কাম, চিকিৎসা আৰু কাৰিকৰী শিক্ষা, তাৰোপৰি ভাৱ বিনিময়, আলোচনা-বিলোচনা, তর্ক বিদ্যা আদি। মানুহৰ সৃষ্টিশীল মনৰ বর্হিপ্রকাশ এই সকলো ক্ষেত্রকে যে কলা হিচাবে সামৰি ল'ব লাগে সেই ধাৰণাৰ ভেঁটি হৈছে প্রাচীন ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাহে। স্নাতক পর্যায়ত এনে কলাসমূহক বিজ্ঞান কাৰিকৰী, ইঞ্জিনীয়াৰিং আৰু গণিত বিদ্যাৰ সৈতে সাঙুৰি ল'লে শিক্ষার্থীৰ সৃষ্টিশীলতা আৰু নৱচিন্তাৰ উত্তৰণ, সামূহিকভাৱে কাম কৰাৰ সামর্থ, সামাজিক আৰু নৈতিক সচেতনতা আদি গুণৰ বিকাশ ঘটিব।

শিক্ষার্থীক স্থানীয় শিল্প উদ্যোগ, ব্যৱসায়, শিল্পী, স্থানীয় আৰু গ্রাম্য সমাজ আদিৰ লগত সম্পর্ক ৰাখি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৰোৱাত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। ইয়াৰ ফলত শিক্ষার্থীয়ে পুথিগত জ্ঞানৰ ব্যৱহাৰিক দিশটোৰ সৈতে জড়িত হ'ব পাৰিব যিয়ে তেওঁলোকৰ কর্মসংস্থানৰ পথটোও সুচল কৰি তুলিব। শিক্ষার্থীসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ বা আন উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান বা গৱেষণা কেন্দ্রৰ শিক্ষক আৰু গৱেষকৰ অধীনত প্রশিক্ষণ ল'লেও একেধৰণে লাভবান হ'ব।

স্নাতক কার্যসূচী তিনি বা চাৰি বছৰীয়া হ'ব। যিজন শিক্ষার্থীয়ে প্রথম বছৰৰ পৰীক্ষাত কৃতকার্য হোৱাৰ পিছত পঢ়া সামৰিব বিচাৰে তেওঁক ডিপ্লমা দিয়া হ'ব, দুবছৰৰ পিছত উন্নত ডিপ্লমা, তিনিবছৰ কৃতকার্যতাৰে সম্পূর্ণ কৰি পঢ়া সামৰিলে স্নাতক ডিগ্রী আৰু চাৰি বছৰ কৃতকার্যতাৰে সম্পূর্ণ কৰিলে গৱেষণাযুক্ত স্নাতক ডিগ্রী দিয়া হ'ব। এইনতুন শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এটা অতি ফলপ্রসূ দিশ হ'ল যে কম মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীয়ে প্রথম এটা বা দুটা বছৰ সম্পূর্ণ কৰি নিজৰ যোগ্যতা তথা আগ্রহৰ জীৱিকা বাচি ল'ব পাৰে। এতিয়াৰ দৰে তিনি বছৰৰ মূৰকতহে ডিগ্রীটো পাবলৈ অথবা বাৰে বাৰে অকৃতকার্য হৈ সময় আৰু অর্থ দুয়োটাৰে অপব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া নহ'ব। আৰু এটা সুফল হ'ব যে উপযুক্ত মেধা সম্পন্নখিনিহে যিসকল প্রকৃততে স্নাতকোত্তৰ শিক্ষাৰ প্রতি আগ্রহী, তেওঁলোকক নির্বাচন কৰাত সুবিধা হ'ব। স্নাতকোত্তৰ কার্যসূচী এবছৰীয়া হ'ব চাৰিবছৰীয়া গৱেষণাযুক্ত স্নাতক ডিগ্রীধাৰী সকলৰ বাবে, তিনিবছৰীয়া স্নাতক ডিগ্রীধাৰী সকলৰ বাবে স্নাতকোত্তৰ কার্যসূচী দুবছৰীয়া হ'ব য'ত দ্বিতীয় বছৰটো সম্পূর্ণ গৱেষণাৰ বাবে ৰখা হ'ব, তাৰোপৰি পাঁচবছৰীয়া যুগ্ম স্নাতক/ স্নাতকোত্তৰ কার্যসূচীও থাকিব পাৰে। পি এইচ ডি কার্যসূচীৰ বাবে অর্হতা চাৰিবছৰীয়া গৱেষণাযুক্ত স্নাতক বা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্রীধাৰী হ'ব লাগিব। এনে সর্বোত্তম উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে আই আই টি, আই আই এম্ আদিৰ লেখীয়া আন্তর্জাতিক মর্য্যাদাসম্পন্ন আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কৰা হ'ব ব্যক্তিগত খণ্ডত। এইখিনিতে এটা গুৰুত্বপূর্ণ সংযোগ হৈছে যে উচ্চ শিক্ষাৰ মাধ্যম ঠাৱৰ কৰাৰ দায়িত্ব ৰাজ্যসমূহৰ নিজৰ যদিও ভাৰতীয় ভাষা বা মাতৃভাষা মাধ্যম হিচাবে লৈ অন্ততঃ কিছু কার্যসূচী প্রৱর্তন কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে।

১২ নং দফাত শৈক্ষিক পৰিৱেশ আৰু শিক্ষার্থীলৈ যথোচিত সহায় তথা উদ্গনিৰ বিষয়টো সামৰা হৈছে। ফলপ্রসূ জ্ঞান আহৰণৰ বাবে শিক্ষার্থীক যথোপযুক্ত পাঠ্যক্রম, নিৰৱচ্ছিন্ন মূল্যাঙ্কন আৰু উদ্গনিৰ আৱশ্যক, লগতে উচচমান বিশিষ্ট শিক্ষাৰ আন্তঃগাঁথনি, সমল আৰু কাৰিকৰী সুবিধাৰো প্রয়োজন। অতি মেধাবী শিক্ষার্থীৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা থাকিব যাতে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ শৈক্ষিক কার্যসূচী খৰতকীয়াকৈ সমাপন কৰিব পাৰে। প্রতিখন শিক্ষানুষ্ঠান শিক্ষার্থীৰ পূর্ণাঙ্গ উন্নতিৰ বাবে দায়ৱদ্ধ হ'ব লাগিব যাৰ বাবে শ্রেণীৰ সময়খিনিৰ বাহিৰেও অন্য সময়তো শিক্ষকে শিক্ষার্থীৰ সৈতে বিদ্যায়তনিক আৰু সামাজিক বিষয়ত ভাৱ বিনিময় তথা দিহা-পৰামর্শৰে যোগাযোগ ৰাখিব লাগিব। শিক্ষার্থীৰ দ্বাৰা আয়োজিত বিভিন্ন কার্যসূচীসমূহ যেনে বিজ্ঞানভিত্তিক, সাহিত্য, ভাষাকেন্দ্রিক, তর্ক বিষয়ক, সঙ্গীত, খেল-ধেমালি আদিত শিক্ষানুষ্ঠানে আৱশ্যকীয় আর্থিক সাহার্য্য আগবঢ়োৱাৰ উপৰিও সেই বিষয়সমূহ পাঠ্যক্রমত অন্তর্ভূক্ত কৰিব পাৰে অভিজ্ঞ শিক্ষক আৰু আগ্রহী শিক্ষার্থীৰ দাবীৰ ওপৰত নির্ভৰ কৰি। শিক্ষকসকলে মাত্র শ্রেণীৰ সীমিত সময়খিনিতহে শিক্ষার্থীক জ্ঞান বিলোৱাৰ উপৰিও আমাৰ প্রাচীন গুৰুগৃহ শিক্ষাৰ লেখীয়াকৈ শিক্ষার্থীৰ মানসিক, শাৰীৰিক, নৈতিক সকলো দিশতে প্রকৃত গুৰুৰ ভূমিকা লবলৈ যত্নপৰ হ'ব লাগে।

মুক্ত দূৰ শিক্ষা ফলপ্রসূ হ'বলৈ ইয়াক সকলো দিশৰ পৰা শ্রেণীকোঠাৰ শিক্ষাৰ সমকক্ষ হোৱাৰ পোষকতা কৰা হৈছে। তাৰ বাবে ইয়াৰ বিধি-বিধান, প্রণালীৱদ্ধ বিকাশৰ নীতি-নিয়ম আদি প্রস্তুত কৰাৰ ভাৰ National Higher Education Ragulatory Authority (NHERA) ৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰা হৈছে। উচ্চ শিক্ষাৰ সকলো শৈক্ষিক কার্যসূচী, পাঠ্যক্রম (প্রত্যক্ষ শ্রেণী, অনলাইন বা মুক্ত দূৰ শিক্ষা যিয়েই নহওক) লগতে শিক্ষার্থীলৈ উদ্গনি তথা যাৱতীয়

সাহায্য সকলো আন্তর্জাতিক মানবিশিষ্ট হোৱাৰ পোষকতা কৰা হৈছে। এনে ব্যৱস্থাৰ ফলত বিদেশৰ শিক্ষার্থী আমাৰ দেশলৈ অধ্যয়নৰ বাবে যিদৰে আকর্ষিত হ'ব, আমাৰ শিক্ষার্থীৰো বিদেশলৈ অধ্যয়নৰ বাবে যোৱাৰ পথ মসৃণ হ'ব অর্থাৎ শিক্ষার্থীৰ বর্হিঃ আৰু অন্তঃগমন দুয়োটাই সমানেই লাভবান হ'ব। এই ব্যৱস্থাই গৱেষণাৰ ক্ষেত্রতো এক ইতিবাচক প্রভাৱ পেলাব; আমাৰ গৱেষক শিক্ষার্থীয়ে গৱেষণাৰ এছোৱা বিদেশৰ উপযুক্ত সা-সুবিধালব্ধ অনুষ্ঠানত সমাপন কৰিব পাৰিব। তাৰোপৰি ভাৰতীয় ভাষা, যোগবিদ্যা, কলা, ইতিহাস, সংস্কৃতি, সমাজ বিজ্ঞান আদিৰ প্রতি বিদেশৰ শিক্ষার্থীও আকর্ষিত হ'ব। ভাৰতৰ অতি উচ্চমানৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহক বিদেশত শাখা মুকলি কৰাৰ বাবে উৎসাহিত কৰিব লাগে, সেইদৰে বিশ্বৰ উচ্চ স্তৰৰ প্রথম এশখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা কেবাখনো বাচনি কৰি ভাৰতত শাখা খোলাৰ বাবে উৎসাহ তথা অনুমতি প্রদান কৰিব লাগে। গৱেষণাৰ ক্ষেত্রত বিদেশৰ উন্নত গৱেষণা কেন্দ্রৰ লগত সমল আৰু গৱেষক শিক্ষার্থী আদান-প্রদানৰ দ্বাৰা যুটীয়াভাৱে গৱেষণা কৰিলে অতিশয় ফলপ্রসূ গৱেষণাৰ শুভাৰম্ভ সম্ভৱ হ'ব। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে শিক্ষা আৰু গৱেষণাৰ ক্ষেত্রত ভাৰতক 'বিশ্বগুৰু'ৰ ভূমিকা লোৱাৰ উপযোগী কৰাৰ প্রতি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে।

শিক্ষাজগতৰ ভেঁটি দৰাচলতে তিনিটা খুঁটাৰ ওপৰত প্রতিষ্ঠিত - শিক্ষার্থী, শিক্ষক আৰু কর্তৃপক্ষ তথা শাসনযন্ত্র। এখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ সফলতা বা বিফলতাৰ বাবে এই তিনিওটা খুঁটা দায়ৱদ্ধ। সেয়ে প্রথমে এক প্রাণময় পৰিৱেশৰ বাবে শিক্ষার্থীৰ শাৰীৰিক, মানসিক আৰু আর্থিক দিশৰ ওপৰত প্রাধান্য দিয়া আৱশ্যক। শিক্ষার্থীৰ মানসিক চাপ, আবেগ আদিৰ ভূ লৈ থাকিবলৈ নিয়মীয়া পৰামর্শৰ প্রয়োজন। বিশেষকৈ গ্রাম্য সমাজ আৰু সৰু সৰু নগৰাঞ্চলৰ পৰা অহা শিক্ষার্থীক প্রয়োজনীয় সাহায্য আৰু আৱশ্যক অনুসৰি হোষ্টেলৰ সা-সুবিধা প্রদানৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া দৰকাৰ। শিক্ষার্থীৰ বাবে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেৱা উপলব্ধ কৰোৱাৰ দায়িত্ব প্রতিটো শিক্ষানুষ্ঠানে গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা উচিত। নতুন শিক্ষানীতিত আগবঢ়োৱা আন এক আদৰণীয় পৰামর্শ হৈছে যে কোনো আগ্রহী তথা মেধাৱী শিক্ষার্থী যাতে আর্থিক অনাটনৰ বাবে উচ্চ শিক্ষা লাভৰ পৰা বঞ্চিত নহয় তাৰ বাবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰখা। ব্যক্তিগত খণ্ডৰ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ২৫ শতাংশৰ পৰা ১০০ শতাংশ পর্যন্ত জলপানি দিব লাগিব অতি কমেও আধা সংখ্যক শিক্ষার্থীক। এই ব্যৱস্থা কার্যকৰী হ'লে আর্থিকভাৱে দুর্বল মেধাৱী শিক্ষার্থীৰ বাবে এক ডাঙৰ আর্শীবাদ হ'ব।

১৩ নং দফাত শিক্ষকৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হৈছে। শিক্ষা জগতৰ এই লাইখুঁটা সুস্থ, সৱল আৰু উপযুক্ত হ'বলৈ বহুতো পৰামর্শ আগবঢ়োৱা হৈছে। প্রথমেই সুস্থ পৰিৱেশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে - আধুনিক ডিজিটেল শ্রেণীকোঠা, বিশুদ্ধ খোৱাপানী, স্বাস্থ্যসন্মত প্রসাৱ-পায়খানা ঘৰ, আধুনিক সুবিধাযুক্ত অফিচ, পৰীক্ষাগাৰ, শ্রেণীকোঠা আদি। দ্বিতীয়তে এটা অতি গুৰুত্বপূর্ণ দিশৰ ওপৰত চিন্তা কৰা হৈছে - শিক্ষক-শিক্ষার্থীৰ সংখ্যাৰ অনুপাত। শৈক্ষিক কার্যসূচীৰ ওপৰত নির্ভৰ কৰি এই অনুপাত ১.১০ ৰ পৰা ১.২০ ৰ ভিতৰত ধার্য্য কৰা হৈছে। এই কথা অনস্বীকার্য যে নতুন শিক্ষানীতিৰ ফলত উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানৰ প্রতিজন শিক্ষকৰ দায়িত্ব আৰু কর্তব্য অতি গধুৰ হ'ব। প্রতিজনেই গুৰুগৃহ শিক্ষাৰ গুৰুজনৰ ভূমিকা পালন কৰিব লাগিব - শ্রেণীকোঠাত শিক্ষার্থীক শিক্ষাদান কৰিয়েই দায় সামৰিব নোৱাৰিব; শ্রেণী কোঠাৰ বাহিৰতো শিক্ষার্থীক তেওঁলোকৰ প্রয়োজনসাপেক্ষে শৈক্ষিক দিশত দিহা-পৰামর্শ দিব লাগিব, তেওঁলোকৰ সর্বাঙ্গীন উন্নতিৰ নিমিত্তে

সকলো ধৰণৰ যত্ন ল'ব লাগিব, নিজৰ গৱেষণা কার্য্য অব্যাহত ৰাখিব লাগিব, লগতে শিক্ষানুষ্ঠানৰ অন্যান্য কার্যাৱলীতো সক্রিয় অংশগ্রহণ কৰিব লাগিব। এনেবোৰ দায়িত্বই শিক্ষকজনক নিজৰ শিক্ষানুষ্ঠান আৰু অঞ্চলটোৰ সৈতে একাত্মভাৱ জগাই তোলাত সহায় কৰিব। সেয়ে এখন শিক্ষানুষ্ঠানত মকৰল কৰা শিক্ষকক অন্য এখনলৈ বদলি কৰাত বাধা আৰোপ কৰা হৈছে। এই দফাত সন্নিৱিষ্ট এটা অতি মহত্বপূর্ণ দিশ হৈছে উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানৰ মুৰব্বী অর্থাৎ প্রধানজনৰ বাবে আগবঢ়োৱা পৰামর্শ। মানৱ শৰীৰৰ মস্তিষ্কই হৈছে প্রধান চালিকাশক্তি, মস্তিষ্কৰ নির্দেশতে মানুহে কার্য কৰে আৰু সেইমতে ফল পায়। সেইদৰে শিক্ষানুষ্ঠানৰ মুৰব্বীজন হ'ল গোটেই অনুষ্ঠানটোৰ মস্তিষ্ক। তেওঁৰ সুপৰিকল্পিত, দূৰদর্শী, গঠনমূলক, পক্ষপাতিত্বহীন চিন্তাধাৰাই অনুষ্ঠানটোক সকলো দিশৰ পৰা সাফল্যৰ শিখৰত অৱস্থান কৰাবলৈ সক্ষম হ'ব। এনে এক সর্বগুণী ব্যক্তি নির্বাচনৰ দায়িত্ব অনুষ্ঠানটোৰ ওপৰতে ন্যস্ত কৰা হৈছে - অনুষ্ঠানৰ অধ্যাপকসকলৰ মাজৰ পৰাই নেতৃত্ব দিব পৰা গুণবিশিষ্ট সকলক বাচি উলিয়াই তেওঁলোকক অনুষ্ঠানটোৰ গুৰি ধৰাৰ বাবে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দি প্রস্তুত কৰি ৰাখিব লাগে। যিদৰে এটা পৰিয়ালৰ মুৰব্বীজনে পৰিয়ালৰ খুটি-নাটি সকলো কথাতে অভিজ্ঞ বাবে সুচাৰুৰূপে পৰিচালকৰ ভাও ল'ব পাৰে, সেইদৰে নিজৰ অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে অভিজ্ঞ হোৱা বাবে বাচনি কৰা অধ্যাপকসকলেও অনুষ্ঠানটোৰ মুৰব্বী চালকৰ ভাওত সফল হোৱাটো আশা কৰিব পাৰি।

১৪ নং দফাত সমাজৰ অনুন্নত তথা পিচপৰি থকা শ্রেণীৰ শিক্ষার্থীৰ বিষয়টো সামৰা হৈছে। উচ্চ শিক্ষা আহৰণত সমাজৰ প্রতিজনৰে সমান অধিকাৰ - এই উক্তি প্রকৃতার্থত কার্য্যকৰী হোৱা উচিত। তাৰবাবে চৰকাৰৰ কৰণীয় হ'ব - বাজেটত অনুন্নত শ্রেণীৰ শিক্ষাৰ বাবে ৫০ শতাংশ ধার্য্য, অনুন্নত শ্রেণীয়ে বাস কৰা অঞ্চলত যথেষ্ট সংখ্যক উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান স্থাপন, এনে শ্রেণীৰ শিক্ষার্থীক জলপানিৰে প্রয়োজনীয় সাহার্য্য প্রদান ইত্যাদি আৰু শিক্ষানুষ্ঠানৰ কৰণীয় হ'ব - এনে শিক্ষার্থীৰ বাবে আৱশ্যকীয় শৈক্ষিক সাহার্য্য, শিক্ষানুষ্ঠানৰ সকলো ভৱন তথা সুবিধা বিশেষভাৱে সক্ষম সকলৰ ব্যৱহাৰৰ উপযোগী কৰা ইত্যাদি।

১৫ নং দফাত শিক্ষকৰ শিক্ষা বিষয়ৰ প্রশিক্ষণৰ বিষয়টো সামৰা হৈছে। স্কুল পর্যায়তে জীৱনৰ কঠিয়া সিঁচা হয়। যিদৰে কঠিয়াৰ উন্নত সঁচেহে এজোপা ফল-ফুলেৰে সুশোভিত সৱল গছৰ জন্ম দিয়ে, সেইদৰে স্কুল পর্যায়ৰ সুশিক্ষাইহে ভৱিষ্যতৰ প্রকৃত মানুহ গঢ়ে। সেয়ে স্কুল শিক্ষকৰ ভূমিকা এজন সফল, অভিজ্ঞ অভিভাৱক তথা গুৰুৰ সমতুল্য হোৱা উচিত। সকলো বহুক্ষেত্রীয় উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানে ৰাজ্যিক, কেন্দ্রীয় বা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ যিয়েই নহওঁক, নিজৰ নির্দ্ধাৰিত বিভিন্ন শৈক্ষিক সূচীৰ উপৰিও চাৰিবছৰীয়া বি এড্ কার্যসূচী অতি শীঘ্রে প্রৱর্তন কৰা উচিত যাতে ২০৩০ চনৰ ভিতৰত এইচাৰি বছৰীয়া বি এড্ ডিগ্রী স্কুল শিক্ষকৰ নিম্নতম অর্হতা হৈ পৰে। নতুন ৰাষ্ট্রীয় নীতিত উল্লেখ কৰা মতে বি এড কার্যসূচীত প্রতিজন শিক্ষার্থীয়ে দুটা বিষয় (এটা শিক্ষা আৰু আনটো ভাষা / সঙ্গীত/গণিত /কম্পিউটাৰ বিজ্ঞান/ৰসায়ন বিজ্ঞান/অর্থনীতি ইত্যাদি) মুখ্য বিষয় হিচাবে ল'ব লাগিব। চাৰিবছৰীয়া কার্যসূচীৰ সমান্তৰালকৈ দুবছৰীয়া বি এড সূচীও থাকিব যিটো শিক্ষকতাৰ প্রতি আগ্রহী আৰু ইতিমধ্যে এটা বিষয়ক মুখ্য বিষয় হিচাবে লৈ স্নাতক ডিগ্রী লাভ কৰা শিক্ষার্থীৰ বাবে।

পি এইচ ডি ডিগ্রী গ্রহণৰ পিছত অনেকে শিক্ষকতা আৰম্ভ কৰে। সেয়ে পি এইচ ডি গৱেষণাৰ কালছোৱাতে প্রতিজন গৱেষককে কৃতীশিক্ষকৰূপে গঢ়ি তোলাৰ প্রয়াস কৰা উচিত। সেয়ে গৱেষণাৰ

কালছোৱাত প্ৰতিজনে নিজৰ নিজৰ গৱেষণাৰ বিষয়ৰ ওপৰত শিক্ষাদানৰ অভ্যাস কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে; লগতে পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুতকৰণ, শিক্ষাৰ্থীৰ মূল্যাঙ্কণ আদিতো অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পোষকতা কৰা হৈছে। অধ্যাপকসকলৰ লগত শিক্ষাদানৰ সহায়ক হিচাবে আগভাগ লোৱাৰো পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে।

১৬ নং দফাত বৃত্তিমুখী (Vocational) শিক্ষাৰ নৱ পৰিকল্পনাৰ চিন্তা-চৰ্চ্চা আগবঢ়োৱা হৈছে। বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ মানদণ্ড মূলসূঁতিৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ডতকৈ এতিয়াও বহুত তলত আছে যাৰ ফলত সমাজত এক মৰ্য্যাদা বৈষম্যৰ সৃষ্টি হৈছে, যিটো মুঠেই আদৰণীয় নহয়। ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে বৃত্তিমুখী শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কেৰোণ লগা পৰিকল্পনা আৰু কাৰ্যসূচী। ভাৰতবৰ্ষৰ দ্বাদশ পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা (২০১২-১৭)ৰ মতে ১৯-২৪ বছৰীয়া ভাৰতৰ কৰ্মী সকলৰ ৫ শতাংশ ৰো কমেইহে উপযুক্ত বৃত্তিমুখী শিক্ষা লাভ কৰিছে; ইয়াৰ বিপৰীতে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, জাৰ্মেনী আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াত এই শতাংশ ক্ৰমে ৫২, ৭৫ আৰু ৯৬। সেইবোৰ দেশত প্ৰতিজন কৰ্মীৰে কাম কৰাৰ কৌশলসমূহ বিজ্ঞানসন্মত, পৰিপাটী আৰু নিখুঁত। তাৰ বিপৰীতে আমাৰ দেশৰ ছবিখন দুখ লগা। আমাৰ দেশত ইমানদিনে অষ্টম-দ্বাদশ শ্ৰেণীতে পঢ়া সামৰা শিক্ষাৰ্থীৰ বাবেহে বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা ভবা হৈছিল। কিন্তু একাদশ-দ্বাদশ শ্ৰেণী পৰ্য্যন্ত বৃত্তিমুখী বিষয়লৈ সফল হোৱা শিক্ষাৰ্থী এনেবোৰ বিষয়ত উচ্চ শিক্ষা লাভৰ পৰা বঞ্চিত আছিল। এনেবোৰ কাৰণতে বৃত্তিমুখী শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ নৱ পৰিকল্পনাৰ অতিশয় আৱশ্যক হৈ পৰিছে।

এই পৰিকল্পনাত সকলো শিক্ষানুষ্ঠানতে অৰ্থাৎ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ত মূলসূঁতিৰ শিক্ষাৰ লগতে বৃত্তিমুখী শিক্ষা প্ৰৱৰ্তনৰ পোষকতা কৰা হৈছে। স্কুলৰ তলৰ শ্ৰেণীত বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ আভাষেৰে আৰম্ভ কৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যন্ত এই শিক্ষাদান কৰি উচ্চ শিক্ষা পৰ্যন্ত অব্যাহত ৰাখিব লাগিব। ফলত প্ৰতিজন শিক্ষাৰ্থীয়ে অন্ততঃ এটা বৃত্তিমুখী বিষয়ৰ ওপৰত বিস্তৃত জ্ঞান লাভ কৰি লগতে আনকেইবাটাৰো আভাষ পাব, লগতে শ্ৰমৰ মৰ্যাদা আৰু আৱশ্যকতাৰো জ্ঞান পাব। পৰিকল্পনা অনুসৰি আগবাঢ়িলে ২০২৫ চনৰ ভিতৰত কমেও ৫০ শতাংশ শিক্ষাৰ্থীয়ে স্কুল আৰু উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ সোৱাদ পাব। উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলসমূহে আই টি আই, পলিটেক্‌নিক, স্থানীয় শিল্প উদ্যোগ আদিৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ বাবে। ২০১৩ চনতে প্ৰৱৰ্ত্তিত বি ভক্‌ ডিগ্ৰীৰ কাৰ্যসূচী চলি থাকিব যদিও চাৰি বছৰীয়া স্নাতক কাৰ্যসূচীৰ লগতে অন্যান্য স্নাতক ডিগ্ৰীৰ পাঠ্যক্ৰমতো বৃত্তিমুখী বিষয় থাকিব। বৃত্তিমুখী শিক্ষা আৰু শিল্প উদ্যোগৰ মাজত এক যোগসূত্ৰ স্থাপনৰ বাবে বাজেটতো অৰ্থ ধাৰ্য্য কৰা হ'ব। বৃত্তিমুখী শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এনেদৰে বিকাশ ঘটালে মূলসূঁতিৰ শিক্ষা আধাতে সামৰা শিক্ষাৰ্থীয়ে বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ যোগেদি জীৱন গঢ়িব পাৰিব।

১৭ নং দফাত কাৰিকৰী, স্বাস্থ্য, কৃষি, আইন সম্পৰ্কীয় জীৱিকাৰ শিক্ষানীতিৰ ওপৰত পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে। উচ্চ শিক্ষাৰ অন্যান্য ক্ষেত্ৰৰ দৰে এইবোৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ পৰস্পৰৰ মাজতো সমন্বয়ৰ এক বৈশিষ্ট্য থাকিব লাগিব। লগতে এইক্ষেত্ৰবোৰো উচ্চমানৰ গৱেষণাযুক্ত হ'ব লাগিব আৰু সংশ্লিষ্ট গাইগুটীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সলনি বহুক্ষেত্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ ওপৰত প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে। এইবোৰ ক্ষেত্ৰৰ বৰ্তমানৰ গাইগুটীয়া বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত ২০৩০ চনৰ ভিতৰত নতুন নতুন বিভাগ আৰম্ভ কৰি নতুবা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগত যুক্ত কৰি বহুক্ষেত্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়লৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব লাগিব। আইন শিক্ষা প্ৰদানৰ ৰাজ্যিক শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে শিক্ষাদানৰ মাধ্যম দ্বিভাষা কৰিব

লাগিব - ইংৰাজী আৰু আনটো ৰাজ্যিক ভাষা, ভৱিষ্যতৰ আইনজীৱী আৰু ন্যায়াধীশসকলৰ বাবে। এই ব্যৱস্থাই আইনৰ সহায় ল'বলৈ অহা সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক বহুত সকাহ দিব। সেইদৰে স্বাস্থ্যসেৱা শিক্ষা ব্যৱস্থাতো সংশোধন অনা হ'ব। প্ৰতিজন এম্ বি বি এচ্ ডিগ্ৰীধাৰীৰে ৰোগ নিৰ্ণয়, অস্ত্ৰোপচাৰ, জৰুৰীসেৱা আদিত দক্ষতা থাকিব লাগিব। আমাৰ দেশত অতীজৰে পৰা প্ৰচলিত হোমিঅ আৰু আয়ুৰ্ব্বেদ চিকিৎসা, যোগবিদ্যা আদি যিহেতু জনপ্ৰিয় আৰু ফলপ্ৰসূত, সেয়ে প্ৰতিজন এলপেথিক চিকিৎসা শিক্ষাৰ শিক্ষাৰ্থীৰ আয়ুৰ্ব্বেদ, হোমিঅ আৰু প্ৰাকৃতিক চিকিৎসা, যোগ আদিৰ ওপৰত মৌলিক জ্ঞান থকাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে; সেইদৰে এই পুৰণি চিকিৎসা সেৱাৰ শিক্ষাৰ্থীৰো এলপেথিক চিকিৎসাৰ মৌলিক জ্ঞান থকাৰ পোষকতা কৰা হৈছে।

১৮ নং দফাত সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ কল্যাণৰ বাবে আৱশ্যকীয় গৱেষণাৰ ওপৰত গঠনমূলক চিন্তা-চৰ্চা আগবঢ়োৱা হৈছে। পুৰণি কালত ভাৰতবৰ্ষ, মেচোপটেমীয়া, ইজিপ্ত, চীন আৰু গ্ৰীচ দেশে অগ্ৰণী সভ্য দেশৰূপে লাভ কৰা সফলতাৰ মূল চাবি-কাঠি আছিল নিতৌ নৱ নৱ চিন্তাৰ পৰা আহৰিত জ্ঞান আৰু তাৰ সফল প্ৰয়োগ। আধুনিক যুগত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, জাৰ্মেনী, ইজৰাইল, দক্ষিণ কোৰিয়া আৰু জাপানেও সেই মূলমন্ত্ৰকে সাৰোগত কৰি আজি উন্নতিৰ বিজয় ধ্বজা উৰু�ৱাইছে। বৰ্তমান বিশ্বৰ সময়োপযোগী চিন্তা-চৰ্চ্চাৰ ক্ষেত্ৰসমূহত ভাৰতে পুনৰ হেৰুৱা গৌৰৱ ঘু�ৰাই আনি পথ নিৰ্দেশকৰ ভূমিকা পাবলৈ হ'লে আমি গৱেষণা বহুক্ষেত্ৰীয় আৰু ফলপ্ৰসূ কৰাত মনোনিৱেশ কৰিব লাগিব। সামাজিক জীৱনৰ অতি প্ৰয়োজনীয় দিশসমূহ যেনে প্ৰতিজন নাগৰিকৰ বাবে বিশুদ্ধ খোৱাপানী আৰু প্ৰাতঃকাৰ্য্যৰ বিজ্ঞানসন্মত ব্যৱস্থা, উপযুক্ত শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যসেৱা, উন্নত যাতায়ত ব্যৱস্থা, বিশুদ্ধ বাতাবৰণ আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে অতি উচ্চমানৰ আন্তঃক্ষেত্ৰীয় গৱেষণা কৰিব লাগিব দেশৰ মাটিতে যাতে দেশত উপলব্ধ সা-সুবিধা আৰু পৰিৱেশেৰে দেশৰ সেই সমস্যাসমূহ সুচাৰুৰূপে সমাধা কৰিব পাৰি। এনেক্ষেত্ৰত বিদেশৰ পৰা আমদানীকৃত পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিবলৈ গ'লে হিতে বিপৰীত হোৱাৰহে সম্ভাৱনা অধিক হ'ব। গৱেষণাক গুৰুত্ব দিয়াৰ আন এক কাৰণ হৈছে শিক্ষাদান আৰু গৱেষণাৰ মাজৰ ওতঃপ্ৰোত সম্বন্ধ - এজন শিক্ষকৰ শিক্ষাদানৰ পদ্ধতি আৰু মানদণ্ড উন্নত তথা ফলদায়ক হ'ব যদিহে শিক্ষকজন নিয়মিতভাৱে মানবিশিষ্ট গৱেষণাৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। এইক্ষেত্ৰত উল্লেখনীয় যে উচ্চমানবিশিষ্ট গৱেষণা বৰ্তমান বিশ্বৰ বহুক্ষেত্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়বোৰতহে চলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দেশ বিশ্বগুৰুৰ শাৰীলৈ উন্নীত হ'বলৈ স্কুল পৰ্যায়ৰ পৰা শিক্ষাৰ্থীক গৱেষণাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰাব লাগিব। বৰ্তমান আমাৰ দেশত বেছিভাগ শিক্ষাৰ্থীয়ে কেৱল মাত্ৰ পি এইচ ডি ডিগ্ৰীটোৰ বাবেই গৱেষণা কৰা যেন ভাৰ হয়; ডিগ্ৰীটো পোৱাৰ পিছতে গৱেষণাৰ সকলো কাম-কাজ সামৰি সুতৰি থোৱা পৰিলক্ষিত হয়। এই পৰম্পৰা চলি থাকিলে গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰময় হৈ পৰিব। এই ভয়ানক পৰম্পৰাক নিৰ্মূল কৰিবলৈ স্কুলীয়া অৱস্থাৰ পৰাই শিক্ষাৰ্থীক গৱেষণাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তুলিব লাগিব। তাৰবাবে স্কুল পৰ্যায়ৰ পৰাই পাঠ্যক্ৰম আৰু শিক্ষাদান পদ্ধতি বিজ্ঞানসন্মত আৰু চিন্তাশক্তিৰ উদ্ৰেক কৰিব পৰা বিধৰ হ'ব লাগে। শিক্ষাৰ্থীৰ আগ্ৰহ আৰু মেধাশক্তিক উপযুক্তভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি স্কুলীয়া জীৱনৰ পৰাই উপযুক্তজনক যুৱবিজ্ঞানীৰূপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। এইখিনিতে পূৰ্ব্বে উল্লেখ কৰি অহা CERNৰ ভূমিকা অতিশয় প্ৰশংসনীয়।

উচ্চ শিক্ষাত গৱেষণাক গুৰুত্ব দিবলৈ

স্নাতক পর্যায়ত যথোচিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ পোষকতা কৰা হৈছে। তাৰবাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জৈৱ প্রযুক্তি বিদ্যা, নেন'টেকনলজী, স্নায়ুবিজ্ঞানকে আদি কৰি একবিংশতম শতিকাৰ সময়োপযোগী বিষয়সমূহক স্নাতক পাঠ্যক্রমত অন্তর্ভূক্ত কৰাটো অতি আৱশ্যক হৈ পৰিছে। সকলো উচ্চ শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ ফলপ্রসূ গৱেষণাৰ বাবে এখন একক National Research Foundation (NRF) থাকিব যিয়ে এই সকলো প্রতিষ্ঠানৰে গৱেষণা কার্যৰ এক সামূহিক পর্যালোচনা কৰি মানদণ্ড অনুসৰি আর্থিক অনুদান আগবঢ়াব। এই কথা অপ্রিয় সত্য যে বর্তমান ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ গৱেষণাৰ মানদণ্ড একেবাৰে সন্তোষজনক নহয়। NRFএ উপযুক্ত ব্যৱস্থা লৈ এই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত গৱেষণাৰ বীজ সিঁচিব লাগিব আৰু ফলপ্রসূ গৱেষণাৰ বাবে আর্থিক অনুদান আগবঢ়াব লাগিব। উৎকৃষ্টমানৰ গৱেষণা কার্যলৈ চৰকাৰী সংস্থা বা শিল্প উদ্যোগৰ যোগেদি আর্থিক অনুদান আগবঢ়াই সেই গৱেষণা কার্যক অধিক মানবিশিষ্ট কৰাত উদ্‌গনি দিব লাগিব। এই কথা ধ্রুৱসত্য যে পৰিৱেশ আৰু সা-সুবিধা এই দুটা কাৰকে গৱেষণাৰ মানদণ্ড বহুখিনি নিয়ন্ত্রণ কৰে। পর্যাপ্ত সুবিধাৰ অভাৱত (উন্নতমানৰ যন্ত্রপাতি, অভিজ্ঞ কাৰিকৰী সহায়ক, আধুনিক সা-সুবিধাযুক্ত পৰীক্ষাগাৰ, অনুকূল বাতাবৰণ আদি) গৱেষণাৰ কাল হয় দীঘলীয়া হয় নতুবা গৱেষণা নিম্ন মানদণ্ডৰ হয়।

১৯ নং দফাত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানৰ পৰিচালনা আৰু নেতৃত্বৰ বিষয়টো সামৰা হৈছে। দৰাচলতে পৰিচালনা আৰু নেতৃত্বই হৈছে গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ মস্তিষ্ক। পৃথিৱীৰ সকলো উচ্চমানবিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানৰে সফলতাৰ মূলধন হৈছে উৎকৃষ্ট পৰিচালনা আৰু সর্বোৎকৃষ্ট মেধাভিত্তিক মুৰব্বী নির্বাচন। পিছে আমাৰ দেশত আই আই টি, আই আই এমৰ দৰে উচ্চমানবিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানৰ বাহিৰে বহুতো উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰিচালনা আৰু নেতৃত্ব সোপাটিলা। কলেজসমূহৰ বহুক্ষেত্রত নিজস্ব স্বাধীনতা নথকা বাবে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সকলো নিয়ম-কানুন মানি চলিব লাগে যিবোৰৰ কিছু কিছু হয়তো কলেজৰ সীমিত সা-সুবিধা বা পৰিৱেশৰ পৰিপন্থী নহবও পাৰে যাৰ বাবে কলেজৰ উন্নতিত হেঙাৰ পৰে। নতুন শিক্ষানীতিয়ে প্রতিখন কলেজকে স্বায়ত্ব শাসিত অনুষ্ঠানলৈ উন্নীত কৰিলে এনে সমস্যাৰ পৰা পৰিত্রাণ পোৱা যাব। এনে স্বায়ত্বশাসিত অনুষ্ঠানৰ প্রতিখনতে পৰিচালনাৰ বাবে নিষ্ঠাবান, অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা গঠিত একোখনকৈ বোর্ড থাকিব। এই বোর্ডে ৰাজনৈতিক বা অন্য বর্হিচাপৰ পৰা সম্পূর্ণমুক্ত পৰিৱেশত স্বাধীনভাৱে অনুষ্ঠানৰ সকলো সদস্য আনকি মুৰব্বীজনকো বাছনি কৰিব, লগতে অনুষ্ঠানটোৰ সুপৰিচালনাৰ বাবে সকলো সিদ্ধান্ত ল'ব। এই বোর্ডে অনুষ্ঠানৰ উন্নয়ন পৰিকল্পনা প্রস্তুত আৰু কার্যকৰী কৰাৰ দায়িত্ব ল'ব। এই কার্যত বোর্ডৰ সদস্য, অনুষ্ঠানৰ মুৰব্বী, শিক্ষক গোট, শিক্ষার্থী আৰু কর্মচাৰীয়ে অংশ ল'ব পাৰিব। এই পৰিকল্পনাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অনুষ্ঠানটোৱে উন্নয়নৰ বিভিন্ন কার্যসূচী আৰম্ভ কৰিব যাতে আকাংক্ষিত লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰে।

২০ নং তথা অন্তিম দফাত উচ্চ শিক্ষাৰ বিধি-বিধান ব্যৱস্থাৰ নিয়ন্ত্রণৰ ৰূপান্তৰকৰণৰ ওপৰত পৰামর্শ আগবঢ়োৱা হৈছে। বর্তমানে এই নিয়ন্ত্রণ ব্যৱস্থা অনেক সমস্যাৰে ভাৰাক্রান্ত - কেইখনমান বোর্ডৰ ওপৰতে অত্যধিক ক্ষমতা প্রদান, এই বোর্ডবিলাকৰ পাৰস্পৰিক স্বার্থৰ সংঘাত আৰু ফলস্বৰূপে উদ্ভৱ হোৱা দায় সামৰা পৰিস্থিতি। এই সমস্যাসমূহৰ পৰা পৰিত্রাণ পাবলৈ নতুন শিক্ষানীতিত এখন একক NHERA গঠন কৰাৰ পৰামর্শ দিয়া হৈছে, যিখনে বিশেষকৈ অর্থনৈতিক দিশটোৰ ওপৰত নিয়ন্ত্রণ ৰাখিব।

নতুন শিক্ষানীতিত উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্রত

সন্নিৱিষ্ট বাৰটা দফাৰ কিছু আভাস পোৱাৰ পিছত স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন হয় - উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন শিক্ষানীতিৰ পটভূমিত আমাৰ অসমৰ বৰ্তমানৰ ছবিখন কেনেকুৱা, ভৱিষ্যতৰ ছবিখন কেনে হ'ব বা হ'ব বুলি আশা কৰিব পাৰি?

প্ৰথমেই আহো বহুক্ষেত্ৰীয় শিক্ষানুষ্ঠান আৰু তাৰ শৈক্ষিক কাৰ্যসূচীৰ প্ৰসঙ্গলৈ। এইক্ষেত্ৰত উল্লেখনীয় যে ২০০৯ চনত অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা বাৰ বছৰৰ পূৰ্বেই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত চাৰি বছৰীয়া স্নাতক (4 year BS) কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰি অতি সুচাৰুৰূপে চলাই থকা হৈছিল। তাৰ পিছতে দুবছৰীয়া স্নাতকোত্তৰ (2 year MS) কাৰ্যসূচীও আৰম্ভ কৰা হ'ল। ফিজিকেল চায়েঞ্চ, কেমিকেল চায়েঞ্চ আৰু মেথেমেটিকেল চায়েঞ্চত আৰম্ভ কৰা বি এচ, এম এচ কাৰ্যসূচীৰ সমান্তৰালকৈ চাৰি বছৰীয়া বি টেক কাৰ্যসূচীও ইলেক্ট্ৰনিক্স, কম্পিউটাৰ চায়েঞ্চ, ইনফৰমেচন টেকন'লজী আৰু বায়'টেকনলজীত প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ল। বি এচ আৰু বি টেকৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় যান্মাসিকৰ শ্ৰেণীসমূহ যুটীয়াভাৱে হৈছিল যিহেতু দ্বিতীয় যান্মাসিক পৰ্য্যন্ত পাঠ্যক্ৰম একে আছিল, তৃতীয় যান্মাসিকৰ পৰাহে পৃথকে পৃথকে হৈছিল। এই ব্যৱস্থাৰ ফলত বি এচৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে কাৰিকৰী শিক্ষাৰ মৌলিক বিষয়ৰ জ্ঞান লাভ কৰে আৰু বি টেকৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে বিজ্ঞানৰ মৌলিক বিষয়ৰ জ্ঞান লাভ কৰে। তাৰোপৰি তৃতীয়ৰ পৰা সপ্তম যান্মাসিক পৰ্যন্ত দুয়োটা কাৰ্যসূচীৰ শিক্ষাৰ্থীক পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ কিছুমান বিষয় অধ্যয়ন কৰাৰ সুবিধা দিয়া হৈছিল। বি এচৰ অষ্টম যান্মাসিক সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰজেক্টৰ বাবে ৰখা হৈছিল, তাৰোপৰি তৃতীয় যান্মাসিকৰ পৰা সপ্তম যান্মাসিকলৈ মূল প্ৰজেক্টৰ লগত সম্বন্ধ থকা মৌলিক প্ৰজেক্টবোৰ কৰাৰ সুবিধা দিয়া হৈছিল অৰ্থাৎ বি এচৰ শিক্ষাৰ্থীক গৱেষণাৰ প্ৰতি আগ্ৰহান্বিত তথা প্ৰশিক্ষিত কৰাৰ সুদৃঢ় পদক্ষেপ লোৱা হৈছিল। দুবছৰীয়া এম্ এচ্ পাঠ্যক্ৰমত তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ যান্মাসিক সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰজেক্টৰ বাবে ৰখা হৈছিল। বি এচ, এম্ এচ্ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰজেক্টৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্য বিশ্ববিদ্যালয় বা গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ সা-সুবিধা ল'বলৈ সুযোগ দিয়া হৈছিল বা প্ৰয়োজন সাপেক্ষে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাহিৰৰ উন্নতমানৰ গৱেষণা কেন্দ্ৰত প্ৰজেক্ট কৰিবলৈ সুবিধা দিয়া হৈছিল। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে বি এচ্, এম্ এচ্ৰ পাঠ্যক্ৰম গৱেষণামুখী কৰা হৈছিল। তাৰোপৰি বি এচ্, বি টেক্ৰ পাঠ্যক্ৰমত শিক্ষা, ইংৰাজী ভাষাৰ দক্ষতা, অৰ্থনীতি, ইতিহাস, দৰ্শন, মনোবিজ্ঞান, বিদেশী ভাষা আদি বিষয়ো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল। এই বিষয়সমূহৰ পাঠদান কৰিছিল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্যান্য স্নাতকোত্তৰ কাৰ্যসূচীৰ বিভিন্ন বিভাগৰ অভিজ্ঞ শিক্ষকসকলে। এইখিনিতে এটা বিশেষ সমস্যা উনুকিওৱাৰ আৱশ্যকতা অনুভৱ কৰো - বিশ্ববিদ্যালয়ত চাৰি দশক অধ্যাপনাৰ লগত জৰিত থাকি কলেজসমূহৰো কিছু কিছু সমস্যাৰ উমান পাইছিলো। তাৰে ভিতৰত স্নাতক পৰ্যায়ৰ পদাৰ্থবিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰমত থকা ইলেক্ট্ৰনিক্স বিষয়টো পঢ়ুৱাবলৈ শিক্ষকৰ অভাৱৰ সমস্যাটো কিছু মন কৰিবলগীয়া আছিল। বি এচ কাৰ্যসূচীৰ লগত প্ৰায় এক দশক প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত থকাৰ সুবাদতে এই কথা স্পষ্টভাৱে ক'ব পাৰো যে এই কাৰ্যসূচীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে কিন্তু এনে ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা নাছিল। বি টেক্ ইলেক্ট্ৰনিক্স কাৰ্যসূচীৰ শিক্ষক বা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ কাৰ্যসূচীৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স বিভাগৰ শিক্ষকৰ দ্বাৰা তেনে সমস্যা সমাধান কৰা হৈছিল। এইক্ষেত্ৰত ইলেক্ট্ৰনিক্স বিষয়টো উদাহৰণৰূপে লোৱা হ'ল, অন্যান্য বিষয়ৰ ক্ষেত্ৰতো বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰৱৰ্তন কৰা চাৰিবছৰীয়া বি এচ আৰু কলেজৰ তিনিবছৰীয়া বি এচ্ চি কাৰ্যসূচীৰ বাবে একে কথাই প্ৰযোজ্য। শিক্ষাৰ্থীক গৱেষণাৰ প্ৰতি ঢাল খুৱাবলৈ বি এচ্ পাঠ্যক্ৰমত তৃতীয় যান্মাসিকৰ

পৰা অন্তর্ভুক্ত কৰা প্ৰজেক্টৰ বাবে শিক্ষার্থীয়ে নিজৰ বিভাগৰ বাহিৰেও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উন্নত গৱেষণা হৈ থকা অন্যান্য স্নাতকোত্তৰ কার্যসূচীৰ বিভিন্ন বিভাগৰ পৰাও যথেষ্ট সহায়-সুবিধা আৰু উদ্‌গনি লাভ কৰিছিল। ফলস্বৰূপে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা বি এচ্‌ / এম এচ্‌ ডিগ্ৰী লাভ কৰা এক বুজন সংখ্যকে বর্তমান ভাৰত আৰু বিদেশৰ উন্নত গৱেষণা কেন্দ্ৰত গৱেষণাৰত হৈ সুখ্যাতি অর্জন কৰিছে। বি এচ্‌ত যিখিনি শিক্ষার্থী (প্ৰতি বিভাগত মাত্ৰ দহজনকৈহে ভর্তি কৰা হৈছিল) য়ে নামভর্তি কৰিছিল তেওঁলোক পিছে মধ্যমীয়া বুদ্ধিমত্তাৰহে আছিল, মেডিকেল বা ইঞ্জিনীয়াৰিং কার্যসূচীত নামভর্তিৰ সুযোগ নাপাইহে বি এচ্‌ কার্যসূচীলৈ আহিছিল। তেওঁলোকে নিজেই ব্যক্ত কৰিছিল যে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশে তেওঁলোকক উৎফুল্লিত কৰিছিল, লগতে কম সংখ্যক হোৱা বাবে শিক্ষকসকলেও তেওঁলোকৰ প্ৰতি গুৰুগৃহ শিক্ষাৰ গুৰুৰ ভূমিকা ল'ব পাৰিছিল। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সফলতাৰ এই ছবিখনৰ আধাৰত এই কথা সুস্পষ্ট যে অসমৰ কেউখন বিশ্ববিদ্যালয়তে, ৰাজ্যিক তথা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ, চাৰিবছৰীয়া স্নাতক কার্যসূচী অনতিপলমে প্ৰৱর্তন কৰিব পাৰি, প্ৰতিটো বিষয়ত বিশজনমানকৈ শিক্ষার্থীৰে, আৱশ্যকীয় শিক্ষক নিযুক্তিৰে। কলেজৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰৰ গৱেষণাৰ আন্তঃগাঁথনি সৰল, পৰীক্ষাগাৰ আৰু শিক্ষক উভয় দিশতে, তেনেবোৰতহে এই কার্যসূচী প্ৰৱর্তন কৰা সমীচিত হ'ব। বাকী কলেজসমূহ স্বায়ত্বশাসিত অনুষ্ঠানলৈ উন্নীত হোৱাৰ লগে লগে এই কার্যসূচী প্ৰৱর্তনৰ পথ সুচল হ'ব। গৱেষণাধর্মী বি এচ শিক্ষার্থীক উদ্‌গনি দিবলৈ Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) এ ২০১২ চনত ঘোষিত এক নির্দেশনাযোগে চাৰি বছৰীয়া বি এচ পাঠ্যক্ৰমৰ শিক্ষার্থীক তিনি বছৰ সফলতাৰে অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত CSIR-NET পৰীক্ষাত অৱতীর্ণ হোৱাৰ বাবে যোগ্য বুলি সদৰি কৰে আৰু কৃতকার্য হ'লে তেনে শিক্ষার্থীয়ে বি এচ ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ পিছতে পি এইচ ডি কার্যসূচীত যোগদান কৰিব পাৰে। নতুন শিক্ষানীতিতো চাৰি বছৰীয়া স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰা শিক্ষার্থীক পোনে পোনে পি এইচ ডি কার্যসূচীত যোগদানৰ অর্হতা দিয়া হৈছে।

এতিয়া আহো শৈক্ষিক পৰিৱেশ আৰু শিক্ষার্থীলৈ উদ্‌গনিৰ প্ৰসঙ্গলৈ। এই দুই কাৰকে শিক্ষার্থীৰ ওপৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলায়। প্ৰায়েই দেখা যায় আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ভাৰতৰ অন্যৰাজ্যলৈ বা বিদেশলৈ উচ্চ শিক্ষা বা গৱেষণাৰ বাবে গৈ সুনাম অর্জন কৰে, যি পাৰদর্শিতা তেওঁলোকে হয়তো অসমত আশানুৰূপ ভাৱে প্ৰদর্শন কৰিব নোৱাৰে। ইয়াৰ মূলতে হৈছে পৰিৱেশ আৰু সুবিধা। আজিৰ পৰা প্ৰায় অর্দ্ধশতিকাৰ আগতেই ভাৰতৰ আগশাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত পুথিভঁৰাল নিশা বাৰ বজালৈকে খোলা থাকে, কিছুমানত গোটেই নিশা খোলা থাকে, যি ব্যৱস্থা অসমত এতিয়াও নাই হোৱা। শ্ৰেণীৰ মাজৰ বিৰতিত শিক্ষার্থীয়ে মুকলি ঠাইত গছৰ তলত বহি পঢ়া-শুনা বা গঠনমূলক আলোচনা কৰা পৰিৱেশ আছে; ইয়াৰ বিপৰীতে আমাৰ অসমৰ ছবিখন দুখ লগা। আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অসমৰ বাহিৰৰ শিক্ষানুষ্ঠানত সাক্ষাৎকাৰ দিবলৈ গৈ আহি দুখ কৰেহি "আমি ইয়াত দিনটোৰ ইমান সময় অবাবত নষ্ট কৰো" বুলি। ২০০৫ চনতে জাপানৰ শ্ৰুকুবাত থকা High Energy Accelerator Research Organisation (KEK) ৰ গৱেষণাগাৰত লগ পাইছিলো ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ গৱেষক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক, তেওঁলোকে পি এইচ ডি গৱেষণাৰ এক অংশ ভাৰতৰ গৱেষণাগাৰত সম্পন্ন কৰি বাকী অংশ অতি উন্নতমানৰ গৱেষণাগাৰ KEKত সম্পন্ন কৰিছিল। পুৱা আঠ বজাতে যথেষ্ট সা-সুবিধা থকা হোষ্টেলত নিজে ৰন্ধা-বঢ়া কৰি পুৱাৰ আহাৰ খাই গৱেষণাগাৰলৈ যায়, দিনটো গৱেষণাত ব্যস্ত থাকি

নিশাহে উভতি আহে। হোষ্টেল আৰু গৱেষণাগাৰ দুই ঠাইতে অতি সুস্বাদু আৰু স্বাস্থ্যকৰ ছাত্র-ছাত্রীসকলৰ আহাৰৰ ৰেষ্টুৰেন্ট আছে। ভাৰতৰ গৱেষকৰ মাজত অসমৰ এজনো নেদেখি আমি অনুশোচনা কৰিছিলো কাৰণ সেইসকলতকৈ আমাৰ ছাত্র-ছাত্রী কোনো গুণে কম মেধাৰ নহয়, কিন্তু হয়তো প্রতিযোগিতামূলক মনোভাৱৰ অভাৱ বা কষ্ট নকৰি হাততে পোৱা সুবিধাতে সন্তুষ্ট থকা বিধৰ। স্নাতকোত্তৰ শ্রেণীৰ শিক্ষার্থীক গৱেষণাৰ কিছু আভাস দিয়াৰ লক্ষ্যৰে এবাৰ দক্ষিণ ভাৰতৰ ওটীত থকা Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) ৰ উচ্চমানৰ গৱেষণাগাৰৰ লগত চুক্তি কৰি চাৰিজন শিক্ষার্থীক দুমাহৰ প্রশিক্ষণৰ বাবে পঠিওৱা হৈছিল। প্রথমে পিছ হুহুকিছিল যদিও উৎসাহ যোগোৱাত হেপাঁহেৰে গৈ আনন্দ মনে প্রশিক্ষণ লৈ উভতি আহিল, বিদেশৰ পৰা অহা কেবাজনো অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীৰ সংস্পর্শলৈ আহি উৎফুল্লিত হৈ। তাৰ পিছৰ বছৰ পিছে চাৰিজনৰ সলনি মাত্র দুজনকহে বুজাই-বঢ়াই কোনোমতে পঠিয়ালো যদিও বিভিন্ন অজুহাতত এমাহতে প্রশিক্ষণ সামৰি উভতি আহিল। গতিকে সেই চুক্তিৰ দুবছৰতে অন্ত পেলাবলগীয়া হ'ল। অৱশ্যে আমাৰ অতি উৎসাহী শিক্ষার্থীও আছে যিসকলে প্রাপ্য সুযোগ গ্রহণ কৰি সুনাম অর্জন কৰিছে। কিন্তু এই উৎসাহ বেছি সংখ্যক শিক্ষার্থীৰ মাজলৈ আনিব পৰাটোহে হৈছে শিক্ষাগুৰুৰ কৃতিত্ব। নতুন শিক্ষানীতিত অন্তর্ভুক্ত উচ্চমান বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিদেশৰ উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগত যুটীয়া গৱেষণাৰ ব্যৱস্থাৰ যোগেদি আমাৰ অসমৰ বহু সংখ্যক শিক্ষার্থীয়েও উচ্চমানৰ গৱেষণাত ব্রতী হ'ব পাৰিব।

ওপৰত উল্লেখ কৰি অহা হৈছে যে CERNৰ 'BL4S' কার্যসূচীত ২০১৮ চনত নির্বাচিত হোৱা দুটা স্কুলীয়া দলৰ এটা ভাৰতৰ। এই সূচীৰ নিয়মাৱলীত উল্লেখ আছে যে স্কুলীয়া শিক্ষার্থীয়ে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাৰ পৰিকল্পনাত স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজৰ অভিজ্ঞ গৱেষকৰ সহায় ল'ব পাৰে। অসমৰ স্কুলৰ দলে আমাৰ উন্নত গৱেষণাত ব্রতী গৱেষকৰ দিহা-পৰামর্শ লৈ এনে আন্তর্জাতিক কার্যসূচীত অংশ ল'ব পাৰে। লগতে CERNৰ গ্রীষ্মবন্ধত আগবঢ়োৱা প্রশিক্ষণতো ভাগ ল'ব পাৰে।

একবিংশতম শতিকাৰ সময়োপযোগী বিষয়সমূহৰ ভিতৰত নেন'টেকন'লজী অন্যতম। নতুন শিক্ষানীতিত এই বিষয়ৰ ওপৰত গৱেষণাত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। আমাৰ অসমতো আটাইকেউখন বিশ্ববিদ্যালয়তে নেন'টেকন'লজীৰ গৱেষণা আৰম্ভ হৈছে, যোৰহাটত অৱস্থিত North East Institute of Science and Technology (NEIST)ত এই ক্ষেত্রৰ ওপৰত চলিত এক উন্নত গৱেষণাৰ বাবে এজন যুৱ বিজ্ঞানীয়ে অলপতে সন্মানীয় শান্তিস্বৰূপ ভাটনাগৰ পুৰস্কাৰো লাভ কৰিছে। পিছে নেন'টেকন'লজী গৱেষণাৰ বহুতো সুবিধা অসমত উপলব্ধ হোৱা নাই। অসমৰ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় আৰু গৱেষণা কেন্দ্রসমূহত কিছু সুবিধা আছে যদিও সেইবোৰত নিজৰ নিজৰ অনুষ্ঠানৰ গৱেষককহে প্রাধান্য দিয়া হয়। সেয়ে সকলো সুবিধাযুক্ত এটা উচ্চ মানৰ কেন্দ্রৰ অতি প্রয়োজন হৈ পৰিছে য'ত সকলো গৱেষকে সমানে সুবিধা পাব। নতুন শিক্ষানীতিৰ আর্থিক অনুদানত তেনে এক উচ্চমানৰ কেন্দ্র সমগ্র উত্তৰ পূর্বাঞ্চলৰ বাবে স্থাপিত কৰাটো সময়ৰ এক দাবী বুলি ক'ব পাৰি।

নতুন শিক্ষানীতিত বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ ওপৰত মূলসূঁতিৰ শিক্ষাৰ সমানে গুৰুত্ব দিয়াটো অতি সমীচিন হৈছে আৰু আমি সেই সুবিধা পূর্ণমাত্রাই গ্রহণ কৰা উচিত। অসম তথা উত্তৰ পূর্বাঞ্চলত উপলব্ধ থলুৱা সম্পদ তথা সুবিধাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ আঁচনি প্রস্তুত কৰা আৱশ্যক। এই আঁচনিত বাঁহ-বেতৰ সামগ্রী প্রস্তুত,

থলুৱা ফুলৰ ব্যৱসায়, থলুৱা তথা জনজাতীয় খাদ্যৰ ব্যৱসায়, থলুৱা ফল-ফুলৰ বাগিছা, ক্ষুদ্র চাহ বাগিছা, চৰ-চাপৰিৰ সাৱুৰা মাটিত কৃষিকার্য আদিয়ে প্রাধান্য পোৱা উচিত। থলুৱা সম্পদৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা এনে বৃত্তিয়ে দেশ-বিদেশৰ পর্যটককো আকর্ষণ কৰিব।

মোখনিত ইয়াকে ক'ব পাৰি যে বহুতো অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদৰ পৰামর্শ, মতামতক পুংখানুপুংখৰূপে চালি-জাৰি চাই, বহুতো আলোচনা-বিলোচনাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিশেষজ্ঞ দলে অৱশেষত ৰাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি ২০২০ প্রকাশ কৰিলে। নিঃসন্দেহে একবিংশতম শতিকাৰ ভাৰতবর্ষৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ই এক অমূল্য দলিল। এই দলিলত আগবঢ়োৱা পৰামর্শ, পৰিকল্পনা আৰু সময়সীমাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভাৰতবর্ষৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ অংশীদাৰ প্রতিজনৰে আগবাঢ়ি যোৱাৰ সময় সমাগত। এই শিক্ষানীতি স্তৰে স্তৰে কার্যত পৰিণত কৰিবলৈ যাওতে নতুন সমস্যা বা আসোঁৱাহৰ সন্মুখীন হোৱাটো স্বাভাৱিক, পিচে এনে ক্ষেত্রত শুধৰণিৰ পথো মুক্ত হৈ আছে। উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্রত অসমত মূলভেঁটিটো আছেই, চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতা আৰু শিক্ষক-শিক্ষার্থী-কর্মকর্ত্তাৰ সদিচ্ছা আৰু সহযোগত এই ভেঁটিৰ উলম্ব উন্নতি সম্ভৱপৰ হ'ব। একে আষাৰে ক'ব লাগিলে নতুন শিক্ষানীতিয়ে অসমৰ উচ্চ শিক্ষাৰ জগতখনলৈ আশাৰ ৰেঙণি কঢ়িয়াই আনিছে। ❑

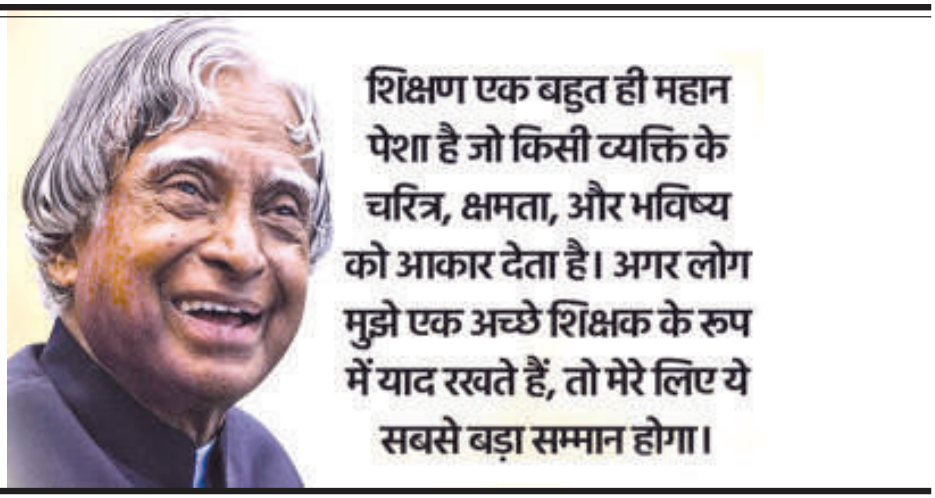

ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ ঃ এক পৰ্যালোচনা

শ্ৰী হৃষিকেশ ভূঞা

লাইব্ৰেৰিয়ান
আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন কলেজ
নগাঁও, অসম
মোবাইল ঃ ৭০০২৪৮৬০২১

সংক্ষিপ্তসাৰ (Abstract)ঃ

ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি ২০২০ প্ৰবৰ্তনৰ জৰিয়তে শিক্ষাব্যৱস্থাত আমূল পৰিবৰ্তন আনিব বিচৰা হৈছে। এই প্ৰবন্ধটিত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ বিভিন্ন দিশ সমুহ আৰু ইয়াৰ পৰা ভাৰতীয় শিক্ষাব্যৱস্থাত পৰিব পৰা প্ৰভাব সম্পৰ্কে আলোকপাত কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও শিক্ষাব্যৱস্থাত হবলগীয়া গাঠনিগত পৰিবৰ্তন আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ প্ৰভাব সম্পৰ্কেও আলোচনা কৰা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি ২০২০ ৰ জৰিয়তে বহুত্ববাদিতা, ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্য আৰু বৈচিত্ৰতাৰ এক নতুন ৰূপ প্ৰকট কৰিব বিচৰা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি ৰূপায়ন কৰোতে আহিব লগীয়া বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বান সমূহৰ বিষয়েও এই প্ৰবন্ধটিত আলোচনা কৰা হৈছে।

প্ৰাধান্যমূলক শব্দ (Keyword)ঃ

ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি ২০২০, উচ্চ শিক্ষা, জ্ঞানকেন্দ্ৰীক অৰ্থনীতি (Knowledge Economy). স্বায়ত্বশাসিত শিক্ষানুষ্ঠান (Autonomous Institution).

ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংসদত নতুন শিক্ষানীতি ২০২০ গৃহীত হৈছে। ইতিমধ্যে ইয়াৰ প্ৰায়োগিক দিশৰ আৰম্ভণি হৈছে। এইখন স্বাধীনোত্তৰ ভাৰতবৰ্ষৰ তৃতীয় শিক্ষানীতি। প্ৰথম শিক্ষানীতি গৃহীত হৈছিল ১৯৬৮ চনত। দ্বিতীয় শিক্ষানীতি গৃহীত হৈছিল ১৯৮৬ চনত। ১৯৯২ চনত উক্ত শিক্ষানীতিৰ কিছু সাংশোধনী আনি কাৰ্য আচনি হিচাপে প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। এই 'নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি ২০২০' য়ে ভাৰতবৰ্ষৰ গ্ৰাম্য আৰু চহৰাঞ্চল উভয়ৰে প্ৰাথমিক স্তৰৰ পৰা উচ্চ স্তৰলৈকে শিক্ষাৰ লগতে বহুমুখী শিক্ষাকো এক নতুন দৃষ্টিভংগীৰে বহল প্ৰেক্ষাপটত সামৰি লব। 'ৰিপৰ্ট অব দ্য এডুকেশ্বন কমিছন, ১৯৬৪-৬৬'ৰ প্ৰস্তুতকৰ্তা প্ৰফেচৰ ডি. এছ. কোঠাৰীয়ে ১৯৬৬ চনত ভাৰত চৰকাৰৰ হাতত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰোতে প্ৰতিবেদনৰ লগত দিয়া চিঠিখনত লিখা এযাৰি বাক্যৰ

প্রাসংগিকতা আজিও একেই থকা যেন লাগে। বাক্যশাৰী আছিল 'The Signle most important thing needed now is to get out of the rigidity of the present System.' কোঠাৰীৰ প্রতিবেদনখনত পুঁজি যোগানৰ দিশটোত অধিক গুৰুত্ব প্রদান কৰা হৈছিল। কিন্তু আজিও ভাৰতবর্ষই মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ ৩.৮ শতাংশতকৈও কম পৰিমানৰ পুঁজিহে শিক্ষা শিতানত ব্যয় কৰি আহিছে।

শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্রধান উদ্দেশ্য হৈছে যুক্তি আৰু চিন্তাৰে কার্য্য সম্পাদন কৰিব পৰা মূল্যবোধ আৰু বৈজ্ঞানিক মানসিকতাৰে পৰিপূর্ণ সৎ আৰু নিষ্ঠাবান ব্যক্তিৰ বিকাশ সাধন কৰা।

ৰাষ্ট্রীয় শিক্ষা নীতি আৰু শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ গাঠনিগত পৰিবর্তনঃ-

আমাৰ বর্তমান প্রচলিত শিক্ষা ব্যৱস্থাক ১০+২ ব্যৱস্থা নাইবা ৫+৩+২+২ ব্যৱস্থা বুলিও কব পাৰি। বর্তমান ব্যৱস্থাত ৬ বছৰ বয়সত লৰা-ছোৱালীক প্রথম শ্রেণীত নাম ভর্তি কৰাই দিয়া হয়। ইয়াৰ আগতে শিশু সকলক অংগণবাদী কেন্দ্রৰ জৰিয়তে শাৰীৰিক, মানসিক বিকাশত গুৰুত্ব দিয়াৰ উপৰিও আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ কাৰণে সাজু কৰা হয়। নতুন শিক্ষানীতিত এই ব্যৱস্থাৰ পুণৰ গঠন কৰি ৫+৩+৩+৪ ব্যৱস্থাৰ প্রস্তাৱ কৰা হৈছে। এই ব্যৱস্থাত বিদ্যালয়ত শিশুৰ নামভর্তি ৩ বছৰ বয়সতে হব। স্কুলীয়া শিক্ষাৰ প্রথম পাঁচ বছৰ প্রাৰম্ভিক স্তৰ, পৰবর্তী তিনি বছৰ প্রস্তুতিমূলক স্তৰ, ইয়াৰ পিছৰ তিনি বছৰ মধ্যস্তৰ আৰু শেষৰ চাৰি বছৰটো হব মাধ্যমিক স্তৰ। অর্থাৎ বর্তমানৰ দ্বিতীয় শ্রেণীলৈ প্রাৰম্ভিক স্তৰ, তৃতীয়ৰ পৰা পঞ্চম শ্রেণীলৈ প্রস্তুতিমূলক স্তৰ, ষষ্ঠ শ্রেণীৰ পৰা অষ্টম শ্রেণীলৈ মধ্যস্তৰ আৰু নবম শ্রেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্রেণীলৈ মাধ্যমিক স্তৰ বুলি কোৱা হব। মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্রত বিশেষ পৰিবর্তন নাই। নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ত তলৰ পিনে তিনিটা শ্রেণী সংযোগ কৰা হৈছে। উচ্চ মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৃথক বুলি গণ্য নহব।

নতুন শিক্ষানীতিত বিদ্যালয় মণ্ডলৰ এক গুৰুত্বপূর্ণ ধাৰণা আগবঢ়োৱা হৈছে। বিদ্যালয় মণ্ডলৰ ধাৰণা অনুসৰি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এখনৰ চাৰিওফালে নির্দিষ্ট পৰিসৰত থকা সকলো বিদ্যালয়ক সামৰি এক বিদ্যলয় মণ্ডল সক্রিয় কৰি তোলা হব। এই বিদ্যালয় মণ্ডলে শৈক্ষিক আৰু প্রশাসনিক দিশত বহুখিনি ভাল কাম নিজস্বভাবে কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও ৰাষ্ট্রীয় শিক্ষা নীতি (২০২০) এ ৰাষ্ট্রীয় পাঠ্যক্রম প্রণয়নৰ আৰ্হি সম্পর্কে গুৰুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদান কৰিছে। ৰাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতিৰ আধাৰত পাঠ্যক্রমৰ প্রয়োজনীয়তাৰ ভিত্তিত ৰাজ্য চৰকাৰ, কেন্দ্রীয় চৰকাৰৰ উপযুক্ত বিভাগ আৰু অৰু অন্যান্য বিশেষজ্ঞ সমিতি তথা আনুসংগিক ক্ষেত্রৰ লোকৰ সৈতে কৰা আলোচনা অনুসৰি বিদ্যালয়ৰ বাবে সম্যক ৰূপত প্রস্তুত কৰি উলিয়াবলগীয়া ৰাষ্ট্রীয় পাঠ্যক্রম প্রণয়ন আৰ্হি (National Curicular Framework for School Eduation, 2020-21) ৰ দায়িত্ব SCERT এ গ্রহণ কৰিব। এই পাঠ্যক্রম সকলো আঞ্চলিক ভাষাতেই উপলব্ধ হব। মূল পাঠ্যক্রমৰ কথা মনত ৰাখি এই NCFSE প্রতি ৫-১০ বছৰত এবাৰকৈ সংশোধন কৰা হব।

ৰাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি আৰু উচ্চ শিক্ষা খণ্ডঃ

ৰাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি ২০২০ প্রবর্তনৰ দ্বাৰা উচ্চ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোত আমূল পৰিবর্তন আনিব বিচৰা হৈছে। নতুন নতুন বিষয়ৰ অন্তর্ভুক্তিৰে সময়োপযোগী শিক্ষা প্রদান কৰি ভবিষ্যৎ প্রজন্মক দক্ষ নাগৰিক হিচাবে গঢ়ি তোলাৰ প্রয়াস কৰা হৈছে। ৰাষ্ট্রীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ ৰ আগতে সমগ্র ভাৰতবর্ষতে উচ্চ শিক্ষাৰ খণ্ডটোৱে কিছুমান সমস্যা ঘাইকৈ যেনে সামাজিক আর্থিক ভাবে পিছপৰা অঞ্চলত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানৰ অভাব, সীমিত শিক্ষক আৰু প্রতিষ্ঠানৰ স্বায়ত্ব শাসনৰ অভাব, উচ্চ শিক্ষাৰ প্রতিষ্ঠান সমুহত গবেষণাৰ ওপৰত কম গুৰুত্ব আৰোপ, বৌদ্ধিক কৌশল আৰু শিকনৰ

ফলাফলৰ ওপৰত কম গুৰুত্ব প্ৰদান ইত্যাদি সমস্যা সমুহৰ সন্মুখীন হৈ আহিছিল। উচ্চ শিক্ষাই সন্মুখীন হৈ অহা উপৰুক্ত প্ৰত্যাহ্বান সমূহ আতৰাই উচ্চ মানদণ্ডৰ শিক্ষা আৰু সমতা স্থাপন কৰিবলৈ নতুন শিক্ষানীতিয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন শিক্ষানীতিয়ে আগবঢ়োৱা কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ হ'ল—

(১) এনে এক উচ্চ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা য'ত একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয় থাকে আৰু সেই শিক্ষানুষ্ঠান সমুহত স্থানীয় ভাষাত শিক্ষা গ্ৰহণৰ সুবিধা উপলব্ধ হয়।

(২) বিভিন্ন বিষয়ৰ স্নাতক পাঠ্যক্ৰম প্ৰচলন কৰা।

(৩) স্নাতক পাঠ্যক্ৰমৰ গাঠনি আৰু সময়সীমা পৰ্যায়ক্ৰমে ধাৰ্য কৰা হব। প্ৰাক স্নাতকৰ সময়সীমা ৩ বা ৪ বছৰৰ হব। ইয়াত প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থানৰ একাধিক বিকল্প থাকিব। প্ৰতিটো বিকল্পৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে সমাপ্ত কৰা শিক্ষাৰ বাবে প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰা হব।

(৪) উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বায়ত্ব শাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰা।

(৫) শিক্ষাৰ্থীৰ অভিজ্ঞতা অধিক ব্যাপক কৰি তুলিবলৈ পাঠ্যক্ৰম, শৈক্ষিক নীতি, মূল্যায়ন আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতি সমৰ্থনত এক নতুন ৰূপ প্ৰদান কৰা।

(৬) গবেষণাৰ মানদণ্ড বৃদ্ধি আৰু বিশ্ববিদ্যালয় তথা মহাবিদ্যালয়বোৰত গবেষণাৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় গবেষণা ন্যাস স্থাপন কৰা।

(৭) উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান সমুহক শৈক্ষিক আৰু প্ৰশাসনিক স্বায়ত্ব শাসনযুক্ত উচ্চ অৰ্হতা সম্পন্ন পৰিষদৰ দ্বাৰা পৰিচালনা কৰা।

(৮) উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান সমুহে বিভিন্ন আৰ্হিত স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰম প্ৰদান কৰিব পাৰিব।

উচ্চ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাটো সুগম, ন্যায়নিষ্ঠ আৰু উন্নতমানৰ কৰি তোলাটোৱেই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিৰ এক মূল উদ্দেশ্য। উচ্চ শিক্ষাক বিশেষ প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে বাবেই মহাবিদ্যালয় সমুহক 'চেণ্টাৰ অব এক্সিলেন্স' (Centre of Excellence) ৰূপে গঢ়াৰ পোষকতা কৰা হৈছে। পৰ্যায়ক্ৰমে কিছু সংখ্যক উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানক স্বায়ত্বশাসিত (Autonomous) শিক্ষানুষ্ঠান আৰু বিশ্ববিদ্যলয়লৈ উন্নীত কৰাৰ প্ৰস্তাব লোৱা হৈছে।

উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান সমুহক স্বায়ত্বশাসন প্ৰদান কৰাৰ উপৰিও নামভৰ্ত্তিৰ বাবে একক প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা, নিজৰ দেশতেই থাকি বিশ্বৰ আগশাৰীৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়িবলৈ সুযোগ পোৱা, সংস্কৃত আৰু আধুনিক ভাৰতীয় ভাষাসমুহৰ শিক্ষাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা, উচ্চ শিক্ষাৰ নিয়ন্ত্ৰক হিচাবে থকা UGC, AICTE, NCTE আদিৰ বিলুপ্তি ঘটাই উচ্চ শিক্ষা কাউন্সিল (HECI) গঠন কৰা, মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগৰ নাম পৰিবৰ্তন কৰি শিক্ষা মন্ত্ৰালয় কৰা ইত্যাদি অনেক যুগান্তকাৰী সিদ্ধান্তই উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনত নতুন দিশ উন্মোচিত কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে।

ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি ২০২০ ৰ জৰিয়তে বহুত্ববাদিতা, ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্য আৰু বৈচিত্ৰতাক এক নতুন ৰূপত প্ৰকট কৰিব বিচৰা হৈছে। শিক্ষাখণ্ডত পৰিকল্পনা ব্যয় ৬ শতাংশ ধাৰ্য কৰি সমগ্ৰ শিক্ষাব্যৱস্থাৰ উন্নয়নৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষক Knowledge Hub লৈ ৰূপান্তৰ কৰিব বিচৰা হৈছে। বিশ্ববিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয় সমুহত গবেষনাৰ বীজ ৰোপন কৰি সৃজনীশীলতা আৰু উদ্ভাবনশীলতাৰ দ্ৰুত বিকাশো ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ অন্যতম লক্ষ।

প্ৰাপ্তবয়স্ক সকলৰ ক্ষেত্ৰতো ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে নতুন দিক নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে। ২০৩০ চনৰ ভিতৰত ১০০ শতাংশ প্ৰাপ্ত বয়স্ক স্বাক্ষৰতা লক্ষ্য স্থিৰ কৰি দেশৰ সাধাৰণ জনতাক আধুনিক বিশ্বৰ লগত নতুন কৰ্মপথৰ সতে জৰিত

আধুনিক প্রযুক্তিৰ লগত পৰিচয় কৰাই অব্যবহৃত মানব সম্পদ সমুহৰ পূর্ণ ব্যৱহাৰৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে। প্রাপ্তবয়স্ক সকলৰ শিক্ষাৰ বাবে ৫ টা ৰাষ্ট্রীয় পর্যায়ৰ সংৰচনা তৈয়াৰ কৰা হৈছে। সেই সমুহ হৈছে আধাৰমূলক স্বাক্ষৰতা, জীৱন কৌশল, বৃত্তিমূলক, প্রাথমিক আৰু অবিৰত শিক্ষা।

মুক্ত শিক্ষা আৰু দূৰ শিক্ষণ (Open Education and Distance learning) ৰ ব্যাপক প্রসাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতিয়ে অনলাইন ডিজিটেল কোষ, গবেষণাৰ পুঁজি, মুক্ত অনলাইন পাঠ্যক্রম (MOOC), ক্রেডিট ভিত্তিত মান্যতা প্রদান আদি ব্যৱস্থাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে।

ৰাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি আৰু অসমঃ

অসমতো ৰাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি ২০২০ প্রবর্তনৰ বাবে প্রাৰম্ভিক কাম কাজ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। অসম চৰকাৰে ২০২২ চনৰ ১ এপ্রিলৰ পৰা ৰাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি ৰূপায়ন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। এই নীতিৰ অধীনত ৰাজ্যৰ সকলো উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমুহক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ পৰিবর্তন কৰা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। শিক্ষাখণ্ডৰ পৰিকাঠামোটোৰ (Infrastructure) সম্পূর্ণ পৰিবর্তন কৰিবলৈ ২০২৩ চনৰ লক্ষ্য বান্ধি দিয়া হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন পর্যায়ৰ শিক্ষানুষ্ঠান সমুহত দক্ষ আৰু মেধ্যসম্পন্ন ব্যক্তি সকলক নিয়োগৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছে। কিয়নো এই শিক্ষানীতিৰ সকলো আঁচনি সমূহৰ সফল ৰূপায়নৰ বাবে প্রায়োজন অহ র্তাসম্পন্ন আৰু নিষ্ঠাবান যুব শিক্ষকৰ। এজন দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষক এখন নিখুত শিক্ষানীতিৰ অপৰিহার্য অংগ। ইয়াৰ উপৰিও ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে পাচখন স্বতন্ত্র মহাবিদ্যালয়ক বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যায়লৈ উন্নীত কৰিছে। অৱশ্যে শিক্ষানুষ্ঠান সমুহৰ আন্তঃগাঠনিৰ ব্যাপক উন্নতিৰ প্রয়োজন অত্যন্ত জৰুৰী হৈ পৰিছে। শিক্ষক সমন্ধীয় সমস্যাৰাজি আৰু আন্তঃ গাঠনিৰ উন্নয়ন এই দুয়োটা চৰকাৰৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হোৱা উচিৎ।

ৰাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি ৰূপায়নৰ প্রত্যাহ্বান সমুহঃ

ৰাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি ২০২০ নিঃসন্দেহে এক সময়োপযোগী আৰু অভিলাসী আচনি। তথাপিও এই শিক্ষানীতি ৰূপায়ন কৰোতে কিছুমান প্রত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাবনা দেখা যায়। কেইটামান তেনেধৰণৰ প্রত্যাহ্বান হ'ল—

(১) বিভিন্ন শৈক্ষিক বিভাগ যেনে চিকিৎসা বিজ্ঞান, আইনী শিক্ষা আদিক একত্রিত কৰি ৰাষ্ট্রীয় শিক্ষা আয়োগ স্থাপনৰ ধাৰণাটো যঠেষ্ঠ প্রত্যাহ্বান মূলক।

(২) ভাষাৰ ক্ষেত্রত থকা আবেগিক বৈষম্যৰ প্রতি লক্ষ ৰাখি ভাষাৰ সমস্যা সমুহ সংবেদশীল ভাবে ৰূপায়ন কৰিব লাগিব।

(৩) সমালোচনাত্মক চিন্তা, সহানুভূতি আৰু অধ্যৱসায়ৰ দৰে শিক্ষণশৈলীগত (Pedagogical) পৰিবর্তন সমুহ নিৰীক্ষণ কৰাটো কঠিন হব পাৰে।

(৪) শিক্ষকে শিকন শিক্ষণ পদ্ধতিটো উপভোগ্য কৰি তুলিব লাগে আৰু শিক্ষার্থী সকলক নিৰন্তৰ ভাবে জড়িত কৰাব লাগে। ইয়াৰ বাবে দক্ষ আৰু অহ র্তা সম্পন্ন শিক্ষকৰ নিয়োগ অতি প্রয়োজনীয়।

(৫) ৰাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতিয়ে তৃণমূলস্তৰৰ শিক্ষার্থীসকলৰ পৰা পৰিবর্তন কৰিবলৈ প্রস্তাব কৰিছে। ই এক অতি প্রত্যাহ্বান মূলক পদক্ষেপ।

(৬) শিক্ষক আৰু শিক্ষার্থী উভয়কে বহুমুখী শিক্ষাৰ বিষয়ে পুংখানুপুংখ ধাৰণা দিয়াৰ প্রয়োজন। নহলে পাঠ্যক্রম পুণৰনির্মান কৰোতে জটিলতাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব।

(৭) ৰাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি ২০২০য়ে উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্রত দিয়া প্রস্তাৱসমূহ কার্যকৰী কৰিবলৈ যঠেষ্ঠ পুঁজি আৰু বিত্তীয় সম্পদৰ প্রয়োজন হব। পুঁজি সংগ্রহৰ বাবে চৰকাৰী সাহার্যৰ উপৰিও উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান সমুহে স্বনির্ভৰশীল পাঠ্যক্রমক উৎসাহিত

কৰিব লাগিব।

(৮) ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ ৰূপায়ন কৰিবলৈ অন্যতম প্ৰত্যাহ্বান হৈছে ডিজিটেল সংযোগ (Digital Connection) , ডিজিটেল শ্ৰেণীকোঠা (Digital Classroom) আৰু ভৌতিক প্ৰশিক্ষণৰ (Physical Training) ব্যৱধান হ্ৰাস কৰিবলৈ ভাৰ্চুৱেল ৰিয়েলিটি (Virtual Reality) প্ৰযুক্তি প্ৰদান কৰা।

সামৰণিঃ

ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি ২০২০ ৰ পৰামৰ্শৱলী নিঃসন্দেহে প্ৰশংসনীয় আৰু ইয়াৰ ৰূপায়নে শিক্ষা জগতত এক বৈপ্লবিক পৰিবৰ্তন সাধন কৰিব। ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ মূখ্য পৰামৰ্শটো হ'ল আধুনিক যুগৰ সৈতে খাপ খোৱাকৈ উচ্চ শিক্ষাব্যৱস্থাৰ পুণৰ নিৰ্মান। যদিও চৰকাৰৰ দ্বাৰা প্ৰস্তাবিত পৰিবৰ্তনবোৰ প্ৰশংসিত হৈছে, কিন্তু ইয়াৰ কাৰ্যকৰীকৰণৰ বাবে সকলো স্তৰৰ অংশীদাৰৰ পৰা এক বৃহৎ ঐকান্তিক প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰয়োজন আছে। বৰ্তমান প্ৰচলিত শিক্ষা ব্যৱস্থাত স্নাতক সকলৰ নিয়োগযোগ্যতা আৰু দক্ষতাৰ মাজৰ ব্যৱধান উদ্বেগজনক। ইণ্ডিয়া স্কিলছ ৰিপৰ্টত (India Skills Report 2018) উল্লেখ কৰা হৈছে যে বিভিন্ন পদৰ বাবে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত উপস্থিত হোৱা ৫০ শতাংশ আবেদনকাৰীয়ে নিয়োগকৰ্তাৰ দাবী পূৰণ কৰিবলৈ অপাৰগ। ৰাষ্ট্ৰীয় নিয়োগ যোগ্যতা প্ৰতিবেদন (Natioal Employability Report 2019) অনুসৰি ভাৰততে প্ৰায় ২০ শতাংশ অভিযান্ত্রিক স্নাতকহে নিয়োগ যোগ্য। অনা অভিযান্ত্রিক স্নাতক সকলৰ নিয়োগ যোগ্যতাও যথেষ্ঠ কম, প্ৰায় ৫ শতাংশ। ভাৰতবৰ্ষৰ জনগাঠনিৰ বিন্যাস অনুসৰি এওঁলোকৰ এক বৃহৎ অংশক উৎপাদনশীল ক্ষেত্ৰসমুহত নিয়োগ কৰিব নোৱাৰিলে অতি জটিল পৰিস্থিতিৰ উদ্ভব হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। সেইবাবে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে সকলোবোৰ দৃষ্টিভঙ্গী চালি জাৰি চাই, বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত ইতিমধ্যে সফল ভাবে প্ৰয়োগ হৈ থকা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অনুশীলন আৰু ক্ষেত্ৰভিত্তিক অভিজ্ঞতা সমুহ সামৰি এক ব্যাপক আৰু দূৰদৰ্শী নীতি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। যদিও এই শিক্ষানীতি উচ্চকাংক্ষী আৰু দূৰগামী ইয়াক সঠিক পৰ্যায়ত ৰূপায়ন কৰিবলৈ এক নিৰ্দিষ্ট ৰোডমেপৰ (Roadmap) প্ৰয়োজন।

ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি ২০২০ ৰ সফল ৰূপায়নে সমগ্ৰ শৈক্ষিক ব্যৱস্থাক উচ্চ মানদণ্ডৰ আৰু সামগ্ৰিক ভাবে সমাজৰ সকলো স্তৰৰ বাবে প্ৰাসংগিক কৰি তোলাৰ উপৰিও অদূৰ ভবিষ্যতে ভাৰতবৰ্ষক বিশ্বদৰবাৰত এক জ্ঞানকেন্দ্ৰীক অৰ্থনীতিলৈ (Knowledge Economy) পৰিণত কৰিব। ❍

References:

1) GOI(2020). National Education Policy 2020, Ministry of Human Resource Development, Government of India, July 2020. https://www.education.govt.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_O. Pdf.
2) Limbodri, L (2021), 'National Education Policy 2020: Overcoming challenges and opening up New Vistas: University News 59 (15), 132-135.
3) MHRD (2019). All India Survey on Higher Education AISHE (2018-19) Report, Retrived from http://aishe.nic.in/aishe/home.
4) Aithal, PS and Aithal, S(2020). Analysis of the Indian National Education Policy, 2020 towards achieving its objectives. International Journal of Management, Technology & social Science (IJMTS), 5(2), 19-41.
5) Saidapur SK (2020). Trends in the 21st Century Education, niversity News 58(46). 3-9.
6) ভটাচাৰ্য, মিতালী (২০২১). নতুন শিক্ষানীতিত মানব কল্যাণৰ ধাৰণা। স্বৰ্ণলিপি ১১(৫). ১২-১৫
7) বৰা, ড° বিপিন (২০২২). উচ্চ শিক্ষাত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ প্ৰভাব, আমাৰ অসম ৪ ফ্ৰেব্ৰুৱাৰী ২০২২.

শিকন-শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত ভাষাভিত্তিক সমস্যা আৰু নতুন শিক্ষানীতি-২০২০

মনীষা চলিহা

সহকাৰী অধ্যাপক
শিক্ষাতত্ব বিভাগ
ডি.আৰ. কলেজ
গোলাঘাট-৭৮৫৬২১
ফোন ঃ ৬০০১৯০১৮৬০

সাৰাংশ ঃ

বহুভাষিক দেশ ভাৰতত ভাষা-ভিত্তিক সমস্যাই স্বাধীনোত্তৰ কালৰে পৰাই বিশেষ প্ৰাধান্য লাভ কৰি আহিছে। ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক অথবা প্ৰতিজন মানুহৰ অনুভূতিক ক্ষেত্ৰক স্পৰ্শ কৰিব পৰাকৈ ভাষাৰ এক মোহিনীশক্তি আছে। শিক্ষাবিদ, ভাষাবিদ আৰু সাধাৰণ নাগৰিক-সকলোৱে দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সৈতে খাব খাব পৰাকৈ প্ৰতিজন ৰাজ্যৰ বাবে এক সুস্পষ্ট ভাষা-নীতি থকাটো উচিত বুলি বিবেচনা কৰে যাক ভেটি হিচাপে লৈ শিকন-শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া সৱল ৰূপত আগবঢ়াই নিব পাৰি। এই প্ৰবন্ধটোৰ জৰিয়তে শিকন-শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত ভাষাক কেন্দ্ৰ কৰি হোৱা বিভিন্ন সমস্যাসমূহ চালি জাৰি চোৱা হৈছে। গৌণ তথ্যৰ আধাৰত বৰ্ণনাত্মক আৰু বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিৰে অসম ৰাজ্যৰ প্ৰেক্ষাপটত বিষয়টো আলোচনা কৰা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত ক'ব পাৰি যে নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি-২০২০এ শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে মাতৃভাষাক গুৰুত্ব দি ভাষা সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত এক আশাৰ ৰেঙণি হৈ ধৰা দিছে।

অৱতৰণিকা ঃ

শিশুৰ অপূৰ্ব কল-কলনিয়ে আমাক ভাৰ প্ৰকাশৰ মাধ্যম হিচাপে ভাষা-শিক্ষাৰ উমান দিয়ে। ভাষা-বিজ্ঞানীসকলৰ বাবে সকলোৰে জীৱনত ঘটা ভাষা আহৰণৰ এই বিশেষ প্ৰক্ৰিয়াটো শিশুৰ এক অভূতপূৰ্ব দক্ষতা যিটো মূলতঃ সহজাত। এই সহজাত প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে নিজৰ মাতৃভাষাটো প্ৰথম ভাষাৰূপে আহৰণ কৰাৰ পিছত যিটো ভাষা শিকাৰুৱে শিকে সেইটো তেওঁৰ দ্বিতীয় ভাষা।[১] এই প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় ভাষাৰ মাধ্যমেৰে প্ৰতিজন শিক্ষাৰ্থীয়ে শিকন-শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত পৰ্যায়ক্ৰমে আগবাঢ়ে। ভাষাবিহীন ৰূপত শিক্ষাৰ্থীসকলে বিভিন্ন জ্ঞান আহৰণ কৰিলেও ভাষাৰ সহায় নোলোৱাকৈ শিকন-শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া প্ৰায়

অসম্ভৱ।

ভাৰতীয় শিক্ষাত ভাষাভিত্তিক সমস্যা ঃ

১৮১৩ চনৰ চার্টাৰ এক্টৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা 'পাচ্য-পাশ্চাত্য বিবাদ'ৰ এক অন্যতম কাৰণ আছিল শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে ভাষাৰ ব্যৱহাৰ। সেই সময়ত পাচ্যবাদীসকলে সংস্কৃত, পার্চী আদি ভাৰতীয় ভাষাসমূহ শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে বিচৰাৰ পৰিৱর্তে পাশ্চাত্যবাদীসকলে ইংৰাজী ভাষাক শিক্ষাৰ মাধ্যম হোৱাত জোৰ দিছিল। এই মাইনুটখনত কোৱা হৈছিল যে "We must do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern...A class of persons Indian in blood and colour but English in tastes, in opinions, in morals and in intellect". এইদৰে লর্ড মেকলেই ইংৰাজী ভাষাৰ জৰিয়তে ভাৰতত ইংৰাজী শিক্ষা দিয়াৰ আৰম্ভণি কৰিছিল যিটো ১৮৫৪ চনলৈকে চলি আছিল। ঐতিহাসিকভাৱে ১৮৫৪ চনৰ উডৰ প্রেৰণপত্রই ভাৰতত শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে দেশীয় ভাষা প্রৱর্তনৰ দিহা কৰিছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রত ইয়াৰ প্রয়োগ হোৱা নাছিল। ১৯১৩ চনত ভাৰত চৰকাৰৰ শিক্ষা নীতিত 'Vernaular School' স্থাপনৰ পৰামর্শ দিয়াৰ পাছত ১৯১৭ চনত চেডলাৰ আয়োগেও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ইন্টাৰমিডিয়েট কলেজ আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে মাতৃভাষ। শিক্ষাৰ উত্তৰণৰ বাবে পৰামর্শ দিছিল। ১৯৩৫ চনৰ গান্ধীজীৰ 'নঈ তালিম' শিক্ষাত মাতৃভাষাই শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে স্থান পাইছিল। ১৯৪৮-৪৯ চনৰ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা আয়োগৰ প্রতিবেদনত যুক্তৰাষ্ট্রীয় ভাষা হিচাপে হিন্দী ভাষাক প্রাধান্য দি উল্লেখ কৰা হৈছিল এনেদৰে "We should like to see the introduction of federal language in all schools at the secondary stage and the teaching should be continued at the University"[2]। শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে ভাৰতীয় ভাষাসমূহ ব্যৱহাৰৰ বাবে এনে অহৰহ প্রচেষ্টা চলি থকাৰ মাজতে ১৯৬৪-৬৬ চনৰ কোঠাৰী আয়োগৰ প্রতিবেদনত এনেদৰে উল্লেখ কৰা হ'ল- "Learning through a foreign medium compels the students to concentrate on creaming in stead of mastering the subject matter".[৩] লগতে আয়োগে সংযোগী ভাষা হিন্দী, আন্তর্জাতিক ভাষা ইংৰাজী আৰু আধুনিক ভাৰতীয় ভাষাসমূহক লৈ বিদ্যালয়ত ত্রি-ভাষিক সূত্র' প্রয়োগৰ পৰামর্শ দিয়ে।

ত্রি-ভাষিক সূত্র প্রয়োগৰ সমস্যা ঃ

ৰাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি-১৯৮৬ৰ সমর্থনত ভাৰতীয় বিদ্যালয়সমূহত 'ত্রি-ভাষিক সূত্র বর্তমানে চলাই থকা হৈছে। সাংবিধানিক সুবিধা, বহুভাষিক ভাৰতীয়ৰ আশা-আকাংক্ষা পূৰণ কৰা, ৰাষ্ট্রীয় ঐক্য-সংহতি বজাই ৰখা আদিৰ স্বার্থত ত্রি-ভাষিক সূত্র প্রচলিত হ'লেও এই ক্ষেত্রত বহু সমস্যাও আছে। প্রথমতে, এই সূত্র অনুসৰি তিনিটা ভাষাৰ শিক্ষা গ্রহণ কৰা প্রক্রিয়াই শিক্ষার্থীসকলক অধিক বোজা জাপি দিছে। দ্বিতীয়তে বেছিভাগ শিক্ষার্থীয়ে এটা ভাষা শিকিবলৈ বা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বিচাৰে সেয়েহে, হিন্দীভাষী অঞ্চলৰ বাবে ইংৰাজী বা আধুনিক ভাৰতীয় ভাষাসমূহে জনপ্রিয়তা লাভ কৰিব পৰা নাই। একেদৰে অহিন্দীভাষী অঞ্চলসমূহত হিন্দী ভাষা ব্যৱহাৰ অথবা অধ্যয়নত এক অহেতুক বাধা আহি পৰিছে। ত্রি-ভাষা সূত্র প্রয়োগৰ বাবে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পাঠ্যপুথি প্রকাশ আদিৰ জৰিয়তে প্রক্রিয়াটো খৰছী হৈ পৰিছে। তাৰোপৰি এনে প্রক্রিয়াই শিক্ষার্থীসকলক তিনিটা ভাষা জ্ঞান প্রদান কৰিলেও ভাষা তিনিটাৰ অমূল্য সাহিত্যৰাজি অধ্যয়ন কৰিব পৰাকৈ ত্রি-ভাষা সূত্রই তেওঁলোকক দক্ষ কৰিব পৰা নাই।

শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে অসমীয়া ভাষা ঃ

সংবিধান স্বীকৃত ভাষা হিচাপে শক্তিশালী ৰূপত প্রতিষ্ঠিত হ'লেও শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে অসমীয়া ভাষা সংকটমুক্ত ভাষা নহয়। ১৯৬০-

৬১ চনৰ ভাষা আন্দোলন, ১৯৭২ চনৰ শিক্ষাৰ মাধ্যমক লৈ কৰা আন্দোলন অথবা ২০১৮-১৯ চনৰ (চজ্ঝৰছ চনৰ) নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ কৰা আন্দোলন - এই সকলোবোৰ অসমীয়া ভাষাৰ সংকটৰ বিষয়ে আমাক সচকিত কৰে। দেখা গৈছে নবৈ দশকৰ শেষৰ পৰা ইংৰাজী মাধ্যমৰ প্ৰতি সৰ্বসাধাৰণৰ আকৰ্ষণ বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে অসমীয়া ভাষাৰ মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ বাবে এক সংকট নামি আহিছে। অসমীয়া ভাষাক শিক্ষাৰ মাধ্যম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অসুবিধাও আছে যেনে- ১। তথ্য প্ৰযুক্তি আৰু শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত অসমীয়া ভাষাৰ সীমাৱদ্ধতা, ২। আখৰ জোঁটনিৰ সীমাৱদ্ধতা, ৩। ঔপনিবেশিক নীচাত্মিকা, ৪। মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ ক্ৰমহ্ৰাসমান বিশ্বাসযোগ্যতা আৰু অসমীয়া বিদ্যালয়ৰ অনুন্নত শিক্ষণৰ মান।[৪] ইয়াৰোপৰি মূলতঃ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত কথিত এই অসমীয়া ভাষাটো নৱভাৰতীয় ভাষাসমূহৰ একেবাৰে পূব প্ৰান্তীয় ঠাল। অন্য ভাৰতীয় আৰ্যভাষাত (সংস্কৃত, হিন্দী, বাংলা আদি) নথকা কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অসমীয়া ভাষাৰ আছে। ভাষাবিদ কালিৰাম মেধিৰ মতে, "The Assamese pronounciation of the sibilants i speculiar in Assamese and evidently a relic of the vedic Aryan pronounciation."।[৫] অতীতৰ পৰা পৃথকভাৱে উত্তৰ-পূব ভাৰতত বিকশিত ভাষা হিচাপে অসমীয়া ভাষাৰ স্বকীয় এনে কাৰণৰ বাবে শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে এই ভাষাক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে সমস্যাৰ উদ্ভৱ হয়। অসমীয়া ভাষা শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰতো শিক্ষাৰ্থীসকলে কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। ড° অজিত কুমাৰ বৈশ্যৰ মতে, "The problems faced by the learners while learning Assamese because of the interference of the L1 and the Peculiar structure of L2 can be found mumy at three levels : (a) Phonetic level (b) Morphological level and (c) Syntactical level।[৬] শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে অসমীয়া ভাষা সূচল হোৱাৰ দিশত ওপৰোক্ত সমস্যাসমূহে প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ উপৰিও সাম্প্ৰতিক সময়ত আৰু কেতবোৰ নতুন সমস্যাৰ অৱতাড়না হৈছে। তাৰ ভিতৰত অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত অসমীয়া বিষয়টো অন্তৰ্ভূক্ত নকৰা - যাৰ বাবে ন্যায়ালয়ৰ কাষ চপা হৈছে।

মাতৃভাষা শিক্ষাৰ মাধ্যম আৰু নতুন শিক্ষানীতি-২০২০ ঃ

শৈক্ষিক, মনোবৈজ্ঞানিক, আৰ্থ-সামাজিক এই সকলো দিশৰ পৰাই মাতৃভাষা শিক্ষাৰ মাধ্যম হোৱা উচিত। নতুন শিক্ষানীতি-২০২০ৰ মতে, "It is well understood that young children learn and grasp nontrivial concepts more quickly in their home language/mother tongue." মাতৃভাষাক শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে সুচল কৰিবৰ বাবে নতুন শিক্ষানীতি-২০২০এ বিভিন্ন পৰামৰ্শ অথবা সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। এই নীতিমতে স্থানীয় পুথিভঁৰাল আৰু বিদ্যালয়সমূহত সুলভ হোৱাকৈ ভাল ভাল কিতাপসমূহ (Enjoyable and Inspirational) স্থানীয় ভাষা আৰু ভাৰতীয় ভাষালৈ অনুদিত কৰা হ'ব (২.৮)।[৭] ইয়াত ঘৰুৱা ভাষা/মাতৃভাষা/স্থানীয় ভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষাসমূহক সম্ভৱ হ'লে অষ্টম মানলৈকে শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে বাহাল ৰখাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী সকেলাবিলাক বিদ্যালয় এই নীতি মানি চলাৰ পোষকতা কৰা হৈছে। বিজ্ঞান, গণিত আদি বিষয়কে ধৰি বিভিন্ন বিষয়ৰ পাঠপুথি মাতৃভাষাত উন্নত ৰূপত প্ৰকাশ কৰা হ'ব। শিশুৰ কথিত ভাষা আৰু শিক্ষাগ্ৰহণৰ ভাষা যাতে একেটাই হয় সেই কথাত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। ইয়াৰোপৰি শিক্ষকসকলক দ্বিভাষা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ উৎসাহ দিয়াৰ লগতে শিকন সামগ্ৰীসমূহো দ্বিভাষা কেন্দ্ৰিক

হ'ব। ভাষা শিক্ষণক সুন্দৰৰূপ দিবৰ বাবে দক্ষ ভাষা শিক্ষক নিযুক্ত কৰা হ'ব। দেশজুৰি ভাৰতীয় ভাষাসমূহ গুৰুত্ব সহকাৰে অধ্যয়ন কৰাৰ লগতে ভাষা শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত Experimental Learning Pedagogyৰো সহায় লোৱা হ'ব। লগতে নতুন শিক্ষানীতি-২০২০ৰ মতে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু স্থানীয় ভাষাৰ সাংকেতিক চিহ্নসমূহ বা সাংকেতিক ভাষাসমূহক এক সন্মানীয় আৰু প্ৰাসংগিক স্থানত অৱতৰণ কৰা হ'ব।

সামূহিক সিদ্ধান্ত ঃ

১। শৈক্ষিক, মনোবৈজ্ঞানিক, আৰ্থ-সামাজিক-এই সকলো দিশৰ পৰাই শিকন-শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত মাতৃভাষা প্ৰয়োগ কৰা অতি গৰ্হিত কাম।

২। শিক্ষাৰ মাধ্যম নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিশেষাধিকাৰ থকা হেতু এক সুস্পষ্ট ভাষা নীতি তৈয়াৰ কৰি প্ৰতিৰাজ্যই শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত থকা ভাষা সমস্যা নিৰ্মূল কৰা উচিত।

৩। একক বৈশিষ্ট্যৰে মহীয়ান অসমীয়া ভাষাক শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আমি শ্ৰদ্ধ আৰু সবলৰূপত অসমীয়া ভাষাক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰো।

৪। নতুন শিক্ষানীতি-২০২০ৰ জৰিয়তে মাতৃভাষাক মাধ্যম হিচাপে গুৰুত্ব দিয়াৰ বাবে সমগ্ৰ শিকণ-শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াক দ্বিভাষাকেন্দ্ৰিক কৰি মাতৃ ভাষা আৰু ইংৰাজী দুয়ো ভাষাতে শিক্ষাৰ্থীসকলক দক্ষ কৰি তোলাটো যুক্তিসংগত আৰু সময়সাপেক্ষ কাম।

সামৰণি ঃ

শিকন-শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত মাধ্যম হিচাপে সঠিক ভাষাৰ ব্যৱহাৰে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৰ্বতোপ্ৰকাৰে বিকাশ সাধন কৰে। এই ক্ষেত্ৰত মাতৃভাষা আৰু ইংৰাজী এই দুয়োটা ভাষাৰে প্ৰাসংগিকতা আছে। দুয়োটা ভাষাতে উন্নত মানদণ্ডৰ পাঠ্যপুথি প্ৰস্তুত, শিক্ষকৰ প্ৰশিক্ষণ, দক্ষ ভাষা শিক্ষক নিয়োগ, প্ৰয়োজনীয় উৎসাহ প্ৰদান আদিৰ জৰিয়তে বৰ্তমান শিকন-শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিয়া উচিত। ❑

তথ্যসূত্ৰ ঃ

১। দুৱৰা, সপোন (২০০৪) ঃ ভাষা শিক্ষণৰ নতুন দিগন্ত, ষ্টুডেন্টচ ষ্টৰচ, গুৱাহাটী।

২। The Report of the University Education Commission, P. 321-322.

৩। The Report of the Kothari Commission, 1964-66.

৪। বৰা, বসন্ত কুমাৰ (২০১৯, ডিচেম্বৰ), ইংৰাজী মাধ্যমৰ আকৰ্ষণ ঃ ধাৰণা, বাস্তৱ আৰু প্ৰতিকাৰ, প্ৰান্তিক, পৃ. ২৩-২৪।

৫। Assamese Grammer and the Origin of the Assamese Language - Kaliram Medhi.

৬। Baishya, A. K. (2014), Problems of Teaching Assamese as a second Language, (in edited book), Lakshi Publishers, New Delhi

৭। New Education Policy-2020

কবিতা

সুখৰ সম্ভাৱনা

ড° দিলীপ শর্মা

গাওঁ ঃ খুটিকটিয়া, বিষ্ণুজ্যোতি নগৰ
অ'ল ইণ্ডিয়া ৰেডিওৰ সমীপত
ডাক ঃ শেনচোৱা, জিলা ঃ নগাওঁ
অসম ঃ ৭৮২০০২
ফোন ঃ ৭০০২৫৪৫৪৯৫

(১)
নিবিচাৰি জাত কুল আৰু ধনৰ মান
ভাবিব লাগিব আমি সকলো সমান
নকৰি ধনী মানি দুখীয়াক ভিন পৰ
একেই ঈশ্বৰে সৃজা প্ৰাণী বুলি মানি
চলিব পাৰিলেই বৰ সুখ পাম আমি।

(২)
ক'লা বগা ৰঙৰ মাজত একেই প্ৰাণ
নিচিন্তি অন্যথা মানিবা সকলো সমান
অট্টালিকা জুপুৰিৰ নাৰাখি ভেদ ভাৱ
অৰ্থৰ প্ৰভাৱক লৈ কদাপি নিদিবা টাও
দেহে চিন্তে সদায় চিন্তিবা মানৱৰ কথা
নিতে নিতে সুখ পাবা কহো এই গাঁথা।

(৩)
থাকিবা সদা তুমি সাধু সন্তৰ লগত
কদাপিও নথ'বা পাৱ দুষ্টৰ সংগত
ঐশ্বৰ্য্য বিভূতিৰ পিচত নহ'বা অধীৰ
নকৰিবা কাহানিও ভেম ৰূপ যৌৱন লৈ
থাকিবা মিলি জুলি সদা সবাৰে লগত।

(৪)
মিচা ধন মিচা জন মিথ্যা এই ভুৱন
আশা ৰূপ মায়াৰ বশতঃ ভ্ৰম হয় মন
সংসাৰৰ মায়া মোহ বিদায় দিয়া টান
শোক তাপ জৰা মৃত্যুৰ নাই পৰিত্ৰাণ
শোকত নহ'বা অধিৰ আনন্দত উত্তাৱল
সমভাৱে লোৱা ভাই জানি বিধিৰ মূল।

(৫)
ৰক্ত মাংস চকুৰ পানী পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়
সম বুলি ভাবি ল'বা সকলো প্ৰাণীৰ
দেশ ভেদে ৰূপ বৰ্ণ ভাষা সংস্কৃতিৰ
তথাপিও নহয় কম অধিকাংশ কৰো
বুজাৰ ভুলত কেৱল দেখে ভিন ভিন।

(৬)
কথা আৰু কামৰ মাজত ৰাখি তাল মিল
সৰ্বদা সৎ চিন্তা আৰু পৰোপকাৰৰ বাবে
অৰ্পিবা নিজ দেহ প্ৰাণ সাৰ্মথ্য অনুপাতে
পৰৰ দুখত দুখী হ'বা নলৈ পলায়ন স্বভাৱ
মানৱৰ স্বভাৱ নহে হ'বগৈ দানৱ যুক্ত ধৰা
ৰং ৰহইছ কৰা সকলো মিলা জুলা কৰি
কেতিয়াও নেভাবিবা ধৰা দুখৰ সাগৰ বুলি।। ❑

POSTAL REGISTRATION NO. GH/127/2022-2024 ● Date of publication : 31st January, 2022 ● RNI No. ASSBIL/2009/31008

असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, गुवाहाटी की ओर से मंत्री डॉ. क्षीरदा कुमार शइकीया द्वारा ग्राफिक्स प्रेस, हेदायतपुर, गुवाहाटी-3 में मुद्रित, प्रकाशित एवं प्रसारित। दूरभाष : (0361) 2463394, 2462811, फैक्स : 0361-2463394
संपादक : डॉ. क्षीरदा कुमार शइकीया e-mail : arps.guwahati@gmail.com कार्यकारी संपादक : रामनाथ प्रसाद